राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंकः 3] बारहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का अठहत्तरवां दिवस संख्याः [25

गुरुवार

21 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 422

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आज संसदीय कार्य मंत्रीजी का जन्म दिन है, जरा इनको कहिये, आज जन्म दिन की पार्टी वगैरह दें सब माननीय सदस्यों को।

अनेक माननीय सदस्य : बधाई हो, बधाई हो।

श्री जुबेर खान : संसदीय कार्य मंत्री।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का आखिरी दिन है और संसदीय मंत्री कम से कम सभी माननीय सदस्यों को मिठाई खिलायें, और लोगों को, आपका जन्म दिन बहुत मुबारक हो, आप खर्चा करिये। खर्चा करिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले, अध्यक्ष महोदय, यह पार्टी तो मांग रहे हैं, हमारे सचेतक हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मीनू मैं तैयार करूंगा, सबको खाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल है, जो अपने प्रश्नों में दिलचस्पी रखते हैं वह अपने पूछें प्रश्न।

मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीय कार्य मंत्री में सब की दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष : कौन उपस्थित है, कौन नहीं उपस्थित है, इस बात को छोड़िये।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले इनको बधाई तो दें जन्म दिन पर। आफ चिरायु हों, आप और तरक्की करें। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हों पचास हजार।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आखिरी दिन है और आपके माध्यम से आज नहीं दे सकते, कल तो हम ऐसे ही जाकर दे देंगे, आपके माध्यम से देने का मौका आज ही है।

श्री सांवर लाल : संसदीय मंत्रीजी ने कहा कि जो मीनू यह तय करेंगे वह आपको खाना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खाना पड़ेगा।

डा. सी. पी. जोशी : मीनू यह नहीं, मीनू घर वाली बनायेगी तो खाने के लिए तैयार हैं, इनका मीनू खाने के लिए तैयार नहीं है, हम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल : प्रश्न संख्या 423 .

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा प्रश्न संख्या 422 है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न संख्या 422 चूंकि न्यायालय में लम्बित है, इसलिए स्थगित किया जा रहा है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : एक मिनट के लिए मेरा निवेदन यह है कि इसको लम्बित करने का कोई ऐसा कारण नहीं था क्योंकि मैंने ऐसी कोई सूचना नहीं मांगी थी...

श्री अध्यक्ष : बताया न कि न्यायालय में लम्बित है, रिकार्ड है।

श्री राकेश मेघवाल : प्रश्न संख्या 423 .

श्री अध्यक्ष : एस.बी. सिविल रिट नम्बर 1822/3, इसकी प्रति है और डी.बी. सिविल स्पेशल में इसकी रिट है, तीन-तीन कोर्ट के अंदर है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, तीन के अलावा तो जो सूचना मांगी थी वह दी जा सकती थी क्योंकि इसमें शिडयूल्ड कास्ट, शिडयूल्ड ट्राइब के बैकलाग का मामला है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो कोर्ट में लम्बित होता है उसके बारे में हाउस में कोई सूचना नहीं दी जाती क्योंकि फिर वहां उनका निर्णय, इंफ्लुएंस होता है इसलिए नहीं दी जा सकती।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं, केस के बारे में नहीं मैडम, मैंने तो यह कहा था कि इसके अलावा..

श्री अध्यक्ष : अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं। इस बारे में जब कोई चर्चा नहीं।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 13 अप्रैल का प्रश्न स्थगित किया था उसका क्या हुआ?

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, आपने कहा था कि इसी सत्र में लग जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र के लिए; मंत्री की यदि टर्न नहीं है तो कैसेट सम्भव हो सकता है, वह तो मंत्री की तो टर्न होती है, इसलिए वह नहीं, मंत्री की टर्न नहीं है तो कैसे सम्भव होगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : स्थगित कराने के बाद में इन मंत्रीजी का नम्बर आ चुका था, आपने कहा था दूसरे मंत्रीजी देंगे उसके बावजूद भी अब तक उसका जवाब नहीं है और आज अंतिम दिन है।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री जवाब दें।

अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण

423. **श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 में ज्ञानोदय जैन तीर्थ, अजमेर में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया था? यदि हां, तो इस सड़क निर्माण को बीच में ही रोकने के क्या कारण रहे?

(2) क्य उक्त सड़क का कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया गया? यदि हां, तो कब तथा उक्त सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब व क्या ठेकेदार को इसकी जमानत राशि पुन: लौटा दी गई? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां। उक्त सड़क के कार्य को संशोधित/अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं बजट अभाव के कारण बीच में ही रोकना पड़ा।

(2) समय-समय पर अतिरिक्त एवं संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आबंटन के पश्चात उक्त कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिनांक 24.7.2003 को पूर्ण कर दिया गया है। जी हां, दिनांक 19.4.2005 को ठेकेदार की जमानत राशि लौटा दी गई है।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय मंत्रीजी, जन्म दिन मुबारक। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1997 में महामहिम उप राष्ट्रपति तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत, कैलाशजी मेघवाल और मैं स्वयं उस कार्यक्रम में गये थे और माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने इस सड़क की घोषणा की थी और कार्य चालू हो गया था। क्या बजट के अभाव में कार्य रोका, क्या यह सही है कि इलेक्शन के पहले 12/2002 को पुनः यह कार्य प्रारम्भ किया, क्या यह सही है कि उपयोग योग्य सामग्री आक्शन के आदेश किये थे, क्या मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 14.2.2002 के पैरा दो के तहत ए.जी. पैरा को ध्यान में रखते हुए बैलेंस उपयोग योग्य सामग्री को आक्शन के आदेश पर आक्शन नहीं किया गया, बैलेंस सामग्री रिकवरी ठेकेदार से होने का प्रश्न नहीं उठता...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल : प्रश्न ही पूछ रहा हूं साहब। प्रश्न यह है। अलग-अलग प्रश्न हैं, बीच में रोका नहीं, मैंने लगातार पूछ लिया। क्या यह सही है कि विधान सभा बैठक पर यह तारांकित प्रश्न लगने के बाद में पांच लाख रुपये का चेक दिया गया जबकि रिकवरी नहीं करने के आदेश दिनांक 14.2.2002 को पारित हो गये। क्योंकि उपयोग योग्य सामग्री रिकवर की गई, जो सामग्री आज भी विभाग के पास में है, जिसकी एम.आर. रजिस्टर विभाग के पास में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, उपयोग योग्य सामग्री जो आपके पास है जिसका आक्शन किया जाना है किंतु नहीं किया गया, ठेकेदार से जबरदस्ती रिकवरी कर ली गई, क्या यह सही है कि अनुबंध के क्लाज 45 के तहत..

श्री अध्यक्ष : ठेकेदार से रिकवरी क्यों की, बताओ।

श्री राकेश मेघवाल : इलेक्शन के करीब पच्चीस लाख रुपये ठेकेदार के भुगतान होने थे जिसमें 1.70 लाख अब तक भुगतान किया गया, कमेटी नियुक्त की गई, रिपोर्ट में उन्होंने यह माना कि उसका औचित्य ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष : तो आप प्रश्न पूछें न, आप भाषण दे रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन ही है। यह है तो मेरे क्वेश्चन ही, माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न यही है न कि ठेकेदार से वसूली क्यों की गई। बताइये यह क्यों की गई? माननीय मंत्री बतायें, ठेकेदार से वसूली क्यों की है आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह सड़क सात वर्ष में पूर्ण हुई है। इस सड़क की स्वीकृति 22.10.1996 को हुई और यह भी सही है कि इस सड़क को लेकर ए.जी. के अंदर पैरा बना, इस सड़क को लेकर ए.सी.डी. के अन्दर मुकदमा दर्ज हुआ और इसी सड़क को लेकर डी.ओ.पी. के अंदर भी हमने 16 सीसीए की कार्यवाही के साथ अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ वह भी प्रेषित किया। जिस सामग्री की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सामग्री यह सड़क जब बनाई गई तब चट्टानों को तोड़ा गया था और चट्टानों को जब तोड़ा गया तो उससे जो सामग्री निकाली उसी सामग्री को उसी काम में उपयोग में लेने की बात थी, उस सामग्री का ए.जी. ने पैरा बनाया कि वह 17 लाख रुपये जिस सामग्री का उपयोग उस ठेकेदार ने उस चट्टान तोड़ने के बाद जो आई, उसको सड़क निर्माण में किया है, उसका उसके बिल के अंदर समायोजन किया जाय और इसी आधार पर ए.सी.डी. के अंदर जब जांच चली, प्रारंभिक जांच, पी.ई. हुई. उसके अंदर भी ए.सी.डी. ने यही कहा कि यह पैसा वसूली योग्य है जो पैसा उनसे वसूल किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह मामला काफी पुराना था और इस मामले के जो सारे कागजात थे, वह ए.सी.डी. में भी गये, डी.ओ.पी. में भी उनके खिलाफ चार्जशीट लग गई, इसलिए उसमें भी गये, इसलिए इसके अंदर जो भुगतान कार्य पूर्ण होने के बाद में छह महीने के अंदर होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है परंतु जो भी नियमानुसार इसमें जो राशि कटने वाली थी, जिसमें ए.जी. ने कहा, ए.जी. के पैरा में बना, वही राशि काटी गई है, उसके अतिरिक्त कोई राशि नहीं काटी जा रही है।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिछले बीजेपी के शासन में 1996 में स्वीकृति हुई, 1997 में शुरू हुई तो 2004-05 तक इस सड़क का इंतजार और ठेकेदार का भुगतान नहीं होना, आप मामूली इसको बता रहे हैं, यह कम से कम छह साल का अंतर हो गया और भाजपा के राज में शुरू हुई और भाजपा के राज में ही वापिस इसका भुगतान, वह भी पांच लाख किया गया, बाकी भुगतान कब तक करेंगे। और यह भी कोई आम सड़क नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान में ज्ञानोदय जैन तीर्थ, अजमेर है, राजस्थान में एकमात्र बहुत बड़ा तीर्थस्थान है, तीर्थस्थान के मामले में ही अगर सात-सात साल डिले किया जाता है, लेट किया जाता है तो जो आगे जाकर फिर आम सड़क का क्या होगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से..

श्री अध्यक्ष : बिना अनुमति के ही?

श्री संयम लोढ़ा : आपकी आज्ञा हो तो?

श्री अध्यक्ष : आज्ञा दी कब?

श्री संयम लोढ़ा : अब दे दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि आप यह जो राठौड़ी राज चला रहे हैं, यह प्रश्न लगने के बाद आपने अभी दो दिन पहले उस ठेकेदार के पैसे काट दिये, मैं दो बातें आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आपके चीफ इंजीनियर ने 14.2.2002 को यह इसी सड़क के संदर्भ में आदेश दिये सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को "Regarding staking of the usable material by the contractor. This matter has been got examined in the light of the A.G. para as well as the decision taken by the then Chief Engineer (Roads)-I and it is decided that the balance usable material is to be auctioned and, therefore, the question of recovery of this material does not exist." यह आपके चीफ इंजीनियर का ए.जी. के पैरा के बाद में आदेश है। फिर किस बात के आधार पर उस ठेकेदार से पैसा वसूल कर रहे हैं और आप जिस ए.सी.डी. की प्रारंभिक जांच की बात कर रहे हो क्या एसी.डी. में इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज किया?

आप जिन अधिकारियों के खिलाफ 16 की चार्जशीट की बात कर रहे ...

(श्री संयम लोढ़ा)

हो, क्या कार्यवाही हुई उनके खिलाफ 16 में 9 आप जानकारी दें। आप जबरदस्ती बिना किसी दोष के और यह भी बताना कि वो जो मैटेरियल बचा हुआ था क्या वो आपके विभाग के पास नहीं है? आपके खुद के विभाग के तथ्य बता रहे हैं 15241.62 यह आपके पास उपलब्ध है, जिसको आपको ऑक्शन करना है। उसके बावजूद जो माल आपके पास उपलब्ध है, उसका पैसा आप ठेकेदार से काट रहे हो और दूसरा मेरा एक प्रश्न है ये जो जबरदस्ती आपने पैसा काटा है वह बतायें कि यह कब वापस लौटा दोगे और दूसरा एक्सेलेशन में जो पेमेन्ट होना था और आपने नहीं किया वो कब कर दोगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क निश्चित तौर पर तीर्थ स्थान को जोड़ने वाली सड़क है सबसे बड़ी चिन्ता तो यह करनी चाहिए कि सड़क स्वीकृत हो गयी 1811 दिन बाद सड़क का काम पूरा हुआ है अध्यक्ष महोदय, विषय इस बात का आना चाहिए और इसके अन्दर जो बजट नहीं था बजट के अभाव में यह बंद रही 1549 दिन और 262 दिन ठेकेदार ने अपना काम नहीं किया इसलिए बंद रही और जो इसमें जो एल.टी. काटी गयी है वो बिलकुल नियमानुसार काटी गयी है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि वो जो वहां सामग्री है उस सामग्री को चूंकि वो विभाग के पास है अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानती हैं विभाग ने सड़क बनाने का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया बीच में चट्टान थी चट्टान उन्होंने तोड़ी और चट्टान तोड़ने के बाद उस सामग्री का उपयोग अगर वो कर ले इसके अन्दर और उस सामग्री के बारे में जब ए.जी. पैरा बना दे और आपने जिस ए.सी.डी. की जांच की बात की है यह संख्या है 3/2001 श्री ए.के. सांघी अधिशासी अभियंता व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की गयी। इसमें शक नहीं है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2.7.2002 में यह कह दिया कि इसमें जांच में भ्रष्टाचार का कोई आरोप तो प्रमाणित नहीं होता है परन्तु यह सही है कि नियमों के अनुसार 17 लाख 64 हजार की वसूली ठेकेदार से की जानी चाहिए। जिस मैटेरियल को जो मैटेरियल अभी उसने तोड़ा और उस मैटेरियल को उसने उपयोग में ले लिया, कुछ मैटेरियल वहां पड़ा भी है और रही बात इस बात की कि मैटेरियल वहां पड़ा है तो यह भी साफ पहले तय हुआ था कि ठेकेदार उस मैटेरियल को एक जगह इकट्ठा करके पैमाइश करायेगा और पैमाइश कराकर उसके बाद में आकलन होगा कि कितना वो मैटेरियल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राशि हमने काटी है, बिलकुल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नियमानुसार काटी है और इसमें नियमों के खिलाफ कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात की भी जांच कराऊंगा कि 1996 में स्वीकृत हो और 2003 में यह पूरा काम हो इससे ज्यादा दुर्भाग्य, तीर्थ. से जोड़ने वाली सड़क हो, मैं तो इसकी भी जांच कराऊंगा कि इसके विलम्ब के पीछे कौन-कौन कारण रहे उसकी भी जांच कराऊंगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ए.सी.डी. के अदना थानेदार पर तो आपका भरोसा है आपके विभाग का चीफ इंजीनियर पूरी जांच के बाद वो लिखता है उस पर भरोसा नहीं है। अगर इतने ही नाकाबिल अफसर लेकर बैठे हो और अपने डिपार्टमेंट पर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप इस्तीफा दे दो न और ए.सी.डी. वालों को ही सौंप दो काम फिर काहे को लेकर चीफ इंजीनियर और सब बैठे हुए हैं आप इतने।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज तो जन्म दिन है मंत्रीजी आपका।

श्री संयम लोढ़ा : जन्म दिन है तो किसी का गला थोड़े घोंटनें देंगे। आपने 17 लाख रुपये काट दिये बिना किसी कारण के। अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, इस तरह सदन के प्रांगण का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष की पैरवी के लिए नहीं हुआ करता।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सरासर गलत है, यह विभाग के चीफ इंजीनियर का आदेश मैं रख रहा हूं रिकार्ड पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...(व्यवधान) पुदगल केस में उसकी सदस्यता समाप्त हुई है।

श्री अध्यक्ष : हां, हुई है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, न तो हमने अजमेर देखा न अजमेर की सड़क देखी न उस ठेकेदार को देखा, मैं तो चीफ इंजीनियर के इस आदेश की बात कर रहा हूं जो इनके विभाग के चीफ इंजीनियर ने दिया है और आडिट पैरा के बाद में दिया है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है जो...

श्री अध्यक्ष : चीफ इंजीनियर ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा अलग बात है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं कि सदन के प्रांगण का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष की पैरवी के लिए नहीं किया जा सकता है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्ति की पैरवी का सवाल नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : व्यक्ति भी प्रदेश का नागरिक है उसके साथ भी अन्याय होता है तो उसकी बात को कहने का अध्यक्ष महोदय, पूरा अधिकार है और जो बात कह रहा हूं वो सरकार के आदेश के आधार पर कह रहा हूं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सड़क नहीं बनी उसकी बात नहीं कर रहे हैं... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक ठेकेदार ने...

श्री संयम लोढ़ा : सवाल सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य का है, हमारा नहीं है, सवाल सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य ने उठाया है हम तो उसमें जिस व्यक्ति को सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य न्याय दिलाना चाहते हैं हम उसमें सहयोग कर रहे हैं और मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : तीर्थ को जोड़ने वाली सड़क 6 साल तक नहीं बनी... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 1996 में सड़क शुरू हुई। कांग्रेस ने पांच साल में पिछले पांच साल में राज इनका था इन्होंने क्यों नहीं किया वो इन्होंने पेमेन्ट क्यों रोका इनके राज में क्यों नहीं हुआ?

डा. श्रीगोपाल बाहेती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल इसमें है...(व्यवधान) बैठिये आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक प्रश्न है कि मंत्रीजी ने अभी कहा कि ठेकेदार ने जो मैटेरियल काम में लिया उसका पैसा काटा। चूंकि यह एक धार्मिक तीर्थ विश्व विख्यात तीर्थ है उसका सवाल है इसलिए इसके अंदर व्यक्ति का सवाल नहीं है व्यवस्था का सवाल है कि जिस प्रकार से प्रश्न लगने के बाद ठेकेदार के पैसे काटे गये और जिस प्रकार से ठेकेदार को हरेस किया गया पेमेन्ट के अन्दर चीफ इंजीनियर के

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

आर्डर के बाद में यह अपने आप में व्यवस्था का प्रश्न उठाता है। व्यक्ति का सवाल इसके अन्दर नहीं है तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन इस बात का है कि जो 15652 क्यूबिक मीटर जो उसने काम में लिया मैटेरियल उसका पेमेंट उसका कटा है कोई दिक्कत नहीं है जो उसके कब्जे में गवर्नमेंट के और जिसकी स्केटिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो पहाड़ी नहीं है, वो पहाड़ है मंत्रीजी ने शायद देखा हो, मैंने देखा है वो पहाड़ी है और जहां कटिंग हुई है वहां मैटेरियल इतना जमा नहीं हो सकता इसलिए कुल मिलाकर इसके अन्दर ठेकेदार के साथ न्याय होना चाहिए हमारा कहना आपसे यह है।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने इसलिए उठाया है कि उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री भैरोसिंहजी शेखावत थे, मैं मौजूद था, और कैलाशजी मेघवाल मौजूद थे। 1996 में घोषणा की और पांच साल के बाद में 1997-98 में इनका राज आ गया पांच साल के कार्यकाल में इन्होंने उस सड़क के लिए कुछ नहीं किया काम बंद कर दिया और ये पांच लाख रुपये भी जो मिले हैं वो बी.जे.पी. के राज में अभी 27 तारीख को मिले हैं। यह प्रश्न लगने के बाद में तो पांच साल में माननीय मंत्रीजी, यह बतायें कि कांग्रेस के कार्यकाल में पांच साल में क्या किया इस सड़क के लिए?

डा. श्रीगोपाल बाहेती : 5 लाख रुपये मिले हैं 17 लाख काटने के बाद में।

श्री राकेश मेघवाल : कांग्रेस के राज में एक भी पेमेन्ट क्यों नहीं किया? 1996 में शुरू हुआ है और आज 2005 हो गया क्या कर रहे थे? पांच साल के कार्यकाल की माननीय सड़क मंत्रीजी, आप पूरी जांच करायें कि इसमें किन-किन लोगों की साजिश थी काम बंद कराने की क्योंकि वो भैरोसिंहजी शेखावत की घोषणा की हुई सड़क थी, इसलिए इन लोगों ने डिले किया।

श्री अध्यक्ष : परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। जवाब सुनें मंत्रीजी का।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट इसी से संबंधित सवाल है मेरा।

श्री अध्यक्ष : सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी : एक छोटी सी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रोड जिसके लिए इतना सदन में हंगामा हो रहा है, माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ यह बता दें कि ये रोड जिसमें चट्टान काटी गयी इसमें यूजफुल मैटेरियल आपके अधिकारियों ने कितने क्यूबिक मीटर दर्शाया और अनयूजफुल कितने क्यूबिक मीटर दर्शाया? क्या अनयूजफुल मैटेरियल का भी आपके विभाग ने पैसा काटा है या यूजफुल का ही काटा और इसमें क्वालिटी क्या थी, क्या वो यूजफुल था और इसमें इतना विलम्ब हुआ, कंपलीशन डेट के बाद, इतना विलंब हुआ, इसमें ठेकेदार दोषी था या विभाग दोषी था? इसकी जानकारी दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 से लेकर 2002 तक एक रुपया भी सरकार ने सड़क की जो स्वीकृति पूर्व में हुई थी प्रशासनिक स्वीकृति हुई उसके बाद निविदाएं हुई उसके अनुसार जो राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि आबंटित नहीं की गयी नंबर 11 नंबर-2 अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि त्तकालीन माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह गुर्जर ने इसकी शिकायत की थी और उनकी शिकायत के आधार पर ये मि. मेहता हैं उनके बारें में मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता कौन हैं, क्या हैं? मैं उसमें जाना नहीं चाहता पर वो ठेकेदार है यह बात रिकार्ड पर है। उनकी शिकायत पर इसकी जांच प्रारम्भ हुई। ये जिस ए.सी.डी. की बात कर रहे हैं और जिस ए.जी. के पैरा बनने की बात कर रहे हैं, आज भी जनलेखा समिति में जब यह पैरा एग्जामिन हुआ तो उन्होंने भी कहा कि यह वसूली योग्य है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि पत्थर आपने जो आकलन कैसे किया कि कौनसा पत्थर का पैसा वसूली योग्य है और कौनसा नहीं तो यह है 17053.88 घन मीटर, यह घन मीटर है अध्यक्ष महोदय, और इसका सौ रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से 17 लाख रुपये की रिकवरी बनी है।

श्री अध्यक्ष : ठेकेदार ने ही बताया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...(व्यवधान) ठेकेदार ने ही बताया है और यह भी तय है कि इनको कोई जानकारी नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : यह जैन तीर्थ का मामला है। यह जैन तीर्थ का मामला है। तीर्थ के मामले में तो रहम करो आप। यह तीर्थ का मामला है इसलिए अब आप तो न्याय करो इसमें क्या बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ... केवल ठेकेदार के कहे हुए को पढ़ रहे हैं और जैन तीर्थ है इसलिए नहीं करने दिया और जैन तीर्थ है, इसलिए कांग्रेस ने उस जैन तीर्थ में सड़क नहीं बनने दी और इन्हें जैन तीर्थ का दर्द नहीं है ये केवल ...(व्यवधान) शर्म आती है अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस सदन का दुरुपयोग किया जाए। इससे ज्यादा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, यह सुनते-सुनते कान पक गये।

श्री संयम लोढ़ा : आज आपने धर्म छोड़ दिया क्या?

श्री सी. डी. देवल : क्या यह ठेकेदार जैन है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जैन मंदिर की सड़क निर्माण से संबंधित सवाल है तो आज आपने ताक पर रख दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सड़क का निर्माण किसने रोका।

श्री संयम लोढ़ा : यह सवाल आपकी पार्टी के सदस्य ने लगाया है विधान सभा में और हमें पूछने का पूरा अधिकार है कि सरकार का चीफ इंजीनियर क्या आदेश देता है?

श्री कैलाश त्रिवेदी : मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं वह भी उस कार्यक्रम में मौजूद था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करायी जाये।

श्री राकेश मेघवाल : आपके खिलाफ लगाया है, मैंने। मैं सरकार का एम.एल.ए. हूं लेकिन मैंने आपके 5 साल के कार्यकाल के खिलाफ यह प्रश्न लगाया है। आपने 5 साल में क्या किया, क्यों नहीं पेमेंट किया, क्यों नहीं काम किया। आज ज्ञानोदय तीर्थ जो इतना बड़ा तीर्थ है जब कांग्रेस का राज था तो सड़क नहीं बना पाये? बड़े शर्म की बात है, इसलिए लगाया था मैंने। मेरा कोई ठेकेदार से लेना देना नहीं है लेकिन आपकी कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाया था मैंने। आपके 5 साल में आप अपने आप को कहते हैं कि जैनी तो कांग्रेस के हैं। (व्यवधान) यह 5 लाख दिये हैं वह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अब लगाया है तो सरकार को सुनना पड़ेगा प्रश्न आने के बाद हाउस की प्रापर्टी है आप अकेले की प्रापर्टी नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : आपकी नीयत में खोट थी, आपकी नीयत साफ नहीं थी कि भैरोंसिंहजी शेखावत ने जो सड़क की घोषणा कर दी वह सड़क नहीं बननी चाहिये। आपकी नीयत में खोट थी, आपकी नीयत के खिलाफ मैंने लगाया था।

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पेसिफिक बात पूछी है कि चीफ इंजीनियर ने जो लिखा है, आडिट पैरा आने के बाद, फिर सरकार ने किस आधार पर यह फैसला बदला, मैं यह जानना चाहता हूं। आपके चीफ इंजीनियर का आदेश है, आडिट पैरा आने के बाद है फिर आपने किस आधार पर आदेश को बदला। या तो उस चीफ इंजीनियर को सस्पेंड करो जिसने यह आदेश दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह प्रकरण काफी पुराना था और माननीय सदस्य के प्रश्न लगने के बाद मैंने सारी पत्रावली मंगा कर देखी और इसमें ठेकेदार की हमारे पास जो उसका फिक्स डिपोजिट था वह 8 लाख 56 हजार था उसमें से हमने 5 लाख रुपये जो उसके बनते थे वह दिये हैं बाकी जब जनलेखा समिति के फाइंडिंग कागज पर हो, ए.जी. का पैरा हो, ए.सी.डी. की जांच के बाद ए.सी.डी. की फाइंडिंग हो उसके बाद उस ठेकेदार, जो उस वक्त काम चालू हुआ जैन धर्म का काम, जैन ठेकेदार काम करने वाला आपकी ही सरकार थी, आपकी हुकुमत में शिकायत हुई मैंने तो इसका पेमेंट किया है और मैं सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सड़क कैसे बनी है...

श्री अध्यक्ष : जब आडिट पैरा था, सब था तो फिर आपने पेमेंट क्यों किया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह भी बता दें कि 1996 से 98 तक यह सड़क कितनी बनी थी और 1998 से आज तक कितनी बनी है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब आ जाना चाहिये कि पेमेंट क्यों किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पेमेंट इसलिए किया कि इसका पेमेंट बनता था।

श्री अध्यक्ष : पैनेल्टी लगाकर बाकी दे दिया, बाकी तो कटते ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाकी दे दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, सवाल भी आपने किया और जवाब भी आपने दे दिया।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर संशय उत्पन्न करता है, यह फैसला। आपका चीफ इंजीनियर क्या लिख रहा है आडिट पैरा आने के बाद, अध्यक्ष महोदय, किस तरीके से मंत्रीजी सरकार चलाना चाहते हैं। कोई वक्त नहीं है आपके चीफ इंजीनियर की या तो आप सस्पेंड करो उसको अगर उसने गलत किया है तो।

श्री अध्यक्ष : आप सदन को कैसे चलाना चाहते हैं, किसकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपकी आज्ञा से सदन चलाना चाहता हूं।

डा. सी. पी. जोशी : पैरवी नहीं कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि ए.सी.डी. की जांच चल रही है तो ए.सी.डी. की जांच जब तक नतीजे पर नहीं पहुंचे तब तक यह पेमेंट क्यों किया गया। आपने स्वयं ने कहा है कि ए.जी. की आब्जेक्शन है, ए.सी.डी. की जांच चल रही है, ए.सी.डी. की जांच को प्रभावित करने के लिये आपने पेमेंट क्यों किया। ए.सी.डी. फैसला कर लेती कि वसूल करना है कि नहीं करना है। यह पेमेंट करके आप ए.सी.डी. को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो फैसला किया है आपके विवेक से किया होगा लेकिन सरकार को यह मानस बनाना चाहिये कि यदि कोई ए.सी.डी. की जांच पेंडिंग है तो ए.सी.डी. की जांच जब तक डिस्पोज नहीं हो तब तक कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं आप इससे सहमत होंगे, यह निश्चित तौर पर आपको बताना चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं मैंने पहले भी निवेदन किया 3/2001 में तो ए.सी.डी. की जांच चली, माननीय सदस्य ने जब शिकायत की और 2.7.2002 को ए.सी.डी. ने यह कह दिया इसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। परन्तु फिर भी 17.64 लाख की राशि वसूल की जानी चाहिये ठेकेदार से। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि आपके चीफ इंजीनियर का पत्र है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ इंजीनियर के पत्र का सार यह था कि जो आपने मैटेरियल उपयोग में कर लिया वह तो कर लिया शेष मैटेरियल जो बचा है उसको आप पूरे स्टाक में उसके चिट्ठे लगाकर उसकी पैमाइश करवा दें ताकि उसकी नीलामी की जाये। अध्यक्ष महोदय, न तो चिट्ठे लगे, उस सारे मैटेरियल को बिखेर दिया गया। अब जिस मैटेरियल का उपयोग किया अगर वह भी ठेकेदार से विभाग नहीं ले तो मैं समझता हूं फिर कैसे काम चलेगा। मैंने सारा कानून सम्मत किया है और मैंने तो त्वरित गति से पत्रावली देखकर जो उसका पेमेंट बनता है वह पेमेंट कर दिया।

श्री संयम लोढ़ा : वह मैटेरियल आज भी आपके पास पड़ा है और आप उसको आक्शन नहीं कर रहे हो।

श्री कैलाश त्रिवेदी : ... (व्यवधान) 41.62 क्यूबिक मीटर मैटेरियल जो ले रखा है वह किस आधार पर लिया। आपने जो मैटेरियल ले रखा है, आपका खुद का जवाब है जब चिट्ठा नहीं लगा तो आपने किस आधार पर लिया और एन.पी. में कैसे उसको चढ़ाया गया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से आप यह पूछो।

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब बिलकुल अनुचित है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरारी लाल मीणा।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब आया नहीं है। जब आक्शन किया नहीं, माल आपके पास पड़ा है फिर किस आधार पर आपने पैसे काट दिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी : वह चढ़ा हुआ है और उसमें वह तभी चढ़ता है जब विभाग ने इसको ले लिया हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने सदन को संतुष्ट नहीं किया है या तो आप इस मामले को वापस दिखवाये कि जो चीफ इंजीनियर ने मैटेरियल आक्शन की बात कही थी उसको उस संदर्भ में इस प्रकरण को वापस सरकार दिखवायेगी, यह मंत्रीजी आप कहें।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। आपको सूचना का अधिकार है..

श्री संयम लोढ़ा : सूचना मिली कहां अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने यह कहा कि माल हमारे पास पड़ा है, हम आक्शन करेंगे, आक्शन आपने किया नहीं और आपने पैसा काट लिया। आप यह बताओ कि इस प्रकरण को वापस दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दिखवा लूंगा आपने जो बात कही।

श्री संयम लोढ़ा : ठीक है।

बांदीकुई के चिकित्सालयों में रिक्त पद

424. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई तथा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा में चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद रिक्त हैं।

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक का पद कब से रिक्त है?

(3) क्या सरकार महिला चिकित्सक के रिक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री दिगम्बर सिंह) : (1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा में महिला चिकित्सक का अलग से पद स्वीकृत नहीं है, परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद 10/2004 से रिक्त है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद पदोन्नति से भरा जाना है,

(श्री दिगम्बर सिंह)

जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की जनसंख्या करीब 3 लाख है। वहां पर 50 बैड का जो हास्पिटल है, उसमें 11 पद करीब डाक्टर के स्वीकृत हैं। इसमें 2004 से महिला चिकित्सक नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि महिला चिकित्सक का पद जो कि 2004 से रिक्त हैं। क्योंकि पूरे तहसील क्षेत्र में कोई भी महिला चिकित्सक इस टाइम कार्यरत नहीं हैं क्या महिला डाक्टर आप वहां पर लगायेंगे। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि एम.आर.एस. द्वारा बांदीकुई हास्पिटल में मशीन लगाई हुई है वहां पर पहले ट्रेंड डाक्टर जो कि सोनोग्राफी कर लेता था...

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री मुरारी लाल मीणा : उसका ट्रांसफर पिछले वर्ष कर दिया गया। उसकी जगह आप क्या कोई ट्रेंड डाक्टर लगायेंगे या उन्हीं डाक्टरों में से किसी डाक्टर को ट्रेनिंग के लिये भेजेंगे। तीसरा, जैसा मैंने बताया कि वहां की आबादी तीन लाख है और 50 बैड का हास्पिटल अभी वहां चालू है, इस हास्पिटल को आप 100 बैड का करने का विचार रखते हैं?

श्री दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदयं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई में ज्यादातर पद भरे हुए हैं। मात्र स्त्री रोग कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद रिक्त है। वहां मेडीसन का जूनियर स्पेशलिस्ट है, आर्थोपेडिक्स का है, आई का जूनियर स्पेशलिस्ट है, पेड्रियाट्रिक्स का जूनियर स्पेशलिस्ट है। दो सीनियर मेडीकल ओफिसर्स हैं। दो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट में एक वेकेंट है। एक डेंटल मेडिकल अफसर है। नर्स ग्रेड फर्स्ट पांच के पांच भरे हुए हैं। ग्रेड सैकण्ड के सात के सात पद भरे हुए हैं। ए.एन.एम. के दो पद हैं, दोनों के दोनों भरे हुए हैं। मात्र एक पद यहां पर रिक्त है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाह रहा हूं कि हमने बहुत डीपीसीज की है, अभी प्रमोशन किये हैं। भविष्य में जल्दी ही और हमारी डीपीसीज होगी। आपके जो स्त्री रोग का पद है वह जल्दी से ही मैं भर दूंगा।

(श्री दिगम्बर सिंह)

दूसरा आपने सोनोग्राफी के लिए ट्रेंड डाक्टर्स की बात कही थी। सोनोग्राफी के लिए वहां पर कोई कनिष्ठ विशेषज्ञ, कोई रेडियोलोजी या इस तरह का पद तो स्वीकृत नहीं है परन्तु मेडीकल अफसर में से ही ट्रेंड लोग हैं जो यह करते हैं सोनोग्राफी। अगर वहां कोई ट्रेंड नहीं है तो वहां के मेडीकल आफिसर को ट्रेनिंग दिलवाकर, वहां की सोनोग्राफी के लिए ट्रेनिंग दिलवाई जा सकती है।

आपने वहां 50 से 100 बैड का प्रस्ताव जो आपने रखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय अभी तो कोई इस तरह का विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है किन्तु फिर भी क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए मैं एक बार जांच कराकर जो भी उचित हो सकता है निश्चित रूप से कदम लूंगा।

श्री मुरारी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कोई भी महिला डाक्टर, जैसा आपने बताया कि दो पद रिक्त हैं, कोई भी महिला डाक्टर वहां पर अभी पदस्थापित कर दें ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके।

डा. दिगम्बर सिंह : मैं जल्दी से जल्दी एक महिला डाक्टर का वहां पर पदस्थांपन करने का प्रयास करूंगा।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के संदर्भ में मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपने मेरा, किसानों को फसल का मुआवजा मिलना चाहिए प्रश्न स्थगित किया था। आपने अभी आसन से फरमाया कि मंत्रीजी का दिन ही नहीं होगा तो उसका जवाब कैसे आएगा। मंत्रीजी का दिन मंगलवार था और मंत्रीजी का दिन आज भी है। कृषि मंत्रीजी और प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं। किसानों के मुआवजे का मामला है। फसल नष्ट हो गई है। बीमा किया हुआ है।, प्रीमियम दिया हुआ है। +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई जीरो आवर नहीं है कि आप खड़े हो गए और खड़े होकर आप बोलने लग गए। यह प्रश्नकाल है।

श्री रामचन्द्र सराधना : +++

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : प्रश्न 425

श्री रामचन्द्र सराधना : +++ (व्यवधान) अभी फरमाया था आसन से कि आज दिन नहीं है। (व्यवधान) +++

श्री अध्यक्ष : आसन बाध्य नहीं है आपका जवाब देने के लिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : सत्य, असत्य का तो है +++

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं यहां बोल रहा हूं असत्य कह रहा हूं ना? +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन असत्य कह रहा है?

श्री रामचन्द्र सराधना : मंत्रीजी का आज डे है। आपने कहा आज उनका डे नहीं है। आज उनका डे है। +++ (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, दो बातें आपत्तिजनक बातें कहीं है। +++ यह दोनों शब्द आप कार्यवाही से निकलंवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह दोनों सेन्टेन्स, यह बहुत ही गम्भीर बात है आसन के ऊपर आरोप लगाना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था और नियमों को तो मानते ही नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपने यहां व्यवस्था है कि कोई भी माननीय सदस्य को शिकायत है तो (व्यवधान) वैश्म में...

डा. एन. एस. गुर्जर : +++ यह सीधा-सीधा आरोप है आसन पर।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह सीधा-सीधा, माननीय आपको तो इनाम मिल रहा है इसलिए आप कह रहे हो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : यह इसका सवाल नहीं है..

श्री रामचन्द्र सराधना : आसन ने व्यवस्था दी है कि आज मंत्रीजी का डे नहीं है। +++

डा. एन. एस. गुर्जर : आप आसन पर आरोप तो मत लगाइये। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं कहना चाह रहा था, आज आसन से व्यवस्था मिली है..

डा. एन. एस. गुर्जर : आप अपना मामला उठाए। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : देखिये, सुनिये आप। आसन ने व्यवस्था दी है कि आज मंत्रीजी का दिन नहीं है, मैं यह कह रहा हूं आसन से कि +++ आप मंत्रीजी का दिन है +++ (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इनका मामला (व्यवधान) माननीय सदस्य आपका मामला आप उठाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य जागरुक रहे, आसन अपने आप में, यहां न्याय जो है, आंखों पर पट्टी बांधकर न्याय की मूर्ति खड़ी है। उनको कुछ पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : आपने यह कहा था कि वैश्म में मिले, मैं यह नहीं कह रहा था वैश्म में मिले, नहीं मिले। मैं यह कह रहा था +++

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपने यहां परम्परा यह है, या तो प्रश्नकाल के पहले वैश्म में मिल लेते तो यह सब बातें नहीं होती। यह सब चर्चा यहां नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मेरी बात वहां पैदा हुई है, आसन ने यह कहा कि आज मंत्रीजी का दिन नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत। स्थान ग्रहण करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : प्रश्न संख्या 425-

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी (व्यवधान) खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : हम सम्मान करते हैं। आसन का सम्मान करते हैं लेकिन आसन से यह व्यवस्था दी गई है कि आज मंत्रीजी का दिन नहीं है, +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : प्रश्न संख्या 425.

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कार्यवांही से तो निकलवा दीजिए आप, वह रह जाएगा कार्यवाही में।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही सब मैं देख लूंगी।

श्री शांतिलाल चपलोत : प्रश्न संख्या 425.

डा. एन.एस. गुर्जर : मामला उठाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : +++ (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : कृपया आसन पर आरोप नहीं लगाए।

श्री अध्यक्ष : जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान पर बैठे रहें। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : आपसे ज्यादा समझते हैं। आसन की बहुत इज्जत करते हैं। +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, जो कुछ भी बोले।

मावली नवीन पशु चिकित्सालय

425. **श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)** : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार वर्ष 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र मावली में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (श्री प्रभुलाल सैनी) : जी नहीं। समिति वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष में वर्ष 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र मावली में नये पशु चिकित्सालय खोलना विचाराधीन नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि इस साल कोई चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से...

श्री अध्यक्ष : जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोले आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : स्वास्थ्य केन्द्र नहीं भी खोले तो कम से कम उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की तो मंशा है आपकी या नहीं। हमारे यहां चंदेसरा, बानसोल, इंटाली यह बड़े स्थान हैं, जहां पर अधिकांश लोगों का धन्धा पशुपालन है और बड़ी संख्या में वहां पशु हैं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या आप इस पर विचार करेंगे मंत्रीजी।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य जी ने पशु चिकित्सालय खोलने के संदर्भ में.. (व्यवधान) एक मिनिट सुनिये तो आप। आपने कहा कि इस वर्ष यदि पशु चिकित्सालय नहीं खोल रहे हैं तो क्या उप चिकित्सा केन्द्र खोलने पर क्या सरकार विचार रखती है? मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि यह बिलकुल सही है कि राजस्थान में अभी चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से इतने पशु केन्द्र...

श्री अध्यक्ष : आप तो यह बताइये कि खोलेंगे कि नहीं।

श्री प्रभुलाल सैनी : यही मैं कह रहा हूं, अभी जैसा कि मैंने..

श्री अध्यक्ष : कोई इरादा हो तो बता दीजिए कि उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल देंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय सदस्य ने चंदेसरा, इंटाली के लिए जो उपकेन्द्र खोलने की बात कही, उसकी जगह को चिन्हिकरण करने के लिए उस क्षेत्र का सर्वे हम करा रहे हैं और सर्वे होने के बाद उप केन्द्र खोलने के लिए कार्य किया जाना विचाराधीन है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में..

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, चंदेसरा, बानसोल, इंटाली बताया है मैंने, बानसोल का नाम आपने नहीं लिया, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस पर विचार करें और पशुधन बेकार नहीं चला जाए इसलिंए आवश्यक है कि पशु चिकित्सालय और उप स्वास्थ्य केन्द्र अधिक से अधिक खोले हमारी इकोनोमिकि का आधार है।

श्री जोगाराम पटेल : इसके साथ संबंधित प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। राजस्थान में पशु चिकित्सालय खोलने का जो आधार है किन-किन नोर्म्स के आधार पर खोलते हैं, कृपया मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो मावली का है। प्रश्न तो केवल मावली से संबंधित है।

श्री जोगाराम पटेल : सबसे संबंधित है, एक लाइन में सबका उत्तर आ जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धीमी गति के समाचार पढ़ते हैं, जल्दी तो जवाब देते नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद जिला मुख्यालय केन्द्र है और उसका दोइंदा उपकेन्द्र है वहां।

श्री अध्यक्ष : अब आपका संबंध कहां से आ गया, प्रश्न मावली का है।

श्री बंशीलाल खटीक : दोइंदा के आसपास कई गांव किसानों के लगे हुए हैं, क्या मंत्री महोदय उपकेन्द्र खोलने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न मावली का है राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रभुलाल सैनी : पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के बारे में जो मापदण्ड की बात कही गई है, मैं आपके माध्यम से मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : आप तो उप स्वास्थ्य केन्द्र की बात कर दो उनको।

श्री प्रभुलाल सैनी : आप सुनना नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) मैं वह बात कह रहा हूं, उन्होंने पूछा कि क्या मापदण्ड है, मुझे जवाब तो देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में 6 किलोमीटर दूरी और पांच हजार पशुधन वहां पर होना चाहिए वहां पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान है और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण उप केन्द्र खोलने के लिए 3 कि.मी. की दूरी और तीन हजार पशुधन की आवश्यकता होनी चाहिए, यदि यह मापदण्ड जहां पूरे

(श्री प्रभुलाल सैनी)

होते हैं और सरकार के वित्तीय संसाधन यदि उपलब्ध होते हैं तो निश्चित रूप से वहां चिकित्सालय खोले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह रावत।

भीम के क्षतिग्रस्त सिंचाई स्रोत

426. **श्री हरीसिंह रावत (भीम)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कुल कितनी नहरें, तालाब व एनीकट हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नहरों, तालाबों व एनिकट की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र भीम में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 11 तालाब हैं एवं उनसे दायीं एवं बायीं नहरें निकलती हैं, जिनका विवरण प्रपत्र-अ पर संलग्न है। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 25 एनीकट हैं जिनका विवरण प्रपत्र-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत तालाबों एवं नहरों पर मरम्मत का कार्य अकाल राहत सम्वत् 2061 के अन्तर्गत प्रगति पर है, एनिकटों की मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हरीसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी ने जो बताया वह तो सही है लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है कि जो अभी यह नहरों और तालाब के काम चल रहे हैं, मैं सोच रहा था कि डवटेल में अगर इनको लिया जाए, क्योंकि बहुत सी नहरें वगैरह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, डवटेल में हमारे ये काम काफी सही ढंग से हो सकते हैं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ तालाब ऐसे हैं जैसे भीम टैंक, भोपाल सागर और लक्ष्मण सागर है, काला भाटा और कुण्डली, ये बांध काफी पुराने बांध हैं और इनमें मिट्टी इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि पानी ओवर फ्लो हो जाता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनमें से मिट्टी निकलवाने की व्यवस्था करायी जाए। दूसरा मेरा एक और प्रश्न है कि

(श्री हरीसिंह रावत)

हमारे यहां पर एक एनीकट बना था लसानी में, वह बना तो था वास्तव में जलग्रहण के तहत लेकिन वहां के कुछ चापलूस लोगों ने या ग्राम पंचायत ने एक आसू बलाई नाम का एनीकट बनाया। फोटोकापी तो ली है, उस एनीकट की, जो जल ग्रहण के अन्तर्गत बना था और कागजों में जो बना है, वह 'आसू बलाई' के नाम से है। लेकिन आज आसू बलाई के नाम से जाएं तो वहां एनीकट का एक भी पत्थर नजर नहीं आयेगा और लाखों रुपये उसमें खा गये और फर्जी मस्टररोल चलाये जिसमें किसी ने तर्जनी अंगुली का निशान लगा दिया, किसी का किसी एक अंगुली का निशान लगाकर और कई ऐसे मस्टररोल बने जिनमें नाम निशान तक नहीं हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें भी थोड़ी जांच करायी जाए तो सत्यता थोड़ी सामने आ जायेगी। 2001 और 2003 में यह हुआ है, इनकी जांच करायी जाए।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की एक तो चिन्ता यह है कि जो भी सिंचाई विभाग के 11 तालाब हैं उनमें मिट्टी भर गयी इससे पानी की केपेसिटी कम हो गयी। और अकाल राहत में इनके प्रस्ताव हमारे विभाग से बनवाकर हम भिजवायेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, उस एरिये में सामान्य नहीं, बहुत कम होती है तो कई वर्षों से तालाबों में पानी भी नहीं आ रहा है और दूसरा एक डवटेलिंग की बात आपने कही है। नहरों में तो आपके तालाब भर जाएंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि डवटेलिंग में तो आप एम.एल.ए. फण्ड, एम.पी. और कहीं से फेमिन हो सकती है पर अगर पानी भर गया तो नहरों चलने से पहले मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि अब की बार प्लान में मुख्य मंत्रीजी ने 47 करोड़ का पहली बार प्रावधान रखा है। इसलिये आपकी नहरें पानी चलने से पहले मैं ठीक करवा दूंगा। एक एनीकट जो जल ग्रहण के अन्तर्गत बना है, आपने जो जानकारी दी उसके आधार पर, मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में जानकारी लेकर अगर गड़बड़ हुई है तो वास्तव में जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) अगर आप फरमा दें...

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : खड़े होकर बोल रहा हूं, यह माननीय सदस्य ने प्रश्न में पूछा नहीं है और यह जलग्रहण का मामला है, सिंचाई से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य, आप बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं।

श्री हरीसिंह रावत : नहीं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है चोरी सामने आ रही है, इसलिये। चोरियां पकड़ी जा रही हैं इसलिये आपको तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनका मामला है, आपका क्या है इसमें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : क्या गलत कर दिया, जल ग्रहण के तहत बना दिया तो गलत काम कर दिया? बिलकुल ठीक हो रहा है वहां पर। (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत : यह कांग्रेस वालों की काली करतूतें हैं जिसमें फर्जी हाजरियां मस्टरोल चला दिया, कागजों में वह तालाब और एनीकट बना दिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : राजनीतिक द्वेष से आप बात कर रहे हो। (व्यवधान) आपके राज में... खर्चा नहीं हुआ है। (व्यवधान) आप जांच करा दें और यह अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत : वह जांच कराने से सब नंगे हो जाएंगे, आपके कार्यकर्ता वहां पर।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा आप इस हिन्दुस्तान की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, सरकार की ज्वांइट रेस्पांसिब्लिटी है। आपका भी सवाल अगर होता, इस लिखित सवाल के अलावा आप पूछते तो मैं जवाब देने की स्थिति में होता तो निश्चित रूप से देता। अगर जिन्होंने कहा है, कोई जानकारी में लाये हैं सरकार की तो अगर उसमें गड़बड़ होगी तो जांच और जानकारी करने में आपको कोई दिक्कत है, तो मुझे बताएं, क्या आपत्ति है।

श्री हरीसिंह रावत : नहीं, भ्रष्टाचार निकल रहा है कांग्रेस के राज का इसलिये तकलीफ हो रही है, इनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन, श्री कैलाश त्रिवेदी। (व्यवधान) श्री कैलाश त्रिवेदी।

सहाड़ा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

427. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील सहाड़ा व रायपुर में छात्र/छात्राओं हेतु राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी) : जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वितीय संसाधनों को देखते हुए विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील सहाड़ा व रायपुर में लड़के/लड़कियों के लिये सरकारी कालेज खोलना प्रस्तावित नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, इस जवाब की तो मुझे उम्मीद थी कि जवाब यही मिलेगा क्योंकि हमारे लिये वित्तीय संसाधन सरकार के पास हैं ही नहीं।

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई प्राइवेट महाविद्यालय अगर खोलना चाहे तो उसको सरकार इजाजत देने का विचार रखती है? और इजाजत देने का विचार रखती है तो उसको क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार रखती है। क्या वहां 10+2 विद्यालय में महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिये सरकार इजाजत देने का विचार रखती है। क्या इसमें प्रस्ताव सरकार के पास जिस सेठ ने एक करोड़ का हास्पिटल बनाया वहां जो आज खाली पड़ा है, उसी सेठ की इच्छा है, उसने एक एप्लीकेशन सरकार के पास भेजी हुई है और एक 10 लाख के चैक की कॉपी भी आपके यहां विचाराधीन है, क्या आप उसको स्वीकृति देने का विचार रखते हैं तो किन सुविधाओं के साथ?

श्री वासुदेव देवनानी : अध्यक्ष महादेय, वैसे सहाड़ा गंगापुर से केवल 4 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक निजी महाविद्यालय चल रहा है जिसमें 200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। इसी सहाड़ा के लगभग 50 किलोमीटर की परिधि में 9 कालेज पहले से ही हैं। इसी तरह रायपुर के भी 25 किलोमीटर की दूरी पर प्राइवेट 2 कालेज हैं और 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही 8 कालेज हैं। जहां तक सहाड़ा की बात है वहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल है वहां पर केवल कामर्स में 11 छात्र और छात्राएं 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसी तरह रायपुर में भी केवल 48 छात्र और 24 छात्राएं 12वीं कक्षा का अध्ययन कर रही हैं। जहां तक इन्होंने पूछा निजी क्षेत्र में कालेज खोलने की बात, हमारी सरकार ने आते ही निजी क्षेत्र में कालेज खोलने के लिये कई प्रकार की योजनाएं चालू की। गत वर्ष राजस्थान में 228 निजी कालेज खुले। इस बार

(श्री वासुदेव देवनानी)

भी 135 तो नये आवेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन उसके साथ ही 52 उप खण्ड राजस्थान में ऐसे हैं जहां एक भी कालेज नहीं था, हमारी सरकार ने उसके लिये एक नयी नीति .लागू की कि इन उप खण्डों में से हम 3 वर्ष तक किराये के मकान में भी खोलने की अनुमति दे देंगे। साथ ही राजकीय सैकण्डरी कोई स्कूल होगा तो उसमें भी उसको दूसरी पारी में चलाने की अनुमति देंगे। साथ ही एफ.डी.आर. भी वहां पर यदि सह शिक्षा का होगा तो उसमें 75 प्रतिशत छूट देकर के 10 लाख के स्थगन पर केवल 2 लाख देने पड़ेंगे और यदि वहां पर छात्रा महाविद्यालय होगा तो 2 लाख के स्थान पर 50 हजार रुपये ही उसे एफ.डी.आर. के देने होंगे। साथ ही वहां पर महिला कालेजों की प्रबन्ध समिति में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं का प्रबन्ध समिति में प्रतिनिधित्व देना होगा। यह हमनें नयी नीति लागू की है और आज 52 उप खण्डों में से 32 उप खण्डों के लिये 93 एप्लीकेशंस हमको प्राप्त हुई हैं। नयी नीति के अन्तर्गत काफी हमें अनुकूलता मिली है। इसके अलावा जो प्राइवेट कालेज नये खुले, इस बार सरकार ने नयी नीति लागू की है कि हम सबसे पहले लैटर आफ इंटेंट देंगे। उसके बाद अगर वह सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा, हमारी निरीक्षण समिति जाएगी उसके बाद उसे एन.ओ.सी. प्रदान की जाएगी और एक बार एन.ओ.सी. देने के बाद उसे बार-बार सरकार से किसी भी संकाय, किसी भी विषय खोलने के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने जो प्रश्न किया, जो खोलना चाहें उसका स्वागत है, वह आवेदन दें और हम नियमानुसार उसे निश्चित रूप से स्वीकृति देंगे, नये कालेज खोलने की हमारी सरकार की नीति है, लैटर आफ इंटेंट हम दे देंगे।

श्री कैलाश त्रिवेदी : नहीं, रायपुर 25 किलोमीटर है, आप इस गलती को सुधार लें, रायपुर वहां से जहां कालेज है वह 30 किलोमीटर है और रायपुर के बच्चों का आप सीनियर सैकण्डरी के ही खाली छात्रों की संख्या गिन रहे हैं। रायपुर से 15 किलोमीटर में मोकुन्दा है, 17 किलोमीटर वह करेड़ा है, ये सारे सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं। इनके पास कोई कालेज नहीं हैं। इनके लिये सेण्टर रायपुर ही पड़ता है इसलिये मैंने यह कहा है। इसलिये आप खाली एक सीनियर सैकण्डरी, जिस प्लेस पर खुलेगा उसके आसपास की संख्या जो छात्रों की है उसको इसमें इनक्लुड करें तो वहां महाविद्यालय, प्राइवेट कालेज की स्वीकृति की पूरी जरूरतें पूरी कर रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी : कर देंगे, वैसे सभी स्थानों का आकलन है, आमेट वहां से 25-30 किलोमीटर दूर है। गंगापुर वहां से 25-30 किलोमीटर दूर है, सारे वहां पर कालेज हैं, सारे स्थानों का, यह नक्शे में पूरा एक-एक किलोमीटर का नक्शा मेरे पास है।

श्री कैलाश त्रिवेदी : मुझे जानकारी है, हमारी सरकार में ही खुले हुए हैं सब, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजद से, यह शिक्षा से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मेरे जिले की मैं दो बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय

428. श्री हरिमोहन शर्मा : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कुल कितने सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं तथा दिनांक 15 फरवरी, 2005 तक उक्त उपक्रमों की हानि लाभ की क्या स्थिति है, कितने उपक्रम लाभ में हैं तथा कितने हानि में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपक्रमों में कुल कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

(3) उक्त उपक्रमों द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2005 तक कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी) : (1) 31 मार्च, 2004 को राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले 27 राजकीय उपक्रम कार्यरत थे। उक्त उपक्रमों में से 16 लाभ की स्थिति में तथा 10 हानि में चल रहे हैं, शेष 1 अक्रियाशील है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2004-05 के वित्तीय परिणामों की सही स्थिति, अंकेक्षण के पश्चात् ही ज्ञात हो सकती है जिसमें सामान्यतया तीन से छह माह तक का समय लगेगा।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(2) उक्त उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त उपक्रमों द्वारा जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2005 तक दिये गये विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन 10 उपक्रमों में आपने हानि होना बताया है और उन्हीं दसों उपक्रमों में 2003-04 तक, 2004-05 के आंकड़े तो आपके पास उपलब्ध नहीं हैं, 2003-04 तक कितने करोड़ रुपये की इन 10 उपक्रमों में हानि हुई?

नम्बर-2, जो 16 उपक्रम आपने बतायें कि उन 16 उपक्रमों में कितना लाभ हुआ?

नम्बर-3 जो उपक्रम आपने हानि में चलना बतायें, 10 उपक्रम बताया है, उन 10 उपक्रमों में कितने करोड़ रुपये के विज्ञापन दिये गये और जो लाभ में चल रहे हैं उनमें कितने करोड़ के विज्ञापन दिये गये?

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी उपक्रमों के लाभ हानि को, 85565 एम्प्लाइज हैं 2003-04 में,60.28 करोड़, 60.28, लाभ-हानि दोनों मिलाकर है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हानि?

श्री नरपत सिंह राजवी : लाभ-हानि दोनों मिलाकर, प्लस, पोजिटिव है।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मैं यह पूछ रहा हूं कि पोजिटिव, टोटल मिलाकर ठीक है आपका, मैं यह पूछ रहा हूं कि जो दस उपक्रम हैं, उनमें कितनी हानि हुई और कितने के विज्ञापन दिये गये? कितने करोड़ की हानि हुई इन दस में और कितने के विज्ञापन दिये गये?

श्री नरपत सिंह राजवी : विज्ञापन, अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन की संख्या पूछी है कि कितने दिये गये, 2003-04 में।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2005 तक, सालभर का ही पूछा है, ज्यादा नहीं है विज्ञापनों का तो।

श्री नरपत सिंह राजवी : अभी दे दूंगा, साहब।

28.53, 2003-04 में और 2004-05 में 67.25 का लाभ, कर पश्चात लाभ।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, हानि वालों में कितने विज्ञापन दिये हैं, यह पूछ रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी : विज्ञापन भी बताता हूं। अभी तो आपने पूछा कि मुर्गा इतना बड़ा होता है, नीचे वाला हाथ तो रखने दो, ऐसे कैसे होगा? विज्ञापन और वह, दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, साथ ही मेरा एक प्रश्न है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब यह देखिये बीच में ही आ गये।

श्री मदन राठौड़ : इनके टाइम में कितने विज्ञापन की राशि खर्च की गयी?

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी जोड़ रहे हैं क्या साहब? नहीं तो कितने का विज्ञापन दिया, जिन उपक्रमों में हानि है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : यह 1999 से 2003 तक की भी राशि बतायें कि विज्ञापनों में जो खर्च की गयी, इन हानि वालों में। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : सारी बता दूंगा। मान्यवर, आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने प्रश्न पढ़ा नहीं। मान्यवर, यह इसमें प्रश्न है जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2005 तक का मांगा है, वह वही बता रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ : मैंने इससे पहले का मांग लिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको याद नहीं है? वह मंत्रीजी काम्पीटेंट है, वह दे देंगे जवाब। आपकी बुद्धि की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, 16 उपक्रमों में लाभ है 9756.58 लाख और हानि 10 उपक्रमों में 3727.93, कुल 60.28, मैंने जो आपको निवेदन किया है, उसमें घटाने के बाद, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में यह... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मेरा प्रश्न बहुत साफ है कि जितनी हानि के, आपके जो 10 उपक्रम हैं, जो हानि में हैं, उन हानि वाले उपक्रमों में कितने करोड़ के आपने विज्ञापन दिये और यह हानि होने के बावजूद भी विज्ञापनों में इतने करोड़ कैसे खर्च किये गये?

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, अलग से जोड़ लगाकर, यह इस चीज को स्पष्ट नहीं पूछा है लेकिन अलग से आपका है, मेरे पास डाक्यूमेंट तो हैं लेकिन अलग से जोड़ नहीं लगाया हुआ है। मैं अभी आपको यह प्रश्नकाल खतम होते ही फोटो कापी दे दूंगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह जो उपक्रम है, उसमें आपकी सूचना के आधर पर लगभग ढाई करोड़ का आपने एडवरटाइजमैंट दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : विज्ञापन है।

डा. सी. पी. जोशी : यह फिगर आपका ही है। आपने जो जवाब दिया है, उसी को मैं कोट कर रहा हूं। आपने बताया कि 3 करोड़ 27 लाख की उन पर जो हानि है, उन हानि वाले जितने उपक्रम हैं उनमें जो एडवरटाइजमैंट दिया है, उसकी जो अमाउंट है वह लगभग ढाई करोड़ रुपया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : और दूसरा, यह जो राजकीय उपक्रम में यह डेयरी फेडरेशन को नहीं लेने का क्या कारण है कि इनको राजकीय उपक्रम में अपन शामिल नहीं करेंगे तो यह करोड़ों और बढ़ जाता, 10-5 करोड़ से अब... (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं आपका मन्तव्य समझ गया लेकिन जितने मेरे, पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स के अन्दर कवर्ड हैं, उनका ही लेखा-जोखा मेरे यहां पर कम्पाइल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाली तो ऐसी हमारे वह सारी बंद हो चुकी है और इसका जो दिया है जितना

(श्री नरपत सिंह राजवी)

भी एडवरटाइजमैंट, रीको और आर.एफ.सी. का तो पूरा है ही, बाकी सबका भी है, जितना लाभ और हानि दोनों का सम्मिलित है, वह मैं आपको फोटो कापी उसकी दे दूंगा।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि डेयरी और जिस तरह के उपक्रम हैं, उनको पी.यू.सी. से बाहर निकाल दिया है। यह मैटर भी आपके पास कंसीडरेशन में है। सरकार को निश्चित तौर पर जनता के धन का सदुपयोग हो इसलिए उन सभी को जो का-आपरेटिव के माध्यम से करके, पी.यू.सी. के परव्यू में निकाल दिये गये हैं, उनको पी.यू.सी. में रखा जाना चाहिए। जिससे इनकी ठीक ढंग से स्क्रूटनी हो सके, यह निर्णय आपको करना चाहिए।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, आज का प्रश्न तो नहीं है यह 5 सितम्बर, 1984 में पहले के जो 78 के आर्डर्स दिये हुए थे सरकार के उसको रिव्यू करने के उपरान्त एक ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज का गठन किया गया था और उसी के आधार पर जितने उन्होंने रखे हैं वही कंटिन्यूटी में है। पिछली आपके कार्यकाल में आप अगर उसमें इन्क्लूड कर लेते तो हम निकाल थोड़े ही देते? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप यह सही कह रहे हो मगर विधान सभा के एक्ट में है- It is the jurisdiction of the Speaker. तो सरकार ने जो दिये हैं लेकिन अध्यक्ष की जो व्यवस्था है, अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जनता के पैसे का सही ढंग से उपयोग हो, उस एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर को, आपके जो जुरिस्डिक्शन में है, उन सबको पी.यू.सी. में लेना चाहिए।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, जो पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइजेज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल जिनका अलग-अलग विभागों के पास है, वह तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उसके अन्दर साथ में आती है। उद्योग विभाग की डिमांड के साथ आर.एफ.सी. और रीको और राजसिको है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : एक तो आडिट ए.जी. की होती है और एक डिपार्टमेंट की होती है और इण्टरनल आडिट होती है। यह जब तक, जो

(डा. सी. पी. जोशी)

पी.यू.सी. और पी.ए.सी. का जो कंसप्ट है, ए.जी. की आडिट में नहीं आएंगे तब तक यह जनता के पैसे के बारे में जनता को सही जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि क्योंकि 1984 में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से यह हुआ है और हमारे यह असेम्बली के सैक्रेटेरिएट में यह नियम है कि पी.यू.सीज. की बिना असेम्बली के, स्पीकर के नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय, ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : वह आपने जो 10 का अभी पूछा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जो राजकीय उपक्रम करोड़ों के नुकसान में जा रहे हैं और इसके बावजूद भी मंत्रियों के फोटो छपाने के लिए वह करोड़ों रुपये के विज्ञापन दे रहे हैं, क्या आप यह तर्कसंगत और उचित मानते हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी : आपने जो 10 हानि वाले उपक्रमों के लिए पूछा है कि कितनी राशि का किया है, 247.59 लाख का विज्ञापन उन्होंने किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह फिर फोटो छपवाने की बात कर रहा हूं। 100 दिन और 365 दिन की उपलब्धियां मत हो लेकिन अखबारों के माध्यम से उनका दिवाला निकालो और करोड़ों रुपये का खर्चा कर दिया, यह कोई बात हुई आपकी

श्री जोगाराम पटेल : पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्रीजी की फोटो छपवाने में कितना खर्च हुआ, वह भी बताइये। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्रीजी का फोटो छपवाने में कितना खर्चा हुआ, इनका रिकार्ड खर्चा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता।

श्री नरतप सिंह राजवी : उपलब्धि होगी तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता उपलब्धि बताएंगे और उसको आप..(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल : पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्रीजी का फोटो छपवाने पर खर्च हुआ है उसके बनिस्बत तो कुछ भी नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी : अगर कुछ चीज गलत बतायी है तब तो आप उस बात को कार्नर कर सकते हो, उपलब्धि हो, जिनके पेट में दर्द हो तो उसकी कोई दवाई ले लीजिए डाक्टर से, उसका कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : जैसे प्रधान मंत्रीजी ने घोषणा की कि मेरा फोटो मत छपाया करो, वैसे आप लोग मत छपाओ, प्रधान मंत्री की बात पर तो चलो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं और बोल रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : वह फोटो ऐसी भी है कि उनकी फोटो देखने के बाद बच्चों की तबियत बिगड़ जाती है कि भारत के नहीं हैं लेकिन उस फोटो की बातों पर मत जाओ, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो घाटे में सार्वजनिक उपक्रम चल रहे हैं उन पर विज्ञापन देने पर आइन्दा आप रोक लगाने का विचार रखते हैं और यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि जो घाटे में पहले से ही है, अब विद्युत प्रसारण वितरण निगम है, इसका क्या प्रचार करना है? लाइनें लगाती हैं, वहां पर घाटा हो रहा है और विज्ञापनों पर पैसे अनाप-शनाप खर्च हो रहे हैं, यह स्टेट एक्सचेकर के पैसे हैं। बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं जनता की जेब से और उसको विज्ञापन के ऊपर खर्च किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि घाटे के जितने भी उपक्रम हैं, उन पर राज्य सरकार क्या विज्ञापनों पर रोक लगाने का विचार रखती है? और यदि नहीं रखती है तो क्यों नहीं?

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, यह जितने 27 अण्डरटेकिंग्स हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल उद्योग विभाग के पास नहीं है। इसलिए अलग-अलग का निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक आपने उदाहरण दिया है विद्युत वितरण कम्पनियों का, यह इतने से इतने बजे तक बंद होगी बिजली, ओर्डिनेरी मेन्टीनेन्स रिपेयर पर। यहां पर यह नई स्कीम लागू की है, पहले नहीं होती थी क्या? आज भी होती है। घाटा और नफा इस आधार पर नही, यह जनता के हित के लिये अगर कोई बात है, हां, खुद के नाम का प्रचार करने के लिये कर रहे हैं, वह ऐतराज किया जा सकता है। आज आर.एफ.सी., रीकां...(व्यवधान) एक मिनट, बिराजें आप।

श्री अमराराम (धोद) : बिजली बंद होगी, इसका कोई विज्ञापन आज तक तो छपा नहीं। (व्यवधान)

श्री. नरपत सिंह राजवी : मुझे पता है 132 के.वी. सब-स्टेशन का दर्द है, इसको मिटा देंगे। इलाज कर देंगे। (व्यवधान) मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि रीको और आर.एफ.सी. है जो सेल करना है, प्लाट सेल करना है, क्या उसको एक स्थानीय अखबार में देकर उसको सेल कर देंगे। उसको जस्टिफाई करेंगे, गलत निर्णय उस आधार पर, सिर्फ लाभ-हानि के आधार पर ही उसकी उपयोगिता के आधार पर हो तो यह बात समझ में आती है। उसके बारे में निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : कोई विचार करना गम्भीरता से कि करोड़ों रुपये व्यर्थ में विज्ञापनों पर खर्च नहीं हो। आप इसको गम्भीरता से देखें और सारी बात पर रिव्यू करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री महिपाल सिंह यादव एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से अलवर में विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

2. मोहम्मद माहिर आजाद एवं श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के परकोटे के भीतरी क्षेत्र में दूषित पानी से बीमार हुए व्यक्तियों की वेदना के निराकरण के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव इतनी गम्भीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही रोककर इस पर विचार किया जाये। (व्यवधान) आगे सुनिये तो सही, क्या मतलब ? बीच में खड़े हो गये। निर्धारित कार्यवाही को रोक कर

(श्री अध्यक्ष)

इस पर विचार किया जाये। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी दोनों माननीय सदस्यों को अपने प्रस्ताव के विषय पर मात्र दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

3. श्री हेमराज मीणा, सदस्य की ओर से जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर में पदोन्नति में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों की कथित अवहेलना के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी इतनी गम्भीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री हेमराज मीणा को अपने प्रस्ताव के विषय पर मात्र दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, आदर्श नगर, अजमेर को सुविधायुक्त करने के संबंध में।
2. श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के संबंध में।
3. श्री गोविन्दराम मेघवाल, सदस्य की ओर से बीकानेर की 348 बीघा भूमि रीको से मुक्त कराने के संबंध में।
4. श्री लालचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से रायसिंह नगर के श्री दयानन्द सीनियर माध्यमिक विद्यालय का अनुदान बढ़ाने के संबंध में।
5. श्री सी. डी. देवल, सदस्य की ओर से पाली जिले की रायपुर तहसील में अकाल राहत कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।
6. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी पाल योजनाओं में बारानी भूमि अवाप्ति के संबंध में।
7. श्री नवनीत नीनामा, सदस्य की ओर से आदिवासी किसानों द्वारा वन भूमि पर किये गये कब्जे काश्त की भूमि का सर्वे आदेश दिनांक 27.4.1991 के अनुसार करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करने के संबंध में।

9. श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न शहरों में लागू किये गये मास्टर प्लान से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

10. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से पंचायत समिति सूरजगढ़ के अध्यापकों को हड़ताल की अवधि का निजी आय से भुगतान किया वेतन वापस पंचायत समिति को करने के संबंध में।

11. डा. समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से बोर्डर होमगार्डस को स्थायी करने एवं उन्हें ड्यूटी देने के संबंध में।

12. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से वर्तमान आबकारी नीति में संशोधन करने के संबंध में

माननीय सदस्यों को जो सूचना उन्होंने दी है, उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। श्री बृजकिशोर शर्मा।

(नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर के परकोटे के भीतरी क्षेत्र में दूषित पानी से बीमार हुए व्यक्तियों की वेदना के निराकरण बाबत

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने जयपुर के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, स्थान प्रस्ताव को मंजूर कर मेरे को बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : मंजूर तो नहीं किया, लेकिन आपको बोलने की अनुमति दी है।

श्री बृजकिशोर शर्मा : हां, मुझे अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों से जल आपूर्ति में पानी की जगह, खास तौर से जयपुर की चारदीवारी के भीतर पानी की जगह जहर पिलाया जा रहा है। और उस जहर की वजह से आज विभिन्न अस्पतालों में सैंकड़ों की

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

तादाद में बहुत से लोग उलटी-दस्त से बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि सरकार इसके ऊपर अनभिज्ञ है। सरकार जयपुर शहर के अन्दर पानी के मामले के अन्दर बिलकुल ध्यान नहीं देना चाहती। मैंने पिछली 21 फरवरी, 2004 को कलक्टर सुधांशु जी पंत की अध्यक्षता में एक मीटिंग के अन्दर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हैण्डपम्पों और ट्यूबवैलों की मांग करते हुए, इस सरकार ने तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ तीन हैण्डपम्प मजूंर किये थे और मेरे इन्टरवेंशन के बाद 30 हैण्डपम्पों की मंजूरी दी गयी। लेकिन अफसोस की बात है कि इस सरकार ने उन 30 हैण्डपम्पों में से एक भी हैण्डपम्प मेरा मंजूर नहीं किया। मेरे इन्टरवेंशन के बाद अप्रैल, 2004 में जयपुर शहर में पानी की कमी को देखते हुए 50 ट्यूबवैल मंजूर कराये और अफसोस की बात है कि 50 में से 16 ट्यूबवैल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिये दिये गये और 2004 निकलने के बाद 2005 निकलने के बावजूद एक भी हैण्डपम्प मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जयपुर की चारदीवारी में नहीं लगा। यहां तक कि तीन ट्यूबवैल्स पर तो सरकार ने टेण्डर की डिमाण्ड कर ली, टेण्डर हो गये और टेण्डर होने के बावजूद भी एक भी ट्यूबवैल को नहीं खोदा गया। 18 महीने बीत जाने के बाद माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक मीटिंग पिछली फरवरी में हुई और माननीय मंत्रीजी के सामने मैंने यह रखा कि जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में जलदाय विभाग ने न तो एक ट्यूबवैल 18 महीने बीतने के बावजूद...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पी.ए.डी. मिनिस्टर, आपने यह क्या लगा रखा है?

एक माननीय सदस्य : हटवाड़ा है यह तो।..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्षजी, एक भी ट्यूबवैल, एक भी हैण्डपम्प एक इंच पाइप की लाइन और बहुत चेतावनी के देने के बावजूद माननीय मंत्रीजी खुद उस मीटिंग में मौजूद थे और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस बात को मजूंर किया था और आश्वासन दिया था कि अब आपके क्षेत्र के अन्दर पूरे पानी की सप्लाई की जायेगी। मैंने मंत्रीजी, आपको याद होगा, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि जो सीवर लाइन से कनेक्टेड जो पाइप डाले गये हैं, उन पाइपों को तुरन्त बदलवाया जाये। आपने आश्वासन दिया था कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि एक इंच की पाइप लाइन आज तक नहीं बदली गयी और उसी का नतीजा

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

है कि आज जयपुर शहर को पीने का पानी मिलना चाहिये था, उसकी जगह आज जहर पिलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्षजी, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के टाइम पर भी मैंने इस मसले को मेरे धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में उठाया था और उस समय भी सरकार को चेतावनी दी थी कि माननीय मंत्रीजी, सरकार इस ओर ध्यान दे और जयपुर शहर के पानी की व्यवस्था को सुधारे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहती है। 18 महीने बीतने के बावजूद मेरे क्षेत्र में एक भी हैण्डपम्प, एक भी ट्यूबवैल, एक इंच नयी पाइप लाइन और एक इंच सीवर लाइन भी नहीं बदली गयी है। यहां तक कि पिछली सरकार ने तीन स्टोरेज टैंक मंजूर किये थे, उन तीन स्टोरेज टैंक में से एक भी स्टोरेज टैंक में आज तक काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैंने दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी थी, पांच मिनट हो गये हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : दो मिनट...

श्री अध्यक्ष : और आप वेदना के निराकरण की बात कहते-कहते हैण्डपम्प लगाने पर आ गये।

श्री बृजकिशोर शर्मा : मैं वेदना के निराकरण पर आ रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पानी की बात करते-करते आ गये हैण्डपम्प पर।

श्री बृजकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्षजी, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति बनी क्यों? अगर सरकार ने इस ओर ध्यान दे लिया होता, सरकार ने ट्यूबवैल लगा दिये होते, सरकार ने पाइप लाइन बदल दी होती तो आज यह स्थिति नहीं बनती जो पीने के पानी की जगह लोगों को जहर पीने को मजबूर होना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात।

श्री बृजकिशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि यह जो भी बीमार लोग भर्ती हुए हैं उनका फ्री इलाज कराया जाए,

(श्री बृजकिशोर शर्मा)
उनको मुआवजा दिया जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : बस आप कन्क्लूड करें। प्लीज कन्क्लूड करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : एक मिनट। प्रत्येक सप्लाई पाइप पर पानी को चैक किया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, यह राजनीति का सवाल नहीं है, जयपुर शहर की जो बसावट है उससे आप भी भलीभांति परिचित हैं, एक परकोटे के बाहर का नवीनतम जयपुर और एक अन्दरूनी इलाका है। परकोटे के अन्दर हमारी पुरानी चौकड़िया हैं, चौकड़ी घाटगेट, चौकड़ी तोपखाना हुजूरी, चौकड़ी विश्वेश्वरजी, चौकड़ी रामचन्द्रजी, गंगापोल, बांसबदनपुरा। अन्दरुनी इलाके की स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि वहां पाइप लाइन आज से 40 साल पहले की डाली हुई है।

श्री अध्यक्ष : 40 साल से भी पहले की, उससे भी पहले की।

मोहम्मद माहिर आजाद : उससे भी पहले की है, आजादी के वक्त की, रियासतकाल की और वह कई जगह से गल गयी, कई जगह उसमें रिपेयर कर देते हैं, कहीं उसमें गटर की पाइप लाइन जुड़ गयी, कहीं सीवर लाइन जुड़ गयी, कहीं कुछ जुड़ गया और यह स्थिति हमेशा गर्मियों के समय में बन जाती है।

अध्यक्ष महोदय, कल भी एक हृदयविदारक घटना हुई। काफी दिनों से कभी पीला पानी आ रहा था, कभी लाल पानी आ रहा था।

श्री अध्यक्ष : यह आप तीन व्यक्ति यहां क्यों खड़े हैं? यह क्या तरीका है?

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कल उस समय जब हम लोग कहीं मनोरंजन कर रहे थे, जयपुर का अन्दरूनी चौकड़ी का इलाका भयावह स्थिति से गुजर रहा था और सैंकड़ों लोग दूषित पानी पीने के कारण बीमार हो गये और मैं स्वयं आज सुबह एस.एम.एस. हास्पिटल से आया हूं। मैं मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस विभाग के अधिकारियों को, लादूरामजी विश्नोई वगैरह को भेजा, माननीय जलदाय मंत्रीजी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके मुख्य अभियन्ता वेदप्रकाशजी भी और दूसरी टीम के साथ वहां गये। बजाज नगर की जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला वह भी वहां गये और वहां के उन लोगों ने उनके क्रेमीकल और बैक्टोलोजिकल नमूने भी लिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि उन नमूनों की रिपोर्ट क्या आयी? आज आप यह कह दें कि यह बीमारी दूषित पानी के कारण नहीं हुई, यह तो गलत सामग्री खा ली उससे हो गयी। कोई हलवा एक जगह खा ले, कोई उससे फूड पाइजन हो जाए तो समझ में आती है, कहां चौकड़ी रामचन्द्रजी, कहां बांसबदनपुरा, कहां घी वालों का रास्ता, कहां महावतों का मोहल्ला, कहां हीदा की मोरी, कहां गंगापोल, कहां कंवर नगर पूरे इलाके के अन्दर जहां एक लाइन से पानी सप्लाई होता है, सैंकड़ों नहीं हजारों लोग उससे प्रभावित हुए हैं। एस.एम.एस. अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग भर्ती हैं, निजी अस्पतालों में लोग अपना इलाज करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो निवेदन करना चाहता हूं। एक तो, मंत्रीजी, आपने टास्क फोर्स बना दी और आप कह रहे हैं हम इन लाइनों को बदल लेंगे लेकिन इन लाइनों को बदलेंगे कैसे? कहीं ऐसा नहीं हो कि चौबेजी जाएं छब्बेजी बनने और दूबेजी रह जाएं। इन लाइनों को भी उखाड़ लें और उनको दो-तीन दिन में जो पानी मिल पाता है वह भी नहीं मिल पा रहा। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने तो बोरिंग करा लिये और गहरे करा लिये, यह सारे जो लोग प्रभावित हुए हैं यह वह लोग हैं जो गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, अपनी डेली की मज़दूरी करके दो जून की रोटी खाते हैं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रायोरिटी के आधार पर, युद्ध स्तर पर इस काम को लें, जो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गयीं उनको सुधारा जाए, जो लाइनें डेड हो गयीं उस जगह दूसरी लाइन डाली जाए और जयपुर जो कि राजधानी है प्रदेश की, क्या लोगों के पास आपकी छाया जायेगी इसलिए इनको पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिले, स्वच्छ पेयजल मिले।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं रात को दो-तीन घंटे एस.एम.एस. हास्पिटल में रहा, एस.एम.एस. हास्पिटल वाले जिसकी हालत खराब है उसको कह रहे थे आप ले जाओ, उसको भर्ती कर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दो और जो ऐसे लोग थे उनको कहा तुम जाओ, वहीं इलाज करा लेना, यहां क्या करोगे। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन लोगों को आप उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं और एस.एम.एस. अस्पताल में निर्देश दें, यह नहीं कि तुमने खाना गलत खा लिया होगा, कोई सामूहिक भोज नहीं हो रहा था, कहीं कोई शादी नहीं हो रही थी, अलग-अलग इलाके के लोग एक खाना नहीं खा सकते, आपको उस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि यह जो कोई भी इतनी बड़ी घटना हुई है यह दूषित पानी के कारण हुई है। यह जो कहर बरपा हुआ है जयपुर के अन्दरुनी इलाके में यह पानी के कारण हुआ है इसलिए इसका सुधार कीजिए और जो भी लोग प्रभावित हैं, चाहे आपको मोबाइल टीम भेजनी पड़े चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए तो इन प्रभावित इलाकों में आप मोबाइल यूनिट भेज कर उनको मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : और मैं आज फिर कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, जलदाय मंत्रीजी, आप इसको गम्भीरता से ले रहे हैं और गम्भीरता से लीजिए, आज तो यह लोग उल्टी और दस्त और बीमारी से ही प्रभावित हुए हैं कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हम को जान और माल की बड़ी संख्या में हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है इसलिए इसको प्राथमिकता से लेते हुए आप इसका उपचार करवाएं और जयपुर शहर के अन्दरुनी इलाकों को पेयजल सुलभ कराने का पर्याप्त और माकूल इंतजाम कीजिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, कहिये कहिये, बिलकुल कहिये।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण और नगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जयपुर में जो कुछ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए, उसके सम्बन्ध में चिंता प्रकट की है। वास्तव में हमको भी चिंता है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी इतनी संवदेनशील हैं कि 19 तारीख की रात को दो बजे मुझे टेलीफोन किया, कहा कि यह क्या आ रहा है जयपुर में इतना दूषित पानी का और टीवी पर आ रहा है, आप तत्काल इस सम्बन्ध में कार्यवाही कीजिए। तो माननीय लादूरामजी को भी हमने भेजा, मैं भी अस्पताल में जाकर मिला हूं। अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को कुल 24 लोग भर्ती हुए। उसके बाद में 20 तारीख को 12 लोग भर्ती हुए हैं, 8 आज की तारीख में भर्ती हुए। इनमें से...

मोहम्मद माहिर आजाद : 15 तो रात को हो गये डेढ़ से दो बजे के बीच में, आप कहें तो मैं उनकी लिस्ट भी बता दूं।

श्री सांवर लाल : मेरी बात सुनिये, माननीय सदस्य, इसमें विवाद क्या है? मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है, मैं आपको बता रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, विवाद की बात ही नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : संख्या कम ज्यादा हो सकती है, सवाल वो एक्सैप्ट कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। आपके पास निजी अस्पतालों के भी होगी, मेरे को यह आंकड़े दिये हैं इसमें नहीं होगा

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक बात है।

श्री सांवर लाल : पर यह विवाद की बात नहीं है। विवाद इस पर होना भी नहीं चाहिए।

इसमें से कई लोग डिस्बर्स हो गये। उल्टी दस्त की शिकायत के सम्बन्ध में आपने कहा कि इसकी जांच, नमूने लिये उनकी जांच का रिजल्ट क्या है तो यह जांच का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जिवाणु परीक्षण के लिए जो नमूने लिये उसमें सभी स्टैण्डर्ड के पाये गये, किसी प्रकार के जिवाणु उसमें नहीं पाये गये। क्लोरिन की जांच की गयी उसमें केवल तीन सैम्पल डिफेक्टिव पाये गये।

(श्री सांवर लाल)

अब इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि यह किस से बीमार हुए, पानी के नमूनों के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि पानी से नहीं हुए। पानी की लाइन जहां तक बदलने का सवाल है काफी इस एरिया के अन्दर, जो चारदीवारी के अन्दर एरिया है उसमें 53 जगह पर हमने लाइनें बदली हैं और पुरानी लाइनें हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है और हमने हमारे अधिकारियों को कहा कि यह जयपुर के अन्दर सीवरेज सिस्टम और यह हो रहा है जिसमें आपस में यह कनेक्शन अगर हो जाती है तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है।

प्रजातंत्र में हम सब की जिम्मेदारी है कि जनता को शुद्ध पानी मिले, पूरा पानी मिले उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। तो मैं आपको यह भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि जो भी, जहां पर लाइनें बदलने की आवश्यकता होगी तत्काल प्रभाव से हमने पहले भी कार्यवाही शुरू कर दी और अब इनको चैंज कर देंगे।

जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की, मेरे पास भी आये थे हमने अधिकारियों को कहा है, इनके सैंक्शन भी की है अब 30 हैण्डपम्प, 40 हैण्डपम्प हैं, हम भी एम.एल.ए. रहे हैं, कोई हैण्डपम्प की संख्या वैसे डिपार्टमेंट वाले ही आवश्यकतानुसार खोदते हैं पर हमने जनप्रतिनिधियों से राय लेकर कि आपके एरिया में कहां-कहां पर आवश्यकता है, काफी जगह दी है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि और भी, अब आपने कहा कि हमारे ट्यूबवैल नहीं खोद, अध्यक्ष महोदय, पानी पिलाना हमारा कर्तव्य है, एक जगह से दूसरी जगह के ट्यूबवैल से भी आपके एरिया में पानी आ रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां आवश्यकता होगी तुरन्त गति से कार्यवाही करके यह व्यवस्था हम करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : वैरी गुड, वैरी गुड। ठीक है। श्री हेमराज मीणा।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पदोन्नति में राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना

श्री हेमराज (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जयपुर विद्युत वितरण निगम में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति करने में राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों की जो अवहेलना की गयी है उस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित

(श्री हेमराज)

करना चाहता हूं। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम का गठन 19.7.2002 को हुआ। पांच कम्पनियां बनाई गई। पांच कम्पनियां बनाने के बाद राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, राज्य विद्युत उत्पादन निगम...

श्री अध्यक्ष : कम्पनी कितनी बनाई आप तो अपने उस पर जाओ।

श्री हेमराज : लेकिन पांच कम्पनियां बनाने के बाद अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप तो जयपुर विद्युत वितरण निगम पर आ जाओ।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, जिनमें से चार कम्पनियां हैं इन चार कम्पनियों में लगातार जो सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियंता बनाए जा रहे हैं, उसमें बाकायदा सारा एस.सी. एस.टी. का रिजर्वेशन है और जो बैकलाग है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार के निर्देशों की लगातार पालना हो रही है। जैसा कि डी.ओ.पी. के भी आदेश हैं, डी.ओ.पी. का आदेश मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, यह 2004 में एक आदेश दिया है समस्त प्रमुख शासन सचिव गण, शासन सचिव, विशिष्ठ सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त एवं जिला कल्क्टर सहित, इसकी मैं समरी सुनाऊंगा। अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रेसित किया जाएगा तब तक अनुसूचित जाति, जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। किन्हीं भी परिस्थिति में उक्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किसी भी रिक्ति को पदोन्नति और साथ ही सीधी भर्ती द्वारा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जा सकेगा। इनमें स्पष्ट निर्देश है सरकार का। इस सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा उन नियुक्तियों, प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उक्त सूचना कब से प्रभावी मानी जाएगी? इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से अथवा दिनांक 4.2.03 से। इस परिप्रेक्ष में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 से ही प्रभावी मानी जाएगी। इसके अनुसार इस अधिसूचना के प्रभावी होने की दिनांक 10.10.2000 से पूर्व उपलब्ध होने वाली रिक्तियां तत्सम्बन्धी विद्यमान नियमों के अनुसार साथ ही दिनांक 10.2.2000 एवं इनके पश्चात उपलब्ध होने वाली रिक्तियों संशोधित नियमानुसार भरी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इस नियम में साफ लिखा हुआ है कि जो भी एस.सी. एस.टी. का बैकलाग है, वह बैकलाग कैरी फारवर्ड किया जाएगा। अगर

(श्री हेमराज)

कोई उपलब्ध नही है तो जबकि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं और राज्य सरकार के जो चार निगम बने हुए हैं अध्यक्ष महोदय, चारों निगमों में लगातार सरकार के आदेशों की पालना हो रही है। चारों जो निगम हैं, चारों में कैरी फारवर्ड भी हो रहे हैं और सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता में प्रमोशन भी लगातार हुए हैं। लेकिन जयपुर विद्युत वितरण निगम में 102 सीटें अधिशासी अभियन्ताओं की हैं जिससे एस.सी. एस.टी. का अगर बैकलाग देखें तो 28 लोग प्रमोशन में लिए जाने चाहिए थे, 16 एस.सी. के और 12 एस.टी. के उसमें लिए जाने थे। उसमें से कुल 2002 से लगातार 2005 तक प्रमोशन करते जा रहे हैं। लेकिन अभी केवल तीन लोगों की भर्ती उसमें की गयी है और एस.सी. एस.टी. के तीन लोग ही उसमें लिए गए हैं और न ही इसमें सरकार के नियमों की, सरकार की मंशा साफ है, सरकार ने सर्कूलर भी निकाला है, सरकार की मंशा के अनुरूप न तो कैरी फारवर्ड किया गया है और न ही किसी को आरक्षण दिया गया है और सामान्य पद जो एस.सी. एस.टी. के पद हैं उन पदों को सामान्य वर्ग के लोगों से भरा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तारीख वाइज कब-कब प्रमोशन किए, आपका ध्यान उस ओर लाना चाहूंगा। चारों कम्पनियां जो बनी थीं, एक कम्पनी के चेयरमैन तो सम्माननीय डी.सी. सामन्त साहब थे जो अभी अपने सेक्रेटरी हैं सैक्रेटरी, टू सी.एम. भी हैं। मैंने उनके भी ध्यान में यह बात डाली है, वह स्वयं चेयरमैन थे। जिस कम्पनी के यह चेयरमैन थे उस कम्पनी में उन्होंने नियमित रूप से प्रमोशन करवाए और सारे प्रमोशन बिलकुल सही हुए। लेकिन जयपुर विद्युत वितरण निगम के जो चेयरमैन हैं और एम.डी., आर.जी. गुप्ता यह बिलकुल भी न तो एस.सी. एस.टी. के किसी व्यक्ति का प्रमोशन करना चाहते हैं और न उस प्रमोशन की सीट को सामान्य वर्ग से भरना चाहते हैं और न ही अगर कोई खाली सीट बचती है तो किसी भी पद को कैरी फारवर्ड करना चाहते हैं जो कि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि गठन के दिन से ही एस.सी. एस.टी. का बैकलाग लागू नहीं किया गया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के गठन के दिन 19.7.2002 एक्स.ई.एन. के 102 पद स्वीकृत थे, 102 में 98 पर वहां पर मौजूद थे। राज्य सरकार के नियमानुसार 16+12, 28 पद होते हैं, चार पद खाली थे उनको एस.सी. एस.टी. के माने जाने चाहिये थे। नियमानुसार जो भी पद खाली होते हैं उनको एस.सी. और

(श्री हेमराज)

एस.टी. का बैकलाग पहले भरा जाएगा जैसा चारों कंपनियों में किया गया है। चारों विद्युत कंपनियों में जो भी एक्स.ई.एन. के पद रिक्त हुए उनमें पचास प्रतिशत तो एस.टी. और पचास प्रतिशत एस.सी. के बैकलाग को भरा गया है और कैरी फारवर्ड मानते हुए प्रत्येक वर्ष में भरते रहे जो नियमानुसार हुआ है। चारों कंपनियों में 21.8.2001 को छह एक्स.ई.एन. के प्रमोशन किए जो सारे ही सामान्य वर्ग से किए गए हैं। डी.पी.सी. द्वारा स्थायी रूप से भरे गए हैं जबकि पहले जो एस.टी. एस.सी. के खाली पद थे उनको पहले भरना चाहिए था। लेकिन इन्होंने छह प्रमोशन बिना एस.टी. एस.सी. के किए ही सामान्य वर्ग से भर लिए और डी.पी.सी. करके उनको परमानेंट भी कर दिया। यह जो राज्य सरकार और डी.ओ.पी. ने आदेश दे रखे हैं, उन नियमों की पूर्ण रूप से जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने अवहेलना की है। नियमानुसार छह एक्स.ई.एन. के प्रमोशन में तीन एस.टी. और तीन एस.सी. के भरे जाने चाहिए। चार पद 2000 के कैरी फारवर्ड किए जाने थे जो एस.सी. एस.टी. का बैकलाग था। इसी प्रकार 2001 तक सात पद एस.टी. एस.सी. का बैकलाग बनता था जिसका उल्लंघन हुआ है। जो नियम डी.ओ.पी. के थे उन नियमों का यहां भी उन्होंने उल्लंघन किया है, 27.5.2003 को नियम में 2003 में 12 एक्स.ई.एन. के प्रमोशन किए जिसमें केवल एक एस.टी. के अभ्यर्थी को भरा गया, जबकि नियमानुसार सात पद एस.टी. एस.सी. के पूर्व में भरे जाने चाहिए थे। इसी प्रकार सात ही एक्स.ई.एन. के पद पूर्व के हैं। अध्यक्ष महोदय, सात एक्स.ई.एन. के पद इस प्रक्रिया में भरने थे लेकिन निगम के अधिकारियों ने राज्य सरकार के नियमों का यहां भी उल्लंघन किया है और 2003-04 में फिर प्रमोशन किए, 3.12.2004 को रिव्यू डी.पी.सी. द्वारा वर्ष 2003-04 में बारह पद के विरुद्ध सोलह प्रमोशन किए जिनमें एस.टी. के दो पद भरे गए अन्य चौदह पद सामान्य वर्ग से भरे गए। जबकि नियमानुसार यह एस.टी. और एस.सी. के बैकलाग के पद थे जो चौदह ही पद सामान्य वर्ग के लोगों से भर लिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, तेरह पद एस.सी. एस.टी. में भरे जाने चाहिए थे बारह पद के विपरीत छह पद एस.टी. और एस.सी. के नियमानुसार भरने थे। इस प्रकार कुल एस.टी. और एस.सी. के बैकलाग का।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आपने दस मिनट से अधिक का समय ले लिया।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, सत्रह पद का बैकलाग भरना था।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कहां कर रहे हैं। आपको दस मिनट तो हो गए, पांच मिनट का समय दिया था।

श्री हेमराज : यह जो सारे नियम हैं यह सारे नियम भी डी.ओ.पी. के हैं। राज्य सरकार की बिलकुल स्पष्ट मंशा है और राज्य सरकार का सर्कूलर होने के बाद भी यह प्रमोशन में सारे नियमों को नजरन्दाज करते हुए इनको किया गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमराज : सारे पद सामान्य वर्ग से भरे गए हैं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हीरालाल, सदस्य (अनुपस्थित)

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के निर्देश जोन आफ कंसीडरेशन को रिक्तियों का सात गुना होता है जो डी.ओ.पी. की गाइड लाइन में मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल। (व्यवधान) आप वक्तव्य दें।

श्री रामलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, आज हाउस का लास्ट दिन है (व्यवधान)

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, पांच कंपनियां इनमें से चार कंपनियों को प्रमोशन मिले हैं और एक कम्पनी का प्रमोशन नहीं हुआ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ीलाल, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का वक्तव्य देंगे।

श्री हेमराज : तो पांचों कंपनियों के सैक्रेटरी को बैठाकर और डी.ओ.पी. के लोगों को बैठाकर (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : आज पर्ची सिस्टम भी नहीं था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केवल पांच मिनट का समय दिया था, बारह मिनट हो गए।

श्री हेमराज : केवल दो मिनट और अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : किसानों से जुड़ा हुआ मामला है (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : उन अधिकारियों को उनमें सजा दी जानी चाहिए। सरकार के आदेश होने के बाद भी इन पदों को नहीं भरा जा रहा।

श्री अध्यक्ष : श्री किरोड़ीलाल मीणा, ध्यानाकर्ष प्रस्ताव का (व्यवधान) श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित कर दें आप।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले एस.सी. एस.टी. के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में तो कोई बात सदन में रख रहे हैं सुनी जाए।

श्री अध्यक्ष : जो अन्याय हो रहा था इसीलिए मैंने बोलने का अवसर दिया था लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह..

श्री सुरेश मीणा : उनकी बात तो पूरी हो कम से कम।

श्री अध्यक्ष : चार पांच मिनट के बजाए बारह मिनट बोल लिए। वह अपनी बात को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सके इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री सुरेश मीणा : आपका तो आशीर्वाद चाहिए।

श्री अशोक : आपकी मंशा हमारे प्रति सही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले भी चर्चा हो चुकी है इस पर।

श्री सुरेश मीणा : जो बेईमानी हो रही है वह बेईमानी तो सामने आ जाए।

श्री अध्यक्ष : प्लीज स्थान ग्रहण कर लें, प्लीज स्थान ग्रहण करें ध्यानकर्ष प्रस्ताव आ गया।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह तो स्पष्ट कर दें कि यह हो रहा है या नहीं हो रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लास्ट प्रश्न करेंगे इसमें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कंपनियों का अनबंडलिंग हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने किया था और जिस टाइम अन-बंडलिंग हुआ था तो सबको च्वाइस दी गयी थी जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्काम में कि आपकी क्या प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी के अनुसार लोगों को शिफ्ट किया गया। जो समस्या आप बता रहे हैं इसकी मैं पूरी जानकारी करके आवश्यक कदम लूंगा।

श्री अध्यक्ष : तो अब क्या रह गया आपका?

श्री रामलाल जाट : एक मिनट। किसानों का, आज हाउस का लास्ट दिन है..

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात कह दी।

श्री रामलाल जाट : एक दो मिनट में मेरी बात खतम हो जायेगी..

श्री अध्यक्ष : क्या बात है? ऐसे कैसे? यह सदन नियमों से चलता है। मेरे पास कार्य सूची है, मैं कार्य सूची के मुताबिक हाउस को चलाऊंगी। आप क्या बीच में कहना चाहते हैं...

श्री रामलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, आज पर्ची का सिस्टम नहीं रखा था आपने। मैं सवेरे आकर गया हूं। पर्ची का सिस्टम नहीं था। यह करोड़ों रुपयों का लाखों किसानों का मामला है...

श्री अध्यक्ष : क्या बात बीच में है...

श्री रामलाल जाट : मैं एक-दो मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा। होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आज हाउस का लास्ट दिन है...

श्री अध्यक्ष : मैं कार्य सूची से चलूंगी। यदि कोई आपको उठाना था क्वेश्चन। आपको स्थगन प्रस्ताव लाना चाहिये था...

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिराजिये एक मिनट...

श्री अध्यक्ष : आपके कहने से बिराजूंगी मैं। हू आर यू? आप मुझे कैसे कह सकते हैं, बैठिये। नहीं, गलत बात है। पहले आप स्थान ग्रहण कर लें। आप पहले स्थान ग्रहण करें...

श्री रामलाल जाट : रात को तो पकड़ में आया मामला वहां...

श्री रामनारायण मीणा : नियमों के अलावा आपकी कृपा भी तो चलती है। आपकी कृपा भी चलती है और सदन के सदस्य..(व्यवधान) आप बिराजिये फिर बात होगी...

श्री अध्यक्ष : मैं कैसे बिराजूंगी? मैं मर्जी आए जैसे बैठूंगी। यह क्या बात हुई...

श्री रामनारायण मीणा : आज आखिरी दिन है। आसन इतना कठोर... (व्यवधान) आखिरी दिन आसन इतना कठोर हो जाए और आसन से... (व्यवधान) अब आसन तो...

श्री अध्यक्ष : पहले प्लीज जब तक आसन पांवों पर है तब तक आपको खड़े होने का अधिकार नहीं है। प्लीज पहले आप स्थान ग्रहण कर लें उसके बाद मैं बैठूंगी तब मैं नाम पुकारुंगी। ऐसे नहीं। श्री रामलाल।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : अध्यक्षजी, आप बड़ी नरम दिल हैं पता नहीं कभी-कभी इतनी कठोर हो जाती हैं।

भीलवाड़ा जिले में आज पेपर में आया है उसके अलावा मैं पूरे प्रूफ सहित दे रहा हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर दो फर्जी जैविक खाद कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह एक तो भीलवाड़ा जैविक खाद और दूसरी मेवाड़ जैविक खाद कम्पनी है। यह बर्मी कम्पोस्ट खाद बनाती है। 25 मई, 2004 को रजिस्ट्रेशन 15 सदस्यों द्वारा करवाकर दो हजार रुपये में एक बर्मी कम्पोस्ट की पेटी, आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब को इशारा कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : वह उठा चुके हैं पहले प्रश्न। सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा चुके हैं। उठा चुके हैं वह।

श्री कैलाश त्रिवेदी : कौन उठा चुके हैं। उन्होंने उठाया उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। आज हजारों काश्तकार भीलवाड़ा में कलक्टर के वहां बैठे हुए हैं और उसका मुकदमा दर्ज हो रहा है। आप गृह मंत्रीजी, इस पर ध्यान लगाओ पकड़ में आ रहे हैं लोग...

श्री रामलाल जाट : रात को पकड़ में आ गया, आपकी पकड़ में आ गया.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन में एक बार जो प्रश्न उठा दिया गया उस पर दुबारा चर्चा नहीं होती।

श्री रामलाल जाट : माननीय अध्यक्षजी, इसमें यह बात नहीं बता रहा हूं। रात को एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, पकड़ में आया है। इस संस्था के अध्यक्ष ने हजारों काश्तकारों से कम से कम दो हजार रुपये में एक बर्मी कम्पोस्ट की पेटी बेची है...

श्री अध्यक्ष : वह मंत्रीजी यहां हैं नहीं। कोई और..(व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : मंत्रीजी खुद यहां बैठे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष : वह मंत्रीजी कहां हैं? कृषि मंत्रीजी तो नहीं हैं ना। कृषि मंत्री नहीं हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने मुकदमा में.. (व्यवधान) मुकदमा पुलिस विभाग में दर्ज हुआ है... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : जांच वहां से तो निकल गयी है। मैंने कहा जब ही संभालते हैं। उस वक्त तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और करोड़ों रुपये काश्तकारों के घर बरबाद हो गये...(व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, यह तो लूट का मामला है। यह तो गृह मंत्रीजी देखेंगे। हजारों किसानों को लूट लिया है यह तो गृह मंत्री देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामलाल जाट : मैं दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी अवसर दूंगी आपको लेकिन एक बार स्थान तो ग्रहण करें।

श्री कैलाश त्रिवेदी : अब गृह मंत्रीजी को करनी है कार्यवाही।

श्री अध्यक्ष : देखिये। सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान) मैं आपका नाम लूं। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

मैं यह निवेदन कर रही हूं कि कृषि से संबंधित आपका प्रश्न है और कृषि मंत्री यहां पर हैं नहीं..(व्यवधान) मेरे सुनिये तो सही बात आप यूं ही हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि किसी भी माध्यम से आपने सदन में सूचना दी होती। चाहे पर्ची से देते, चाहे स्थगन प्रस्ताव से देते, चाहे ध्यानाकर्षण से देते तो मंत्रीजी यहां उपस्थित रहते और आपकी बात

(श्री अध्यक्ष)

को सुनकर उसका जवाब देते। अब इतना महत्वपूर्ण मामला आप बता रहे हो, चार सौ बीसी का बता रहे हो और मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं तो उस बात का कौन जवाब देगा..

श्री अमराराम (धोद) : गृह मंत्रीजी हैं ना...

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी कैसे देंगे जिसका संबंधित विभाग है वही जवाब देगा...

श्री रामलाल जाट : मामला पुलिस में चला गया, मुकदमा दर्ज हो गया। हजारों काश्तकारों ने मिलकर यह सवाल लगाया है। थाने में मुकदमा दर्ज हो गया हजारों काश्तकार वहां कलेक्ट्री के बाहर बैठे हैं...

श्री कैलाश त्रिवेदी : इतनी ठगी हो रही है। सुभाष नगर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया। अब तो गृह मंत्रीजी के हाथ की बात है। कृषि मंत्रीजी का तो चला गया मामला...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : एक सरकारी कर्मचारी ने किया है। यह सरकारी कर्मचारी ने किया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है... (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : पंचायत राज मंत्रीजी खुद जाकर आए हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो है..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) इनका केस कल या कब रजिस्टर्ड हुआ बताया। अगर केस रजिस्टर्ड पुलिस में हुआ होगा तो पुलिस निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। इसमें आपको संदेह करने का सवाल कहां पैदा हो रहा है। अगर केस दर्ज हो गया है तो..(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : पूरा बड़ा जाल है, बड़ा स्केण्डल है...

श्री अध्यक्ष : एक साथ नहीं बोलें। एक-एक माननीय सदस्य बोलें। एक सदस्य बोलेंगे तब ही आपकी बात को सुन सकते हैं यह...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : गृह मंत्रीजी, आप जब तक इंटरवीन नहीं करेंगे उन मुजरिमों को सजा नहीं मिल पायेगी। आप कृपा करके इंटरवीन कीजिये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिना जांच किये किसी को फांसी पर लटका सकता हूं?

श्री रामनारायण मीणा : कृपा करके आप जांच करिये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, यही तो कह रहा हूं मैं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : पुलिस को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं..

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुझे जानकारी नहीं है। जहां मुद्दे की जानकारी नहीं हो तब तक उसमें क्या है। अगर आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया है, किसी ने भी दर्ज कराया है तो पुलिस उसकी कार्यवाही करेगी और क्या कर सकती है..

श्री रामनारायण मीणा : पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। माननीय सदस्यों का यह कहना है कि पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। आप कृपा करके और फिर इनसे बात कीजिये और ध्यान दिलाइये। इतनी सी बात है..

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ चार क्यों खड़े हैं? एक सदस्य बोलें।

श्री रामलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं। गृह मंत्री महोदय, पेटी जो बेची दो हजार रुपये में, इसमें 15 आदमियों की पूरी कमेटी है। उसने हर गांव में एक-एक अपना दलाल नियुक्त किया। सौ रुपये उसके कमीशन रखे और कहा दो महीने के बाद में तीन हजार में हम खुद खरीद लेंगे और आसाम में चाय बागान में यह खाद काम आयेगी। इस उद्देश्य से पांच तहसीलों में, सारी पंचायतों में इस तरह का एक जाल फैलाया, करोड़ों रुपयों तक यह मामला पहुंच गया। कल पकड़ में आया। इसमें अध्यक्ष को गिरफ्तार इसलिये नहीं कर रहे हैं गृह मंत्रीजी को मैं निवेदन करूंगा चूंकि वह एक बहुत बड़ी संस्था का...

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के बीच मैं दखलंदाजी करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलेंगे माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें..

श्री सांगसिंह भाटी : कारण कि यह मामला जान-बूझकर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर लांछन लगाकर करना चाहते हैं। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है इनका। यह जान बूझकर उलझाना चाहते हैं इस मुद्दे को...

श्री अध्यक्ष : सांगसिंह जी, स्थान ग्रहण करें। सांगसिंहजी की बात अंकित नहीं हो।

श्री कैलाश त्रिवेदी : यह भीलवाड़ा के किसानों की लूट का मामला है, जैसलमेर का नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। आम जनता, आम काश्तकार और आम गरीब आदमी का जिनको लूटा है और इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसको सजा मिले।

श्री सांगसिंह भाटी : xxx

श्री रामनारायण मीणा : अब तो पता चल गया मुल्जिम भारतीय जनता पार्टी का है आप निष्पक्ष होकर करेंगे नहीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, देखिये.. (व्यवधान) माननीय सदस्य सांगसिहंजी मुझे आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम याद नहीं है इसलिये मैं आपको..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप कृपा करके निष्पक्षता बरतिये। हम आरोप नहीं लगाते कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले स्थान ग्रहण कर लें। पहले स्थान ग्रहण करें उप नेता महोदय। उप नेता महोदय स्थान ग्रहण करें..

श्री रामनारायण मीणा : तो कृपा करके जब आरोप लग गया बी.जे.पी. का मुलजिम है तो कृपा करके उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, इस सदन का नियम है कि जब कोई एक सदस्य बोलता है तो चाहे वह कुछ भी कहे दूसरे को उसके बैठने के बाद ही बोलना चाहिये। बीच में ऐसे व्यवधान नहीं डालना चाहिये..

श्री जीतमल खांट : अच्छी फटकार लगायी।

श्री अध्यक्ष : फटकार की बात नहीं है। बीच में इतनी तत्परता भी नहीं होनी चाहिये। उसके बाद कुछ आपको कहना हो तो कहिये आप। बात कहें...

श्री रामलाल जाट : इन्होंने शिक्षा दी मैं पड़ौस में बैठा हूं इनके। इनको कब्ज है वह रिछपालजी मिर्धा ने दवाई बतायी है एक वह पाड़े का दूध और टिंडे का बीज मिलाकर पीने की। वह पिलाना पड़ेगा इनको...

श्री अध्यक्ष : कोई बात कहनी है आपको समय दूंगी मैं...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : xxx

श्री रामलाल जाट : रिछपालजी मिर्धा ने नागौर में एक दवाई बनायी है। वह पहले महावीरजी कों भी दी थी, वह बड़े तंग हुए जब। आपको भी बड़ी कब्ज है तो उसमें देंगे।

श्री अध्यक्ष : वह अपनी बात पूरी कहेंगे फिर बिराजेंगे, उसके बाद आप बोलना।

श्री रामलाल जाट : आप आ जाना क्वार्टर पर वह दे देंगे आपको। पूरी शीशी भरी हुई है..

श्री सांगसिंह भाटी : xxx

श्री रामलाल जाट : आपके लिये रख रखी है वह।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संस्था का जो रजिस्ट्रेशन हुआ एक बनेड़ा तहसील में, एक मांडल में। माननीय पंचायत राज मंत्रीजी वहां गये थे..

श्री अध्यक्ष : कह दिया है आपने। आपने बात बता दी है।

श्री रामलाल जाट : वहां पर सैकड़ों किसान उनसे मिले हैं। पुलिस ने एक डेयरी में कर्मचारी है उसको गिरफ्तार किया रात को। रात को दो बजे तक कम से कम एक हजार किसान वहां थाने के बाहर बैठे रहे। इसलिये मेरा निवेदन था गृह मंत्रीजी से कि इस संस्था का उदघाटन आज से चार महीने पहले हुआ। सदस्य महोदय सुभाषजी बहेड़िया साहब, भीलवाड़ा से सदस्य हैं, अभी बिराजे हुए हैं, इन्होंने उसकी ओपनिंग की। उसमें नन्दलाल काष्ठ नाम का आदमी जो उस संस्था का अध्यक्ष है, आप उसके खिलाफ कार्यवाही करिये। पूरी जांच करिये। किसी भी अधिकारी से जांच कराइये। पुलिस जांच करना चाह रही है, उसको रोका जा रहा है। दिन को दो बजे से किसान बैठे थे और रात को एक बजे तक हमारे लोग गये तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है..

श्री अध्यक्ष : पुलिस की जांच को कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? माननीय सदस्य, कौन रोक रहा है? आप यह बताइये गृह मंत्रीजी को कि अमुक अधिकारी पुलिस की जांच को रोक रहा है।

श्री रामलाल जाट : माननीय अध्यक्षजी, अभी नाम लूंगा तो सब बवाल खड़ा होगा। नन्दलाल काष्ट उस संस्था का अध्यक्ष है। संस्था को चलाते हैं जिसमें भीलवाड़ा के एम.एल.ए. साहब बैठे हैं, वह खुद जानते हैं। सदस्य महोदय ने बनेड़ा में आकर उसका ओपनिंग किया है, उसमें वहां के सब विभाग के अधिकारी आये हैं। एग्रीकल्चर विभाग का अधिकारी आया, उसने साफ मना किया। बाकायदा पर्चे बांटे हैं, उसने पम्पलेट छपवाए हैं। कालूलालजी मंत्री ने कार्यवाही के लिये लिखा लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। डेयरी के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। उसके घर सुभाषनगर पर यह संस्था चल रही है, 10 लाख उसके खाते में अभी भी जमा हैं। तो इसके लिये व्यवस्था करिये, खाता सील करवाइये। किसानों का करोड़ों रुपयों का जो चिट फण्ड हुआ है उससे भी ज्यादा यह एक-डेढ़ करोड़ रुपये का मामला है। आप खुद एक किसान परिवार से हैं तो उनके लिए आप यह निर्देशित करें इस सरकार को कि क्या हालत हो रही है किसानों की, इस बात का यह एक उदाहरण है, तुरन्त ही जो संस्था बनी है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसमें अध्यक्ष, व्यवस्थापक उन लोगों को गिरफ्तार करें और उन किसानों का पैसा वापिस करें। यह मैं आपको सूचना देना चाहता हूं और गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पर कार्यवाही करावें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पुलिस में जो भी मुकदमा दर्ज होता है उसमें न तो जाति देखी जाती है, ना उसकी पार्टी देखी जाती है कि वह किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। पुलिस तो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें जो भी दोषी होगा वह चाहे किसी भी जाति और बिरादरी का हो, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे वह बी.जे.पी. का हो, हम उसको नहीं देखते हैं। हम तो उसकी मेरिट्स के आधार पर देखते हैं। उस जांच में अगर कोई तथ्य मिलेगा तो जिसके खिलाफ होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। यदि मैं स्वयं भी उसमें हूं तो उसमें भी बचने की गुंजाइश नहीं है। पुलिस अपना काम करती है परन्तु आप तो उसको रंग देकर, नमक-मिर्च लगाने का हमारा धर्म है जो हम पूरा करेंगे।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, उस संस्था का को-आपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो रखा है। उसमें पूरा काम चल रहा है। उसमें क्या जांच करेंगे आप।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल, श्रम मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फालतू की बकवास करनी है तो करते रहो, कोई बात नहीं।

श्री रामलाल : ठीक है मत करो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है आपसे कि आप यही करेंगे... (व्यवधान) वह तो पूरी उम्मीद है क्योंकि वह संघ चालक है। वहां का अध्यक्ष है..(व्यवधान) यहां एम.एल.ए. साहब बैठे हैं खुद उदघाटन करने वाले।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है मैं मानसिक रूप से..(व्यवधान)

श्री रामलाल : आपकी मानसिकता तो पहले ही झलक रही है कि आप क्या कार्यवाही करेंगे.. (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका कोई मकसद तो है नहीं खाली हल्ला करना है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं...(व्यवधान)

श्री रामलाल : मकसद क्यों नहीं है। हम फालूत बात उठाते हैं क्या, गलत बात है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर नहीं होगा तो बताना ना, अभी तो तीन दिन नहीं हुए...(व्यवधान)

श्री रामलाल : उसमें करोड़ों रुपये किसानों के खा गये, उनके साथ अन्याय कर रहे हो..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो क्या होगा, कल तो मुकदमा दर्ज हुआ है...(व्यवधान)

श्री रामलाल : आपकी मानसिकता तो अभी झलक रही है...(व्यवधान) आपके एम.पी., आपके एम.एल.ए. उसका उदघाटन कर रहे हैं। उसमें सारे अधिकारी हैं, अधिकारी मना कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल उसका नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ़ कार्यवाही होगी। आप किसी को छुड़ाना चाहते हो या बचाना चाहते हो तो किसी का नहीं होगा।

श्री रामलाल : हम किसी को नहीं छुड़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्रीजी हम किसी को नहीं छुड़ा रहे हैं, मुलजिम को पकड़वाना चाह रहे हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें..(व्यवधान)

श्री रामलाल : इसमें 15 आदमी हैं, रजिस्ट्रेशन शुदा संस्था है... (व्यवधान) और आप कह रहे हैं कि बकवास कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जल्दी हो तो आप जाकर पकड़ लाओ... (व्यवधान)

श्री रामलाल : आपकी मेहरबानी से आये हैं कि जो बकवास करेंगे.. (व्यवधान) क्या काम कर रही है पुलिस...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां तो पुलिस को जो काम करना है वह करेगी। आपके दबाव में आकर के कभी नहीं करेगी। पुलिस दबाव में किसी भी निर्दोष को नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी...(व्यवधान)

श्री रामलाल : पुलिस क्या काम कर रही है। आपकी मानसिकता तो वैसे ही झलक रही है..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या चाहते हो, ऐसे नहीं होगा...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : ऐसे धमकायें मत आप सदस्य को, यह कोई तरीका नहीं हुआ आपका..(व्यवधान) वह अपनी बात रख रहे हैं और आप उनको धमकाने की बात कर रहे हैं..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप पकड़ लो...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। माननीय सदस्य ने, लाखों लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है...(व्यवधान) किसानों के साथ अन्याय हुआ है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : कार्यवाही करने के लिए कहा था और आप हमारे सदस्य को धमका रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : आप लोग किसी को बचाना चाहते हो.. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वह तो चाहते हैं लेकिन गृह मंत्रीजी भी धमका रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह संस्था जो काम कर रही है...(व्यवधान)

श्री रामलाल : नहीं करना है तो मत करो...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप लोग निर्दोष को फंसाना चाहते हो। निर्दोष को कभी भी नहीं फंसाया जायेगा...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : यह रजिस्टर्ड संस्था है...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : निर्दोष को फंसाना चाहते हो। निर्दोष को कभी पुलिस नहीं पकड़ेगी...(व्यवधान) आप लोगों का एक नाटक बन गया है निर्दोषों को फंसाना, निर्दोषों को फंसाना आपका काम हो गया है...(व्यवधान) इसमें दोषी को सजा मिलेगी, निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : बनेड़ा से आने वाले सदस्य स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण कर लें राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) प्रहलाद गुंजल आप ध्यानाकर्षित करेंगे श्रम मंत्रीजी का..(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड के लिए मुझे सुन लेते, एक सैकण्ड के लिए मुझे सुन लेते।

श्री अध्यक्ष : नहीं मैं किसी को नहीं दूंगी। बिलकुल नहीं, आज बिलकुल नहीं। बात खतम हो गयी।

श्री प्रहलाद गुंजल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जे.के. सिंथेटिक लिमिटेड के पुनः संचालन हेतु मजदूरों के हितों के लिए...(व्यवधान)

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। गृह मंत्रीजी हमें यहां हाउस में धमका रहे हैं तो क्या कार्यवाही करेंगे.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा विषय ले लिया गया है।

श्री प्रहलाद गुंजल : समझौता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रम मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ अगर धोखा हुआ है, उसके बारे में आप इनसे वक्तव्य दिलवायें, कुछ कहलवायें।

श्री अध्यक्ष : कह दिया ना उन्होंने।

श्री रामलाल : क्या कह दिया। यह तो धमका रहे हैं आपके सामने... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : यह धमका रहे हैं आपके सामने...(व्यवधान)

श्री रामलाल : इसमें रजिस्ट्रेशन हो रखा है, बाकायदा उनकी लिस्ट है, प्रूफ शुदा है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें...(व्यवधान)

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, वहां किसान कलेक्ट्री में बैठे हैं, पंचायत राज मंत्रीजी को ज्ञापन दिया है। खुद देकर के आये हैं पंचायत राज मंत्रीजी को, मेरे इलाके का मामला है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कह रही हूं, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान) धमकी का क्या सवाल है, स्थान ग्रहण करने के लिए नहीं कहूंगी।

श्री अशोक बैरवा : गृह मंत्रीजी धमकी दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रही हूं आपसे, पहले भी कि आप किसी भी माध्यम से, पर्ची के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यदि आप इस प्रश्न को उठाते तो मानवीय मंत्रीजी उसका जवाब देते। आपने एकदम इसके बारे में कहा और इतनी तैयारी तो उनकी नहीं है कि वह उसके बारे में सब कह सकें। सारी बातें बता सकें। यदि ऐसा प्रश्न जो आप अचानक उठाते हैं। उन पर आपको इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मंत्री आपके विषय में सारी बातों का जवाब दे सकें। आप खड़े हो गये। मेरी सदाशयता थी कि मैंने आपको कह दिया कि अच्छी बात है बोलिये, वरना बोलने देने का सवाल ही नहीं था। किस माध्यम से आपके उठाया है इस समय।

श्री रामलाल : पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से उठाया है... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सदाशयता के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम गृह मंत्रीजी से आशा करते हैं कि हमारे माननीय सदस्य ने कोई आपका

(डा. सी. पी. जोशी)

ध्यानाकर्षण किया तो यह सरकार का मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम जो जांच कर रहे हैं उसमे हम किसी को बचाना चाहते हैं। यह हम सुओमोटो एक इन्फलुऐंस करना चाहते हैं कि माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठाते हैं तो किसी को बचाने के लिए नहीं उठाते हैं। उनके मन में यह पीड़ा है कि किसान को इस तरह से लूटा जा रहा है और मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से कि आप नाराज नहीं हो। यह सरकार वर्मी कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। यह सरकार आर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। वह किसान जिसने की पैसे की व्यवस्था की है, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक विचाराधारा के लोग किसान को लूटने के लिए इस तरह की व्यवस्था करें और हम दर्शक बनकर बैठे रहें। यह तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। एक आपके सामने प्रश्न उठाया गया है तो आपको सदन को आश्वस्त करना चाहिए कि कोई भी हो, हम किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, बचाने पर किसी का इंटेंशन नहीं है। किसान के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्मी कल्चर और आर्गेनिक फार्मिंग, यह नही जो चीज शुरू हुई है उससे किसान मूर्ख नहीं बन जाये। उसके पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। यह आपके नोटिस में लाये तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप कम से कम इन मामलों में इस बात पर आगे बढ़ सकें। हम मानते हैं कि आप कह रहे हैं आपकी सदाशयता है, लेकिन पुलिस की सदाशयता है क्या। थानेदार आपकी तरह की विचाराधारा का आदमी है? आपकी तरह कमिटेड आदमी है? थानेदार ने यदि किसान को लूटने का, बेइमानी करने का कर ले तो किसान को न्याय कहां मिलेगा। इसलिए हम आपकी सदाशयता पर प्रश्न नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस इस मामले में तत्परता से काम करेगी। किसान का शोषण नहीं हो। यह जिम्मेदारी भी हमारी होती है तो कम से कम आपको आशा करते हैं कि यह जो प्रश्न आपके सामने रखा है, उसको गम्भीरता से लें, किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन किसान का प्रोटेक्शन हो, यह तो मंत्री महोदय आपको व्यवस्था दिलानी चाहिए..(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : जवाब दीजिये इसका।

एक माननीय सदस्य : चूं तक नहीं बोले यह...(व्यवधान)

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के गृह मंत्री हैं, 5-6 एम.एल.ए. का चुनाव भी लड़े हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराज जायें और सुनिये उन्हें। आप अपने स्थान पर बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, विषय की जानकारी मेरे पास ना होते हुए भी मैंने यह कहा है कि अगर पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज हुआ होगा तो वह कौन आदमी है, किस जाति का है, किस पार्टी का है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे तो उसकी मेरिट्स के आधार पर तय करना पड़ेगा कि उसका क्या है। लेकिन इस समय ना तो मेरे पास पूरा विषय है और ना मैं उसकी कोई जानकारी रखता हूं। अब आप यह चाहते हो कि मैं हाउस में कह दूं कि मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा तो मैं कह नहीं सकता। आप दबाव डालकर के मुझ पर गिरफ्तार करवाना चाहते हो तो मैं हरगिज नहीं कर सकता हूं। भले ही आप सब खड़े हो जायें। मैं करूंगा मेरिट के आधार पर, अगर दोषी है तो करूंगा..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप हर चीज को व्यक्तिगत लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी इमोशनल आदमी हैं। हम सब खड़े हो जायें तब भी नहीं करूंगा। हम किसी को गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि आपके कानून में एक चीज आयी है।

श्री अध्यक्ष : आप इनके इमोशंस को रेज करने वाली बात ना करें तो अच्छा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आपके आने से पहले ही सदन के सभी माननीय सदस्यों से कह चुका हूं कि मेरे सामने जिसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई उसकी कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। मुझे तो मेरिट के आधार पर उसके खिलाफ जो कार्यवाही मेरे कानून के तहत मुझे अधिकार है वह मैं निश्चित रूप से करूंगा। यह मैं कह चुका हूं। लेकिन यह तो दबाव बनाकर मुझसे हां कराना चाहते हो तो आप सब खड़े हो जायें तो भी मैं नहीं करूंगा। करूंगा तो मेरिट के आधार पर करूंगा।

श्री रामलाल : दबाव नहीं मांग है...(व्यवधान) आप तो धमका रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप इस मांग को दबाव क्यों मानते हैं... (व्यवधान) मांग तो की जा सकती है, मांग करने से क्या हुआ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी : हमने यह गृह मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित किया था...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है और आज काश्तकार सड़कों पर आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मंत्रीजी को सुनिये..(व्यवधान) मंत्रीजी का इतना ही कहना है कि वह दबाव से काम नहीं करेंगे, मेरिट से करेंगे। यही मामला है और क्या मामला है..(व्यवधान)

श्री रामलाल : इन्होंने तो पूरे थाने ही आर.एस.एस. के खोल दिये हैं, यह क्या दबाव में करेंगे..(व्यवधान) यह हमारे को हाउस में आपके सामने धमका रहे हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं। इसको भलमनसाहत में किया है क्या... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यह क्या बेहूदी बात हो गयी। इन लोगों को ले देकर आर.एस.एस...(व्यवधान) ले-देकर के आर.एस.एस. का कहना इनकी आदत बन गयी।

श्री सांगसिंह भाटी : यह आर.एस.एस. से एलर्जी क्यों है आपको। क्या कारण है, कब्ज क्यों है इतनी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : रात को जो पिक्चर दिखाई थी वह तो रात को ही चली गई। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : बार-बार आर.एस.एस. को कोसना, यह अच्छी बात नहीं है। आर.एस.एस. को बदनाम किया जाता है। इनके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए, इस प्रकार की अनर्गल बात करते हैं। आर.एस.एस. से इनकी क्या दुश्मनी है? (व्यवधान) आर.एस.एस. ने इनका क्या बिगाड़ा है जो बार-बार आर.एस.एस. को बदनाम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मेरा नाम लिया है माननीय सदस्य ने। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हां, हम हैं, आर एस एस के कार्यकर्ता, हमें गर्व है कि हम आर.एस.एस. के कार्यकर्ता हैं। तो इसमें आप पर क्या दबाव है? यह एक राष्ट्रीय संगठन है, देशभक्त संगठन है।...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, अंकित न हो। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य की बात अंकित न हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : अभी-अभी +++ यह शब्द इस्तेमाल किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शालीन भाषा का प्रयोग किया करें।

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री अध्यक्ष : इस विधान सभा में संयत भाषा का प्रयोग होना चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करें तो उचित रहेगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसको निकलवाओ साहब।

श्री अध्यक्ष : इसको निकाल देंगे देखकर।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, भाषा का प्रयोग तो उधर से भी बहुत बार इसी प्रकार का किया जाता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए।

श्री अशोक नागपाल : बहुत बार उधर से भी किया जाता है। यह बार बार आर.एस.एस., आर.एस.एस., आर.एस.एस., यह भाषा ठीक नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर.एस.एस. गाली नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : आप बुरा समझते हैं क्या आर एस एस को?

श्री अशोक नागपाल : माननीय सदस्य, जब भी खड़े होते हैं तो रावला, घड़साना, रावला, घड़साना, क्या हुआ वहां पर? आपने करवाए दंगे। आपके वहां जो अगुवा थे वे चोरी में लिप्त पाए गए और उन पर केस बने हैं।

श्री अमराराम (धोद) : बनाओ न। आपको आर एस एस से क्या दिक्कत है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप सदन को आर्डर में लाइए । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आर.एस.एस. का नाम लेते ही खड़े हो जाते हैं।

श्री अशोक नागपाल : माननीय सदस्य, यह स्टेटमेंट आते हैं कि जो व्यक्ति चोरी में पकड़े गए, उनके पाइप लगी हुई थी, मोघें नहीं थे जो उस आंदोलन के अगुवा थे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइए।

श्री अमराराम (धोद) : आपके सक्षम गृह मंत्री हैं, अगर चोरी करते पकड़े गए हैं तो चालान हो जाएगा, आपको क्यों चिंता हो रही है?

श्री अशोक नागपाल : आपको क्या चाहिए? पूरे प्रमाण हैं मेरे पास। आप बार-बार खड़े होकर रावला-घड़साना की बात करते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आपके गृह मंत्रीजी स्वयं सक्षम हैं, किसी ने चोरी की है उसका चालान हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल : किसान नेता के लिए मोघा नहीं, पानी की पाइप, क्या बात करते हो? जब भी आप खड़े होते हैं तो रावला-घड़साना, रावला-घड़साना, रावला-घड़साना, वहां आंदोलन करवाने वाले आप, लोगों को भड़काने वाले आप और लोगों को मरवाने वाले आप, यह मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सोच रहा था कि रात को जो पिक्चर दिखाई थी उससे हाउस में कुछ असर होगा पर असर हुआ नहीं। यहां तो वह की वह तणातणी। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल : (व्यवधान) पूर्व प्रधान साहिबराम पूनिया, हेतराम बेनीवाल, पानी की चोरी में लिप्त हैं, यह मेरे पास कटिंग पड़ी है, यही आंदोलन के अगुवा थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आपके सुरेन्द्रसिंह जी राठौड़ खुद कहते हैं चोरी करो। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल : उस आंदोलन से हमको दबाना चाहते थे, सरकार को दबाना चाहते थे।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपको गृह मंत्रीजी पर विश्वास नहीं है क्या?

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : इन्होंने सरकार से वार्ता करके इस आंदोलन को स्थगित करवाया था। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल : आप बार-बार रावला-घड़साना की बात करते हो, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं..। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री हरिमोहन शर्मा : इन्हीं आंदोलनकारी अगुवाओं के पास जेल में जाकर आपकी सरकार ने वार्ता की और घुटने टेक कर...। (व्यवधान)

प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : (व्यवधान) कम्युनिस्टों ने 1917 से अब तक पूरी दुनिया में 10 लाख लोगों की हत्या की है, इनका काम ही हत्याएं करना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : (व्यवधान) जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। जो इस सदन का मैम्बर नहीं है, जो यहां पर उपस्थिति भी नहीं है। गृह मंत्रीजी भी उसका जवाब नहीं दे सकते, सरकार भी उसका जवाब नहीं दे सकती। हार्थोहाथ वह मामला उठाकर और सनसनी पैदा की जाए, यह क्या है, माननीय अध्यक्ष? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप सारे काम गड़बड़ करते रहो और किसानों को लूटते रहो और फिर बोलेंगे भी नहीं क्या? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : लूट आप रहे हैं, लूटों और लूटो। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, खुद लुटेरे लूट की बात करें, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री अमराराम (धोद) : महावीरजी, यह बनिए की दुकान नहीं है, ताखड़ी में तौलना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह किसी को अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कौन लुटेरे हैं, उनका नाम बताइए।

एक माननीय सदस्य : आपने लूटा होगा, हमने नहीं, लूटा, सब दबा रखा है इन लोगों ने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) हम लोगों के संरक्षण के लिए यहां आते हैं, हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहां आते हैं, हमारे कारण से किसी पर अन्याय हो रहा है, यह बदार्शत नहीं हो सकता, हमारे दबाव के कारण किसी की गिरफ्तारी हो जाए...(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा में लूट रहे हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है? (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : आप खुद लूटो काश्तकारों को, कोई तकलीफ नहीं है, 12 तारीख को सबको अवगत करा दिया उसके बाद भी कोई कार्यवाही कृषि मंत्रीजी ने और किसी ने नहीं की और उस रैकेट का पर्दाफाश नहीं किया। आपके हजारों काश्तकार वहां कलेक्ट्रेट में आए और मुकदमा दर्ज कराया, तब भी सुनने को तैयार नहीं। आप मर्जी आए वैसे काश्तकारों को लूटते रहो, लूटने का प्रयास करते रहो, चलने वाला नहीं है यह। एक रोज बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पूरे राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में ही नहीं, अन्य जिलों में भी यह माल पहुंच गया है, आप सारे सदस्य वहां पहुचेंगे, उससे पहले माल आपको अपने विधान सभा क्षेत्र में मिलेगा, सावधान रहो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) यह सामान बेचने वाले लोग हैं, इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया है, कभी जवाब नहीं दिया।

श्री अमराराम (धोद) : आप क्या जवाब लेंगे, आप तो पिछले पांच साल से इस सदन में थे ही नहीं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमको सबको पता है कि क्या हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय की यह हालत है, एक किलो के नौ सौ ग्राम, जय सियाराम, जय सियाराम। यह काम है आपका, यह आपका उम्र भर काम रहा है, आप क्या ईमानदारी की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका किया काम है, आपने लोगों को भड़काने का काम किया, अपने नेता के मार्फत किसानों का शोषण करवाना और सारे मोर्चों को बंद करवाकर अपने नेता के खेत में पानी पहुंचाना...।

श्री अमराराम (धोद) : कौन से नेता की बात कर रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसान का नाम लेकर, गरीब का नाम लेकर...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, महावीरजी अपने पद की गरिमा कम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपकी सरकार ने रासुका लगाकर और झख मारकर 7 दिन बाद...

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : महावीरजी, आप रो रहे हो या बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपने रासुका लगाया।

श्री कैलाश त्रिवेदी : लोगों ने जमीनें गिरवी रख दी और आप यह कैसे कह रहे हो कि संवेदनशील सरकार है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : महावीरजी, आप तो जन्मजात किसान नहीं हैं।

श्री अशोक बैरवा : टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, खड़े होकर रोने लग जाते हैं, रोते हैं कि बोलते हैं आप?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सहाड़ा) : महावीरजी, आप रोते हो या बोलते हो, पता ही नहीं लगता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : रोना तो आपको पड़ेगा, शर्म आती नहीं आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से आज सरकार का कोई कार्य नहीं है। बहुत वर्षों बाद आपने नोन आफिशियल डे रखा है, कई माननीय सदस्यों के विधेयक भी लगे हैं। मैं समझता हूं कि आज सदन के इस सत्र का अंतिम दिन है, आज हमारा जो मैन बिजनस है, जिसके लिए आपने कृपापूर्वक एक दिन का समय बढ़ाया है। इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से मेरा निवेदन है कि इसको सुचारू रूप से चलने दें। वास्तव में चार बजे चूंकि आपने पहले आसन से व्यवस्था दे रखी है कि चार बजे के बाद सदन की कार्यवाही आप अनिश्चित काल के लिए स्थगित करेंगी, उसके बाद बाबा रामदेव का कार्यक्रम होगा। आप सदन का समय जाया कर रहे हैं, आप एक साथ पांच-पांच आदमी बोल कर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या आप आरोप लगा रहे हैं? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको प्रताड़ित कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : आपके मुख्य सचेतकजी की क्या हालत है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने 12 तारीख को गृह विभाग की मांग पर यह प्रश्न उठाया, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में कुछ सहकारी समितियां जो जैविक खाद का काम

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करती हैं, किसानों से कहा कि 2000 में एक पेटी केचुएं ले जाओ...। और जैविक खाद बनाओ, महीने-दो महीने के बाद में आपसे तीन हजार रुपये में यह खरीद ली जाएगी। यह मसला सरकार के नोटिस में आ गया है इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। कल मेरी जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके इस बात को दर्शाया कि उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है और जिन लोगों ने वह जैविक खाद उनको दी थी उसको वापस खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे याद है कि जिस समय सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि लोगों ने घरों में जो उनके रहने के मकान है उनमें केंचुओं को उत्पादित करना शुरू कर दिया और जगह-जगह जैविक खाद इतनी हो गई कि उसका इस्तेमाल और उसको रखना लोगों के लिए दुभर हो गया। ऐसी स्थिति में सरकार को इतने दिनों में उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और कुछ नहीं तो कृषि मंत्रीजी को यह आश्वासन देना चाहिए कि जिसने भी चीट किया है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जाएंगे और मैं रसीद इस सदन के पटल पर रखना चाहूंगा, कोई 10 हजार रुपये की रसीद है, कोई 75 हजार रुपये की रसीद है।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी क्या करेंगे, 420 जिसने किया है गृह विभाग करेगा। इसमें कृषि मंत्रीजी क्या करेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला : कृषि विभाग से संबंधित कुछ अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं इसलिए इन सबके मामले में कृषि मंत्रीजी कार्यवाही करें और करके जिन लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है, उसके साथ आप जिला मजिस्ट्रेट को यह काम सौंप दें..

श्री अध्यक्ष : एफ.आई.आर. में जिसका नाम होगा उसके खिलाफ होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : जिला मजिस्ट्रेट इसकी पूरी जांच करके 15 दिन में आपको रिपोर्ट दें और जिनके साथ चीटिंग हुई है उन किसानों को आप क्या न्याय देंगे और जिन्होंने चीट किया है उनको क्या सजा देंगे उस रिपोर्ट के आधार पर। कुछ न कुछ तो सदन में आश्वासन दें कि हजारों किसानों को जिन्होंने बर्बाद कर दिया उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : कोई केस रजिस्टर्ड होगा तो करेंगे ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे कार्यक्षेत्र में तब आता है जब उसके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज हो जाए। आज अचानक आपने विषय रखा, अगर आप यही मुझे जीरो आवर में पर्ची से देते तो मैं इसके सारे फैक्ट इकट्ठे करके मैंने अब तक क्या कार्यवाही की मैं आपको उससे अवगत कराता। आपने एक विषय मेरे ध्यान में ला दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : घंटे भर बाद क्या होगा, जब एफ.आई.आर. ही लाज नहीं हुई होगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, इन-इन धाराओं में दर्ज हुआ है, मेरा काम है, इन्वेस्टिगेशन कराना और उसमें जो भी व्यक्ति जिस-जिस धारा का दोषी होगा उसकी जांच करने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने यह जरूर कहा कि आप यहां दबाव बनाकर किसी आदमी को मुल्जिम बना दो तो आप भले ही 56 ही खड़े हो जाएं मैं मुल्जिम बनाऊंगा नहीं। (व्यवधान) दबाव में तो मुल्जिम बनाऊंगा नहीं और अगर मुल्जिम होगा तो छोड़ूंगा नहीं, दोनों बात कह रहा हूं। मुल्जिम होगा तो छोड़ूंगा नहीं और दबाव में मुल्जिम किसी को बनाऊंगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। (व्यवधान)

श्री रामलाल : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात नहीं थी। एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है, कल कालूलालजी मंत्री महोदय को निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : आप एफ.आई.आर. नम्बर बता दीजिए।

श्री रामलाल : उस एफ.आई.आर. में मुल्जिमों को नहीं पकड़ा जा रहा है जो मैन मुलजिम हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन से थाने में एफ.आई.आर. है बताइए। एफ.आई.आर. के नम्बर बताएं।

श्री रामलाल : गृह मंत्रीजी ने यह कहा है कि बकवास मत करो, आप बैठिए। तो ऐसे ही हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : आप एफ.आई.आर. के नम्बर बताइए।

श्री रामलाल : जबकि वहां के सांसद और भीलवाड़ा के विधायक ने उसकी ओपनिंग की, उद्घाटन किया। उस जैविक खाद के सारे अधिकारी थे,

(श्री रामलाल)

वे बैठे हैं, उदघाटन करने वाले एम.एल.ए. साहब बैठे हैं, उनको पूछो ना। उसमें आपके प्रमुख सरसंघचालक अध्यक्ष जो उस संस्था का अध्यक्ष है, को-आपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से कागज पर कुछ नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य, यह कहने के बनिस्बत वहां जितने बयान हैं, जो भी एविडेंस आपके पास है, वह वहां थाने में पेश कर देना उसके आधार पर जो केस बनेगा उसमें क्या दिक्कत है?

श्री रामलाल : वहां थाने वाले तो समझौता करा रहे हैं। रात को 2 बजे तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। थाने वाले तो उनका समझौता करा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप यह चाहें मैं कोई आपके दबाव में किसी को मुल्जिम घोषित कर दूं यह सम्भव नहीं है। जो नियम से आयेगा वही मुल्जिम बनेगा, उसमें क्या बात है।

श्री रामलाल : मैं किसी दबाव की नहीं कह रहा हूं। दबाव में तो आप आने वाले हो (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप यह आश्वासन दें चाहे कोई भी मुजरिम हो, किसी भी संस्था से संबंधित हो उसको आप नहीं छोड़ेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्यों छोड़ेंगे, क्या हमारा कोई लगता है?

श्री अध्यक्ष : कह दिया ना। दस बार कहेंगे क्या। दस बार तो कह दिया। दस बार तो कह दी यह बात। श्री प्रहलाद गुंजल (व्यवधान) आप ध्यानाकर्षित करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा के जे.के. सिंथेटिक्स लि. के पुनः संचालन हेतु मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड, कोटा के पुनः संचालन हेतु

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रम मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर लाये हैं वैसे तो इसमें एक प्रकरण माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्थान ट्रेड यूनियन केन्द्र द्वारा याचिका सिविल 5914/2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकरण यूनियन द्वारा ए.ए.आई.एफ.आर. द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.1.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो माननीय न्यायालय के समक्ष 12.4.2005 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हुआ था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि 13.5.2005 को नियत है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 9419/2002 के रूप में विचाराधीन है। यह प्रकरण जे.के. स्टाफ एसोसिएशन, तेजपाल ग्रुप द्वारा त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 22.10.2000 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 3.6.2005 को नियत है। (व्यवधान)

(समय : 3.00 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

सभापति जी, आप रास्ते में सुन रहे होंगे, यह मामला..

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्रीजी ने कहा अगर यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो मेरे ख्याल से उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जैसा मंत्रीजी कह रहे हैं अदालत में विचाराधीन है। ऐसे मामलों में विधान सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री अमराराम (धोद) : आप बता रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी है और राजस्थान हाई कोर्ट में भी है। आज तक व्यवस्था यह रही है कोई भी मामला सब-ज्युडिश हो तो उसको विधान सभा में डिसकस नहीं किया जाए क्योंकि उसमें निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा। बाकी करते हैं तो बिलकुल किया जाना चाहिए, अगर परम्पराएं रही हैं तो।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, न्यायालय के कई मुकदमों का वायलेशन करके (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है?

श्री किरोड़ी लाल मीणा : मैंने सभी न्यायालयों का उल्लेख दे दिया उसके बावजूद भी सैक्रेटेरियट ने इसे स्वीकार किया है तो आपकी अनुमति हो जाए तो फिर मैं इस पर बोलूं।

श्री जुबेर खान : एक नयी परम्परा पड़ जाएगी, फिर आसन से आप यह बात नहीं कह पाएंगे कि मैटर न्यायालय में विचाराधीन है। गलत परम्परा पड़ जाएगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : न्यायालय में विचाराधीन है तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए, सेक्रेटेरियट तो जो भी आप नोटिस देते हैं उनको स्वीकार करता है इस आधार पर कि आपने नोटिस दिया है। क्योंकि सेक्रेटेरियट के नालेज में मामला नहीं होता है कि मामला कोर्ट में पैण्डिंग है या नहीं है। चूंकि माननीय मंत्रीजी ने जानकारी दी है- that the matter is pending in the court. If it is sub-judice, then we cannot discuss the matter in the House.

डा. सी. पी. जोशी : यह रूलिंग नहीं है।

श्री सभापति : रूलिंग का मतलब यह है कि आलरेडी रूलिंग आई हुई है।

डा. सी. पी. जोशी : दोनों रूलिंग है। If the matter is sub-judice, उस सब जुडिश को छोड़ते हुए यह भी डिसकस कर सकते हैं, यह भी रूलिंग है। रूलिंग तो दोनों हैं। आप डिबेट का स्कोप है उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो इश्यूज कोर्ट में पेण्डिंग हैं उन इश्यूज के अलावा मंत्रीजी जवाब देना चाहें तो निश्चित तौर पर देने की परमिशन देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विषय की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं निश्चित रूप से इस संदर्भ में कई मामले न्यायालय में विचाराधीन होंगे, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय हो चुके हैं..

श्री सभापति : एक मिनट माननीय सदस्य। मंत्रीजी आप यह बताइए कि जो इसमें सब-ज्युडिस मैटर है उसको छोड़कर कोई बात कहना चाहते हैं तब तो आप you are free to say. And if you...

श्री किरोड़ी लाल मीणा : वह मैं कह दूंगा।

श्री सभापति : If you are satisfied that the matter is peding in the court, if it is sub-judice then आपके ऊपर है और आप उससे अलग कोई बात कहना चाहते हैं, then you are free to say.

श्री किरोड़ी लाल मीणा : सभापति जी, उसको छोड़कर कह देता हूं। (व्यवधान) जे.के. सिंथेटिक्स, कोटा की विभिन्न इकाइयों में 1996-97 से तालाबंदी एवं उत्पादन गतिरोध बना हुआ था। औद्योगिक विवाद राजस्थान संशोधन अधिनियम, 1917 की धारा 10 के तहत विशेष आदेश जारी कर तालाबंदी को प्रतिबंधित किया गया था तथा कामगारों के बकाया भुगतान के संबंध में 84 लाख रुपये कुड़की कर कामगारों को वितरित कराई जा चुकी है। बकाया राशि की कुड़की पर रोक के आशय का स्थगन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त करने के कारण आगे की कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं हो पा रही है। जे.के. सिंथेटिक्स संस्था की इकाइयों का प्रकरण बी.आई.एफ.आर एवं ए.आई.एफ.आर. के सम्मुख विचाराधीन था। ए.आई.एफ.आर. के निर्देशानुसार संस्थान को रिवाइव करने के लिए नवीन प्रोमोटर्स से सम्पर्क साधने पर अराफात पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में सामने आए, जिन्होंने संस्थान को पुनः चलाने एवं कामगारों की देनदारियों को वहन करने का स्वीकार किया। विभागीय स्तर पर यह प्रयास किया गया कि जे.के. सिंथेटिक्स कोटा की अव्यवस्थित इकाइयों जो कि लम्बे समय से बंद पड़ी हैं, वह न केवल पुनः चालू हो सकें और इस संस्थान में जो कामगार कार्य कर रहे थे, उनका बकाया वेतन बोनस, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान हो वरन नवीन नियोजकों के अधीन रोजगार भी मिल सके तथा प्रदेश में एक औद्योगिक माहौल बन सके। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधकों एवं यूनियनों में आम सहमति के उपरान्त एक त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 9.10.2002 को सम्पन्न कराया गया जिसमें जे.के. सिंथेटिक्स मजदूर यूनियन, जे.के. टायर मजदूर यूनियन एवं जे.के. स्टेपल एवं एक्रेलिक एम्प्लायज यूनियन सभी सीटू से संबंधित ने हस्ताक्षर किए।

माननीय सभापति महोदय, समझौता सीटू से संबंद्ध यूनियनों जो पिछले 20-25 वर्षों से बहुमत यूनियनें रही हैं तथा इनके साथ समझौते होते रहे हैं तथा संस्थान के सभी कामगार लाभ उठाते आ रहे हैं, के साथ समझौता वार्ता कर समझौता कराया गया है। दूसरा समझौता जे.के. स्टाफ एसोशिएशन,

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

कोटा के साथ दिनांक 22.10.2002 को सम्पन्न कराया गया। दोनों समझौते विधि सम्मत एवं कामगारों को लाभ दिलाए जाने हेतु विभागीय मध्यस्थता से कराए गए हैं। जहां तक श्रम संगठन के पंजीकरण के नष्ट होने का बिंदु है, यह संबद्ध समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि समझौता ग्रुप आफ वर्कर के साथ भी कराया जाता रहा है। ये दोनों समझौते सम्पन्न कराए जाने से पूर्व विभाग की जानकारी में यह आया है कि सीटू के यूनियन संस्थान में 90 प्रतिशत से अधिक बहुमत रखती हैं। अतः उक्त दोनों समझौते जस्टिफाइड एंड फेयर हैं। समझौते अधिकारी द्वारा अपने दायित्व के अधीन ही समझौता कराया गया है। जहां तक दिनांक 4.12.2004 को तथाकथित समझौते का प्रश्न है, यह समझौता श्रम संगठन एवं नियोजकों के मध्य आपसी वार्ता पर सहमति होने से प्रतीत होता है, जो विभाग की जानकारी में नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि त्रिपक्षीय समझौते 22.10.2002 के विरुद्ध स्टाफ एसोशिएशन तेजमल ग्रुप ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका संख्या इतने, इतने दायर कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है। माननीय सभापति महोदय, इसमें एक चीज आई थी कि वहां जिस ग्रुप का यह मामला है, वह ग्रुप चलाने की मन में कम है और वहां से कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों को गायब करने में लगा है। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में हम एक उच्च स्तरीय समिति बना कर इसमें जो सामान चोरी हो रहा है या जा रहा है उसको हम रोक देंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बताया कि वह सारा मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है और त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में जिसमें जे.के. सिंथेटिक्स लिमिटेड, अराफात पेट्रो केमिकल्स और मजदूर यूनियनों का उल्लेख किया है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस समझौते के अन्दर विटनेस के रूप में जे.के. सीटू के हस्ताक्षर हैं और जे.के. स्टाफ एसोशिएशन के हस्ताक्षर हैं, माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान सरकार का 14 जनवरी. 1993 का एक पत्र है और इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह दोनों एसोशिएशंस जिसमें जे.के. सिंथेटिक्स मजदूर यूनियन और जे.के. स्टाफ एसोशिएशन इन दोनों की मान्यता 14 जनवरी, 1993 को समाप्त कर दी। अब माननीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सभापति महोदय, जिन यूनियनों का रजिस्ट्रेशन और मान्यता 1993 में समाप्त कर दी गई हो और आज यूनियन एक्ट के तहत..

श्री सभापति : सवाल पूछिए, माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां, मैं यही पूछ रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। 1993 में यूनियन की मान्यता समाप्त कर दी गई हो, वह किस हैसियत से 2002 के समझौते में पार्टिसिपेट कर सकती है? और माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया गया है, मैं, माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आपको पढ़कर सुनाता हूं जो कोर्ट में विचाराधीन था और जिस पर निर्णय आ चुका है।

"We, therefore, set aside the judgment of the Division Bench and restore the judgment of the Single Bench of the High Court."

अब हाई कोर्ट की सिंगल बैंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उचित मानते हुए अपना फैसला सुना दिया। अब, माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट का जो सिंगल बैंच का फैसला है, वह भी मैं आपके सामने उललेख करना चाहता हूं। हाई कोर्ट में जब यह यूनियंस इस तालाबंदी के खिलाफ गई तब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि "The 1,201 persons who are directed to be restrained are held entitled for the wages in terms of the decision given by the apex court in the case of workmen of Shri Meenakshi Mills Ltd...."

मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, उस लाइट में इस संस्थान के 1201 कर्मचारी अपना पूरा-पूरा हक पाने का अधिकार रखते हैं। अब, माननीय सभापति महोदय, मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, मीनाक्षी मिल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है उनके पिछले पूरे वेतन के साथ, सेवा की निरन्तरता के साथ ड्यूटी पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है। जब तक उन्हें ड्यूटी पर नहीं लिया जाता तब तक वे पूरे वेतन को प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा जिन कर्मचारियों की मौत हो गई या रिटायरमेंट हो गया, उन्हें, उनके आश्रितों को मौत की तारीख तक का, रिटायरमेंट की तारीख तक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का पूरा भुगतान किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश जे.के. सिंथेटिक्स, कोटा के 1201 कर्मचारियों पर लागू होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, 1201 कर्मचारियों को आप रेगुलराइज कीजिए, पूरा वेतन दीजिए और हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, यह समझौता कापी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस समझौते में कहीं यह उल्लेख किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की लाइट में हाई कोर्ट के निर्णय की लाइट में उन 1201 कर्मचारियों के पूरा वेतनमान ग्रेच्युटी उसका जो उल्लेख निर्णय में किया उसके बारे में क्या डाइरेक्शंस हैं, आपने तय कर दिया, जो कर्मचारी की लाइबिलिटीज पांच सौ करोड़ रुपये की बनती है और जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है।

श्री सभापति : प्रश्न पूछिए।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सभापति : प्रश्न पूछिए।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस समझौते के अन्दर जो यूनियंस ने भागीदारी निभाई, जिन यूनियंस ने जिनकी मान्यता नहीं है, जिन्होंने भागीदारी निभाई, उन्होंने मजदूरों के हित में 260 करोड़ का क्लेम कर रखा है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में और आज वही यूनियंस बैठकर 43 करोड़ 69 लाख रुपये की लाइबिलिटीज का फैसला करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर कांस्टीट्यूशन ग्रेच्युटी एक्ट बना हुआ है और ग्रेच्युटी एक्ट इस बात की गारण्टी देता है कि जो ग्रेच्युटी कर्मचारी की प्रापर्टी है, उस पर किसी भी प्रकार से किसी समझौते के तहत डाका नहीं डाला जा सकता है। वह उसके बुढ़ापे का सहारा है व ग्रेच्युटी उसका वह हिस्सा है जो उसको बुढ़ापे में विषम परिस्थितियों में मदद देता है।

श्री सभापति : सवाल पूछिए प्लीज।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां, मैं पूछ रहा हूं। ग्रेच्युटी एक्ट का वाएलेशन करते हुए उसकी ग्रेच्युटी को छीना गया।

श्री सभापति : हां, इसलिए सवाल पूछिए।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां, यही पूछ रहा हूं। किस-किस प्रावधानों के तहत आपने ग्रेच्युटी छीन ली और किन-किन प्रावधानों के साथ 260 करोड़ रुपये की लाइबिलिटी ग्रेच्युटी की बनती थी उसमें से आपने तय कर दिया 43 करोड़ 69 लाख रुपये देंगे और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं जे.के. 1962 में चालू हुआ और यह बंद हो गया 1995 में।

श्री सभापति : सवाल पूछिए।

श्री प्रहलाद गुंजल : हां, सवाल ही पूछ रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि जो कारखाना 62 से चल रहा था, 95 में तालाबंदी हो गई और उस पर अभी कुछ दिनों पहले इस समझौते के तहत बोर्ड लग गया अराफात पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का बोर्ड लग गया, जे.के. नगर पर आराफत नगर। अब मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं कि अभी तक सरकार के पास इस समझौते के सन्दर्भ में किसी प्रकार का, श्रम विभाग के पास मेमोरेंडम आफ अंडरटेकिंग है क्या? यह मंत्रीजी बतायें। वह जे.के. ग्रुप, अराफात और लेबर यूनियंस के बीच में जो समझौता हुआ वह टेबल करें। क्या गारण्टी है कि जे.के. पर जिस कर्मचारी की लाइबिलिटी बनती है, आप कह रहे हैं कि अराफात पैट्रो केमिकल्स लिमिटेड देगा और वहां यह अखबारों में लगातार खबरें छप रही हैं और माननीय संसदीय सचिव जी ने भी पुलिस को जाकर के कहा कि इसमें संशय नजर आ रहा है। 40 करोड़ रुपये की मशीनरी उस इण्डस्ट्री से निकाल ली गई। सारे वायलेशन करके इस समझौते को किया गया, सारे श्रम कानूनों को ताक में रखा गया और सभापति महोदय, यह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि 2001 में...

श्री सभापति : सवाल पूछिये।

श्री प्रहलाद गुंजल : सवाल ही पूछ रहा हूं माननीय सभापति महोदय। यह सवाल ही है। 2001 में यह राजस्थान का श्रम विभाग यह लैटर जारी करता है कि यह 10- के का वायलेशन है 1998 के बाद और उसके खिलाफ प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही करता है 2001 में और फिर ऐसी कौनसी परिस्थितियां आ गई कि 2002 आते ही पहले उनके साथ टेबल पर बैठकर के राजस्थान का श्रम विभाग न्याय करता है। 2001 में श्रम विभाग 10-के की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तालाबंदी की वायलेशन समझता है और प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही के लिए आगे बढ़ता है, 2002 में इन सबको ताक में रखकर उसके साथ समझौता करने के लिए बैठ जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह 10-के में जो उसके खिलाफ कार्यवाही सब-ज्युडिश है और राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की तरफ से मैं जानना चाहता हूं कि कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए किन परिस्थितियों में आपने 10-के के आरोप में उसको अपराधी मानते हुए प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही की और कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि उसके तुरन्त बाद आप 2002 में समझौता करने बैठ गये।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, यहां के जो तत्कालीन लैबर कमिश्नर थे उन्होंने इस समझौते पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वायलेशन, हाई कोर्ट के निर्णय का वायलेशन, 10-के की गवर्नमेंट की कार्यवाही का वायलेशन, इन सब को आधार बनाकर के समझौते पर साइन करने से मना कर दिया तो तत्कालीन सरकार ने उसका ट्रांसफर करके दूसरा श्रम आयुक्त नियुक्त करके फैसला कराया। यानि मजदूरों के हितों की अनदेखी कर दो और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूं कि हम लोग इस सदन में बैठे हैं, क्या ये ट्रेड यूनियंस को...

श्री जुबेर खान : संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप तो कम से कम जो माननीय सदस्य बोल रहे हों उनके और आसन के बीच में मत आयें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सवाल पूछिये। भाषण नहीं माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट : यह प्रशिक्षण की जरूरत हम नये लोगों को है या पुराने लोगों को भी जरूरत है?

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य सही आदमी हैं गलत पार्टी में फंसे हुए हैं इसका तो फैसला करिये आप पहले।

श्री सभापति : पाइंटेड सवाल पूछें। मैटर सब-ज्युडिश है उसकी एक लिमिटेशन है। आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : प्रश्न पूछ रहा हूं। सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन ट्रेड यूनियंस का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रजिस्ट्रेशन 1993 में समाप्त कर दिया गया, क्या उन ट्रेड यूनियंस को समझौते में भागीदारी का अधिकार कानून देता है। नम्बर दो, जो मजदूरों की ग्रेच्युटी एक्ट के तहत उसकी रक्षा कानून सम्मत हम सब का दायित्व बनता है...

श्री सभापति : वह बोल चुके। मंत्रीजी जवाब दें।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं वही सवाल कर रहा हूं। सभापति महोदय, इस समझौते में यह उल्लेख है...

श्री सभापति : बोल दिया। वह पूछ लीजिये न। उनके पास सब समझौते की कापी है। आप पूछ लो। रेफरेंस उनके पास है, आप सवाल पूछें।

श्री प्रहलाद गुंजल : ए.आई.एफ.आर. के समझौते में यह उल्लेख है कि जब तक इसको ए.आई.एफ.आर. और बी.आई.एफ.आर. के द्वारा इस समझौते की एप्रूवल नहीं हो जाती तब तक यह समझौता लागू नहीं होगा। सभापति महोदय, आप बतायें, कि ए.आई.एफ.आर. की एप्रूवल और बी.आई.एफ.आर. की एपूवल, इसके सन्दर्भ में सरकार को मिल चुकी है क्या? और मिल चुकी है तो उसकी कापी टेबल कीजिये। कुल मिलाकर सारे नियमों का वायलेशन करके चाहे वह राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय हो, चाहे हाई कोर्ट का निर्णय हो, चाहे वह बीआईएफआर का निर्णय हो, चाहे ए.आई.एफ.आर. का मामला हो और चाहे वह स्वयं राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की 10-के की कार्यवाही की उसका मामला हो, सब का वायलेशन करके गलत तरीके से जो समझौता किया है, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस समझौते का तुरन्त प्रभाव से खारिज किया जाना चाहिए, निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की बंद पड़े हुए कारखानों को चलाने की मंशा है या नहीं है और अगर किसी भी कारण से कोई बंद पड़ी हुई मिल चालू हो रही है तो उसमें सरकार सहयोग करना चाहती है या नहीं?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी,. जवाब दीजिये।

डा. सी. पी. जोशी : रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य और मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं पहले मुख्य

(डा. सी. पी. जोशी)

मंत्री जी को यह तो बता दो। एक तो कहे यह होना चाहिए, दूसरा यह कहे कि यह होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें। आज प्राइवेट मैम्बर्स डे है। इसमें आप जवाब दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : सभापति महोदय, इसमें मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यही पार्टी झालावाड़ के कारखाने...

श्री सभापति : इस पर जनरल डिबेट नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : जनरल डिबेट नहीं है। सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि हमें इस बात का पता नहीं है कि कोर्ट का क्या निर्णय है, हमें इस बात का पता नहीं है कि कोर्ट का कौनसा सब-ज्युडिश है और कौनसा नहीं है, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा की जे.के. चलाने की मंशा सब की है और माननीय मुख्य मंत्रीजी की भी है। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल साफ था और उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : सभापति महोदय, मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं वह कोई निर्णय अदालत में विचाराधीन नहीं है। जो निर्णय हो चुका है उसके वायलेशन की बात कर रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा : पहली बात तो यह रही कि इतने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये, यह प्रस्ताव जो मिल से सम्बन्धित है वह तो लग गया, हमारा नहीं लगा इसलिए हमें अधिकार है, इस सदन को अधिकार है, हमें संदेह पैदा होता है उसमें हम नहीं जाना चाहते, हम तो इसमें जाना चाहते हैं कि वही ग्रुप झालावाड़ की मिल को भी चलाना चाहता है, सरकार उसमें क्या सहयोग करना चाहती है? मजदूरों का सवाल है, तनख्वाह का सवाल नहीं है। उद्योग चले, हमारी मंशा है। उद्योग चलाने के लिए जो पार्टी कार्यवाही...

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछें, भाषण नहीं। आप सीधा प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : ... मेरा प्रश्न साफ है। एक ही प्रश्न है कि जो पार्टी उस उद्योग को चलाना चाहती है कि वह उद्योग चले और झालावाड़ का

(श्री रामनारायण मीणा)

भी चले, कोटा का ही नहीं। उसको चलाने के लिए राज्य सरकार, श्रम विभाग और हम सब मिलकर के क्या सहयोग कर सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि मुख्य मंत्रीजी यहां पर हैं, हमें तो इसके बारे में जानकारी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप जो पाइंटेड सवाल हैं उनका जवाब दे दीजिये क्योंकि मैटर इज सब-ज्युडिश।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हमारे घोषणा पत्र में विभिन्न मजदूर संगठनों, औद्योगिक प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके बंद औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों की भागीदारी की नीति निर्धारित की जाएगी, इस घोषणा पत्र के अनुकूल हमने जे.के. सिंथेटिक के मामले में समझौता किया है, लेबर लाज़ का कोई वायलेशन नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि वो उद्योग चालू हो।

दूसरा माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि 1993 में जिनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया उनको आपने समझौते में कैसे बुला लिया। सभापति महोदय, आई.डी. एक्ट 1958 के रूल 58 (2) बी) के अनुसार ए ग्रुप आफ द वर्कर्स भी समझौते में भाग ले सकता है। दूसरे सवाल का यह जवाब है। तीसरा इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, जो सिंगल बैंच का फैसला था उसको अपहैल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है उनको लिया जाए। तथा उनको रेगुलराइज किया जाए, पूरा वेतन दिया जाए और समझौते को 1201 कर्मचारियों के बारे में लागू किया जाए। सभापति महोदय, इसमें कन्फ्यूजन है। यह तो कहते हैं कि 300 से 500 करोड़ है, इसमें 1201 करोड़ था वित्तीय संस्थाओं का, वह करीब 561 करोड़ रुपये देकर के कर लिया और इसमें यह बताता हूं 300 से 500 करोड़, इसमें हाई कोर्ट का फैसला है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जो दो रिट याचिकाएं क्रमशः 5153/01 व 5152/01 प्रस्तुत कीं जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 7.11.2001 को अंतरिम आदेश प्रदान कर आदेश दियां कि वह 260 करोड़ रुपये श्रमिकों की देनदारियों के रूप में रिजर्व में रखे। सभापति महोदय, इस पर फिर बाद में दूसरी और कम्पनी मैसर्स अराफात ग्रुप से उद्योग के पुनर्संचालन के संबंध में अक्टूबर, 2001 में आपसी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए व समय-समय पर आपसी विचार-विमर्श हुआ। इसके पश्चात् उसी हाई कोर्ट ने, राजस्थान उच्च

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

न्यायालय द्वारा भी सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात, दिनांक 29.5.2002 को आदेश प्रदान कर अपने अंतरिम आदेश दिनांक 7.11.2001 को परिवर्तित करते हुए कम्पनी को यह आदेश दिया कि वो श्रमिकों की सभी वैधानिक देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करे। इसके बाद में हमारे यहां पर यह एग्रीमेंट हुआ, समझौता समिति बनी और समझौता कराया।

सभापति महोदय, दूसरा इन्होंने कहा है कि आप यह सीधे बी.आई.एफ.आर. में कैसे चले गये, ऐसा कोई 10 में लगने के बाद भी जा सकते हैं। और दूसरा इनका कहना यह है कि 207 की तुलना में आप 33 करोड़ रुपये ही क्यों दे रहे हैं? इसमें माननीय सभापति महोदय, 1996-97 में यह बन्द हो गया था और 1996-97 से 2004 के बीच का भी ये पैसा मांग रहे हैं तो जो "नो वर्क नो वेज" का जो नेचुरल सिद्धान्त है, उसके तहत यह दिया जाना न्यायोचित नहीं है इसलिए इसके पहले का जितना भी बनता है, उसका हमारे श्रम विभाग ने समझौता करा दिया है। उतना हम देने को तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि ग्रेच्युटी एक्ट का वायोलेशन हुआ है। हम इसको दिखा देंगे कि क्या वायोलेशन हुआ है क्योंकि इसमें कोर्टस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की काफी बीमारियां उलझी हुई हैं इसलिए कानूनी रूप से इसको एक बार दिखाना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि 40 करोड़ रुपये की मशीनरी निकालकर ले गये। यह हमारी जानकारी में आज इन्होंने डाला है और जब चलाना चाहते हैं तो प्लांट चलना चाहिए लेकिन मैं यह कह सकता हूं माननीय सदस्य को कि अराफात अगर कोई खुराफात करेगा मजदूरों के हित पर तो उसको हम नहीं चलने देंगे, हमारी सरकार नहीं चलने देगी। मजदूरों का हित प्रायोरिटी पर है और उसकी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए हमने कोई इस ढंग से वायलेशन किया हो और यह प्लांट को नहीं चलाना चाहते हों और जैसा मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इस ढंग से अगर कोई महत्वपूर्ण सामान वहां से जा रहा है तो उसके लिए सरकार चिंतित है और सरकार उसको रोकेगी और उसको जाने नहीं देगी, इस बात का भरोसा सदन को दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं, अब क्या रह गया है।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्दर इतना नहीं होता है।

श्री सभापति : हो गया, बता दिया आपने। आपने कह दिया, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री प्रहलाद गुंजल : आपने कह दिया बहुत गम्भीर मामला है। हजारों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। 153 लोग मर चुके हैं। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कोटा शहर ने रहम करके उनके बच्चों को फीस जमा कराने के लिए चंदा इकट्ठा कराया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट। मंत्रीजी ने स्पष्ट रूप से कह दिया the matter is pending in the court और उसके बावजूद भी आपने कहा कि इसमें कई लीगल मामले फंसे हुए हैं, लीगली हम इसको चैक करवा लेंगे और यह भी कह दिया कि मजूदरों के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा और आपने जो मशीनरी की बात उठाई, वे उसको दिखवा लेंगे। अब बच क्या गया?

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं केवल तीन छोटी-छोटी बातें पूछना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने नो वर्क नो वेज...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो गया, हो गया।

श्री सभापति : पहले भी आपने 3-4 सवाल पूछ लिये हैं, अब क्या बचा है?

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं दो-तीन सवाल पूछ रहा हूं छोटे-छोटे। अब मैं अंतिम सवाल पूछ रहा हूं सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज गैर सरकारी संकल्प भी आने वाले हैं। आप जरा दर्शक दीर्घा की ओर नजर डालो, कैसे-कैसे संत पुरुष वहां देखने आये हैं।

श्री सभापति : इतना लम्बा डिस्कशन नहीं होता है माननीय सदस्य कालिंग अटेंशन पर, आपने बहुत पूछ लिया है, I have given lot of time.

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं केवल अंतिम सवाल पूछ रहा हूं सभापति महोदय। हम यहां पर श्रमिक कानूनों के आधार पर उनके हितों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। अगर हम अनदेखी कर देंगे तो कल पूंजीपतियों के साथ बैठकर जो समझौता होगा, वह कानून का रूप ले लेंगे। फिर हम यहां बैठे हुए हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो पूंजीपतियों के साथ समझौता आपस में बैठकर हो जायेगा, वह कानून बन जायेगा, वह श्रमिक दब जायेंगे।

श्री सभापति : यह बोल दिया, मंत्रीजी ने बोल दिया प्लीज। नो नो, नो स्पीच।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, जवाब नहीं देंगे।

श्री सभापति : नहीं नहीं, आपने पूछ लिया ना, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया उसका।

श्री प्रहलाद गुंजल : वह आपकी इच्छा है सभापति महोदय। मैं जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की चर्चा कर रहा हूं, उसका उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रिट संख्या है, उसका निर्णय नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप यहां आकर के कह देना, सरकार कर देगी।

श्री सभापति : कह दिया ना कि जितने भी लीगल मैटर्स हैं, वह दिखवा लेंगे। कह दिया, जवाब दे दिया। प्लीज। Now the matter is over, विधायी कार्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे आज निर्देश दिये हैं, दो-तीन छोटे-छोटे मामले थे जिनकी चिंता थी, माननीय अध्यक्ष महोदय से बहुत लोग मिले थे और वैसे ये पर्ची के माध्यम से लग नहीं सकते थे इसलिए मैं उनके निर्देशों के अनुसार सूचना दे रहा हूं।

एक तो सैकण्ड श्रेणी अध्यापकों ने कोई सर्वोच्च न्यायालय में कोई एक रिट याचिका दायर की थी, वह आज खारिज हो गई है और कल ही हमने 1904 द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं और वह सात दिन में जारी कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक तो मुझे यह कहा है। जारी कर दिये हैं, कल आदेश जारी हो गये और उनमें से यह भी कह दिया कि जो राजस्थान के लोग हैं और उनकी बाहर की डिग्री है, उनसे ऐफिडेविट लेकर उनको भी नियुक्ति दे देंगे। इस प्रकार से द्वितीय श्रेणी के 1904 अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त कर दिये गये हैं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय ने विधवाओं और परित्यक्ताओं के 350 केस थे, जिन्होंने एस.टी.सी. और बी.एड. नहीं किया था और उनका समय समाप्त हो रहा था। माननीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इनके बारे में कार्यवाही करें। सरकार ने निश्चय कर लिया है, आर.पी.एस.सी. को भी लिख दिया है और उनको एक साल की छूट देकर के और उनको भी एस.टी.सी. और बी.एड. करा देंगे ताकि उनकी नौकरी नहीं जायेगी।

दूसरा, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से भी एक ज्ञापन मिला था। वह जो बाबू हैं, लैब असिस्टेंट हैं, उन लोगों को एस.टी.सी. और बी.एड. की छूट नहीं थी। इस कारण से प्रमोशन होकर वह अध्यापक नहीं बन सकते थे तो राज्य सरकार ने तय किया है कि लिपिक, पुस्तकालय कार्मिक एसटीसी. बी.एड., इनमें यह जो कार्मिक हैं, ये भी अब एस.टी.सी. और बी.एड. के लिए सर्विस के अन्तर्गत ही इनको बैठने की सुविधा देंगे ताकि ये भी अध्यापक बनकर, प्रमोशन होकर अध्यापक के पद पर चले जायें। यह भी सरकार ने निश्चय कर लिया है।

एक, कम्प्यूटर के बारे में बहुत कुछ आया था, मुख्य मंत्रीजी जोर्डन जा रही हैं तो कम्प्यूटर की नीति उसके बाद में जारी करेंगे।

एक सूचना और देनी थी मुझे जो महत्वपूर्ण सूचना थी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा घपला, आज राजस्थान पत्रिका में छपा है, कोर्ट में इन्टरवेनर बनकर कुछ लोगों ने फर्जी आदेश प्राप्त कर लिये और हमारी बहुत सी जगहों के अधिकारी उनमें शामिल हो गये और बहुत से लोगों को कइयों के सचिवालय के आदेश हैं, सचिवालय से आदेश आये हैं, ऐसा करके फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई और इस प्रकार के 54 मामले तो मेरे सामने आ गये हैं। उन 54 को तो मैं आज ही हटा रहा हूं और इसकी उच्चस्तरीय जांच हो रही है और मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रह कर रहा हूं कि यह मामला बहुत बड़ा है। बहुत सी जिला परिषदों में बहुत जगह किया गया है और न्यायालय के आदेश से और फर्जी आदेश और सारी कार्यवाही करके नियुक्ति दी गई है। इसमें डाइरेक्ट्रेट का एक गैंग था बीकानेर का, वह भी शामिल था और एक बहुत बड़ा घपला किया गया है। इसलिए मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि ए.सी.डी. में इस मामले को भेजें। विभाग तो अपनी कार्यवाही कर ही रहा है ताकि...(व्यवधान) हां, पूरे राजस्थान में जिला परिषदों से सारा रिकार्ड जब्त करने के आदेश दे रहे हैं और इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही हो रही है, वह कार्यवाही सरकार गम्भीरता से करेगी और जो फर्जी नियुक्तियां

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हुई हैं, उनको निरस्त की जा रही हैं। यह सूचना मुझे देनी थी, वह मैंने आपको सूचना दे दी। धन्यवाद।

श्री सभापति : नाऊ विधायी कार्य।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इसमें यह बहुत बड़ा ही गम्भीर मामला है, अभी-अभी मेरे ध्यान में भी लाया गया है और मैं समझती हूं इसको तुरन्त ही ए.सी.डी. में हम लोग ले लेंगे और इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करके, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ तत्काल ही कार्यवाही करवा देंगे।

विधायी कार्य

वापस लिया गया विधेयक

श्री सभापति : नाऊ विधायी कार्य। वापस लिया जाने वाला विधेयक। श्री राजेन्द्र राठौड़ प्रभारी मंत्री राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्या-1) को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को वापस भी लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्या-1) वापस लेता हूं।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्री सभापति : पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005। श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापति करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करती हूं।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री सभापति : राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 । श्री राजेन्द्र राठौड़ प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन, (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये। मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन, (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (प्रभारी मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री सभापति : राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005. श्रीमती वसुंधरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती वसुंधरा राजे, प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं। प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती वसुंधरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री।

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नामादि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती वसुंधरा राजे, प्रधान मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रधान मंत्री नहीं, प्रभारी मंत्री।

श्री विष्णु मोदी : बहुत-बहुत मुबारक आपको। मुख्य मंत्रीजी को प्रधानमंत्री मुबारक हो।

श्री सभापति : प्रभारी बोला है, प्रधान नहीं बोला है। बिराजें। अच्छा है बन जाये तो हमारी सब की शुभकामना साथ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, हम भी यही चाहते हैं कि यह काम जल्दी हो जाय। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बहुमत से होगा न। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट। श्रीमती वसुंधरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2005 को पारित किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री।

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री राजेन्द्र राठौड़ प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (प्रभारी मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारर्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड–2 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (प्रभारी मंत्री) : कोई संशोधन नहीं।

श्री सभापति : खण्ड 2 से 10 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नामादि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड – 1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री राजेन्द्र राठौड़ (प्रभारी मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों

(श्री सभापति)

तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय धोद से आने वाले सदस्य हैं, उनकी स्थिति यह है कि मन भावे और मूंड हिलावे

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मैं तो इसका सख्त विरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराज जाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पारित होने के बाद। अभी भी खड़े नहीं हैं।

श्री सभापति : नॉट अलाउड पास हो चुका है। गैर सरकारी कार्य।

डा. चन्द्रशेखर बैद संकल्प प्रस्तुत करेंगे। डा. चन्द्रशेखर बैद। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुंधरा राजे (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, बहुत दिनों के बाद यह गैर सरकारी कार्य का एक स्पेशल डे आप लोगों ने तय किया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं समझती हूं कि इसमें कई ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यू रेज भी होंगे, प्राइवेट मेम्बर्स का दिन हम लोगों के लिए नये-नये सुझाव लायेगा और मैं समझती हूं कि अच्छे इसके ऊपर डिस्कशन भी होंगे और मैं बधाई देना चाहती हूं कि यह आप लोगों ने तय किया है, इससे हम लोगों को सब को लाभ होगा। थैंक यू।

श्री सभापति : डा. चन्द्रशेखर बैद, संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

अशासकीय संकल्प

राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

"यह सदन यह सिफारिश करता है कि प्रखर चिंतक एवं राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा अहिंसक चेतना के विकास के उद्देश्यों को लेकर विगत चार वर्षों से जारी अहिंसा यात्रा के अगले चरण में जयपुर प्रवेश के अवसर पर शांति एवं सदभावना के संदर्भ में सरकार इस यात्रा का प्रचार-प्रसार करें।"

सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

"यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करें।"

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

"यह सदन संकल्प करता है कि राज्य में जल की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार जल संरक्षण के लिए आवश्यक कानून बनावें।"

(गैर सरकारी संकल्पों पर प्रस्तुत संशोधनों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें.

श्री सभापति : माननीय सदस्य : मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि

(श्री सभापति)

यह तीनों प्रस्ताव एक साथ आ गये, जो माननीय सदस्यों के नाम आये हैं या जिन्होंने संशोधन दिये हैं, वह सभी सदस्यों को भी यहां से नाम पुकारा जायेगा आसन से वो इन तीनों संकल्पों पर एक साथ अपने विचार प्रकट करें अलग अलग नहीं। जो एक पर बोलना चाहें, दो पर बोलना चाहें, तीन पर बोलना चाहें तो एक साथ ही अपने विचार प्रस्तुत कर दें ताकि चूंकि हमारे पास समय चार बजे तक का है उसमें ये संकल्प पूरे हो जाएं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो इसी अनुसार बोलने का श्रम करें। डा. सी.एस. बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष, ...सभापति महोदय।

श्री सभापति : सभापति।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, आई.एम. सॉरी आपने उनको प्रधानमंत्री बोल दिया मैं तो एकदम चौंक गया था प्रधानमंत्री बोल दिया अब आपका नाम मंत्रिमंडल में आने में ज्यादा देर नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प को लाने का मुख्य ध्येय यह था कि इस संकल्प के माध्यम से अहिंसा यात्रा जो महाप्रज्ञ जी ने शुरू की है उसका प्रचार-प्रसार उनके जयपुर आगमन पर किया जाए। यह अहिंसा का प्रचार-प्रसार सिर्फ एक धर्म या एक जाति या एक समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है और इसमें किसी एक संत की विचारधारा शामिल नहीं है। क्योंकि पहली बार जब ये विचार उनके दिमाग में आया तो उसके पीछे सोच यह थी कि 5 दिसम्बर, 2001 को माननीय सभापति महोदय, जब इस अभियान की शुरूआत सुजानगढ़ चूरू जिले से की गयी तो उनके मन में मंशा यह थी इस विचार के माध्यम से जो भी समाज सुधार के चिन्तक हैं, जो भी बड़े-बड़े धर्माचार्य हैं, सारे एक मंच पर आकर इस बारे में विचार करें और समाज में जो कुरीतियां डवलप हो रही हैं उन कुरीतियों के निराकरण के लिए उस पर विचार-विमर्श करके सामूहिक रूप से एक अभियान चलाये। शुरू-शुरू में इस अभियान की जो मंशा थी वो यह थी कि तीन साल के अन्दर इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदय के आग्रह पर इस अभियान को तीन साल से बढ़ा कर पांच साल कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके आगमन पर जो कि 18 अप्रैल को जयपुर में हो चुका है 28 मई

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तक वे यहां विराजमान होंगे और उनके माध्यम से अगर यह अहिंसा का प्रचार प्रसार आज पिछले पचास साल से अगर नजर डालकर देखें सरकार कोई भी आयी हो शासन किसी का भी रहा हो अन्याय, अत्याचार, पापाचार, अनाचार पूरे प्रदेश में और देश में निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का संदेश अगर जनता में दिया जाए जिससे कि जनता की प्रकृति चेंज हो उनकी नीयत में फर्क आये तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के अन्याय और अत्याचार से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, जब अपनी सरकार की तरफ से लाखों-करोड़ों रुपये इस चीज में खर्च करते हैं कि किस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुचारू रूप से चलाया जा सके तो उसी संदर्भ में अगर इस तरह के विचारों को जिसमें सारे धर्मों के लोगों का समावेश हो प्रचार-प्रसार करें तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका जो मुख्य ध्येय है, उसकी दो लाइनें मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, "सम्पूर्ण मानव जाति के उत्थान में संलिप्त मनीषी का चिन्तन राज्य के शासन के प्रमुख स्तम्ब विधायिका के माध्यम से यदि जन-जन तक पहुंच सके तो निश्चित रूप से लगातार बढ़ते अहिंसक वातावरण को रोकने, दिन-प्रतिदिन हो रही सामाजिक विषमताओं को नियंत्रित करने व सामाजिक सौहार्द स्थापति करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है।"

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विचाराधारा है इसको जो शुरू करने का श्रेय जाता है राष्ट्र कवि रामधारीजी ने जो महाप्रज्ञ के बारे में दो लाइनें लिखी हैं रामधारी दिनकर सहित अनेक बुद्धिजीवियों ने महाप्रज्ञ को भारत का दूसरा विवेकानन्द बताया है। दिनकर ने कहा है कि महाप्रज्ञ आधुनिक चिन्तक विवेकानन्द हैं हमने विवेकानन्द को देखा नहीं है मात्र उनके बारे में सुना और पढ़ा है। लेकिन अब उनके दृष्टिकोण के माध्यम से विवेकानन्द को देख सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, इससे समाज में उत्पन्न हो रही कुरीतियों को दूर करने में सहायता मिलेगी क्योंकि इसका ध्येय सिर्फ एक कुरीतियों को दूर करने का नहीं है इसका ध्येय दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, पर्दा प्रथा, बाल विवाह अंधविश्वास और विधवाओं की हो रही दुर्दशा को दूर करने में भी यह सहायक सिद्ध होगा।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इन दो शब्दों के साथ कि आचार्य महाप्रज्ञ के बारे में मैं चार लाइनें बोल कर अपना यह समाप्त करूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इतना जल्दी? आप और बोलें, अच्छा बोल रहे हैं, आपको ज्ञान है। यह इतनी सी देर में क्या बोल कर...।

डा. चन्द्रशेखर बैद : नहीं आप विराजें।

श्री सभापति : हां-हां बोलिये आप अपनी बात कहिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म जून, 1920 के अन्दर टमकोर झुंझुनूं में हुआ और 11 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण की। आज 73 साल से वो इस तरह के अभियान में लगे हुए हैं और पिछले तीन सालों से जो अहिंसा की यात्रा उन्होंने शुरू की है, हम चाहते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय के आग्रह पर यह यात्रा दिल्ली भी जाएगी और वहां भी वो विराजमान रहेंगे उसके बाद कुछ महीने अपनी यात्रा को कंटीन्यू करके पांच साल पूरे करेंगे जिससे कि इस यात्रा का प्रचार-प्रसार पूरे देश में किया जा सके। एक लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि उनके द्वारा व दूसरे समुदाय के साधु-संतों द्वारा इस चीज का प्रचार-प्रसार किया जा सके। पिछले चार साल से यह यात्रा चल रही है और नैतिक मूल्यों के विकास और अहिंसक चेतना का विकास करने के लिए इस तरह की यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह का संकल्प पारित करके अपने सारे विधायक यह संदेश दें कि यह अंहिसा का वातावरण पूरे प्रदेश में फैले और अनाचार और पापाचार में कमी आये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : (व्यवधान)... मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

श्री सभापति : आप बाद में बोल लीजिये अभी जिनके नाम हैं वो। नहीं वो सब एक साथ ही ले रहे हैं। बाद में। श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदय, अभी माननीय बैद साहब ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ के बारे में और राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा अहिंसक चेतना के विकास के उद्देश्यों को लेकर विगत चार वर्षों से जारी

(श्री रामनारायण मीणा)

अहिंसा की यात्रा के बारे में बताया। सभापति महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है और हमारी संस्कृति का जो अंग है, यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं इसका समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं इसके बारे में हम जितना कुछ कर सकें सहयोग दे सकें दें। मैं मेरे प्रस्ताव के बारे में भी आपसे अनुरोध करूंगा...

श्री सभापति : क्या माननीय सदस्य, क्या कर रहे हैं एक साथ यह? टेक यूअर सीट्स।

श्री रामनारायण मीणा : जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है...।

श्री हरिमोहन शर्मा : उनकी अहिंसा से कोई लेना-देना ही नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : यह एक समस्या है और गम्भीर समस्या विश्वव्यापी समस्या है माननीय सभापति महोदय, प्रदूषण की और जिस कदर से बढ़ रहा है, आप कोटा में जाएं दूर से देखने में भी जिस तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है और जिस प्रकार से हालात खराब होते जा रहे हैं, सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सरकार के ऊपर, हमारे बूंदी में एक इण्डस्ट्री है उसके बारे में हमने पूछा जानकारी चाही कि प्रदूषित पानी जो निकल रहा है इसको इस तरह से रोका जाए इसका उपाय किया जाए। हमारे पर्यावरण विभाग से जवाब आया माननीय सभापति महोदय, कि यह मजदूरों का पानी आता है, जब सरकार प्रदूषण घटाने के बजाय इस तरह का जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको सहयोग करेगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। माननीय सभापति महोदय, आज कालीसिंध में चले जाएं पास का उद्योग जो है यूरिया का, कूबड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप सी.एफ.सी.एल. के पास के इलाके में चले जाएं, दीगोद क्षेत्र में बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। पीने का पानी प्रदूषित है और जो इतनी खराब स्थिति है सरकार किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे ऐसी स्थिति में जंगल कट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, वन विभाग की यह हालत है माननीय वन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं जितना पेड़ रोपने की बात की जाती है उन पेड़ों की अगर सालभर में गिनती की जाये 2 परसेंट पौधे भी आपको नहीं मिलेंगे। जब यह हालात हो, सरकारी पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो और उसका नतीजा नहीं निकले। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे मामलों में सदन में गंभीर चिंतन होना चाहिये, सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं अधिक नहीं कहते हुए

(श्री रामनारायण मीणा)

चूंकि आज हर कदम पर प्रदूषण बढ़ रहा है, उदयपुर में आप चले जाइए जो कृषि की दवाई का निर्माण करते हैं, उद्योग, वहां आप जाइए, हालात खराब है। पूरा इलाका प्रदूषित है। अलवर में मत्स्य उद्योग में चले जाइए किसी तरह का कोई उपाय नहीं है। इन हालात में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरह से रोके। जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सी.एन.जी. की बसें चलाई हैं हमें भी राजस्थान में वह प्रयोग करना चाहिये और इस तरह का यदि हम प्रयोग करेंगे तो कोटा, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जिस तरह का प्रदूषित वातावरण होता जा रहा है, उसमें कमी आयेगी। चूंकि माननीय गृह मंत्रीजी सरकार के बड़े आप ही हैं, मैं नहीं कहता कि पुलिस में प्रदूषण चल रहा है, लेकिन काफी कैसेज में प्रदूषण की भावना है। मैंने आपको बताया था बांक्या का नया गांव में जिसमें तहसीलदार क्या फंस गया लोग बचा रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से यह भी प्रदूषण है। हम बोलते हैं वह भी हवा में विचरित करता है। हम आपकी इण्टीग्रिटी डाउटफुल नहीं मानते। कार्य का तरीका प्रदूषित नहीं हो, दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचे, सबका समान भाव हो ऐसे काम आप करेंगे। वन मंत्रीजी तो यहां विराजमान हैं, वन मंत्रीजी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। विदेशी बंबूल काटो तो चालान और जंगली पेड़ काटो तो छूट्टी। मेरे वहां एक जगह थी ट्रोली पकड़ ली। 10 हजार रुपये ले लिये, आगे जाकर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कहां जा रहे हो कि साहब हमने जंगलात वालों को पैसा दे दिया। पुलिस वाले थोड़े ईमानदार थे चूंकि वह आपसे कुछ सीख रहे होंगे। 10 हजार की रसीद की जगह एक हजार रुपये की रसीद काट दी। डी.एफ.ओ. तक उसमें शामिल हो। इसलिए वन मंत्रीजी थोड़ा आगे पीछे भी देखो, प्रदूषित वातावरण ठीक करो और विभागों में ठीक होगा तो निश्चित तौर पर आम जनता में सही मैसेज जायेगा।

सभापति महोदय, मैं चूंकि यह चिंता मेरी ही नहीं है, हम सबकी चिंता है इसलिए यह बिलकुल गलत हो रहा है वन मंत्रीजी। हालात बहुत खराब हैं। सारा जंगल काट दिया खनन वालों ने और जो जंगल काट रहा है सेठ उसी के यहां जाकर आपके अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। प्रदूषण को रोको, पेड़ लगाओ। 50 तो पेड़ लगाते हैं और 50 हजार काटे जाते हैं। इसलिए कम से कम आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि ऐसे सेठों के यहां जो जंगल के

(श्री रामनारायण मीणा)

लाखों पेड़ काट रहे हैं, सारा अम्बाबाड़ी का जंगल खतम कर दिया, चम्बल के पास जितने पेड़ हैं वह सारे काट दिये और आप चाहें तो आप तो पुराने आदमी हैं जो सेठ काट रहे हैं उसके यहां मीटिंग हो रही है। आप चाहे तो मैं आपको एक-एक जगह बता सकता हूं, सैकड़ों बीघा नहीं हजारों बीघा में पेड़ काटे गये हैं। लगाने में 100 पेड़ लगाते हैं, आप यह कहो खनन पतियों से पेड़ लगा दिये, यह बहुत गलत तरीका हो रहा है।

इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो मैंने प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार किया जाये और सरकार उसके बारे में उचित ध्यान दे। ताकि राजस्थान में प्रदूषण की जो समस्या आ रही है, उसकी रोकथाम हो सके और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माननीय उद्योग मंत्रीजी, वन मंत्रीजी, खनिज मंत्रीजी और पर्यावरण मंत्रीजी की है। जो मैंने आपको बताया दीगोद क्षेत्र में जिस तरह से लूले-लंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाये, कैसे ठीक किया जाये इसकी समूचित व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर करे, कानून बनाये, कुछ भी करे और बड़े लोगों के प्रभाव में नहीं आये यही मेरा अनुरोध है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सदन की सम्पत्ति बनाने के लिये निवेदन करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान राज्य में व्याप्त जल की अत्यधिक कमी के परिप्रेक्ष्य में जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में सामरिक विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पृथ्वी के पांच घटक उसमें क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर इनमें सबसे ज्यादा जल का स्थान प्राणियों के अस्तित्व और विकास के लिये उत्कृष्ट रहा है। हमारा ऋग्वेद कहता है

"तो आयो देवरी मामवंत"

अर्थात जल ही हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार से महाभारत में व्यासजी नदियों को लोक माताओं के रूप में याद करते हैं। यज्ञों से स्वर्ग मिलता है किन्तु मंदिरों, तालाबों और नदियों के निर्माण से संसार से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार के विचार हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने कहे हैं। मानव चेतना के हजारों वर्षों से जल तत्व की प्रतिष्ठा रही है, किन्तु विज्ञान चेतना से सम्पन्न

(श्री रामकिशोर मीणा)

आधनिुक मनुष्य ने जल के दोहन तथा प्रदूषित जल का जो मानव कृत संकट उतपन्न किया है वह किसी भी तरह से सामूहिक आत्मघात से कम नहीं है और इसी कारण से आज भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या का बढ़ता हुआ दवाब है, उसके परिप्रेक्ष्य में इसकी बहुत महती आवश्यकता महसूस की जा रही है।

सभापति महोदय, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 97.2 परसेंट जल हमें समुद्रों से मिलता है तथा मात्र 0.6 परसेंट भूमिगत से धरातल पर केवल 5 परसेंट मृदु जल ही हमको उपलब्ध है। भारत में 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है तथा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 610 घन मीटर उपयोग करता है जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। जनसंख्या के दबाव की वजह से राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में यह उपयोग 300 घन मीटर से भी कम है, जिससे जल के अभाव में प्रदूषण के कारण विकास और स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हमारा जो उपलब्ध जल है उसका 70 परसेंट भाग अपेय है, वह पीने लायक नहीं है। दूषित जल से करीब 700 करोड़ रुपये अनुमानित तौर पर नुकसान होता है। राजस्थान में जितना भी भूजल है, भूजल का जो भण्डार है, वह आवक से डेढ़ सौ परसेंट अधिक किया जा रहा है और इसके कारण अल्पवृष्टि के कारण सभी 32 जिलों में भूजल का स्तर प्रतिवर्ष 5 से 7 फीट की दर से नीचे गिरता जा रहा है। राजस्थान भारत के 13 परसेंट भूभाग वाला प्रदेश होकर भी केवल एक परसेंट जल ही राजस्थान में उपलब्ध है। वर्तमान में 237 हमारे विकास खण्ड हैं। उनमें से 109 खण्ड डार्क जोन हो चुके हैं। जल की उपलब्धता, इसका संरक्षण व स्वच्छता तीनों ही दृष्टि से हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इसी कारण से आज वैज्ञानिक तथा इससे संबंधित जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वह इस प्रयास में है कि इस जल संकट से किस प्रकार से उभरा जाए।

हमारे यहां पर पहले जो पद्धति थी वह बहुत समसामयिक थी। हड़प्पा कालीन जो मनुष्य, कच्छकारण में पत्थर का बांध बनाकर हजारों वर्ष पूर्व जामनगर से जूनागढ़ तक खानाबदोश मालधारी बीड़ा पद्धति द्वारा तथा दुनिया के न्यूनतम दृष्टिस्थल जैसलमेर में सरकुण्ड आदि बनाकर पानी का जल संरक्षण किया जाता था।

मरुप्रदेश में हजारों वर्ष से चल रही जल संरक्षण की पद्धति थी वह

(श्री रामकिशोर मीणा)

बहुत ही कम खर्चीली थी, उपयोगी थी। टिकाऊ संरचना के कारण बहुत ही उपयोगी थी। आधुनिक हमारी जितनी भी तकनीक है उसमें राजस्थान के नहर के जल तक को इतना छिद्रयुक्त बना दिया है जिससे उसके कारण से एक तरफ तो पानी का अपव्यय हो रहा है और दूसरी और सेम समस्या का शर्मनाक उदाहरण हमारे सामने पेश हो रहा है।

आधुनिक भारतीय प्रशासन के मूल तल में भी वह छिद्र हैं जो उसे निरन्तर पानी रहित बनाता जा रहा है, इसके कारण से आज हमें बहुत ज्यादा पानी सरंक्षण की आवश्यकता है। हमको यदि पर्याप्त जल उपलब्ध होगा तो मनुष्य के अस्तित्व और सुविधापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक तरह से हमारे मूल अधिकारों के रूप में यह प्रश्न जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराये और इसके लिए आधारभूत ढांचा भी तैयार करें। जिसके कारण से भी हम हमारे इस प्रदेश में जिस प्रकार की आवश्यकता है, उसको हम पूरा कर सकें।

राजस्थान में जैसा कि 1984 में जो इसका सर्वे हुआ था, उसमें और आज में सभापति महोदय बहुत ज्यादा अन्तर है। जल का स्तर 1984 में जहां 203 पंचायत समिति क्षेत्र सैफ थे पानी की दृष्टि से 12 क्षेत्र अतिदोहित एक्सप्लोएटेड थे, वही 2001 में प्रकाशित प्रतिवेदन है उसके अनुसार यह परिवर्तित होकर 39 पंचायत समिति ही सुरक्षित क्षेत्र रहे हैं बाकी 86 पंचायत समिति क्षेत्र एक्स्प्लोएटेड हो गए और उसमें पुनर्भरण की तुलना में भूजल के वास्तविक दोहन के प्रतिशत को देखें तो 1984 में वार्षिक दोहन 35.73 प्रतिशत था जो 2001 में बढ़कर 104.26 प्रतिशत हो गया। इसके कारण वर्तमान में ऐसा मानना है कि यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो निकट भविष्य में राज्य में अतिदोहित पंचायत समिति क्षेत्र 146 तक पहुंच सकती है। इसके पुनर्भरण की तुलना में दोहन का प्रतिशत है वह 122 तक बढ़ने की सम्भावना बन रही है।

सभापति महोदय, जनसंख्या की वृद्धि, कृषि क्षेत्र में विस्तार, अत्यधिक कृषि क्षेत्र में स्थाई सुविधाएं प्रदान किया जाना और पेयजल योजनाओं का विस्तार, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण राज्य में जल उपभोगता बढ़ी है। उसका उपयोग दिन-दिन बढ़ता जा रहा है।

भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण, कुओं तथा नलकूपों की गहराई में वृद्धि के कारण से इसके दोहन की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है।

(श्री रामकिशोर मीणा)

सभापति महोदय, राज्य में विद्युतीकरण पहले बहुत कम था। प्राकृतिक तौर पर कुओं से हम पानी लिया करते थे उसके कारण से जो काम था, जिसको जितनी आवश्यकता थी उतना ही कुओं से पानी निकालकर अपने उपयोग में लेता था। लेकिन ज्यों-ज्यों हमारा विद्युतीकरण बढ़ा है, उसके कारण से उस पर उसकी निर्भरता बढ़ गई। उसके कारण से, बिजली की खपत बढ़ने की वजह से भी पानी का, जो भू-गर्भ का जल है, वह लगातार उपयोग में लाया जा रहा है, यह भी एक कारण है कि हमारा दोहन है वह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।

हमारा अधिकांश भाग रेगिस्तानी है और इसके कारण से क्योंकि यह समसामयिक है, दूसरे प्रदेशों में भी जैसे महाराष्ट्र है, उसमें भी अभी पिछले सप्ताह इस प्रकार का कानून बनाया गया है कि जो अत्यधिक दोहन करेगा उसके कारण से आगे कृषि में लाभ देने वाली चीजें हैं उनको कम कर दी जाएगी। इसी कारण से भारत सरकार तथा राज्य सरकार यह महसूस कर रही है कि किस प्रकार से हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी हम पूर्ति करें, इसके लिए आवश्यक है कि छोटे-छोटे एनीकट बनाए, ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण के लिए सरंचनाएं करें। उसके लिए इसको कानून का अमलीजामा जब तक हम नहीं पहनाएंगे तब तक इस महत्वपूर्ण, जो सामयिक विषय है, इसके ऊपर हमने गम्भीरता सें विचार नहीं किया तो इसके आगे की जो भयावह स्थिति है उसके कारण से हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।

सभापति महोदय, इसके लिए ज्यों-ज्यों भी उपाय अन्य जो संगठन हैं उनके द्वारा बताये गए हैं उनको भी शामिल करते हुए इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस विषय पर आवश्यक रूप से कानून बनाया जाए ताकि राजस्थान का भविष्य इसके कारण से, जल के कारण से हम पहले से ही संकट में थे, और संकट नहीं पड़े इसकी आवश्यकता के लिए कानून बनाया जाना आवश्यक है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बारम्बार धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन शर्मा।

डा. सी. पी. जोशी : डा. बैद का आप पर असर है कि नहीं यह पता पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : हरिमोहन जी, आप बोलना चाहते हैं? बोलिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली) : माननीय सभापति महोदय.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखे संगत का असर कितना आया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अभी तो बगल में सराधनाजी बैठे हैं उनकी संगत का असर होगा।

डा. सी. पी. जोशी : जैन साहब के चैम्बर में जाकर मिठाई खाते हैं (व्यवधान) आज इसका भी टेस्ट होगा कि जैन साहब कितना एनड्यूर करते हैं बात को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अहिंसा यात्रा और जो प्रवचन होगा उस पर आप आमंत्रित हैं।

डा. सी. पी. जोशी : सभी विधायकों के पैसे बढ़वा दिये कम से कम आप सबको बुलाकर, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दीजिए और पार्टी-वार्टी कीजिए। आप यहां पर सरकारी मुख्य सचेतक हैं। आपका पैसा भी बढ़ गया, कुछ तो खर्च करिए आज। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो बिना बढ़े ही खर्च करता हूं। करूंगा।

डा. सी. पी. जोशी : आज विशेष बुलाकर, सबको बुलाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सब आमंत्रित हैं।

डा. सी. पी. जोशी : हम तो आएंगे, सबको आमंत्रित कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज तो राजेन्द्रजी से आप पार्टी ले रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : राजेन्द्रजी की पार्टी दिन की नहीं है। राजेन्द्रजी की पार्टी में जाये या नहीं जाए शाम को फैसला होता है। आपकी पार्टी दिन की पार्टी है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो अहिंसा के विपरीत हो गया मामला।

श्री सभापति : यह प्राइवेट बातें यहां पर डिसकस मत कीजिए। श्री हरिमोहनजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आज काफी वर्षों बाद

प्रथम बार निजी रूप में संकल्प प्रस्तुत करने का जो निर्णय लिया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि देर से हुई लेकिन शुरूआत तो हुई। इसके साथ ही मैं दूसरी बात, मेरा विनम्र अनुरोध है कि लगता ऐसा है कि जो संकल्प प्रस्तुत किये गए हैं जितनी रुचि मौखिक रूप से आदमी बाहर प्रदर्शित करता है उतनी न सरकार की है, और न उसमें भाग लेने वालों की है। (व्यवधान) अगर इस प्रकार की अरुचि बनी रही तो आगे जाकर फिर किसी न किसी दिन यही होगा।

श्री सभापति : विषय पर बोलिये, प्लीज विषय पर बोलिये, यह तो ठीक है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको तो सम्मान 4 बजे मिलेगा ना, हम उससे पहले फ्री कर देंगे।

श्री सभापति : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, यही है, और क्या है।

श्री सभापति : बोलने वाले सदस्य बहुत हैं और अपने पास केवल डेढ़ घण्टा बाकी है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं 10-10, 5-5 मिनट भी नहीं मिलेंगे सबको।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मैं 7 मिनट, 5-7 मिनट में पूरा कर लूंगा, कोई लम्बा नहीं है।

श्री सभापति : 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे, जिस हिसाब से लिस्ट आयी है मेरे पास, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं और कुछ नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जितना समय आप देंगे, उसी में पूरा कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आचार्य तुलसी अणुव्रत प्रचारक राजस्थान के ही नहीं पूरे देश और विदेश के प्रमुख संतों में उनकी गिनती हुई है और आपको याद होगा सभापति महोदय, कि हमारे सम्मानीय उप राष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत ने भी उस अणुव्रत के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अचार्य तुलसी के अणुव्रत सिद्धान्त को स्थान-स्थान पर पूरे हिन्दुस्तान में पहुंचाने में एक महत्ती भूमिका आचार्य तुलसी के साथ निभाई थी। आचार्य महाप्रज्ञ आचार्य तुलसी के शिष्य हैं और इन्होंने आचार्य तुलसी के द्वारा जो अणुव्रत का प्रचार-प्रसार किया गया, उन सिद्धान्तों के आधार पर ही,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उन्हीं बातों को आगे प्रचारित-प्रसारित करने के लिये इन्होंने अहिंसा यात्रा का आरम्भ किया है। उस अणुव्रत के सिद्धान्त के साथ-साथ अहिंसा और साम्प्रदायिक सदभाव इस देश में बना रहे और आदमी का नैतिक आचरण जो आज के इस युग में, जो युग आर्थिक दृष्टिकोण से सम्पन्न होने के इरादे से अनेक अनैतिक आचरण अपने आप में पैदा कर रहा है तो यह सन्त पूरे ही देश को एक दिशा देना चाहते हैं तो हम हमारे आचरणों को, हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारे जीवन जीने के तरीकों को, हमारी इस कार्यशैली को, हमारे व्यवहार को और हमारी सब बातों में इस प्रकार का नैतिक आचरण आदमी के ठीक हों कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार दुराचार का पूरे देश में जो वातावरण बन रहा है, उस दुराचार का वातावरण बनने में कमी आये। आदमी में हिंसक भावना हो रही है, वह हिंसा की भावना उसकी कम हो। आपस में जो मारपीट करके एक ऐसा उन्माद पैदा करने की भावनाएं पैदा हो रही हैं, उन भावनाओं पर नियंत्रण हो। इस प्रकार की भावना को लेकर ये करीब 3 साल से इस यात्रा को चला रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने इनको आमंत्रित किया है दिल्ली में, ये दिल्ली तक इस अंहिसा यात्रा को ले जाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि यह कोई साधारण बात नहीं है। हम भले ही इस बात को उतनी गम्भीरता से नहीं लें जितना हम राजनीतिक कार्यों में, जितनी हम आलोचना-प्रत्यालोचना में एक दूसरे की छिछालेदार करने में जितनी रुचि दिखाते हैं। यह अंहिसा का जो जुलूस चल रहा है, जो पूरे देश में चल रहा है अगर हम सभी विधायक, सभी जन प्रतिनिधि, सरकार, सब मिलकर के अगर उस अभियान में सहयोग करें तो एक महत्वपूर्ण कदम और एक महत्वपूर्ण बात होगी पूरे देश के लिये, पूरे राष्ट्र के लिये। आज स्थान-स्थान पर जिस प्रकार से तनाव पैदा हो रहे हैं, आपस में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो रहे हैं, किसी भी कारण से, चाहे नशा प्रवृत्ति के कारण हो, चाहे शराब के कारण हो, चाहे अन्य कारणों से हो, चाहे व्यक्गित स्वार्थ के कारण से हो, अनेक जो भी कारण हैं, जो हिंसात्मक वातावरण बन रहा है उस हिंसात्मक वातवरण को गम्भीरता से कम करने का, वह समाप्त तो नहीं होगा लेकिन उस पर अंकुश लगेगा इस प्रकार के बनने वाले वातावरण पर। इसके लिये यह जो अभियान चलाया है, मैं हमारी सरकार से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि अनेक ऐसे स्थान हैं जहां हम अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं, अनावश्यक पैसा बर्बाद करते हैं, जिसका न तो समाज को लाभ मिलता है न देश को लाभ

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मिलता है, न प्रान्त को लाभ मिलता है। तो आचार्य श्री का यह अभियान है, इस अभियान को सरकार के द्वारा प्रचारित-प्रसारित कियां जाना चाहिए कि इस दिशा में इस प्रान्त में वातावरण बनेगा, तो जितनी भी लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन मैं है उस पर असर पड़ेगा, आदमी के आचरण पर भी असर पड़ेगा। इसलिये मैं विनम्र शब्दों में सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अन्य जगह अनावश्यक रूप से हम खर्च करते हैं, कम से कम मेहरबानी करके आचार्य तुलसी के शिष्य जो इस अणुव्रत आन्दोलन को आगे ले जा रहे हैं, उनके प्रचार-प्रसार में भी यह सरकार सक्रिय योगदान दे और सक्रिय भूमिका निभायें। जहां-जहां भी आपको और हमको सहयोग करने की आवश्यकता हो, वह सहयोग करें।

सभापति महोदय, एक प्रस्ताव और था, रामकिशोरजी मीणा का, उसमें भी मैंने संशोधन दिया है। 2 मिनट में उस पर भी बोलना चाहूंगा।

यह जो जल में अत्यधिक कमी को देखते हैं, जल की अत्यधिक कमी को देखते हुए जल संरक्षण के लिये एक कानून बनायें, सभापति महोदय जिस प्रकार से हम जिस समय में पैदा हुए थे उस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के हमारे नागरिकों ने हमको प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध कराये थे। जगह-जगह पर आराम से पानी मिलता था, जगह-जगह वाटर-लेबल हाई था। जगह-जगह पानी की इतनी उपलब्धता थी कि हम आराम से पानी का उपयोग करते थे। लेकिन धीरे-धीरे इन 30-40 सालों में अनेक कारणों से, चाहे वह हमारे खुद के व्यक्तिगत कारण हों, चाहे अत्यधिक दोहन हो, चाहे वर्षा का कम होना हो, चाहे पानी का सदुपयोग न करना हो, चाहे नदी नालों का न भरना हो, यह सब बातें जो हैं, मेरा तो एक ही अनुरोध है कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको गालियां नहीं दे, आपकी सन्तान आगे आने वाली जो है, वह यह नहीं कहे कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे संरक्षक कैसे थे जो हमको पीने के पानी के लिये भी तरसा गये और इनको नहीं बचा पाये। तो मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस मामले में भी आवश्यक कदम उठायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल शर्मा, अनुपस्थित।

श्री सी. पी. जोशी, सारी, श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा : मेरे से नारागजगी है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज तो मुस्करा दो संयमजी, मुस्करा कर बात आज तो कर दो, 6 महीने बाद मिलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प और उनके द्वारा व्यक्त भावनाओं में खुद को शामिल करते हुए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जो अहिंसक चेतना यात्रा विगत 3-4 वर्ष से जारी किये हुए हैं, उसको एक वाजिब सन्दर्भ के रूप में देखना और विचार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, आज हमने इतने हथियार दुनिया में इकट्ठे कर दिये हैं कि पूरी पृथ्वी खण्ड-खण्ड होकर बिखर सकती है और मानवता के आकाश पर हिंसा का ऐसा कोहरा छाया हुआ है कि जो अंधेरे से कहीं ज्यादा भयावह और गहरा है। और इन परिस्थितियों में अहिंसा का यह विचार समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा दे सकता है। इस विचार का उदग भगवान महावीर की उन देशनाओं से हुआ जो विगत समय में हमारे समाज में हिंसा, कुरीतियां, कूपमण्डूक्ता बहुत गहरे स्तर पर व्याप्त हैं और उस समय में पैदल-पैदल चलकर देश और समाज को आलोकि करने का काम भगवान महावीर ने किया और एक जाति विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य लेकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी मानव समुदाय को अपनी देशना से लाभान्वित किया। उन्होंने जिन लोगों को जैन धर्म में दीक्षित किया उस वक्त उसमें हर जाति और मजहब के लोग थे। उस जमाने में अनुसूचित जाति, जिसे आज हम कहते हैं, दलित समुदाय, पिछड़ी जाति का समुदाय, उस समुदाय के लोगों को इस धर्म में दीक्षित किया और एक जाति विहीन समाज की परिकल्पना समाज के सामने पेश की। इन विगत ढाई तीन हजार वर्षों में उनके दिये हुए विचार, और उनकी देशना आज भी अनेक स्तर पर समाज का पथ अलोकित किए हुए हैं। हमारा स्वाधीनता संग्राम जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के आधार पर लड़ा गया, पूज्य महात्मा गांधी ने उसी अहिंसा के सिद्धान्त को आधार बनाकर हमारे करोड़ों देशवासियों को एक ऐसी हुकूमत से मुक्त किया जो हर स्तर पर देश की प्रजा का शोषण करने में लगी थी। लेकिन उसके बाद में किस रूप में परिस्थितियां बदलीं जैसा अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया। समाज का किस रूप में नैतिक पतन हुआ, क्या हमारे में चारित्रिक गिरावट आयी और जिन मूल्यों के आधार पर देश का निर्माण करना था, जिसमें आगे बढ़ाना था और महात्मा गांधी के उन आदर्शों को लेकर भी हम किस रूप में चल सकें,

(श्री संयम लोढ़ा)

अहिंसा के उस महान विचार का भी हम कितना प्रचार-प्रसार और उसकी स्थापना कर सकें। रामधारी सिंह दिनकर ने पूज्य बापू के संदर्भ में चार पंक्तियां लिखी हैं।

तुम तो प्राण दे चुके बापू

स्वयं उन्हें साधारण जान

कृपया कभी न करना अब फिर अपने दिये हुए का दान।

उन्हें रखना आगे, अब उन पर अधिकार उन्हीं का

उनमें हैं जिनके भाग्य और भगवान है जिनके..

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हिंसा को आज के संदर्भ में हम देखें तो तीन तरह की हिंसा हमको बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। आतंकवादी हिंसा, साम्प्रदायिक हिंसा और जातीय हिंसा और इन तीनों तरह की हिंसा से समाज को किस रूप से मुक्त किया जा सके, यह इस अहिंसक चेतना यात्रा का एक प्रयास है।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरह से आतंकवादी हिंसा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और हर तरफ उस हिंसा की वजह से एक भय का वातावरण है और देश और दुनिया के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो इस आतंकवादी हिंसा के साये में, उस भयभीत रूप से जीने को अभिशप्त हैं, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन लोगों ने उन हथियारों का और उन अस्त्रों का निर्माण किया होगा उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस रूप में मानव जाति और मानव समुदाय के लिए वह आतंकवादी हिंसा एक भयावह समस्या बनकर खड़ी हो जाएगी।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, साम्प्रदायिक हिंसा, जिसकी आड़ में न केवल हमारा प्रदेश बल्कि पूरा देश झुलस रहा है, समाज में समय-समय पर यह साम्प्रदायिक तत्व सिर उठाते रहते हैं और समाज में इस तरह के भ्रम और इस तरह की भ्रांतियां फैलाकर अपना अभीप्सित सिद्ध करने के लिए समय-समय पर समाज को साम्प्रदायिक हिंसा की आग में झोंक देते हैं। ऐसे वक्त में आचार्य श्री महाप्रज्ञ के अहिंसा के विचार और उनकी अहिंसा की देशना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि भगवान महावीर ने

(श्री संयम लोढ़ा)

जाति विहीन समाज की कल्पना की थी और उसी रूप में आगे बढ़ाने की इसमें कोशिश की थी और जिस जातिवादी हिंसा का मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं, हिंसा का मतलब कोई तलवार की हिंसा नहीं है, माननीय सभापति महोदय, मन, वचन और कर्म, किसी भी रूप से व्यक्ति को अगर ठेस पहुंचे तो वह हिंसा का ही एक रूप है। चाहे मन से हो, चाहे विचार से हो, चाहे कर्म से हो और हमारे भारतीय समाज में हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर पिछले पांच हजार साल से चल रहे हैं, जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को अपने उन अधिकारों से वंचित किया है। हमारे दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय के भाई, जो सिर्फ इस आधार पर शोषण का शिकार है कि उन्होंने फलां जाति में या फलां परिवार में जन्म लिया है। परमात्मा ने तो सिर्फ दो जाति की रचना की है, माननीय सभापति महोदय, एक स्त्री और दूसरी पुरुष और यह जातियां जिनका हम उल्लेख करते हैं, यह इस समाज की बनायी हुई जातियां हैं और उन जातियों के आधार पर हजारों-हजारों साल से जो लोगों का शोषण हो रहा है, उस शोषण से समाज को मुक्त करना, उन जातियों को मुक्त करना भी इस अहिंसक चेतना यात्रा का एक लक्ष्य है। भगवान महावीर की देशना का एक लक्ष्य है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मेरे ही सिरोही जिले में मण्डवारिया में एक दलित समुदाय के नौजवान ने खुद को जैन धर्म में दीक्षित किया और आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं, उसके क्या कारण हैं? उसका सिर्फ एक कारण है, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म क्यों छोड़ता है, इसलिए छोड़ता है कि जिस जाति, धर्म में उसने जन्म लिया है, उसमें उसको वह समान अधिकार प्राप्त नहीं होते। समानता का हक प्राप्त नहीं होता है। उसका शोषण किया जाता है। सिर्फ जन्म के आधार पर उसको अपमानित किया जाता है तब वह विवश होता है, इस तरह के कदम उठाने के लिए, उसके बाद।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा बहुत से हमारे दलित समुदाय के भाइयों ने ईसाई धर्म में खुद को दीक्षित किया लेकिन धर्मान्तरण इसका कोई लक्ष्य नहीं है या धर्मान्तरण इसका कोई इलाज नहीं कि धर्मान्तरण के माध्यम से शोषण खतम हो जाता हो, वह भी बात नहीं है। वहां जाने के बाद भी वह एक वर्ग अलग वर्ग बनकर रह गया। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन आधार पर

(श्री संयम लोढ़ा)

यह अहिंसक चेतना यात्रा शुरू की गयी है और पग-पग चलने वाले सूरज के रूप में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र को अपनी चेतना यात्रा के माध्यम से आलोकित किया है और समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम अहिंसा के पथ पर आयें, अहिंसा को अपने जीवन में अपनाये और उसके माध्यम से निश्चित रूप से क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि जितनी भी कठिनाइयां, संघर्ष, समस्याएं रही हैं इस अहिंसा के विचार के माध्यम से उसका समाधान हुआ है और इसी विचार को हम अपने जीवन में अपनाकर समाज को लाभान्वित करें जिससे जिस तरह की भी हिंसा समाज में चल रही है, उस हिंसा को खतम किया जा सके। प्रेम की स्थापना की जा सके, शांति की स्थापना की जा सके, सदभावना की स्थापना की जा सके, धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. सी.पी. जोशी :

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई) : भविष्य में भी आप ऐसे ही बोलें, बहुत अच्छा बोले हैं। संयमजी बहुत बढ़िया बोले हैं आज।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज इसलिए बढ़िया बोले हैं कि राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने डिस्टर्ब नहीं किया। आप एक बार खड़ा करके देख लेते और फिर बाद में तेजी नहीं आती तो, इसलिए मैं बोलूं तब भी आप इनको बैठाये रखना। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : जिस भाषा में आप बोलें, उसी प्रकार आप बोलें।

श्री सभापति : आप विराजिये। आप विराजिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़) : लेकिन स्वयं भी जीवन में इनका पालन करें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, मैं बोलता हूं तो आप ऐसे करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जाओ। आप प्लीज, सिट डाउन।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं तो संयमजी का संयमता का उल्लेख कर रहा हूं कि वह संयमजी इसी भाषा पर चले और इसी मन, कर्म, वचन द्वारा चलते रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये।

श्री बंशीलाल खटीक : किसी के दिल को दर्द नहीं पहुंचाये, यह कहना चाह रहा हूं।

श्री सभापति : हर बार हर बात पर बोलना जरूरी थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आप भी सुधार करना चाहते हैं क्या अपने आप में?

श्री सभापति : डा. सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प हमने प्रस्तुत किया और जिसमें तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, हिण्डौली से आने-वाले माननीय सदस्य और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे, मैं भी अपने आपको उन विचारों से सम्मिलित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि हमने लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से, कानून के राज के माध्यम से जनता की सेवा करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है और आजादी के बाद हमारे सब के मन में यह कल्पना थी कि देश आजाद होने के बाद जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, वह सरकार प्रदेश का विकास करेगी, देश का विकास करेगी और शांति और सदभावना का वातावरण बनाएगी। सभापति महोदय, हम यह जानते हैं कि यह शांति और सदभावना बनाने के लिए एक तरीका है नियम और कानून बनाने का। नियम और कानून बनाकर सरकार यह कोशिश करती है कि समाज में शांति बनी रहे और सदभावना बनी रहे पर चालीस-पचास साल का अनुभव इस बात का ही है कि शांति और सदभावना जितने नियम और कानून हमने बनायें है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर लें, चाहे अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लें, शांति और सदभावना कायम उसमें नहीं हुई। आज कानून और व्यवस्था की स्थिति अलग-अलग प्रदेश में किस तरह की है, हम सब उससे विज्ञ हैं। पंजाब में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, यह हम सबने देखा है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जहां अपने मतदान के आधार पर सत्ता में आती है, उसके बाद भी शांति और सदभावना का वातावरण नहीं बनता इसका मतलब कानून बनाकर हम शांति-सदभावना की अपेक्षा करते हैं तो वह अपेक्षा

(डा. सी. पी. जोशी)

पूरी होने की सम्भावनाएं उतनी नहीं होती जितनी आदमी स्वयं अपने आपको उन मूल्यों के प्रति समर्पित करें जिन मूल्यों के आधार पर हम शांति-सदभावना की कल्पना कर रहें हैं। आपने और हम सबने देखा सभापति महोदय, आज इस शताब्दी का सबसे बड़ा महान पुरुष महात्मा गांधी को कहा गया। महात्मा गांधी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों कहा गया है? यह आप कह दीजिए कि द्वितीय महायुद्ध, प्रथम महायुद्ध, उस शताब्दी में दुनिया में जितने परिवर्तन हुए, उस परिवर्ततन में अहिंसा की बात करने वाले एक व्यक्ति थे, वह महात्मा गांधी थे। दुनिया में जिसमें अंग्रेजों का राज जो कहते हैं कि सूरज डूबता है तब भी वह नहीं जाता है, उस अंग्रेर्लों के राज को चुनौती देने का काम महात्मा गांधी ने किया और महात्मा गांधी ने किया अहिंसा के भरोसे। यदि वे एक रिवोल्यूशन की बात करते, क्रांति की बात करते तो शायद हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जागरुक नहीं कर सकते और हम आजादी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे लेकिन अहिंसा उस समय जिस रूप में महात्मा गांधी ने दुनिया के सामने प्रतिपादित की, दुनिया के लोगों ने उसको नहीं माना लेकिन आज देखिये, दुनिया में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी, माननीय सभापति महोदय, चाहे इराक का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे साउथ कोरिया का मामला हो, चाहे नोर्थ कोरिया का मामला हो, चाहे इजरायल का मामला हो, चाहे फिलीस्तीन का मामला हो, आज दुनिया इस नतीजे पर पहुंच गयी है कि हम यदि दुनिया में शांति और सदभावना बनाना चाहते हैं तो यह जो हमने कोल्ड वार की परीक्षा की जिससे रशिया डिसइण्टेग्रेट हो गया। यह इस बात का द्योतक है कि इस दुनिया में आने वाले समय में यदि शांति और सदभावना का वातावरण बनाना है सभापति महोदय, तो निश्चित तौर पर उन शाश्वत मूल्यों के संबंध में चर्चा की जानी चाहिये। और जो व्यक्ति इन शाश्वत मूल्यों को लोगों में प्रतिपादित करने का काम कर रहा है, वह यदि हमारे प्रदेश का हो तो निश्चित तौर पर इस सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। महाप्रज्ञ का जन्म राजस्थान में हुआ। आचार्य तुलसी राजस्थान में हैं। आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ के संबंध में जितने विद्वानों ने जो कमेंट्स किये हैं, हम छोटे आदमी हैं, हमें नहीं कहना चाहिये, परन्तु मुझे भी अवसर मिला है महाप्रज्ञजी को सुनने का। मुझे भी अवसर मिला है महाप्रज्ञजी को, जब सोनियाजी गुजरात में गयी थीं तब राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी के साथ मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला। जब सारे गुजरात में इस तरह

(डा. सी. पी. जोशी)

की हिंसा हो रही थी तब महाप्रज्ञजी ने अहमदाबाद में एक वातावरण बनाने की कोशिश की। यह बिरले आदमी होते हैं। समाज को बदलने का जो काम करता है वह सिराफिरा आदमी होता है। सिराफिरा आदमी आगे बढ़कर काम करता है, समाज उसके पीछे चलता है। आज राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। माननीय सभापति महोदय, यदि राजस्थान में इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में दुनिया के लोग यह कहते हैं कि संत हैं, राष्ट्रीय संत हैं जिनके विचारों के आधार पर दुनिया में परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं। सरकार नियम और कानून बनाकर काम करेगी लेकिन समाज में व्यापक रूप से परिवर्तन करने के लिये समाज में ऐसे नैतिक मूल्यों के संबंध में चर्चा करने का काम जो संत कर रहे हैं, उनको प्रेरणा देने में सरकार भागीदारी नहीं निभाये तो मैं समझता हूं कि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पायेंगे। सरकार हजारों रुपये भी खर्च कर रही है। कानून व्यवस्था पर खर्च करे और एक व्यक्ति अपनी खुद की प्रजेन्स से, उसके नैतिक मूल्यों के आधार पर समाज में परिवर्तन करने का काम करे। उसमें सरकार यदि भागीदारी नहीं निभाये सभापति महोदय, तो मैं समझता हूं कि लोक कल्याणकारी सरकार की जो बातें करना चाहते हैं, वह लोक कल्याणकारी कार्यों को वह कैसे पूरा कर पायेंगे? हमने यह मांग की सभापति महोदय, आप पढ़िये हमने क्या मांग की? सभापति महोदय, हमने यह मांग की कि सदन यह सिफारिश करता है कि प्रखर चिन्तक एवं राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा अहिंसक चेतना के विकास के उद्देश्यों को लेकर विगत-चार वर्षों से जारी अहिंसक यात्रा का अगले चरण में जयपुर में प्रवेश के अवसर पर शांति एवं सदभावना के संदर्भ में सरकार इस यात्रा का प्रचार-प्रसार करे। सरकार प्रचार-प्रसार करे। इसलिए हमारी मांग है सरकार से, कि सरकार को निश्चित तौर पर इस संबंध में एक क्रंकीट पालिसी बनाकर इन महान संत के साथ अपने आपको जोड़ने का काम करना चाहिये जिससे सरकार भी जन सहभागिता में यह बात कह सके कि नैतिक मूल्यों को जनता के अन्दर बढ़ाने के लिये इस सरकार की भी भूमिका है। यह कठिन काम है। सभापति महोदय, यह नियम और कानून का काम नहीं है। हमने पुलिस बना रखी है। ज्युडिशरी बना रखी है। वकील खड़े रखे हैं। कन्वेंशन के सिस्टम बना रखे हैं। यह इस यात्रा में कन्वेंशन का कान्सेप्ट नहीं है। इस यात्रा में गिल्ट के संबंध में कोई प्रतिपादित करने वाला आदमी खड़ा नहीं होगा। यहां पर तो सरकार की नैतिकता, अब सरकार की नैतिकता बड़ा

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रश्न है। सभापति महोदय, अपने आपको हम समर्पित करें, उन मूल्यों के संबंध में सरकार अपने आपको खुद समर्पित करती है कि नहीं करती है। सरकार को हम कह दें कि इसमें जुड जाये और सरकार के काम करने के तरीके इस तरह के हों जिससे लोगों के बीच में एक मैसेज नहीं जाये तब तक सरकार को नहीं जुड़ना चाहिये। सरकार को खाली संत, महात्मा, इनकी करनी चाहिये तो सभापति महोदय, जिस पार्टी का शासन है आज राजस्थान में, उस पार्टी का धर्म बनता है, हम पुराने मूल्यों की बात करते हैं। भगवान राम की बात करते हैं। अयोध्या की बात करते हैं। इन शक्तियों की बात करते हैं जिनको हमने देखा नहीं। उन मूल्यों को प्रतिपादित करके लोगों को आन्दोलित करके हम देश में एक व्यवस्था को करना चाहते हैं। आज आचार्य महाप्रज्ञजी जिन्दा हैं। उन मूल्यों के संबंध में हम अपने आपको नहीं जोड़ें, सभापति महोदय, तो मैं समझता हूं कि हम कैसी विचारधारा के साथ जुड़ेंगे? मैं समझता हूं कि आज राजस्थान को लीड लेनी चाहिये। कटारियाजी बैठे हुए हैं, आज लीड लेनी चाहिये। यदि राजस्थान सरकार दुनिया में यह प्रतिपादित करे कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में सरकार है, वह सरकार महाप्रज्ञ के संबंध में, महाप्रज्ञ के जो विचार हैं, उन विचारों से अपने आपको जोड़ती है। उनका कहीं न कहीं परिलक्षण उनके नियम का कानून में होना चाहिये। उनके आचरण में होना चाहिये जिससे लोग कह सकें कि यह सरकार है जिस सरकार ने आचार्य महाप्रज्ञ के आदर्शों के संबंध में कुछ रूप में अपने आपको समर्पित करने का काम किया है। मैंने कहा सभापति महोदय, कठिन काम है, क्योंकि हम प्रिचिंग करते हैं, उपदेश देना हमारा काम है। हमने आज दिन तक लोगों को स्वर्ग नहीं बताया ओर स्वर्ग के नाम पर दुनिया में व्यवस्था कर रहे हैं। एल.आई.सी. वाले इंश्योरेंस कर रहे हैं। हमने भगवान राम को देखा नहीं। अन्याय की बात करके हिन्दुस्तान में परिवर्ततन करना चाहते हैं कि राम राज्य बनायेंगे। पर यह तो मूर्त रूप में जो कुछ भी हम यहां काम करना चाहते हैं, लाडनूं में हुआ है। आचार्य तुलसीजी हैं, आचार्य महाप्रज्ञजी हैं तो निश्चित तौर पर इन मूल्यों के संबंध में चर्चा की जानी चाहिये और इन मूल्यों को कहीं भी स्थान मिले सरकार की नीतियों में, तो निश्चित तौर पर सरकार की इन नीतियों के संबंध में, इन मूल्यों के संबंध में जोड़ा जाना चाहिये।

सभापति महोदय, आज योग की बात होती है। प्रोजेक्टिव टैक्निक जिसे कहते हैं प्रेक्षाध्यान। मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है। सभापति महोदय, क्या होती

(डा. सी. पी. जोशी)

है, आदमी के मन की भावना को प्रोजेक्टिव टैक्निक के माध्यम से हम एनरजाइज कर सकते हैं। आचार्य तुलसीजी के बाद महाप्रज्ञ ने एक बहुत बड़ा काम यह किया है प्रेक्षाध्यान का। यह प्रेक्षाध्यान ऐसा किया है जिसको आज, जिसे लोग योग को मानते हैं। आज बाबा रामदेवजी आयेंगे। पातांजलि योग की बात कर रहे हैं हम। यह नये ढंग से प्रेक्षाध्यान, आदमी के खुद के अपने जीवन में वैल्यूज को इंटरनेट करने के लिये, खुद की आत्मशक्ति बढ़ाने के लिये उसकी जो मन की कमजोरी है, उनको ठीक ढंग से करने के लिये, वह कहां अपने आपको स्थित मानता है। यह प्रेक्षाध्यान एक तरीका है जिसके आधार पर आदमी खुद अपने आपको एनरजाइज कर सकता है, मोटीवेट कर सकता है। मैं चाहता हूं कि सभापति महोदय, इसकी विशेष फ्लोर पर चर्चा की जानी चाहिये और यह प्रेक्षाध्यान ठीक है तो जहां राजस्थान सरकार योग के संबंध में शिक्षा को जब स्थान दे रही है, ठीक उसी प्रकार हमें इस संबंध में भी चर्चा करनी चाहिये। बाबा रामदेवजी बाहर से आये हैं। हम उनसे प्रभावित हों और राजस्थान का जो आदमी है, जिसने अपने आपको समर्पित किया है। इतने लम्बे समय की साधना की। साधना करने के बाद कोई नतीजे पर पहुंचे, उस संबंध में राजस्थान सरकार चर्चा नहीं करें। तब भी हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। हम, बाहर से आदमी आवे, उसकी तो हम सब रिकगनाइज करना चाहते हैं और हमारे खुद का, राजस्थान का जो सपूत पैदा हुआ है, उसकी क्षमता को हम रिकगनाइज नहीं करना चाहते। सभापति महोदय, यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, पर मैं उन भावनाओं के साथ अपने आपको समर्पित करना चाहता हूं। मुझे भी अवसर मिला है महाप्रज्ञजी से मिलने का। मुझे भी उनके साहित्य पढ़ने का अवसर मिला है और राजस्थान पत्रिका में बराबर उनके आर्टिकल आते हैं और निश्चित तौर पर हमें यह कहते हुए गर्व है कि राजस्थान में एक ऐसे सपूत पैदा हुए हैं, उनकी उपयोगिता यदि हम राजस्थान में ले सकें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से महात्मा गांधी को इस शताब्दी का एक युग पुरुष कहा जाता है, नये सिरे से जब हिन्दुस्तान में और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, इन चीजों को भी हम स्थान देंगे तो हम गौरवान्वित होकर कह सकेंगे कि राजस्थान में ऐसे संत पैदा हुए। जिनका लाभ उठाकर दुनिया में भी परिवर्तन हुआ। इसलिए राजस्थान सरकार को इसके प्रचार-प्रसार में कुछ काम करना चाहिये।

श्री सभापति : थैंक्यू। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। माननीय सदस्य, चूंकि तीन ही प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति माननीय अध्यक्ष महोदय ने दी है जिसमें डा. चन्द्रशेखर बैद ने दिया है, श्री रामनारायणजी मीणा ने दिया है और रामकिशोरजी मीणा ने दिया है। आपका अलग विषय पर है तो इन तीनों में से आप किसी पर बोलना चाहते हैं तो आप बोलें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : मेरा संशोधन भी है साहब इसी में। जो संकल्प दिया है तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने दिया है, इस पर मेरा संशोधन भी है और मेरा अलग से भी है।

श्री सभापति : हां, बोलिये। उस पर बोलिये। मैं यही कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था यह है कि आज संकल्प है। पहले तीन संकल्प पर आज चर्चा की जाये। जो पहले तीन संकल्प हैं, उन्हीं की चर्चा करवा ली जाये। हां, आपका इसमें संशोधन है तो बोलें। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : माननीय मंत्री महोदय, मैं संशोधन पर अपनी बात कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आज सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी संकल्प, जिसको कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया। मैं उस पर जो मेरे विचार हैं, जो संशोधन है, उसके साथ मैं अपने विचार इस सदन में प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह हम सबके लिये गौरव का विषय है कि हमारे शहर में राष्ट्रीय सदभावना पुरस्कार प्राप्त अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञजी पधार चुके हैं और उनका आगामी दिनों तक इसी शहर में प्रवास रहेगा। उनके द्वारा शुरू की गयी अहिंसा यात्रा, जो गत अनेक वर्षों से जारी है, जिस सोच के साथ यह यात्रा शुरू की गयी है, उस सोच के प्रति हम सबको अपना ध्यान इस ओर देना चाहिये। आज की परिस्थितियों में हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र और इससे बढ़कर हमारा विश्व जिस हिंसा के वातावरण से, जिस हिंसा के दौर से गुजर रहा है, उसमें सुधार लाने के लिये, आम जन के जीवन के अंदर शांति हो, इस उद्देश्य के साथ आचार्य महाप्रज्ञजी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी के शिष्य आचार्य महाप्रज्ञजी अनेक वर्षों से देश के कोने-कोने में पैदल यात्रा कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य के अन्दर जो इनका स्थान-स्थान पर दौरा रहा और इन्होंने अहिंसा यात्रा के प्रति न सिर्फ तेरापंथ धर्मसंघ बल्कि हम सबको इस बात के लिये गौरव है

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कि इन्होंने जैन समाज को एक नई पहचान देने के साथ-साथ हमारे राष्ट्र को और राष्ट्र को भी नहीं बल्कि विश्व को सोच का एक नया कोण दिया है। आज के समय जब अहिंसा का वातावरण पैदा करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, हिंसा का वातावरण चारों ओर जारी है। इतिहास गवाह है कि हिंसा के दौर के चलते विश्व युद्ध के समय में परमाणु बम का उपयोग हुआ और जापान में हीरोशिमा और नागासाकी में बम गिराये गये। उस वक्त के उस बम कांड की आज दिन तक न सिर्फ वह देश बल्कि यह दुनिया उसकी पीड़ा को झेल रही है। हिंसा के वातावरण को जितना कम किया जा सके, अहिंसा का जितना प्रचार-प्रसार किया जा सके, उसके ऊपर हम सब का ध्यान केन्द्रित होना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवेशों पर अनियंत्रण, भावनात्मक असंतुलन यही हिंसा को जन्म देता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने आवेशों पर नियंत्रण रखे, अपनी भावनाओं का संतुलन बनाये रखे तो निश्चित रूप से उसके जो विचार उपजते हैं, वह विचार वातावरण को संतुलित बना करके रखते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आचार्य श्री तुलसी, जिनके सानिध्य में मेरे स्वर्गीय पिता को भी रहने का मौका मिला और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मेरे स्वर्गीय पिता ने, जो कि इस सदन के सदस्य थे, 1975 में इस सदन में पशु-पक्षी बली निषेध विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया और उसको पारित करवाया और उसके पीछे जो सोच थी वह यही थी कि मंदिरों में जो पशु और पक्षी की बली दी जाती है, जिससे मंदिरों का वातावरण जिन धार्मिक भावनाओं के चलते उतना संतुलित महसूस नहीं किया जाता था, उनमें संतुलन कायम हो और वह विधेयक यहां पर पारित हुआ और राज्य में लागू हुआ।

आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वो सोच हम रखते हैं, किसी भी स्थान विशेष पर हम वहां के धार्मिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाये रखने के लिए हमारे इस देश के अन्दर अनेकों जातियों और धर्म के लोग यहां पर निवास करते हैं और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहां पर रहते हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प में जो संशोधन है वह निम्न प्रकार है, "यह सदन यह सिफारिश करता है कि प्रखर चिंतक एवं राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा अहिंसक चेतना के विकास के उद्देश्यों को लेकर जारी अहिंसा यात्रा के मार्ग में पढ़ने वाले क्षेत्रों में यात्रा के समय

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

तथा उनके प्रवास के समय प्रवास वाले ग्राम, कस्बे और शहर में पशुवध तथा मदिरा विक्रय पर रोक लगायी जाए।''

मेरा इस सबके पीछे यही निवेदन है। चूंकि हम मानते हैं कि यह वह महा मानव हैं, यह वह देव पुरुष हैं जो इस राष्ट्र को और इस विश्व को शांति प्रदान करने के नाम पर अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए यह सब प्रयास कर रहे हैं, ऐसे देव पुरुष का जहां पर भी पदारपण हो वहां का वातावरण पवित्र हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी उन नीतियों को भी ध्यान में रखते हुए, चूंकि जब कभी भी किसी वाइन शॉप का लाइसेंस जारी करते हैं तो हम कई नियम उसके ऊपर लागू करते हैं, हम देखते हैं कि कोई मंदिर, कोई विद्यालय, कोई अस्पताल इन सब से उसकी दूरी हो ठीक उसी प्रकार हम इस बात को भी दृष्टिगत रखें कि ऐसे महा मानव का जहां पर पदारपण हो वहां भी इस प्रकार की हम रोक लगायें तो हम इस प्रकार का जो अहिंसा का आन्दोलन चल रहा है उस आन्दोलन को अपना समर्थन देंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्षजी को गैर सरकारी दिवस नियत करने और गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प रखने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रीजी को भी और बाकी जिन लोगों ने सिफारिश की, मेरे समेत उन सब को भी धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : अपने आपको भी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब हम तो पैरवी करते आये थे कि रखना चाहिए प्राइवेट मैम्बर डे।

सभापति महोदय, मैं डा. चन्द्रशेखर बैद द्वारा प्रस्तुत संकल्प कि ''यह सदन यह सिफारिश करता है कि प्रखर चिन्तक एवं राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा अहिंसक चेतना के विकास के उद्देश्यों को लेकर विगत चार वर्षों से जारी अहिंसा यात्रा के अगले चरण में जयपुर प्रवेश के अवसर पर शांति एवं सदभावना के संदर्भ में सरकार इस यात्रा का प्रचार-प्रसार करे'', इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सभापति महोदय, यह बात सही है कि चाहे भगवान महावीर हों, चाहे आचार्य श्री तुलसी हों, चाहे आचार्य श्री महाप्रज्ञ हों, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे पैगम्बर मोहम्मद हों और चाहे महात्मा गांधी हों जिन लोगों ने भी इस संसार में अहिंसा पर्मों धर्मों और अहिंसा की वकालत की है और अहिंसा को अपने आचरण में प्रस्तुत किया है, उससे न सिर्फ यह राज्य, राष्ट्र बल्कि पूरा विश्व लाभान्वित हुआ है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1989 और 90 में लाडनूं में साम्प्रदायिक दंगे हुए, वहां सर्वदलीय टीम भी गयी, सर्व धर्म सदभाव के लोग भी गये, केन्द्रीय तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंहजी कालवी, रशीद कसूरीजी, वहां के स्थानीय दोलत रामजी सारण साहब भी गये और राजस्थान से भी माननींय शेखावत साहब ने पंडित रामकिशनजी, माणकचंदजी सुराना, मैं भी था, हम को भेजा। हमने बहुत प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी लाडनूं में शांति नहीं हुई। जब आचार्य श्री तुलसीजी लाडनूं पधारे और उन्होंने जैन विश्व भारती में दोनों सम्प्रदाय के और लाडनूं के सभी संभ्रांत नागरिकों को बुला करके और उनसे बात की, उसमें श्री विश्नाथ प्रताप सिंहजी भी उस अवसर पर पधारे थे, मैं भी था, राठौड़ साहब भी थे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उसका इतना प्रभाव हुआ कि आज तक भी लाडनूं के अन्दर साम्प्रदायिक सदभाव और कौमी एकता है। हम आचार्य तुलसी के उस योगादान को नहीं भूल सकते। इसलिए आज तक महाप्रज्ञजी पद यात्रा कर रहे हैं और पूरे देश के अन्दर एक इस तरीके का समाचार और इस तरीके का अपने आचरण से और अपनी यात्रा से प्रभाव छोड़ रहे हैं कि देश को और देशवासियों को हिंसक गतिविधियों से दूर हो कर अहिंसा के सिद्धांत को अपनाना चाहिए।

तो मैंने इस सम्बन्ध में मेरा भी एक प्रस्ताव दिया है संशोधन, मेरा संशोधन यह है कि "संकल्प संख्या 5/2005 के अन्त में प्रयुक्त शब्द "प्रचार प्रसार" के पश्चात् अभिव्यक्ति "तथा उस दिन सूखा एवं अक्ता दिवस भी घोषित किया जाए।" यह प्रिंट गलत हो गया एकता"। एक साम्प्रदायिक सदभाव और एकता के लिए तो चल रहे हैं, "अक्ता" से मेरा तात्पर्य यह है कि उस रोज जो अक्ता दिवस होता है उस रोज किसी तरह की मांस की और मदीरा की दुकानें बंद रहती हैं, जितने हमारे बूचड़खाने हैं वह बंद रहते हैं, जितनी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कसाइयों की दुकान है वह बंद रहती हैं, जब एक अहिंसा का पुजारी यहां आ रहा है तो उस रोज ना तो शराब की दुकान खोलनी चाहिए ना उस रोज मांस की क़ोई दुकान खोलनी चाहिए। एक तरफ अहिंसा का पुजारी आये और दूसरी तरफ बड़ी संख्या के अन्दर जीव बली हां तो मैं समझता हूं कि यह चीज ठीक नहीं होगी। इसलिए इस संकल्प के अन्दर मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप इसके अन्दर यह भी जोड़ें कि जब महावीरजी का दोबारा जयपुर आगामन हो तो उनका हम स्वगात तो करें ही लेकिन उस रोज राजस्थान सरकार उनकी और दूसरी यात्रा के जो आवश्यक प्रबंध हैं वह करने के साथ-साथ उस रोज सूखा दिवस भी घोषित करें और अक्ता भी घोषित करे ताकि उस रोज पूरे तरीके से हम अहिंसा के सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकें, उस पर चल सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री के. डी. बाबर। (अनुपस्थित) श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

मोहम्मद माहिर आजाद : बंशीलालजी, आज तो मेरी भी प्रशंसा कर देते, आज तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, अच्छी चीज की तो तारीफ किया करो।

एक माननीय सदस्य : संशोधन का अनुमोदन करते हैं, आपकी भावना का अनुमोदन करते हैं।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अक्ता की मांग करने पर मैं आपका स्वागत करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन महावीरजी, केवल नाम महावीर रख लेने से आप भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलने वाले नहीं हो, कोई गरीब आदमी किरोड़ीमल नाम रख ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनपढ़ आदमी ज्ञानचंद रख ले उससे नहीं, मैं आचरण से भी प्रस्तुत करता हूं इस चीज को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल बोलने से अहिंसा और हिंसा का नहीं है..

मोहम्मद माहिर आजाद : बोलने से नहीं, अमलीजामा पहनाइये इसको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और अक्ता की मांग करते हैं तो यह संकल्प भी लेओ कि मैं मतलब मांसाहार नहीं करूंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब मैं खुद यह बात यहां रख रहा हूं तो यह चीज छपेगी नहीं अखबारों में, जब हम खुद इसकी वकालत कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अखबार में तो छपेगी मनसा वाचा कर्मणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो यह कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो आप पूरे राजस्थान में नशाबंदी, मद्य निषेध लागू करो ना। करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपने से शुरू करो।

श्री मदन राठौड़ : आप घोषणा करो।...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : कांहे की?...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके विचारों का स्वगात है, बहुत अच्छे बोले और आपका बहुत अच्छा विचार है। मेरा आग्रह है...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ : आपका स्वागत है, हिम्मत हो तो करो न खड़े हो कर के।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं खुद यह संकल्प रख रहा हूं तो यह संकल्प पास होगा तो यह मेरा प्रस्ताव तो भी है, संकल्प भी है कि नहीं है? और क्या संकल्प होता है?..(व्यवधान)..

श्री मदन राठौड़ : हिम्मत हो तो करो, घोषणा कर दो।..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको पता ही नहीं है राजेन्द्रजी जानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन है कि आज तो टोका टाकी बंद करें।

श्री सभापति : नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय सभापति महोदय, महाप्रज्ञ के जयपुर पदार्पण पर तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए एक ही निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां अहिंसा का सन्देश देने के लिए अहिंसा की मूर्ति हमारे प्रदेश में आई हुई है और जिस प्रकार से वह जनमानस में एक भावना पैदा करके जीव के प्रति प्यार पैदा करने के लिए जो सन्देश वह देने के लिए यहां आए हैं, मैं सदन से इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमें संकल्पित होना पड़ेगा इन बातों के प्रति कि जो इन महापुरुषों ने संदेश दिया है या दे रहे हैं उन सन्देशों

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

का अक्षरशः पालन करते हुए अगर हम आचरण करेंगे तो निःसन्देह राजस्थान में एक नई शुरूआत हम कर पाएंगे।

आदरणीय सभापतिजी, जिस प्रकार से जीव के जीव की हत्या और पाप करते हुए ना डरने की जो स्थिति प्रदेश के अन्दर, देश के अन्दर आ गयी है और ऐसे समय में आचार्य महाप्रज्ञजी का संदेश जन मानस तक पहुंचाने का प्रयास जो उन्होंने किया है, निःसन्देह सराहनीय कदम है। हम सब लोगों को एक सीख लेनी है इस बात के लिए कि हम अपने आचरण में सुधार लाएं और अपनी गरिमा को बनाकर जीव की रक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, सिद्धान्तों को कायम करने के लिए और जन जीवन की सुरक्षा के लिए हम काम करें। यह महाप्रज्ञजी जिनका जयपुर में, राजस्थान में, इस वक्त पदार्पण हुआ है उसके अनुसार जो उनका संदेश है, मैं तो अभी निवेदन करना चाहता हूं नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि एक दिन हमें शराबखाने और बूचड़खाने बंद करने चाहिए। क्यों नहीं जब उनका प्रवास 18 दिन का है तो हम संकल्प लें इस बात के लिए कि राजस्थान में जब तक वह यहां रहेंगे तब तक हम ना तो मदिरा पीएंगे और ना ही मांस का भक्षण करेंगे और ना हमारे बूचड़खाने चलेंगे। यह संकल्प की बात है, मन, की भावना की बात है, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। हम दृढ़ इच्छा शक्ति अगर बना कर के चलें तो कोई बात असम्भव नहीं हो सकती। लेकिन सवाल वही आता है कि हम उपदेश यहां कुछ और दें बाहर जाकर कुछ और आचरण करें। हमारे आचरणों में अगर अन्तर होगा तो निःसन्देह जिस समाज को हम बदलने की बात करते हैं, जिस समाज के संस्कार डालने की बात करते हैं वह समाज में संस्कार नहीं आ पाएंगे। मैं अगर गलत काम करता हूं और मैं दुनिया को शिक्षा देता हूं तो कोई उस बात पर अमल नहीं करेगा। वह निःसन्देह मेरी तरफ उंगली करके यह कहेगा कि पहले अपने आपको ठीक करो।

इसलिए सभापति महोदय, मैं तो इस मौके पर यही निवेदन करना चाहता हूं आचार्य महाप्रज्ञजी ने राजस्थान के अन्दर जो संदेश देने के लिए अपना यहां पदार्पण किया है और उनके चरण कमल यहां पड़े, मैं कहता हूं राजस्थान की पवित्र भूमि है, राजस्थान देवों की भूमि है, राजस्थान वीरों की भूमि है और इस वीरों की और देवों की भूमि पर आचार्य महाप्रज्ञजी का इस सदन की तरफ से स्वागत करते हुए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि पूरे सदन को

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

संकल्पित होकर जीव की रक्षा करने के लिए जीव मात्र की रक्षा के लिए अपना संकल्प दोहराना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आपका धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान विधान सभा के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन मानता हूं कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस महापुरुष के इस अहिंसा यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और लोगों के मन में इस भारत देश की महान ख्याति को हमारे इस देश ने हमेशा अहिंसा परमो धर्म माना है। चाहे वह बुद्ध ने, चाहे महावीर ने, चाहे महात्मा गांधी ने, ऐसे ऐसे अहिंसा के माध्यम से काम किए जिसको दुनियां आज भी असम्भव मानती है। उसी ज्योति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से महाप्रज्ञजी ने अपना यह जो प्रयास पिछली एक लम्बी साधना से इस देश को देने का प्रयास किया।

वास्तव में आज महाप्रज्ञजी के इस व्यक्तित्व को देखकर आचार्य तुलसी को इस बात के लिए बहुत ही वंदन करना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसा योग्य शिष्य तैयार किया जिसकी योग्यता के कारण आज सारा देश और विश्व के वह सारे विद्वान जो उनके सम्पर्क में आए उन्होंने यह स्वीकार किया कि शायद एक ऐसी विभूति है जो शायद इस युग में उंगलियों पर गिने जाने लायक है। उस व्यक्ति के, मैं समझता हूं कि इस अहिंसा यात्रा का प्रारम्भ ही जिसने किया निज प्रशासन फिर अनुशासन। जब तक स्वयं ठीक नहीं होंगे दूसरों के बारे में बात करना बेकार है। अहिंसा का मतलब कोई किसी को न मारना अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब है, मन, वचन और कर्म से, अगर मेरे अन्तर्मन में भी किसी के प्रति कोई घृणा, नफरत या किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव भी पैदा हुआ तो वह हिंसा हो गयी। केवल कर्म के द्वारा नहीं, अन्तर्मन में सोचने के द्वारा भी।

जिस प्रेक्षाध्यान के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो योगाभ्यास सब कर सकते हैं लेकिन जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं रहेगा

(समय : 15.05 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

हमारा चित्त स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी आत्मा स्वस्थ नहीं रहेगी और ठीक ढंग से नहीं सोचेगी तब तक हम अपने जीवन को ऊंचाई की ओर नहीं ले जा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकते। मैं सोचता हूं इस प्रेक्षाध्यान का प्रयोग जहां-जहां भी जिस-जिस ने भी इसको अंगीकार किया वह आज भी इसको उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यह वह महान संत है जिसने शिक्षा में, जीवन विज्ञान का प्रतिपादन किया। जिन्होंने पूरा लेखन तैयार किया, पाठ्यक्रम तैयार किया और आज देश के कई राज्यों में उनका यह जीवन विज्ञान पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रचारित है, चल रहा है। हमने भी अपने यहां चलाया।

मैं सोचता हूं कि जिस अणुव्रत आंदोलन की अगुवाई उन्होंने की। अणुव्रत का मतलब छोटे-छोटे नियमों का पालन करके भी हम सम्पूर्ण देश को सुधार सकते हैं और उसमें उन्होंने जो आचार संहिता बनाई, एक राजनेता को कैसा आचरण करना है, एक शिक्षक की क्या उसकी आचार संहिता है, एक व्यवसायी की क्या आचार संहिता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को उन्होंने अपनी आचार संहिता के आधार पर उस ओर प्रेरित करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं चूंकि जैन धर्म के अनुसार यात्रा भी पैरों से चल चलकर होती है और यह है तो बहुत कठिन लेकिन आज भी मैं यह कह सकता हूं कि यह पूर्णत: एक तरह से कसौटी पर कसा हुआ है। क्योंकि गरीब आदमी पता नहीं उस स्थान पर पहुंच सके नहीं पहुंच सके लेकिन यह सन्त पैदल-पैदल लाखों किलोमीटर की यात्रा करके गरीब अमीर सबकी झोंपड़ी तक पहुंचता है। उसको उसे देखने का और उसके विचार सुनने का एक अवसर मिलता है, उसके विचारों से प्रेरित होता है। मैं सोचता हूं इतनी सहज, सुलभ, निरन्तरता की गति जो है, वह बहुत ही, अणुव्रत विश्वभारती की स्थापना क्योंकि समय की आज सीमा है और इस संकल्प को आपको पूरा करना है मैं एक बात अणुव्रत विश्वभारती के माध्यम से केवल उसने उस आधार पर लोगों को तैयार करने का प्रयास किया जो महाप्रज्ञजी के विचारों को जन-जन तक पहुंचा सके, उनकी सारी प्रेरणा को आगे तक ले जा सके और इसके लिए निरन्तर इस प्रकार का प्रयत्न हो रहा है।

आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य तुलसी विशेष करके अपनी साधु मण्डली को जितना उनको शिक्षित करने का प्रयास किया, जितना उनको योग्य बनाने का प्रयास किया, मैं सोचता हूं हमारी सारी परम्परा में इतना सशक्त और कोई नहीं (व्यवधान) उन्होंने अपने सारे शिष्यों को शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से केवल एक दो नहीं, हजारों जिसके शिष्य हों, जो हजारों गांवों में प्रवास करते हैं अलग-अलग। यह सारी की सारी मण्डली कोई एक साथ नहीं चलती अलग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अलग हिस्सों के हिसाब से उनके वर्षावास होते हैं। उन सबको शिक्षा दीक्षा के आधार पर परिपूर्ण करके फिर समाज में उसको प्रचार की दृष्टि से जिस प्रकार से तैयार करके भेजा है, मैं सोचता हूं कि यह पहला जैन धर्म का एक आधार बना होगा आचार्य महाप्रज्ञजी के द्वारा श्रमणियां तैयार कीं। क्योंकि हम लोगों की मर्यादा है कि समुन्द्र पार करके नहीं जा सकते। हम किसी साधन का उपयोग करके कहीं यात्रा प्रवास नहीं कर सकते लेकिन आखिर इन जैन सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार कैसे हो, इसको दुनिया के लोग कैसे जानें और दुनियां के लोगों के मन में अहिंसा का जो हमारा एक मूल सिद्धान्त है इसको और जैन सिद्धान्तों को हम प्रतिपादित कैसे करें, तो श्रमणियों को तैयार करके आज दुनिया के कई देशों में इन श्रमणियों के द्वारा इस जैन सिद्धांत के साथ भारत के इस मूल तत्व के साथ उनको जोड़ने का प्रयास निरन्तर चल रहा है।

मैं सोचता हूं कि जो मोटे सिद्धान्त हैं। अहिंसा का सिद्धान्त है, सत्य है, अनेकांत है, अचौर्य है, अपरिग्रह है, यह जो सिद्धान्त हैं, मैं सोचता हूं कि यह सारा पहले उन्होंने अपने जीवन पर लागू किया और उसके बाद दूसरों को बताने का प्रयास किया। अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कैसे की जा सकती है और अपनी कम से कम आवश्यकताओं के आधार पर हम समाज के इस काम को कैसे कर सकते हैं उसकी एक जीती जागती प्रतिमा है। जिनका अपना सारा धन, दौलत जो कुछ भी है वह अपने कपड़े हैं और अपना थैला जो लदा हुआ है, वही अपनी सम्पत्ति है। इसके अलावा तो बाकी कुछ है नहीं। न उनको कोई स्थान है। इस प्रकार का जो जीवन जीने का है, मैं सोचता हूं कि यह एक अलौकिक कार्यक्रम इसमें से निकला है साहित्य सृजन की दृष्टि से क्योंकि इसकी एक सीमा है। जितना साहित्य सृजन किया है, जितनी पुस्तकें महाप्रज्ञजी के स्वयं के लेखन से तैयार हुई हैं, उसमें से अगर आप एक भी पुस्तक को पूरी पढ़ने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि इसमें किस विचार को उन्होंने प्रतिवादित किया है। जब कभी भी वह अपना ब्याख्यान देते हैं तो नयी कोई चीज दस दिन नयी निकालते हैं। ऐसा नहीं कि पुराना वही घिसा पिटा जो दस बातें होती हैं वही घूम फिरकर आती हैं, ऐसा नहीं। प्रत्येक दिन कोई न कोई नयी बात के आधार पर नयी चीज को पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार का एक अदभुत व्यक्तित्व है। वाणी में भी जादू है, अपने स्वयं के कर्म में जादू है। ईश्वर ने उनको सब प्रकार की बुद्धि और क्षमता दी है और इतना वैल डिसीप्लेंड, मैं सोचता हूं कि यह कार्यक्रम और कहीं नहीं होता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर वह डेढ़ घंटे में कार्यक्रम समाप्त होना है तो डेढ़ घंटे में ही समाप्त होगा। हिन्दुस्तान की बड़ी से बड़ी डिग्निटी वहां क्यों न बैठी हो लेकिन समय की पालना होगी। सामान्यत: इतने बड़े कार्यक्रम में करना सम्भव ही नहीं होता है। इस व्यक्तित्व ने इसको प्रचारित ही नहीं किया, अपने यहां लागू करके दिखाया।

इस प्रकार का एक महान व्यक्तित्व आज हमें गौरव है कि हम राजस्थान के लोगों ने ऐसे एक महान व्यक्तित्व को हमने यहां पाया है और उनके प्रयास हमने वर्षों-वर्षों से, उनकी दीक्षा का इतना लम्बा कालखण्ड निकला और यह भी शायद पहली बार देखा होगा कि कोई आचार्य महाप्रज्ञ को अपनी गद्दी, आचार्य तुलसी ने आचार्य पद को विसर्जित किया। यह भी शायद पहला उदाहरण होगा इस प्रकार से कि कोई अपने जीते जी अपने पद को भी अपने शिष्य को समर्पित करके एक अलौकिक उदाहरण पेश हुआ है। इस प्रकार से व्यक्ति की जितनी श्रेष्ठताएं हो सकती हैं उसको डालने का प्रयास किया है। आचार्य महाप्रज्ञजी की अहिंसा यात्रा जो चल रही है और अभी पांच वर्ष की इस यात्रा में मैं सोचता हूं कि इस यात्रा का केवल कुछ लोग ही लाभ न उठाएं। यहां संकल्प लाने के पीछे भाव यह है कि इसका लाभ जन-जन कैसे उठाए। हर व्यक्ति इससे कैसे जुड़े? उससे इसकी जानकारी कैसे मिले? प्रत्यक्ष तो सब लोग आचार्य महाप्रज्ञ के व्याख्यान में नहीं आ सकेंगे, प्रत्यक्ष तो व्यक्ति को देख भी नहीं पायेंगे, शायद उनके विचारों से जान भी नहीं पायेंगे, उनकी पुस्तक भी नहीं पढ़ पायेंगे लेकिन आज जो मीडिया है, जिस तरह का माध्यम है इसके माध्यम से भी इस व्यक्ति के इस अहिंसा यात्रा को अगर हम व्यक्ति-व्यक्ति तक पहुंचा सकें और मैं आज भी आपको कहता हूं कि हम लोगों के मन में भी अहिंसा के प्रति जो दृढ़ विश्वास चाहिये वह अगर दृढ़ विश्वास जमता है। जो हम दूसरों से हमारे प्रति उम्मीद करते हैं, वह दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। हम अपने लिये तो अच्छा व्यवहार चाहते हैं और सामने वाले के साथ व्यवहार न करें, मैं सोचता हूं इसके प्रत्येक छोटे से छोटे बिन्दु का बहुत विश्लेषण भी अगर करें तो घण्टों तक यह बात कही जा सकती है।

उनके साहित्य सृजन से मैं जरूर चाहूंगा कि कम से कम शिक्षा मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं। उनका जो जीवन विज्ञान है उसको हमने कुछ स्तर तक लागू किया था जब मैं था, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि वह एक साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ उनका पाठ्यक्रम है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको ही दे दूंगा। अब आपको ही समर्पित कर रहा हूं मैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ इसको जोड़ा जाए। इसको विश्वविद्यालय स्तर तक भी किसी प्रकार से हम उसमें संचालित कर सकें तो निश्चित रूप से यह जो जीवन का एक दर्शन है, यह दर्शन कोई नया नहीं है। अनादिकाल से इस देश के साथ चला आया है। अनादिकाल से चले हुए इस सिद्धान्त को हम और आगे तक पहुंचाकर कैसे इसको पुष्ट कर सकते हैं, कैसे इसको सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं उसमें यह संकल्प की जो भावना है इसको प्रचारित प्रसारित करने की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान यह सदन कर सकता है।

मैं भी सदन से प्रार्थना करता हूं कि जो संकल्प तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, बाकी सदस्यों ने जो अपनी भावना के साथ उसमें पुष्टता दी, मैं भी अपना छोटा सा हिस्सा उसमें मिलाता हूं और आप सबसे भी उम्मीद करता हूं कि एक ऐसे महामानव जो आज इस अहिंसा यात्रा को लेकर जन-जन तक पहुंचने का जो प्रयास किया है, इसको हम कैसे और अधिक जन-जन तक पहुंचा सकें, इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य को। उन्होंने जो गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से एक ऐसी सामयिक समस्या की ओर सदन के माध्यम से राजस्थान के अवाम् का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है जो समस्या किसी एक व्यक्ति और सरकार की नहीं, किसी एक सूबे और देश की भी नहीं, जो आने वाले समय के अन्दर पूरे विश्व की समस्या बनने वाली है।

जल की अत्यधिक कमी और जल संरक्षण के लिये आवश्यक कानून बने। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों के आधार पर अगर हम प्रत्येक विषय पर सोचने लग गये तो निश्चित तौर पर हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह इस बात को लेकर हमें कोसेंगी कि जिन लोगों के हाथ में शासन और सत्ता जनता ने सौंपी थी उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वहन नहीं किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मन में बड़ी चिंता उस वक्त हो जाती है जब अखबार की सुर्खियों में एक बात छपती है-अगला विश्व युद्ध किसी और विषय को लेकर नहीं होगा। यह शक्ति की होड़, यह अणु और परमाणु बम का इस्तेमाल, इससे पहले पर्यावरणविद् कह रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी की समस्या को लेकर होगा। अभी कुछ रोज पहले पत्रिका में एक बात छपी। इसमें यह लिखा कि कुछ दशकों के बाद इस पानी का मूल्य तेल से ज्यादा हो जायेगा।

सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि अभी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जनरल मुशर्रफ यहां पर आकर गये हैं। बड़ी अच्छी यात्रा रही। पाकिस्तान में जाकर जो अपने साक्षात्कार के अन्दर उन्होंने बात कही, मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के साथ वार्ता के अन्दर काश्मीर एक विषय है, उसका महत्व इसलिये नहीं है कि वह काश्मीर है, बल्कि उसका महत्व पाकिस्तान के भविष्य के लिये इसलिये है कि काश्मीर से जो पानी पाकिस्तान में आता है, वह जो जल स्रोत हैं। अगर वह जल-स्रोत उससे आने वाला पानी अगर बंद हो जायेगा तो बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान के सामने हो जायेगी।

मैं सारी बात इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर जब हमारे पुराने धर्म ग्रंथों की बात करें, पंचतत्व में पानी के महत्व की बात करें और हमारी संस्कृति की बात करें जिस संस्कृति में नदियों को पूजा जाता था। गंगा को गंगा माता कहा जाता था। आज भी हमारी संस्कृति में वह समावेश है। अब आज पूरी इस चीज के ऊपर जब चिंतन होता है तब लगता है कि निश्चित तौर पर उस समय हमारे पूर्वजों ने पानी के महत्व को समझा।

सभापति महोदय, 1950 के अन्दर जो प्रति व्यक्ति देश में जल उपलब्धता थी, वह थी 5000 क्यूबिक मीटर और आज 2005 के अन्दर कम होकर हो गयी 1869 क्यूबिक मीटर। अगर यही रफ्तार रही तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती आ जायेगी। निश्चित तौर पर जब आज देश के अन्दर पूरे पानी का आंकलन करते हैं हम, हमारे सरप्लस वाटर का करते हैं तो 400 मिलियन हैक्टेयर पानी हमारे पास है परन्तु उसमें उपयोग 53 मिलियन हैक्टेयर पानी ही कर रहे हैं। बाकी या तो वाष्प बनकर उड़ जाता है, या समुद्र में चला जाता है। मैं निवेदन इसलिये करना चाहता हूं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, मैं कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा परन्तु यह शाश्वत सत्य है कि पिछले एक दशक के अन्दर..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा : आज तो बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो कम ही बोलता हूं। पिछले एक दशक के अन्दर राजस्थान के अन्दर अलग-अलग जिलों के अन्दर एक मीटर से लेकर साढ़े आठ मीटर नीचे हमारी वाटर टेबल गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान को जो हमने 237 जोन में बांटा है। इसकी मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहकर निवेदन करना चाहूंगा कि 1990 को ही ले लें। सभापति महोदय, 236 में से 148 जोन सेफ जोन थे, सेमी क्रिटिकल 31 थे, क्रिटिकल 13 थे और ओवर एक्सप्लोटेड 44 थे और आज 2001 का आंकड़ा देख लें तो सेफ सिर्फ 49 जोन रहे हैं, 21 सेमी क्रिटिकल, 80 क्रिटिकल और 86 ओवर एक्सप्लोटेड हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यही रफ्तार रही तो नीचे जो इस प्रकृति ने पानी दिया है यह तो एक तरह से जल बैंक है, वाटर बैंक है इसके अन्दर आप जितना डालोगे उतना आप दोहन कर सकते हैं। इसका एक सीमा से ज्यादा दोहन आप करोगे, आप सब जानते हैं, जब भी सदन के अंदर फ्लोराइड, टीडीएस, नाइट्रेट पानी में ज्यादा होने के कारण दूषित पानी की बात हुई है। हम कर क्या रहे हैं, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज जो हमारी स्थिति है, जलवायु की दृष्टि से एरिड ओर सेमी एरिड जोन में क्योंकि ग्लोब में हमारी लोकेशन ही इस तरह की है।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में 14 रिवर बेसिन हैं, चम्बल के अलावा सारी डेफिसिट में चल रही है। हमारे पास सरप्लस पानी भी नहीं है। जब इस चीज का आंकलन करते हैं कि इस सारी समस्या की जड़ कहां है तो पीने के पानी की समस्या के पीछे सिर्फ यह समस्या नहीं है, आज जो हमारा उपलब्ध जल है उसमें से सिर्फ 9 प्रतिशत पीने के काम आता है। 90 प्रतिशत सिंचाई में काम आता है और हम राजस्थान को पंजाब बनाना चाहते हैं। पंजाब बनाने के लिए हम रोज ट्यूबवैल खोद रहे हैं।

सभापति महोदय, जिस सामन्तवाद और सामन्तशाही की बात प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं, अब उस इतिहास को देखें, राजाओं के इतिहास को देखें तो उस वक्त में एक तरह से वह सीलिंग लगा दिया करते थे कि इस गांव के अन्दर एक कुआ ही रहेगा। अमुक गांव के अन्दर पांच कुए बन सकते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। उसके पीछे कारण आज अगर सारी चीज को देखते हैं तो लगता है कि कोई न कोई दूर दृष्टि जरूर रही होगी। आज हालत क्या है? एक बार सरकार 1998 के अन्दर इस तरह की चर्चा मात्र चली थी कि हमारे जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। हमारे सामने आज नहीं तो कल संकट आयेगा। बिल के प्रारूप के बारे में चर्चा चली थी और हम सब लोगों ने बाहर जाकर कहना चालू कर दिया कि सरकार तुम्हारे कुओं के लिए यह कानून लेकर आयी है तुम कुआ भी अपना नहीं चला पाओगे। उसके लिए भी तुम्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, यह निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह विषय कुछ इस तरह का विषय है कि जिस पर लीक से हटकर सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज सरकार आयी है, बी.एम. व्यास कमेटी बनी है। इस सरकार ने ऐसी बात नहीं कि चिंता नहीं की, अब कमेटी की रिपोर्ट भी आ जायेगी। अब उस रिपोर्ट के आधार पर आगे अगर हम एक्शन प्लान नहीं बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि हम आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय नहीं करेंगे। आज जो प्रकृति ने डीप एक्वीफर्स में, नीचे से नीचे जहां जल उपलब्ध है, जिससे नीचे जल है ही नहीं, वहां से जल दोहन करने का काम हम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि यह प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ के कारण ही है कि आज सब कुछ बदल गया। आज हमारी ऋतुओं का क्रम बदल गया। आज जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम कर रहे हैं वह आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा नहीं हो जाये। इसलिए जो संकल्प आप लेकर आये हैं उस पर गम्भीरता से हमें विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य और हम उस जिले की धरती से आते हैं जहां आचार्य तुलसी जैसे महासंत ने जन्म लिया और अणुव्रत के माध्यम से स्व-अनुशासन की बात कहकर उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। आज निश्चित रूप से हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागते-भागते हमारी खुद की सभ्यता और संस्कृति में जो एक तरह से जो स्वं-अनुशासन के लिए जो निर्धारित मापदंड थे, जो हमारे नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्य थे उनको तोड़ते जा रहे हैं। आज हम धीरे-धीरे किसी न किसी कारण से जब खीज पैदा होती है मन के अन्दर, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे कुछ समय के अन्दर बहुत कुछ पाने की तमन्ना के कारण से हो, आज हमारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नौजवान हिंसा की तरफ जा रहा है। ऐसे समय में जो आज यह बहुत बड़ी अहिंसा यात्रा जो लम्बी यात्रा है और जिस यात्रा में राजस्थान क्या, हिन्दुस्तान के जिस भी सूबे से गुजरी है वह अपने आपमें एक संदेश देती है। जिस यात्रा के प्रचार-प्रसार के लिए यह संकल्प आप आये हो मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि गैर सरकारी विधेयक और उसके माध्यम से हम सबको इसी तरह के विषय पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस तरह का विधेयक सामने आया है। हम सब लोग सारी दलीय सीमाओं से बाहर रहकर बात करेंगे तो इन सामयिक समस्याओं के बारे में इसके निदान के लिए हमें राजनीतिक सोच से नहीं हमारे खुद के मन से विचार करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बी. डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अहिंसा यात्रा के बारे में जो महाप्रज्ञजी के नेतृत्व में चल रही है उसके बारे में जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अन्य संकल्प जो प्रस्तुत किये हैं उनका भी मैं समर्थन करूंगा। बहुत संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अहिंसा का मायना यह नहीं है केवल मनुष्य; मनुष्य के प्रति अहिंसात्मक भावना रखे। बल्कि जीव मात्र के प्रति उसमें दया का भाव हो, अहिंसा का भाव हो, जितने भी जीव हैं, जैसे आज वृक्ष हैं, यदि वृक्ष को कोई बेरहमी से काटता है तो वह भी एक तरीके से हिंसा है। किसी जीव की हत्या करता है अभी बाघों की हत्याएं हुई, किन्हीं मायनों में कोई पक्षियों की हत्या करता है, हिरण की हत्या करता है। यह भी जीव के प्रति हिंसा है आचार्य महाप्रज्ञजी से मैंने कई बार ऐसी बातें सुनी हैं कि जीव मात्र पर करूणा, दया, मैत्री और स्नेह का भाव होना चाहिए। तब जाकर के हम सबके प्रति अहिंसा का भाव रख सकेंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यह चार ऐसी चीजें हैं जो हमारे इस देश में पुरातन काल से चली आ रही हैं। आचार्य महाप्रज्ञजी ने इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर पिछले चार वर्षों से इस यात्रा को शुरू कर रखा है और वह यह चाहते हैं कि समाज में किसी भी प्रकार से हिंसा की भावना ना फैले। वह हमेशा यह बात कहते हैं संयम खलु जीवनम्:। संयम जो है वही मनुष्य के जीवन का धर्म है। लेकिन संयम आये कैसे, इसके लिए एक श्लोक आता है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

"कुटुम्ब लवणा तीक्ष्णा, तीक्ष्ण रुक्ष विदयना:

आहरा राजसचेष्टा भोजनं सात्विकम् प्रियम।"

जो बहुत ज्यादा तीखे, बहुत ज्यादा लवणीय भोजन, बहुत ज्यादा तामसी भोजन करते हैं उनकी तामसी बुद्धि होती है, जो सात्विक भोजन करते हैं उनकी सात्विक बुद्धि होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खट्टे-मीठे, रुखे-सूखे भोजन करते हैं, तामसी भोजन करते हैं उनकी तामसी प्रवृत्ति होती है इसलिए सात्विक भोजन करने से सात्विक बुद्धि आयेगी। अगर सात्विक बुद्धि आयेगी तो अहिंसा में उसका विचार जायेगा। अहिंसा में विचार जायेगा तो वह अहिंसावादी होगा।

सभापति महोदय, आज जगह-जगह जो सामाजिक सौहार्द का वातावरण कमजोर हो रहा है उससे मन में जो एक द्वेषता है या कटुता है वह हमारे सामने आती है और सामाजिक सौहार्द को खत्म करती है। आचार्य महाप्रज्ञजी कहते हैं कि किसी भी जाति या धर्म के आप मानने वाले हों। लेकिन सर्व धर्म सदभाव सर्व धर्म समभाव, सांप्रदायिक सदभाव यह हर व्यक्ति में कायम होगा तब आज के वातावरण में जो सामाजिक सौहार्द को तोड़ा जा रहा है वह टूटेगा नहीं। एकता के ताने-बाने में बना रहेगा और सामाजिक सौहार्द एक रहेगा। इसीलिए इकबाल साब ने भी यह बात कही थी-

"मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,

हिन्दी हैं हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा।"

उन्होंने साफ बात कही थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बैर रखना नहीं सिखाता है मजहब। मजहब तो आपसी भाई चारा, प्रेम, मेलजोल और सदभावना सिखाता है। इसलिए मजहब को आधार मानकर आज जो हिंसा की जा रही है उसके बारे में भी हमको सोचने की आवश्यकता है। आचार्य महाप्रज्ञजी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जब जीव मात्र पर दया करते हैं तो मनुष्य का रंग तो कहीं से निकालो हिन्दू, मुसलमान, सिख ईसाई सभी का रंग लाल है। वह एक-दूसरे के काम भी आता है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो हिन्दू, मुसलमान सबने लड़ी। आजादी की लड़ाई के बाद इस देश की एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए सब लोगों ने काम किया। 1962 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में सभी देशवासियों ने मिलकर इस देश को ताकत दी। देश की रक्षा की। इसलिए आज के इस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

वातावरण में खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि हम सात्विक भोजन करें, सात्विक बुद्धि रखें, सत् विचार रखें और हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होगा तब जाकर हम अहिंसा की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा पाएंगे। आचार्य महाप्रज्ञ भी यही बात कहते हैं, हम लोग अपने जीवन में अहिंसा को यदि अपनाना चाहते हैं तो नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी, नशा हिंसा कराता है, नशा कुछ भी हो, चाहे आज हर व्यक्ति की जेब में कोई न कोई गुटखा, जर्दा, तम्बाकू अथवा कोई न कोई चीज पड़ी हुई है, कोई सिगरेट पीता है, कोई सिगरेट नहीं पीता है तो और कुछ नशा करता है। हमारे कई माननीय सदस्य तम्बाकू चबाते हैं, पान पराग और गुटखा खाते हैं, कई लोग और तरह के नशे की चीजों का सेवन करते हैं, नशे की चीजों का सेवन अपराध तो बढ़ाता है। सभापति महोदय, कोई भी नशा करो, चाहे अफीम, गांजे, सुल्फे या कोई ड्रग का, कोई भी नशा होगा वह अपराध को बढ़ाने वाला होता है। आदमी होश में होता है तो हिंसा नहीं करता है, जब मदहोश हो जाता है तो वह हिंसा को बढ़ाता है, हिंसा को रोकने के लिए और लोगों में अहिंसा की प्रवृत्ति लाने के लिए नशे की प्रवृत्ति पर रोकथाम लगानी होगी। मैं तो चाहता हूं और हमारे सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आप यह संकल्प लें कि अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं लेंगे और जो आचार्य महाप्रज्ञजी चाहते हैं कि लोग अहिंसक बने तो इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ-साथ एक बात और आती है कि हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, धन है, शक्ति है, हम इनका सदुपयोग नहीं करते। इसके लिए संस्कृत में दो लाइन का एक श्लोक है,

विद्या विवादाय धन मदाय, शक्ति परेशाम पर पीडनाय
खलस्य साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय

यानि व्यक्ति के पास विद्या है, वह दूसरों को सीखाने के काम में ले, जिसके पास धन है वह परोपकार के कार्यों में खर्च करे, वह व्यक्ति जिसके पास शक्ति है वह पीड़ित मानवता की रक्षा करे, वही व्यक्ति सज्जन कहलाता है और वह अहिंसक होता है और जो व्यक्ति अपनी विद्या को कुतर्क के रूप में इस्तेमाल करे, जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग अहंकार, अभिमान और दम्भ के रूप में इस्तेमाल करें और जो व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्तियों को परेशान करने के लिए उपयोग में लेता है वह व्यक्ति दुर्जन कहलाता है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसलिए दुर्जन व्यक्ति जो होता है वह हिंसा करता है इसलिए हम अपनी विद्या, शक्ति और धन का सांगोपांग उपयोग करें।

आचार्य महाप्रज्ञजी ने जो अहिंसा यात्रा शुरू की है, ऐसी अहिंसा यात्रा पूरे राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और मोहल्ले-मोहल्ले में यदि अहिंसा से सम्बन्धित यात्राएं चलाएं ताकि कोई तनाव न रहे, कोई झगड़ा न रहे और हम अपने त्यौहारों को मिल जुल कर मनाएं। हमारे यहां बचपन में मैं सुनता था, सीर किसकी, होली दिवाली, यानि कोई भी त्यौहार चाहे होली हो या, दीपावली हो, ईद का हो या, ईसामसीह का जन्म दिवस हो, हम सब उन त्यौहारों को मिल जुलकर मनाए, एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे से क्षमा याचना, रामा श्यामा करते हैं, इसी प्रकार जैन धर्म में क्षमापना पर्व आता है, इन सबके पीछे एक ही भावना हैं कि हम जाने अनजाने में कोई भी बात, किसी कों जोर से बोलना, किसी पर गुस्सा करना भी हिंसा का द्योतक है तो हम अपने विचारों से अहिंसक बने। मैं कई बार यहां पर देखता हूं सदन में कि इतना तनाव हो जाता है लोग जैसे कोई युद्ध करने की तैयारी कर रहे हों, बाहें चढ़ाते हैं, ऐसा जीवन में नहीं होना चाहिए, हमें अपने विचारों में भी हिंसा को स्थान नहीं देना चाहिए और जीव मात्र के प्रति हमको एक तरह से यह भावना रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, परस्पर मैत्री रखें। परस्पर मैत्री की भावना होगी तो निश्चित रूप से इसमें हिंसा की भावना नहीं आएगी, अहिंसा की प्रवृत्ति की तरफ हम बढ़ेंगे।

हमारे यहां भगवान महावीर, महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध और अनेक लोगों ने इस प्रकार की बातें हमें बताई हैं लेकिन वर्तमान समय में शांति दूत, अहिंसा दूत के रूप में युग प्रवर्तक आचार्य महाप्रज्ञजी ने जो अहिंसा यात्रा शुरू की है, वह केवल अहिंसा यात्रा ही नहीं है, उन्होंने सूरत में सूरत डिक्लेरेशन दिया था, उसमें वह गांव गोद लेंगे और अनेक गांवों को गोद लेने का उनका विचार है। मैं अभी सरदारशहर एक कार्यक्रम में गया था। वहां एक गांव है बदनाऊ चूरू जिले में, वह विख्यात है लड़ाई-झगड़े के लिए, छोटी-छोटी बातों के लिए आपस में झगड़े हो जाते हैं, उन्होंने उस गांव का कायाकल्प कर दिया, सभी लोगों को बुलाकर उनका हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं, वह कर दिया। उनमें हिंसा की जो प्रवृत्ति थी उसको छोड़ने के लिए कहा कि आप नशे की प्रवृत्ति को छोड़ें, आप सात्विक भोजन करें और इसके माध्यम से उन्होंने वहां उस गांव का कायाकल्प कर दिया। वहां सड़कों का विकास, वहां स्कूलों का

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विकास, वहां स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं का विकास, पूरे गांव का समग्र विकास करने के लिए न केवल आचार्य महाप्रज्ञजी ने बल्कि राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब, दोनों ने मिलकर योजना बनाई है कि गांवों का कायाकल्प किया जाए। गांवों में नशे की प्रवृत्ति को छुड़वाया जाए ताकि गांवों में अहिंसा का वातावरण बने और लोग सत्यम् वद् और धर्मम् चल, सत्यम् वद् का मतलब सत्य बोलें और अहिंसा के सच्चे मार्ग पर चलें, ऐसी बात उन्होंने कही है।

मैं इस अवसर पर विधान सभा के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम केवल बातें ही नहीं सुने बल्कि नचिकेता की तरह जिज्ञासु भी बनें। सभापति महोदय, नचिकेता जब बहुत छोटा ऋषि बालक था, 8-9 वर्ष की अवस्था में जब वह एक बार अपने पिताजी के साथ जब वे गायों का दान दे रहे थे, उसने कहा कि पिताजी, आप गायों को दान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन उसमें कुछ बूढ़ी गाएं हैं, बूढ़ी गाएं दान देने से पाप लगता है तो उनके पिताजी ने इसका बुरा माना और यह कहा कि तुम जीते जी ही यम लोक में चले जाओ। पिताजी की आज्ञा पालन करके नचिकेता यम लोक में चला गया। उस समय यम लोक से यम बाहर थे। यम पत्नी ने उस ऋषि बालक को कहा कि आओ भोजन करो, आओ विश्राम करो, पानी पीओ, उन्होंने कहा कि मैं जब तक यम के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक कुछ भी नहीं करूंगा। तीन दिन तक वह बैठा रहा। तीन दिन बाद यम आए, यम आने के बाद यम पत्नी ने कहा कि तीन दिन से यह ऋषिबालक भूखा और प्यासा बैठा है, जाकर पहले उसको दर्शन दो, यम ने जाकर उनको दर्शन दिए, यम ने भी पहले उनको भोजन पानी और फल-फूल का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मुझे बताओ कि आत्म तत्व क्या है। सभापति महोदय, छोटे से बालक को आत्म तत्व के बारे में पूछते हुए देखकर यम बड़े आश्चर्यचकित हुए उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप यह बताइए कि आप कितने वर्ष जीना चाहते हैं तो यम को वापस नचिकेता ने उत्तर दिया कि मैं मेरी जितनी उम्र है उतना ही जीना चाहता हूं, मैं उम्र नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि आप हजार या दो हजार वर्ष जीना चाहते हो तो उम्र ले लो, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे उम्र नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आप किसी तरह का धन, हीरे-जवाहरात, सोना-चांदी चाहते तो वह ले लो, उन्होंने कहा कि मुझे यह भी नहीं चाहिए। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि आप एक लोक, दो लोक, तीन लोक, चार लोक या चौदह भुवनों की सत्ता चाहते हो तो वह सत्ता ले लो, उन्होंने कहा कि यह भी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नहीं चाहिए। तब उन्होंने अंतिम प्रश्न किया कि आप संसार की चार-पांच श्रेष्ठ स्त्रियों से शादी करना चाहते हो तो शादी कर लो। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी नहीं क़रना तो उन्होंने नचिकेता को जिज्ञासु समझकर आत्म तत्व का ज्ञान दिया जिसको मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। जो अहिंसा से बिलकुल सम्बन्धित बात है।

श्री सभापति : 3 बजकर 38 मिनट हो गए हैं, ज्यादा बोलना भी हिंसा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चार बजे तक की समय सीमा है, मैं उससे पूर्व खतम कर दूंगा। मेरे अलावा कोई और भी हैं बोलने वाले? चार बजकर एक मिनट भी हो जाएगा तो हिंसा हो जाएगी।

मैं आपसे यह कहना चाह रहा था कि उन्होंने यह कहा कि पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रिया हैं। ज्ञानेन्द्रियों का नियंत्रण कर्मेन्द्रियों पर, इन्द्रियों का निग्रह मन में। मन ऐसा है जो बिना पैरों के चलता है। अभी हम यहां बैठे अमेरिका का ध्यान करें, इंग्लैण्ड का ध्यान करें, कल्कत्ता और मुम्बई का ध्यान करें तो आपके सामने उनका दृश्य आ जाएगा। तो इन्द्रियों का निग्रह मन में, मन का निग्रह बुद्धि में और बुद्धि का निग्रह आत्मा में, यह आत्म तत्व की बात उन्होंने बतायी और यह जब होगा जब-

कर्मेन्द्रयाणी संयमे या असोमनुषाश्वरन,

इन्द्रियासामै मीडात्मा मिथ्याचारो शिचितैः।

आपको मिथ्याचार से दूर रहना पड़ेगा, गलत चीजों से दूर रहना होगा और अपनी इन्द्रियों का नियंत्रण यदि आप रखेंगे तब जाकर आपमें हिंसा के प्रति एक प्रकार से ज्ञान आएगा और उससे आप अहिंसक बन सकेंगे। जिज्ञासु बनकर हमको अहिंसा के प्रति अपनी भावना रखनी है, अहिंसक बनना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संकल्प को हम तभी क्रियान्वित कर सकेंगे जब हमारे क्षेत्र में साम्प्रदायिक सदभाव कायम रहे, हमारे प्रदेश का साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रहे, कहीं भी, किसी भी प्रकार की किसी भी जीव वृक्ष, पाणी के प्रति क़ोई भी प्रकार से कहीं भी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी तभी इनकी यह अहिंसा यात्रा कामयाब होगी।

श्री सभापति : धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, एक मिनट में मैं...

श्री सभापति : 5-6 आदमी और बोलने वाले हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 1-2 मिनट में। या तो मुझे अंत में बुलाना चाहिए था।

श्री सभापति : अंत में क्यों, आपको पहले ही बुला देते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अंतिम भाषण है।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता तो ये हैं ही, समय की सीमा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब इतनी देर में तो मैं सारी बात कह देता। राजस्थान में शांति रहे इसके लिए वेद की एक ऋचा पढ़कर सुनाता हूं।

द्यौ है शान्तिरन्तरिक्ष शांति:

पृथ्वी शांतिराप: शान्तिरेव शान्ति:

वनस्पतय शान्ति: औषधय शान्ति: विश्वदेवा: शान्ति:

सर्वधर्म शान्ति: सामाशान्तिरेधि शान्ति:।

सब जगह चराचर जगत में, अंतरिक्ष में, चराचर में, जीव मात्र में शांति हो और चारों तरफ अहिंसा का वातावरण बने इसी भावना के साथ मैं संकल्प को पारित करने के लिए कहता हूं।

अंत में पानी के बारे में कहना चाहता हूं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण ये सब खराब हैं, उसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए। राजेन्द्रजी, आप रेगिस्तान से आते हैं, मैं भी आता हूं, मुझे याद है जब हम लोग नहाते थे लोहे की परात में नहाते थे और लोहे की परात में जो पानी बचता था उस पानी में कपड़े धोते थे और कपड़े धोने के बाद उस पानी से घर की सफाई होती थी और उसके बाद उस पानी से नाली की सफाई होती थी। हम जीमने के बाद हाथ धोते थे, थाली में पानी रहता था और वह पानी फिर गायों की कुण्डी में, जानवरों के पीने के पानी की कुण्डी में जाता था और एक-एक अन्न के दाने का भरपूर उपयोग होता था।

(समय : 15.43 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

आज हम पानी का अपव्यय करते हैं। नहाते हैं तो कम से कम दो बाल्टी पानी ढोल देते हैं और कोई भी व्यक्ति जब-जब बाथरूम में जाता है तो 7-7, 8-8 लीटर पानी को बहा देता है। ऐसी स्थिति में हमको इस बात के बारे में विचार करना होगा जल प्रबंधन खेती के लिए, हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए कैसे हो और इसके लिए कोई भी कानून बनाना पड़े तो बनाना पड़ेगा नहीं तो अगला विश्व युद्ध और किसी चीज के लिए नहीं होगा, पानी के लिए होगा। इसलिए पानी के दोहन, पानी के उपयोग, पानी के प्रबंधन के लिए निश्चित रूप से राजस्थान में कानून बनाना चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने गांवों में चिकित्सा व्यवस्था की जो बात की है यह बात निश्चित रूप से सही है गांवों में समय पर डाक्टर नहीं मिलते, पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं मिलते, गांवों की चिकित्सा व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त बनाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं बहुत अच्छे संकल्प हैं इनको पारित करना चाहिए। धन्यवाद।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप अगर इजाजत दें तो 5 मिनट में मैं बात समाप्त कर दूं। (व्यवधान) मेरा संकल्प है उस पर संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है। 5 मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतकजी को बोलने देते तो ठीक था।

श्री जुबेर खान : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, आज तो महावीरजी को सुनने दो। महावीरजी कुछ ज्ञान की बात करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज पूरा सदन एकमात्र एक चित्त होकर मुख्य सचेतकजी को सुनना चाहता है। इसलिए आप इनका नाम पुकारें।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो कह रही हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं महावीरजी के बाद बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप तो कई बार बोलते रहते हैं टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे हमको पीड़ा हो, यही संकल्प ले लो। माननीय गृह मंत्रीजी, आप आक्रोश में न आयें आप यह संकल्प ले लें तो सारा सदन ठीक हो जाएगा।

श्री जुबेर खान : माननीय गृह मंत्रीजी, आप तो गुस्सा छोड़ ही देना। इस संकल्प के समर्थन में आपने लम्बे-चौड़े अच्छे विचार रखे, आज आप तो संकल्प ले लो कि आज के बाद गुस्सा नहीं करोगे। क्योंकि गुस्सा भी हिंसा में आता है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज महावीरजी बोल रहे हैं ये तो नहीं करेंगे। आपकी तरफ से, इधर से भी वाणी पर संयम हम रखेंगे तो वाणी की जो हिंसा होती है रोज हाउस में, कम सें कम वो वाणी की हिंसा बंद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय हरिमोहनजी, आप यह प्रण ले सकते हैं आप निश्चय ले सकते हैं, आप गलत बात नहीं बोलेंगे, बिना तथ्यों के नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, बीच-बीच में नहीं बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : कटारिया साहब (व्यवधान) महावीरजी वाणी पर संयम कर लेंगे तो अच्छी बात होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम दोनों तो कर लेंगे, लेकिन आप कुछ मत करना। आप तो करा लेना, आप कुछ मत करना। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यसन करते हो, जो सात्विक भोजन नहीं करते हो, सात्विक भोजन करें। नशामुक्ति का आज ही संकल्प लें। यदि हम सत्य मन से, आत्मीय मन से यह संकल्प पारित कर रहे हैं तो आप आत्ममंथन करके यहां संकल्प करें कि अपने मन में जो दुराग्रह है आज हम यहां संकल्प करते हैं और त्याग करते हैं इस प्रकार का संकल्प करे विधान सभा का हर सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सबसे पहले बंशीधरजी संकल्प करें।

श्री जीतमल खांट : इस आबकारी नीति को ही खतम कर दो ना। यही बहुत बड़ा संकल्प है, पूरे राजस्थान में चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, जो नयी आबकारी नीति लागू की जा रही है वह पूरे प्रदेश में खतम होनी चाहिए।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बैस्ट विधायक का अवार्ड बंशीलालजी को दिया जाए इतने अच्छे संकल्प के लिए इन्होंने विचार रखें।

श्री अध्यक्ष : विषय की गम्भीरता को कम न करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस संबंध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहली बात तो यह है कि लोगों को इस वाणी से अब तक किसी को...

श्री अध्यक्ष : लोगों नहीं विधायकों को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यों के अलावा भी क्योंकि हम अपनी भावना यहां प्रकट करते हैं वह सारे राजस्थान, सारे देश में पहुंचती है तो न केवल माननीय सदस्य, यदि किसी को भी मेरे वचनों से किसी को पीड़ा हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य महाप्रज्ञ के जयपुर आगमन पर और वे आज शायद 85 साल के हो गये हैं...

श्री अध्यक्ष : 82..

श्री महावीर प्रसाद जैन : 85 .

श्री अध्यक्ष : नहीं, 82 .

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1920 में जन्म हुआ है।

श्री अध्यक्ष : खुद ने 82 बतायी है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 5 जून, 1920 है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ का मूल नाम..

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप यह स्वीकार करते हैं महावीर जी मानते हैं। जो कहते हैं उस पर अड़कर रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं। इसमें लिखा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनका मूल नाम है नथमलजी और जन्म दिनांक 4 जून, 1920 । झुंझुनूं जिले के टमकोर गांव में आपका जन्म हुआ। 29 जनवरी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आचार्य महाप्रज्ञ झुंझुनूं जिले की मण्डावा तहसील के टमकोर गांव के हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1931 में आपने दीक्षा ली 11 साल की उम्र में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कब लोगे?

श्री अध्यक्ष : यह तो आपको देंगे। आपको दीक्षा देंगे, खुद नहीं लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जीवन के इतने लम्बे समय में अहिंसा का प्रचार-प्रसार जैन धर्म के माध्यम से किया। जैन कोई किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है। जैन धर्म ऐसा धर्म नहीं है, कौन माने, कौन नहीं माने, वैसे जितने तीर्थकर जैन धर्म में हुए, जैन शासन में हुआ वह सारे राजा महाराजा थे, वह सारे क्षत्रिय थे, उन्होंने अपने जीवन में जब यह देखा कि मुक्ति का मार्ग या शांति और अहिंसा का मार्ग यह राज्य से नहीं आएगा और राज के द्वारा शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने राजपाट छोड़कर और मुक्ति का मार्ग, शांति का मार्ग और अहिंसा का जो मार्ग है उसके लिए आगे आए, गृहस्थाश्रम और राज व्यवस्थाओं को छोड़कर वह अपने जीवन में चल पड़े।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस जाति के थे?

श्री महावीर प्रसाद जैन : सब क्षत्रिय थे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो बता दिया सब क्षत्रिय थे।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप तो नहीं छोड़ रहे हैं न?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका इरादा तो नहीं है न?

श्री हरिमोहन शर्मा : वह क्यों छोड़ेंगे, छोड़ना तो राजा महाराजाओं को है, आपको थोड़े ही छोड़ना है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आज के राजा महाराजा तो अपन ही हैं न लेकिन छोड़ना यह मन की बात है, यह छोड़ना, यह जो फर्क है, हम बहुत अच्छे भाषण देते हैं लेकिन हमारे भाषणों का लोगों पर कितना असर होता है और महाप्रज्ञजी के सानिध्य में उनको सुनकर कितना असर होता है, यह मनसा, वाचा कर्मणा जब तक मन, वचन और कर्म से एक नहीं होगा तब तक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

केवल शब्दावलियों के भाषणों से उद्धार नहीं हो सकता और इसीलिए यदि लोगों के जीवन परिवर्तन में उनका योगदान है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मनसा, वाचा, कर्मणा जो 31 से लेकर आज तक यानी 74 साल करीब हो गए, 74 साल की यह जो कठिन तपस्या है, आश्चर्य करते हैं लोग, 85 साल की उम्र में पैदल चलेंगे, बस आदि का कोई प्रयोग नहीं करते, इनका कोई मठ नहीं होता, कोई मठ व्यवस्थाएं नहीं हैं कि मठ होगा। यह एक जगह इनका अपना धर्मगुरू बनाकर अपने मठ का निर्माण करेंगे, यह सब निषेध है, यह जैन दर्शन में निषेध है, मठों का निर्माण करना, गाड़ी में चलना और परिग्रह, यह जो इस प्रकार के, संग्रह करना, पैसा-कौड़ी अपने पास रखना या कोई किसी प्रकार की चीज वस्तुएं उनका उपभोग करना होगा तो केवल जीवन जीने के लिए जो अल्प आहार करते हैं, जो निद्रा का भी त्याग करते हैं, जो जितनी आवश्यक है उतनी निद्रा और जितनी आवश्यक है, उतना भोजन करते हैं। ऐसे महापुरुष से ही जीवन परिवर्तन हो सकते हैं और ऐसे जो महापुरुष हमारी इसी राजधानी जयपुर में आए उनको इस सदन के माध्यम से मैं उनका स्वागत और सम्मान करना चाहता हूं और मैं संकल्प भी करना चाहता हूं, जैसे आप सब की भावना है कि केवल हम भाषण दें और अपना आचरण नहीं करें तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा तो आप अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा था कि जर्दा है गुटखा है, यह इस प्रकार के जो सेवन हैं और क्रोध आता है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मैं न गुटखा खाऊंगा, न मैं जर्दा खाऊंगा, न मैं ठंडा पेय पदार्थ यह पैकिंग पदार्थ पेप्सी वगैरह, न वह पीऊंगा..

एक माननीय सदस्य : आप व्यवधान भी न करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : व्यवधान मैं बिलकुल नहीं करता। अहिंसा का मतलब यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नियमों की जानकारी देना इनका काम है, कर्तव्य है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। अहिंसा का मतलब यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, बस।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि कर्तव्य का पालन नहीं हो, अहिंसा का मतलब यह नहीं है, कायरों की अहिंसा नहीं है यानी आप अहिंसा के नाम पर,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

गरीबों के नाम और नाम तो हम गरीबों का लें और गरीबों को मिटाएं। अब हम अहिंसा की बात करें और हिंसा को पैदा होने दें तो यह भी मैं समझता हूं कि अपराध है। इसलिए अहिंसा की बात करके केवल यह कहा जाए कि आप अपनी नीची गर्दन करके और सब अपराधों को होने दें, जो भी हम करते हैं उसको होने दें तो मैं यह समझता हूं अहिंसा का मतलब यह नहीं है। अहिंसा जो है वह वीरों की अहिंसा है। तो मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा था कि इस प्रकार के जो धर्म प्रवर्तक हैं जो देश और समाज का परिवर्तन करने के लिए निकले हैं, हम सब का यह कर्तव्य है, हम उनके जीवन से शिक्षा भी लें और उनके सान्निध्य में भी रहें और इसीलिए जो-जो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हिंसा का माहौल पैदा होता है, जैसा खाएं अन्न, वैसा होए मन, तो ऐसे कोई भी मतलब वस्तु का हम प्रयोग नहीं करेंगे, मैं तो अपने लिए कह सकता हूं कि चाहे वह पेय पदार्थ हो और चाहे खाने की वस्तु हो, मैं तो किसी पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा जिसमें हिंसा होती हो, अब वैसे हिंसा तो अन्न खाने में भी हो सकती है क्योंकि हमारे यहां यह एक जीव पदार्थ भी है। (व्यवधान) तो हम यह उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस संकल्प के साथ क्योंकि राजनीति में हैं लेकिन हम यह भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि कोई राजनीति छोड़कर राजपाट को छोड़कर ही इसका प्रचार-प्रसार करें, यह कोई आवश्यक नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे राजनीति में हुए हैं और भगवान बुद्ध उन्होंने भी इस प्रकार का राज में रहकर भी और उन्होंने बिलकुल अलिप्त रहकर, शिवाजी महाराज, वह राज्य का संचालन उन्होंने बिकुल राज से अलिप्त होकर राज का संचालन किया, अपने गुरु के चरणों में राज दरबार को भेंट करके ऐसे ही भरतजी ने राज किया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राजपाट छोड़कर ही हम अहिंसा और लोगों को ज्ञान दें तो इसलिए हम सब अहिंसा के मार्ग की ओर अग्रसर हों तो संकल्प लाने का और जिस प्रकार की हम चर्चा कर रहे हैं, सब माननीय सदस्यों का, एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो इसका कोई विरोध करते हो। ऐसा कोई भी संशोधन नहीं आया यानी हमारे यहां सारे संशोधन आते हैं लेकिन इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं आया कि जिसके कारण यह कहें कि नहीं, नहीं, हमारा तो विरोध यह है, हमारे यहां हिंसा नहीं है, यह अहिंसा यात्रा ठीक नहीं है, सारे संशोधन इसी प्रकार आए, किसी के पिताजी ने किसी के किसी ने।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, चार बजे विधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, साढ़े चार बजे।

डा. सी. पी. जोशी : मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली जैन साहब को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, यह जो हम संकल्प लाए हैं उसमें यह है कि प्रवेश के अवसर पर शांति एवं सदभावना के संदर्भ में सरकार इस यात्रा का प्रचार-प्रसार करे इसलिए माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना कि यह संकल्प जो हमने रखा है उसमें सरकार प्रचार प्रसार में क्या करेगी, वह बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सदन की, जो हमारी इच्छा है, संकल्प की, वह उसकी पूर्ति होगी, अब यह महावीरजी जो बोल रहे हैं, यह तो व्यक्तिगत है, आपकी बहुत अच्छी बात है कुछ चीजें जो आपने कही लेकिन हमारी मंशा यह थी कि इसके संदर्भ में सरकार प्रचार-प्रसार में जिससे कि इस देश में शांति और सदभावना बने, यह संकल्प की मंशा थी इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यह अभिव्यक्ति दें तो मैं समझता हूं कि इसके द्वारा गरिमा बढ़ेगी। मेरा यही निवेदन है खाली।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस प्रस्ताव पर अभी विचार चल रहा है और प्रस्ताव पर अभी माननीय सदस्य बहुत बोलना चाहते हैं, जब प्रस्ताव का अंतिम रूप आएगा,- अगले शुक्रवार के बाद जब भी मीटिंग होगी उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी भी कहेंगी।

डा. सी.पी. जोशी : घनश्यामजी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, महाप्रज्ञ अभी यात्रा पर आए हुए हैं, इसका समसामयिक महत्व अभी है, उनकी यात्रा निकल जाएगी उसके बाद आप कहेंगे तो क्या रहेगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनकी यात्रा का तो स्वागत कर रहे हैं, पांच साल तक और चलेगी। (व्यवधान) इस संकल्प पर बहुत सारे विचार करना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : घनश्यामजी, मान्यवर, आप या तो सरकार की तरफ से हां बोल दें।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य सरकार की तरफ से तो जवाब देने का या कोई अपनी तरफ से बात कहने का जब अवसर आएगा जब सारा सदन इस पर बोल चुके, अपने विचार प्रकट कर चुके, उसके बाद प्रश्न आएगा यह, उसके पहले थोड़े ही आ जाएगा।

डा. सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इतने वरिष्ठत हैं, बोलना अच्छा लगता नहीं है, अभी माननीय कटारिया साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कटारिया साहब ने सदस्य के रूप में नहीं रखे, राजस्थान सरकार के गृह मंत्री भी हैं तो कोई बात हम रखते हैं तो उसकी गरिमा बढ़ती है, मुझे मालूम है कि यह प्रस्ताव आप पास नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और शासकीय संकल्प का स्वयं के विचार भी। (व्यवधान) यह संकल्प फिर आएगा।

डा. सी. पी. जोशी : आप अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें, यह प्रस्ताव लाने का अधिकार हमें है, सदस्य को यही अन्तर है और जो सदस्य यहां पर अभिव्यक्त कर रहे हैं, कटारियाजी यहां बोल रहे हैं, माननीय जो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी गरिमा इसलिए बढ़ रही है कि वे गृह मंत्री भी हैं। इसलिए मैं इसमें नहीं हूं, मुझे पता है कि सरकार संकल्प लाने के बाद निर्णय करे उसमें समय लगेगा, हम प्रस्ताव पास नहीं करें लेकिन समसामयिक रहेगा क्योंकि महाप्रज्ञ जी..(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : मिनिस्टर एज मैम्बर पार्टिसिपेट करते रहे हैं, एज मिनिस्टर थोड़े ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : पता है बिराजो आप। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि समसामयिक रहेगा, महाप्रज्ञजी अभी जयपुर आये हुए हैं उसमें अभिव्यक्ति करें तो उसकी गरिमा रहेगी। मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि सरकार प्रस्ताव पास करे लेकिन मेरी मंशा यह है कि इसमें गरिमा बढ़ेगी, एक मैसेज ज़ाएगा, यह बात कह रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं क्योंकि आप इस संकल्प को ही देखें, इसमें यह नहीं लिख रहे हैं कि अभी महाप्रज्ञजी आये हुए हैं, सरकार क्या कर रही है। इसमें यह लिख रहे हैं कि अगले चरण में, अगला चरण जब होगा तब तक सरकार क्या व्यवस्था करेगी यह सरकार बता दे।

श्री अध्यक्ष : हां, बिलकुल ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी माननीय मुख्य मंत्रीजी आज सुबह गई थीं, उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ का स्वागत किया है। मैं भी उनके कार्यक्रम में गया था, हमने भी स्वागत किया है। और भी सब लोग जा रहे हैं, जयपुर में उनका स्वागत है। हमारे महापौर गये हैं, जयुपर में प्रवेश के समय उनको चाबी दी, उनको स्वागत किया तो सरकार स्वागत कर रही है उसमें दिक्कत ही नहीं है। चाबी ही सौंप दी जयपुर की हमने तो आचार्य जी को।

डा. सी. पी. जोशी : आपने महाप्रज्ञजी का स्वागत किया उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह नहीं है, आप इसको अन्यथा क्यों ले रहे हैं। पार्टिसिपेट करेंगे तो गरिमा बढ़ेगी, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैंने तो कहा कि आप अपने विचार अभिव्यक्त करें। आप नहीं करना चाहें तो आपके ऊपर है, मैं तो थोड़े ही कह रहा हूं कि आप विचार अभिव्यक्त करें ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मुख्य मंत्रीजी भी करेंगे लेकिन उसके पहले और भी माननीय सदस्य विचार करेंगे।

श्री जुबेर खान : महावीरजी तो सदन की भावना के अनुरुप बोल रहे हैं क्योंकि सदन की यह मांग थी कि महावीरजी बोलें और वो जितनी देर बोलें उनको बोलने दिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : महावीर का मतलब वीर होना। मुख्य मंत्रीजी, वीर होना तो बहुत छोटी बात है, वीर वह होगा जो बहादुर हो, लड़ाई करे और महावीर वह होता है जो अहिंसक हो। तो यह महावीर हैं तो वीर तो कोई भी हो सकता है लेकिन महावीर वो होता है जो अहिंसक होता है और इसलिए ये महावीर हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अगर आप ऐसे महावीर बना दें तो यह कुरुक्षेत्र का क्षेत्र बन जाएगा। इसको महावीर की उपाधि देते हैं आप जैसे विद्वान आदमी, कमाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धरती पर जब आंख खोली थी तो वो उपाधि लेकर के आये थे। इन्होंने जब इस धरती पर आंख खोली थी तब यह उपाधि लेकर के आये थे, आज नहीं महावीर वर्षों से हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब महावीर धरती पर आये तो वहां पर नाग आया जो उनको देखकर के चला गया। जब वो महावीर खेल रहे थे...

श्री अध्यक्ष : धरती पर तो महावीर सब हैं लेकिन विधान सभा में आप ही हो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह तो वो हैं कि आई सी, बट ओनली जट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी :... असली अहिंसक का नाम तो रामप्रतापजी ने ले दिया।

डा. सी. पी. जोशी : यह तो कल की फिल्म का असर है। कल की फिल्म का डायलाग अभी तक याद है, आप एप्रिशियेट कीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें। समय समाप्त होता जा रहा है इसलिए समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो अपनी बात यही कह कर कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, लेकिन मेरा मार्ग इस प्रकार का हो कि जिसमें कोई मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो और यदि मान लो प्रतिपक्ष के नेता महोदय को मेरे व्यवहार से कष्ट हुआ है, वैसे मेरा आचरण तो अच्छा ही रहता है कि आप देखकर के कोई इस प्रकार का काम नहीं करो। वैसे मैं जो समझ पाया वो मेरे कारण से यह ही हुआ फिर भी यदि किसी को मेरे व्यवहार से, खासकर प्रतिपक्ष के नेता महोदय को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब इतने महावीर अहिंसक हो गये हैं तो कल्लाजी, फिर टेलीफोन पर आप भी हो जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारे यहां तो यह कहा है- "क्षमा वीरस्य भूषणम्" मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में भी।

श्री अध्यक्ष : चार बजकर पांच मिनट हो गये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कम से कम 20 मिनट तक अहिंसा पर बोला हूं। मैं कभी अपने मन, वचन, कर्म से किसी को ठेस नहीं पहुंचाता हूं और पहुंचाता हूं तो उसके लिए क्षमापना पर्व पर क्षमा मांगता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल परसों का कृत्य है उसके लिए मांग लो। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : रोज की रोज क्षमा मांगी जाती है, क्षमापना पर्व पर ही नहीं मांगी जाती है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बता दीजिये किसके प्रति क्या अपराध किया है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : न जान में, अनजान में मनसा वाचा कर्मणा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं केवल पांच मिनट का समय दे रही हूं आपको, इससे अधिक नहीं दूंगी।

डा. एन. एस. गुर्जर : पांच मिनट ही। अध्यक्ष महोदय, मैं भी महाप्रज्ञजी के समर्थन में जो प्रस्ताव आया है उसका स्वागत करता हूं क्योंकि उनके आर्टिकल धर्म पर, राजनीति पर, विज्ञान पर, मेडिकल साइंस पर आते रहते हैं और मैं पढ़ता रहता हूं, मैं तो यह समझता हूं कि कई बार यह कहते हैं कि चेला गुरु से बढ़कर के होता है। मैंने आचार्य तुलसीजी को भी सुना है, महाप्रज्ञजी को पढ़ा है, सुना तो ज्यादा नहीं है लेकिन उनके जो विचार हैं, बड़े स्पष्ट और मानवता के लिए बहुत उपयोगी हैं इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं जिस विषय पर आ रहा हूं जिस पर विस्तृत रूप से बहुत चर्चा हो गई है इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं जल संरक्षण के ऊपर बोलना चाहता हूं और उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था "जल संकट एक गंभीर चुनौती" जो हिन्दी और इंग्लिश के कई समाचार पत्रों में छपा था। उसके आधार पर अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 10.74 प्रतिशत भू-भाग है उसका पशुधन 19 प्रतिशत है और आबादी 5.40 प्रतिशत निवास करती है जिसमें से करीब-करीब 61 प्रतिशत तो मरुस्थल है और 80 प्रतिशत सेमी मरुस्थल है।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत पहले का कहा है, अब 5.64 है।

डा. एन. एस. गुर्जर : अब ज्यादा और गया और पानी की मात्रा केवल 1.28 प्रतिशत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वो भी कम हो गया है, एक प्रतिशत हो गया है।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, एक परसेंट हो गया। इस साल बारिश हो गई इसलिए वापस 1.28 हो गया।

श्री रामप्रताप कासनिया : हिन्दुस्तान की सेना बढ़ती रही तो यह सब कुछ कम पड़ जाएगा इस पर विचार करो।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह जो बीच-बीच में समय ले रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा समय बढ़ा देना। अध्यक्ष महोदय, हमारे 237 ब्लॉक्स हैं उनमें से 135 ब्लाक्स मैंने छांटे हैं उसके हिसाब से मैंने लगाया है, मैंने सारे सन्दर्भ देखे हैं, राजस्थान में 237 ब्लॉक्स हैं और 135 में से 49 ब्लाक्स हैं जो पानी के लिए सुरक्षित हैं। 34 ब्लाक्स में से 31 सेमी क्रिटिकल हैं। ये जो 237 ब्लॉक्स हैं इनमें से 80 ब्लाक्स क्रिटिकल हैं और 86 ब्लाक्स ओवर एक्सप्लायटेड हैं और जो 71 जोन्स हैं, टोटल 201 जोन्स हैं, वो डार्क जोन्स हैं।

श्री रमेश खींची : ये सारे आंकड़े बता दिये इनको रिपीट मत करो।

डा. एन. एस. गुर्जर : ये अलग-अलग हैं। ये नहीं है, ये अलग हैं। वो जो उन्होंने बताया है...

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का समय समांप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने किसी सन्दर्भ से लिया हैं और ये स्वरचित हैं। ये स्वरचित करते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : ये जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं वो अलग हैं। मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि उन्होंने कौन से आंकड़े दिये हैं। 201 डार्क जोन्स हैं इनमें से 71 जोन्स, इनमें 65 से 70 प्रतिशत ग्राउंट वाटर डवलपमेंट, 173 जोन्स हैं उनमें ओवर एक्सप्लायटेड है डवलपमेंट आफ हण्डरेड परसेंट ग्राउंड वाटर का। अब ये आंकड़े रिपीट किये हैं क्या, यह देख लीजिये। इसलिए पहले समझने की कोशिश करिये। यह मैं अलग चीज दे रहा हूं। थोड़ी बात पूरी सुनें तो समझ में आयेगी।

श्री अध्यक्ष : आप व्यर्थ की बातों में मत जाओ, आप अपनी बात कहो।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राज्य के 87 प्रतिशत क्षेत्रफल में पानी कम स्तर 0.32 मीटर से 5.12 मीटर तक गिरा। यानि इतने क्षेत्रफल

(डा. एन. एस. गुर्जर)

में इतना जल स्तर गिर गया और यह 10वीं योजना का जो मसौदा था उसके अन्दर इस बात का प्रयास किया गया कि कोई जन नीति बनाई जाए ये कितना-कितना प्रतिशत ट्यूबवैल है, कितना नहीं है, यह तो मैंने मेरे इस आर्टिकल में दिया हुआ है और यह शायद माननीय सदस्य ने आंकड़े रख दिये होंगे, मुझे मालूम नहीं है, यह रख दिये होंगे जिसमें 332... (व्यवधान) 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 63 सेमी. वर्षा होती है और 10 जिले हैं उनमें 32 सेमी. वर्षा होती है इसलिए यह जो वाटर की अवेलिबिलिटी है यह राजस्थान के अन्दर बहुत कम है दूसरे स्टेट्स की तुलना में। हमारे पास दो ही चारे हैं। एक तो सतही वाटर का हम उपयोग करें बरसात का। एक तो जितने नदी-नाले बहते हैं, इनके पानी को एनीकट्स बनाकर, मीडियम बांध, बड़े बांध बनाकर उनको रोकें और सतही जल को रोकें। दूसरा आप्शन है जो हमारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट हैं, गुजरात के साथ नर्मदा का मामला है, मध्यप्रदेश के साथ चम्बल का मामला है, हरियाणा के साथ यमुना का मामला है और पंजाब के साथ सतलज का मामला है, अलग-अलग नदियों का मामला है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि हमारे पास सतही जल को सुरक्षित रखना, उसके लिए मैंने बताया कि वह हम एनीकट्स, मीडियम बांध, बड़े बांध बनाकर कर सकतें हैं। दूसरा यह तरीका है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारे पानी के डिस्पुट हैं उनको हम सोल्व करके ज्यादा से ज्यादा पानी वहां से प्राप्त करें। और तीसरा एक विकल्प है कि माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयीजी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी। उस योजना को हम क्रियान्वित करायें। अध्यक्ष महोदय, इस केन्द्र सरकार ने, यू.पी.ए. सरकार ने आते ही यह सारी की सारी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। मैं चाहूंगा, प्रतिपक्ष के नेता महोदय बैठे हैं, सरकार भी पत्र लिखे। अगर यह योजना चालू हो गई तो जिस तरह से हरियाणा ने शर्त रखी है कि शारदा का पानी जायेगा, शारदा-यमुना लिंक बनेगी तो हम आपको पानी देंगे और वैसे आप इन्दिरा गांधी नहर के पेरेलल चलते हुए, आगे चलते हुए इसमें नर्मदा में मिलेगी और नर्मदा से आगे और आगे नदियां आ जायेंगी तो हमको यह लाभ होगा कि इनसे जो हमारा पूरा पैस्टर्न एरिया है, जो हमारा मरुस्थलीय एरिया है जिसमें 61 प्रतिशत रेगिस्तान है और सेमी मरूस्थलीय है, वह 80 प्रतिशत के आसपास है, इसमें सबमें उस जल का उपयोग हो सकेगा और हमारे यहां पानी की दिक्कत, सोफ्ट ड्रिंकिंग वाटर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक समस्या हो गई पानी की, उसका समाधान आप बता दें। अटलजी वाली बात बताई। पिछली बार इन लोगों ने सब जगह नारे लिखा दिये कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ और उस कारण से वह बादल ऊपर से आये और उन्होंने देखा कि पानी बचाओ, यह सरकार का आदेश है, वे वापस भाग गये और चार साल तक अकाल पड़ा और उन बादलों को समझाने की क्या प्रक्रिया करें ताकि पानी आ जाये, यह बताओ आप तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वृक्ष लगाओ तो पानी आ जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने डरा दिया उनको, आपने डरा दिया उनको कि पानी बचाओ, डरा रखा था इसलिए वह देखकर वापस चले गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वे नारे से नहीं डरे, आपने भेदभाव किया है इसलिए नहीं आये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है कि पानी बचाओ, अगर बरस गये तो जेल में डाल देंगे तो चले गये वापस। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ऊपर के पानी को कोई रोक सकता है क्या, सुनामी को रोका क्या किसी ने? कोई नहीं रोक सकता उसको, न तो नारा रोक सकता, न कलम रोक सकती, न सरकार रोक सकती। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपका आइडिया बिलकुल सही है। माहिरजी बैठिये। घनश्यामजी, हम आपकी बात से बिलकुल सहमत हैं कि उन बादलों को नाथूसिंहजी को मंत्री बनाकर जी.ओ. निकालते, बाकी नहीं निकल सकता। जब तक ये मंत्री नहीं बनेंगे, जी.ओ. नहीं निकलेगा, तब तक वे बादल ऊपर से जाते रहेंगे। आप तो यह काम करो बाकी सब ठीक हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं खतम कर रहा हूं। मेरा इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि जितने हमारे पंडित-देवता बैठे हैं, अगर इनके जिम्मे लगा दिया जाये इन बादलों को बनाने का काम तो यज्ञ-वज्ञ करके इनको मना लेंगे ताकि वे वहीं बरसेंगे. वरना यह हमारे बस की बात नहीं है बादलों से पानी लेने की। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पहले जब यज्ञ करते थे तो सबसे पहले आहूति राक्षसों की देते थे ताकि यज्ञ में कोई विघ्न वगैरह नहीं पड़े।

डा. एन. एस. गुर्जर : अब कौनसे राक्षस हैं जिनको आप आहूति दे दें।

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, तीनों ही गैर सरकारी संकल्प के ऊपर बहस अधूरी रही है। यह बहस कंटीन्यू करेगी अगले नोन-आफिशियल डे पर इसलिए अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : आगे बोल लेंगे। धन्यवाद साहब।

सूचना

श्री नाथूसिंह गुर्जर का वर्ष 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयन

श्री अध्यक्ष : इससे पूर्व कि विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए मैं स्थगित करूं, इससे पहले मैं सदन को एक सूचना देना चाहूंगी। दिनांक 4 अगस्त, 2004 को सदन में सदन की माननीय नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे ने संसदीय गरिमा के साथ विधान सभा की कार्यवाही में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले माननीय विधायक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किये जाने और उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों से स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने का प्रस्ताव किया था और उसके अनुसरण में सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने डाक्टर एन.एस. गुर्जर माननीय विधायक को वर्ष 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयन किया है। क्योंकि इसमें यह निर्णय हो गया था कि जो फर्स्ट टाइमर हैं, उन्हें कंसीडर नहीं किया गया था इसलिए किसी को भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट टाइमर को इस बार किया नहीं गया था...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री नहीं बनने का फायदा मिला है। बधाई हो, बधाई हो नाथूसिंहजी।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं माननीय मंत्रियों को यह सूचित कर देना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक नहीं लिया जायेगा क्योंकि उनकी भी जो परफोरमेंस विधान सभा में है, उस आधार पर उन्हें भी सर्वश्रेष्ठ

(श्री अध्यक्ष)

विधायक के लिए चयन किया जा सकता है इसलिए वह भी अपनी परफोरमेंस अच्छी बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी : इसमें तो वे पास हुए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसके साथ ही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसा तो नहीं होगा कि अगली बार भी ये ही जीते।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं दुबारा नहीं होगा। वह तो साल भर में सर्वश्रेष्ठ हो गये। उसके बाद दूसरे का ही नम्बर आएगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : उसके लिए जो घनश्यामजी ने सुझाव दिया है, घनश्यामजी आप अपना सुझाव बदल लेना फिर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मेरी ओर से बधाई देती हूं, गुर्जरसाहब को बधाई देती हूं और सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको बधाई देती हूं। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को बुलवा लीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : वेजीटेरियन पार्टी देवें गुर्जर साहब।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं दो मिनट बोल लूं?

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप 200 विधायकों को बुलायेंगे वहां आप दो मिनट बोल सकते हैं। आप पार्टी देंगे, उसमें बोल सकते हैं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब यह सरकार के ऊपर है कि वह सर्वश्रेष्ठ विधायक को मंत्री बनाती है क्या? यह आप पर है कि सर्वश्रेष्ठ के लिए निर्णय लिया जावे कि अगर सर्वश्रेष्ठ विधायक मंत्री नहीं बना तो फिर सर्वश्रेष्ठ विधायक का चक्कर पड़ जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम उनको सर्वश्रेष्ठ ही रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन को स्थगित करने के बाद में, आप सब लोगों के लिए बाबा रामदेवजी महाराज यहां पर आये हुए हैं और वे अभी यहां पर आपके सामने आप सबको अपना कुछ बतायेंगे, आपको योग-आसन, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। जो उनसे लाभान्वित होना चाहें वे सामने पहुंच जायेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : राष्ट्रमण्डलीय संसदीय संघ की बैठक, उसका क्या हुआ? नहीं, हाऊस में होती है एडजोर्न होने के बाद। यही कह रहा हूं मैं, वह अंतिम दिन होती है, पहले भी हुई।

श्री अध्यक्ष : वह हो चुकी है, आप पहुंचे नहीं, कोरस पूर हो गया था, आप पहुंचे नहीं थे। आम सभा की तो नहीं हो पाई लेकिन एग्जीक्यूटिव की हो गई थी। (व्यवधान) राष्ट्रगान तो तब होगा जब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी। उसके बाद होगा पहले थोड़े होगा। उसके बाद होता है वह तो। सदन की नेता ने कहा, मुझे बुला लेना जन-गण-मन हो तो। इसलिए मैं सोचती हूं वह आ जाये, इसलिए जब तक दो मिनट के लिए आप कुछ कहना चाहें, आप सदन के प्रति आभार प्रदर्शित करें।

आभार

सर्वश्रेष्ठ विधायक, 2004 श्री नाथूसिंह गुर्जर द्वारा आभार प्रदर्शन

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति...

श्री अध्यक्ष : मेरे प्रति नहीं, समिति के प्रति।

डा. एन. एस. गुर्जर : मैं सबके प्रति ही कह रहा हूं। मैं आ रहा हूं। आप मेरी बात सुनें।

श्री जुबेर खान : आपके अन्दर सब निहित हैं अध्यक्ष महोदय।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप मेरी बात सुनें अध्यक्ष महोदय। आप मेरी बात पूरी सुनें अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपका बहुत ही लम्बा जीवन संघर्षमय और अनुभव, सारी प्रक्रियाओं का, नियमों का ज्ञान आपको रहा है..

श्री अध्यक्ष : इसका प्रश्न नहीं है अभी करने का।

डा. एन. एस. गुर्जर : और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, इसके साथ ही माननीय सदन की नेता के प्रति आभार प्रकट करता हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता के प्रति आभार प्रकट करता हूं, संसदीय मंत्रीजी, मुख्य

(डा. एन. एस. गुर्जर)

सचेतकजी, माननीय माथुर साहब, जो बहुत ही हमारे सीनियर सदस्य रहे हैं, इस कमेटी ने जो सर्व-सम्मति से निर्णय लेकर मेरे जैसे, माननीय उपाध्यक्षजी, जो भी हैं, सर्वसम्मति से निर्णय लेकर मेरे जैसे छोटे आदमी को यह जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं सभी के प्रति। इसके साथ ही माननीय सदस्य सदन के, चाहे पक्ष के हों, चाहे प्रतिपक्ष के हों, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि इन सबके आपके सब के सहयोग से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और हम लोग यहां पर कोशिश करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करने की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : महीपाल सिंहजी को भी दो।

डा. एन. एस. गुर्जर : उनको भी दूंगा। और अध्यक्ष महोदय, इसमें विधान सभा के सभी सम्मानीय अधिकारी और सभी कर्मचारी जो हमें समय-समय पर सहायता उपलब्ध कराते हैं, मेटेरियल उपलब्ध कराते हैं, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानीय व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं, पत्रकार बंधु, उनके..(व्यवधान) यहां से नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। (व्यवधान) ठीक है, ठीक है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अभी हाउस चल रहा है, नियमों का आप खुद ही निर्वहन करें, it cannot be part of assembly proceedings.

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, छोड़ दिया न मैंने।

डा. सी. पी. जोशी : I am very sorry to say...

डा. एन.एस. गुर्जर : छोड़ दिया, छोड़ दिया।

डा. सी.पी. जोशी : No. no, I am very sorry to say it पर कुछ परम्पराएं आप बना रहे हैं, यह परम्पराएं ठीक नहीं है। अब जब इनका स्वागत करें तब करें, ठीक है, how can be it a part of proceedings?

डा. एन. एस. गुर्जर : हां, ठीक है। छोड़ दिया। छोड़ दिया।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, तो अनफोर्चनेट चीजें हम कर रहे हैं, nobdy wants to point it out. हम कुछ चीजों को, सदन की परम्पराओं को निर्वहन नहीं करना चाहते।

डा. एन. एस. गुर्जर : चलिये, मैंने छोड़ दिया, क्यों बहस कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में अगली साल अलग-अलग दोनों को दिया जाय, जो महिला भी अच्छा प्रदर्शन करती है और इस बार जो सर्वश्रेष्ठ चुने गये हैं इनमें यह दोनों ही गुण मौजूद हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ विधायक अच्छी तरह से हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान का राज दे दिया, राज्यपाल दे दिया, विधान सभा का अध्यक्ष, और क्या देना चाहते हो महिला को। राजस्थान का शासन आपके पास है, महामहिम राज्यपाल हैं और आसन पर आप विराज रही हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, दो पदवी मिली। आज आपने माननीय नाथूसिंहजी को सर्वश्रेष्ठ विधायक कहा और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उनको अर्द्धनारीश्वर का स्वरूप प्रदान किया है।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक..

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात।

श्री अध्यक्ष : हो गया बहुत।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जो हमको चुन करके सदन में भेजती है..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप सदन को जो अपनी गरिमा है..

डा. एन. एस. गुर्जर : इससे अच्छा, क्या गरिमा, मैंने क्या कह दिया...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह बात हमने आपसे पहले भी की है, how can it be part of the proceedings? What are you doing? कोई आदमी कहना ही नहीं चाहता किसी चीज को। Why are you setting wrong precedent? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज जरा मुस्कुरा कर विदा होंगे, अपने मित्र हैं आखिर, बात खतम हुई, हो गई बात।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं-नहीं, आपकी और हमारी सब की ड्यूटी है कि कुछ परम्पराओं का निर्वहन हम करें। नहीं करना चाहते, मत करिये आप, क्या तकलीफ है, कोई कहना ही नहीं चाहता किसी चीज को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। अब राष्ट्र गान होगा।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा
द्राविड़, उत्कल बंगा
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.25 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

सिरोही जिले में राजस्व ग्राम घोषित होने योग्य ढाणी/मजरे

429. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही में ऐसे कितने ढाणी/मजरे हैं जो सरकार के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ग्राम घोषित होने योग्य हैं? वर्ष 2004 में ऐसे कितने मजरों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले शेष मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सिरोही में निम्न 9 ढाणी/मजरे हैं जो निर्धारित मानदण्ड के अनुसार राजस्व ग्राम घोषित होने योग्य हैं :-

1-गोलिया 2-नई धनाड़ी 3-नवी जमीन 4-सिलवणी 5- बीलर 6-हमीरपुर 7-नया पिपलियां 8-देवनगर 9-वास

वर्ष 2004 में किसी ढाणी/मजरे को नवीन राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

(2) माह अगस्त, 2002 से प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर परिसीमनं आयोग की रोक के कारण किसी ढाणी/मजरे को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों का रखरखाव

430. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा कृषि विपणन विभाग द्वारा निर्मित एवं संधारित की जाती हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इनका अलग-अलग रिकार्ड संधारित किया जाता है?

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की सड़कों की सूचियां विभागवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दोनों विभाग अपने-अपने वार्षिक प्रस्ताव बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों के चर्चा के तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराते हैं, जिससे प्राथमिकता के कार्य पूर्ण नहीं हो पाते?

(3) सरकार उक्त विसंगित को समाप्त करने हेतु क्या जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की एक समिति गठित किये जाने का विचार रखती है, ताकि वार्षिक प्लान पर स्वीकृति से पूर्व औचित्य/प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सार्वजनिक निर्माण विभाग व राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित एवं संधारित सड़कों की सूची क्रमशः परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जो कार्य कराये जाते हैं उनकी स्वीकृति संबंधित कृषि उपज मंडी के प्रस्ताव पर कृषि विपणन निदेशालय के मार्फ़त राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देशानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गए प्रस्तावों का पंचायत समिति की साधारण सभा, जिला आयोजना समिति एवं जिला परिषद से अनुमोदन के उपरान्त राज्य स्तर पर गठित राज्य स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी से अनुमोदन उपरान्त प्राप्त भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। जिला परिषद में माननीय सांसद एवं माननीय विधायक महोदय, जो कि जन प्रतिनिधि है, सम्मिलित है तथा उनके सुझावों का प्रस्ताव में पूर्ण ध्यान रखा जाता है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार योजना का प्रारूप तैयार कर कुछ परियोजनाओं को संबंधित क्षेत्रीय विधायक को भेजकर विधायक द्वारा अनुशंषित क्रमानुसार कार्य कराये जाने का प्रचलन है। जैसे आर.यू.पी.-प्रथम, द्वितीय, मिसिंग लिंक तथा आर.एम.यू.पी. प्रथम व द्वितीय के कार्य कराये जा रहे हैं

(3) जी नहीं। प्रश्न के भाग (2) में दिये गये उत्तर के अनुसार परियोजनाओं के प्रस्तावों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी रखी जा रही है। अतः जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों की कमेटी की अलग से आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अधीन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित एवं संधारित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)
1	माखुपुरा हट्रूण्डी राजगढ़ रोड	15.00
2	किशनगढ़ अरड़का रोड 5/0 से 15/0	10.00
3	तिलोरा कड़ेल	11.50
4	पुष्कर गोविन्दगढ़	18.00
5	हट्रूण्डी तबीजी दोराई	10.00
6	पीसांगन पिचोलिया पुष्कर	21.40
7	ब्यावर गोला पीसांगन रोड़ 22/0 से 35/600	13.60
8	झमाड़ा भांवता बुधवाड़ा पीसांगन 1/500 से 21/500	20.00
9	जेठाना नागेलाव करनोस 6/500 से 16/500	10.00
10	खरखेड़ी पुष्कर	6.20
11	फाईसागर अजयसंर	5.00
12	पीसांगन पगारा	5.00
13	गेगल रामनेर की ढाणी	11.00
14	लीलासेवड़ी बुढा पुष्कर	2.50
15	मगरा उटड़ा जाटली	4.00
16	गेगल आखरी खोड़ा गणेश	8.00

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)
17	एन.एच. 8 से मकरेड़ा डोडियाना दांतड़ा कालेसरा 8/0 से 14/0	6.00
18	घुघरा लाड़पुरा नोलखा श्रीनगर 0/0 से 6/0	6.00
19	पुष्कर देवनगर खोरी 0/0 से 4/500	4.50
20	मगरा कुचील	4.00
21	होशियार कुचील	4.00
22	पीसांगन मेवाड़िया करनोस	16.00
23	स.व. नरवर	3.00
24	स.स. चामुण्डा माता मन्दिर	1.75
25	स.स. अजमेर बाईपास से भदून	0.50
26	स.स. धुवारिया वाया भटसूरी	11.00
27	स.स. रामपुरा ड़ाबला	4.00
28	गगवाना मोहामी	5.00
29	स.स. बांसेली	2.20
30	गगवाना छातड़ी कायमपुरा 5/0 से 8/0	3.00
31	स.स. गेगल	1.30
32	माकडवली पुष्कर बाईपास	0.80
33	सराधना मसीना	4.00
34	पीसांगन रिछमालिया	8.00
35	नांद रामपुरा	2.50
36	गोविन्दगढ़ से लाड़पुरा	4.00
37	अरड़का से मगरी	2.50

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)
38	भगवानपुरा से अखेपुरा वाया जसवन्तपुरा	6.00
39	गनेहड़ा से चावण्डिया लिंक रोड़ आखरी	1.90
40	लिंक रोड़ आखरी	1.00
41	स.स. गगवाना एन.एच. 8 से	2.70
42	करनोस से रतनगढ़	2.52
43	पीसांगन करनोस से केसरपुरा	0.60
	कुल योग	279.97

परिशिष्ट-"ब"

पुष्कर विधान सभा क्षेत्रवार के अधीन राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित एवं संधारित सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)
1	कांलेसरा दांतड़ा	3.00
2	कालेसरा बुधवाड़ा	3.00
3	जेठाना नागेलाव	6.00
4	नागेलाव सरसड़ी	4.50
5	डूमाड़ा	1.80
6	गगवाना	0.60
7	नरवर	1.60
8	दौराई	1.25

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी. में)
9	कायड़	4.50
10	माकड़वाली	5.00
11	सोमलपुर	3.50
12	रसूलपुरा	2.00
13	डोडियाना से नाथूथला	4.00
14	तबीजी से मियापुर	4.00
15	ऊटड़ा	4.20
16	सेन्दरिया	1.40
17	आम्बा मसीना	2.80
18	भटसुरी	2.90
19	गगवाना छातड़ी	5.00
20	देवनगर से खोरी	5.50
21	शिवपुरा	3.50
22	नयागांव	1.60
23	अजमेर (अनाज) योग	71.65
24	एन.एच. 8 से सराना	3.30
25	अजमेर (फल व सब्जी) योग	3.30
	कुल योग :-	74.95

नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के मानदण्डों की पूर्ति

431. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थाएं कहां-कहां संचालित हैं और उनकी प्रवेश क्षमता कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इंडियन नर्सिंग काउन्सिल में इनमें से कुछ संस्थाओं की मान्यता रद्द कर दी गई है? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं की और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इंडियन नर्सिंग काउन्सिल के मानदण्डों के अनुसार उक्त शिक्षण संस्थाओं में स्टाफ व सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन सभी संस्थाओं को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान 15 हैं, जिनकी प्रवेश क्षमता प्रति केन्द्र 60 सीटें निर्धारित हैं। ये निम्न स्थानों पर हैं :-

1. अजमेर 2. बीकानेर 3. जयपुर 4. जोधपुर 5. कोटा 6. उदयपुर 7. अलवर 8. बाड़मेर 9. भीलवाड़ा 10. बांसवाड़ा 11. भरतपुर 12. श्रीगंगानगर 13. जालौर 14. पाली 15. सीकर

(2) जी हां। यह सही है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कुल 15 सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में से निम्नलिखित संस्थाओं की मान्यता इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नये सिलेबस 1986 जो वर्ष 2000 में राज्य में लागू किया गया था के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भौतिक सुविधाओं व टीचिंग स्टाफ की कमी के कारण रद्द की थी। मान्यता रद्द संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अजमेर 2. बीकानेर 3. जोधपुर 4. कोटा 5. उदयपुर 6. अलवर 7. बाड़मेर 8. भीलवाड़ा 9. बांसवाड़ा 10. श्रीगंगानगर 11. जयपुर

(3) जी हां। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदण्डानुसार उक्त शिक्षण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

संस्थाओं में स्टाफ व सुविधायें उपलब्ध कराकर इन सभी संस्थाओं को पुनः संचालित करने का विचार रखती है। इस हेतु विभाग द्वारा आई एन सी के नार्म्स के अनुसार 15 प्रधानाचार्य प्रति केन्द्र एक, 15 उप प्रधानाचार्य प्रति केन्द्र एक एवं 216 नर्सिंग ट्यूटर के पद नव सृजित कराने हेतु बजट निर्णायक समिति वर्ष 2005-06 में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर व बाड़मेर की मान्यता पुनः बहाल कराई जा चुकी है तथा शेष की मान्यता बहाल कराने की कार्यवाही जारी है।

कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के कृषकों को फव्वारा सिंचाई हेतु अनुदान

432. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला कृषकों को फव्वारा द्वारा सिंचाई हेतु किस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार दी जाने वाली फव्वारा सिंचाई अनुदान में कटौती की गई है? यदि हां, तो कितनी? यह निर्देश कब से जारी किये गये एवं कटौती करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सामान्य वर्ग के कृषक को आइसोपोम स्कीम के अन्तर्गत फव्वारा सिंचाई पर सबसिडी उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इसके लिए क्या निर्देश जारी किये गये हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2004-05 में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन के किन-किन अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला एवं सामान्य वर्ग के कृषकों को कितनी-कितनी राशि अनुदान में प्राप्त कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सभी श्रेणियों की महिला कृषकों का कन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं यथा आईसोपोम, सघन कपास विकास योजना व कार्य योजनान्तर्गत वर्ष

(कृषि मंत्री)

2004-05 के विभागीय दिशा निर्देशानुसार इकाई लागत या निर्माता की उद्धृत दर (जो भी कम हो) का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1.0, 1.5, व 2.0 हैक्टेयर के लिए क्रमशः रुपये 5050, 6100 व 7350 प्रति सैट अनुदान देय है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों से लगातार भारत सरकार द्वारा देय अनुदान से कम अनुदान दिया जाता रहा है। वर्ष 2000-01 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान राशि के मानदण्ड, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि एवं जारी किये गये आदेशों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राज्य में अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने एवं व्यवहारिक बाजार दर पर अनुदान उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अधिकतम सीमा में कटौती की गई है।

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संदर्भित अंश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) वर्ष 2004-05 में पंचायत समिति, कुचामन क्षेत्र के एस.सी./एस.टी./महिला एवं सामान्य वर्ग के कृषकों को दिये गये अनुदान की कृषक सूची मय अनुदान राशि परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी विधान सभा क्षेत्रं में बांध व एनिकटों का निर्माण

433. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जल स्तर वृद्धि हेतु विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में बांध व एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कोई नया बांध का निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। जल स्तर वृद्धि हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्रथम चरण में 7 एनीकट राशि 24.75 लाख के स्वीकृत किये गये (सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है) परन्तु स्वीकृत राशि कम होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके। द्वितीय चरण में उक्त कार्यों की संशोधित राशि सम्मिलित करते हुए 7 अन्य कार्य सहित कुल 14 कार्य (एनीकट) के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। (सूची परिशिष्ट-''ब'' पर संलग्न है) स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट "अ"

प्रथम चरण में स्वीकृत एनीकटों की सूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंचायत समिति	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानिलागत (रु. लाखों में)	विशेष विवरण
1.	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य मैजोड का नाला मैजोड	एनीकट	मैजोड	गुढा	3.50	विधायक थानागाजी
2	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य इनाकडी नाला इनाकडी	एनीकट	इनाकडी	नांगल बानी	3.25	विधायक थानागाजी
3	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य सीलीबावडी नाला	एनीकट	सीलीबावडी	सीलीबावडी	3.50	विधायक थानागाजी
4	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य लालवाडी नाले पर	एनीकट	दुहार चौगान	दुहार चौगान	3.50	विधायक थानागाजी
5	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य पीलीपाल नाले पर लीलामेड़ा	एनीकट	विजयपुरा	विजयपुरा	4.00	विधायक थानागाजी

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंचायत समिति	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत (रू. लाखों में)	विशेष विवरण
6	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य काला पारा पाले पर पिपलाई	एनीकट	पिपलाई	पिपलाई	3.50	विधायक थानागाजी
7	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य सिरोली नाल पर. वसई जोगियान	एनीकट	बसई जोगियान	बसई जोगियान	3.50	विधायक थानागाजी
							योग :-	24.75	

परिशिष्ट "ब"

प्रस्तावित एनीकटों की सूची (द्वितीय चरण)

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंचायत समिति	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	विशेष विवरण
1.	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य मैजोडकानालामैजोड पर	कच्चा/ पक्का	मैजोड	गुढा	8.70	

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंचायत समिति	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	विशेष विवरण
2	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकंट निर्माण कार्य झाकरी (इनाकडी) का नाला पर	कच्चा/ पक्का	झांकरी (इनाकड़ी	नांगल बानी	7.80	
3	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य सीलीबावडी नाला पर	कच्चा/ पक्का	सीलीबावडी	सीलीबावडी	12.50	
4	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य लालवाडी नाले पर	कच्चा/ पक्का	लालवाडी (दुहार चौगान)	दुहार चौगान	12.30	
5	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य पीलीपाल नाले पर लीलामेडा	कच्चा/ पक्का	विजयपुरा	विजयपुरा	7.00	
6	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीक्ट निर्माण कार्य झीरोली (सिरोली) नाले पर	कच्चा/ पक्का	बाढगुजरान (बसई जोगियान)	(बसई जोगियान)	12.25	
7	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य कालीपारा नाले पर	कच्चा/ पक्का	पिपलाई	पिपलाई	8.00	

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंचायत समिति	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत (रू. लाखों में)	विशेष विवरण
8	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य कालालांक (श्यामपुरा)	कच्चा/ पक्का	श्यामपुरा	बु. बांसचौहान	10.50	
9	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य तालवृक्ष नाले पर	कच्चा/ पक्का	बामनवास काकड़	बामनवास काकड़	16.00	
10	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य गणेशघाट पर	कच्चा/ पक्का	लालपुरा	लालपुरा	8.25	
11	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य डूमाली घाट वाला	कच्चा/ पक्का	झिरी	झिरी	9.40	
12	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य लादूवास	कच्चा/ पक्का	लादूवास	लादूवास	9.80	
13	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य खेड़ा में	कच्चा/ पक्का	खेडा	हरनेर	9.25	
14	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	एनीकट निर्माण कार्य झिरी (खान के नीचे)	कच्चा/ पक्का	झिरी	झिरी	10.75	
							योग :-	**142.50**	

धौलपुर व बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय

434. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नये महाविद्यालय खोले जाने का क्या मानदण्ड है? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला धौलपुर में वर्तमान में कितने महाविद्यालय हैं? इनमें से कितने निजी व कितने राजकीय हैं? नाम व स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की छात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए धौलपुर शहर में कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाडी की छात्र/छात्राओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बाडी शहर में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में नये महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं :-

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।
2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम चार सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल संचालित हो।
3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित ना हो।
4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे :- निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानदण्ड तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता

(उच्च शिक्षा मंत्री)

की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना. महाविद्यालय में छात्रों उपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना यथा : खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि।

नियमों की प्रति (संलग्न) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला धौलपुर में वर्तमान में 11 महाविद्यालय हैं। इनमें से 10 निजी व एक सरकारी महाविद्यालय है। नाम व स्थानवार सूची सदन की मेज पर (परिशिष्ट-अ) रख दी गई है।

(3) जी हां। इस वर्ष के बजट भाषण में की गई घोषणा अनुरूप महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(4) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बाड़ी शहर में नया राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

नियमों की प्रति

राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मित्रवत निजी विनिवेश को बढ़ावा देने हेतु गत वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार में, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कुछ नीतिगत परिवर्तन किये गये हैं। इन नीतिगत परिवर्तनों के कारण आवेदन करने की प्रक्रिया में भी आंशिक परिवर्तन हुआ है। अतः आवेदक संस्थायें आवेदन करने से पूर्व निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर आवेदन करें।

नियमों के पालन एवं संशोधन हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 को ध्यान में रखें।

(A) पिछड़े क्षेत्रों (Logging areas) में महाविद्यालयों हेतु अस्थायी मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में -

1. संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उपखण्ड मुख्यालयों पर सह शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों की स्थापना के लिये आवेदन करने पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ-पत्र से समर्थित होने पर, अस्थायी मान्यता 3 वर्ष के लिये किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित करने के लिये प्रदान कर दी जावेगी। यदि उन उपखण्डों में जहां कोई महाविद्यालय नहीं है पर राजकीय सैकेण्ड्री विद्यालय

का भवन है उसमें दूसरी पारी में महाविद्यालय संचालित करने की अनुमति भी संस्था को दी जा सकेगी। इसके पश्चात इन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

2. संस्था को तीन वर्ष की अवधि में परिशिष्ट-2 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य ढांचागत विकास के कार्य भी पूर्ण करने होंगे। तत्पश्चात संस्था को इसका निरीक्षण आयुक्त, कांलेज शिक्षा द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय निरीक्षण दल से कराना अनिवार्य होगा और उसके द्वारा भवन निर्माण एवं अन्य ढांचागत विकास पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण-पत्र देने के पश्चात ही आगामी वर्ष के लिये दी गई अस्थायी मान्यता में वृद्धि/स्थायी मान्यता दी जाए।

3. संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उपखण्ड मुख्यालयों पर नवीन सह शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों को नियम 4 (ii) के अन्तर्गत स्थायी मान्यता के लिये उक्त नियमों के पारिशिष्ट-2 के 1.2 (घ)(4) के अन्तर्गत अनिवार्य 200 छात्रों की न्यूनतम सीमा में छूट दी जा सकेगी।

4. संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उपखण्ड मुख्यालयों पर नवीन सह शिक्षा एवं महिला महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिये वित्तीय सुदृढ़ता हेतु पांच वर्ष के लिये मियादी जमा राशि क्रमशः रुपये 10.00 व 2.00 लाख की शर्त में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

5. सभी स्थानों पर महिला महाविद्यालयों में उक्त नियमों के नियम 23 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली प्रबन्ध समिति में कुल सदस्यों की 30 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य होगा तथा इसमें पिछड़े एवं कमजोर वर्ग की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना जरूरी है।

6. परिशिष्ट-1 में अंकित उपखण्डों में नवीन महाविद्यालयों के लिये 20 कि.मी. में कम से कम 5 संचालित सीनियर सैकेण्डरी स्कूल होने की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी।

7. अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलने के पश्चात महिला महाविद्यालय का सह शिक्षा में सामान्यतः परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. महाविद्यालयों की स्थापना के पांच वर्ष पश्चात नैक (NAAC) से निरीक्षण एवं मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।

9. निरीक्षण दल के व्यय हेतु संस्था को प्रत्येक अवसर पर रु. 2,000/- की राशि निरीक्षण व्यय के रूप में आयुक्त, कालेज शिक्षा को जमा कराना अनिवार्य होगा।

(B) गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के स्तर क्रमोन्नत/नये संकाय/नये विषय खोलने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्देश

गैर सरकारी शिक्षण संस्था को नवीन महाविद्यालय जिस विषय में संचालित करना चाहती है उसका पूर्ण विवरण आवेदन-पत्र में देना अनिवार्य है, ऐसे विषय संबंधित विश्वविद्यालय के पाठयक्रम में होने चाहिये। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्त आदि) नियम, 1993 के नियम 4 के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालय के लिये राज्य सरकार द्वारा एक बार अनापत्ति प्रमांण-पत्र जारी कर दिये जाने पर संबंधित विश्वविद्यालंय से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी।

उक्त नियमों के नियम 92 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्देशित कियां जाता है कि संस्था महाविद्यालय के स्तर को क्रमोन्नत करना चाहे नये संकाय अथवा नये विषय खोलना चाहे उसके लिये राज्य सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। इसके लिये संस्था सीधे ही सम्बद्ध विश्वविद्यालय से स्वीकृति प्राप्त करें।

(C) अस्थायी मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. गैर सरकारी क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने की इच्छुक संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सही होने को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र से समर्थित होने पर व

सम्बन्धित क्षेत्र में महाविद्यालय की औचितता होने पर प्रथम चरण में आशय पत्र (letter of intent) एक माह में जारी कर दिया जावेगा।

2. आशय पत्र (letter of intent) जारी होने के पश्चात एक वर्ष की अवधि में संस्था द्वारा प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार भवन का निर्माण व अन्य मापदण्ड पूरे करने तथा उक्त नियमों के नियम 23 के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन करने के पश्चात तीन सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसको प्रमाणित करने पर संस्था को एक वर्ष के लिये अस्थायी मान्यता प्रदान की जावेगी और उसके पश्चात ही विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

3. पश्चातवर्ती वर्षों में भी आगामी वर्षों के लिये निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा व अन्य आधारभूत ढांचा विकसित कर लिये जाने और उसका तीन सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण कर उसको प्रमाणित करने के पश्चात द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिये अस्थायी मान्यता में अभिवृद्धि की जावेगी। यदि मापदण्ड अनुसार आधारभूत ढांचा तैयार नहीं होगा तो प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. तीन वर्ष तक समाधानप्रद रूप से कार्य करने व आधारभूत ढांचागत विकास व भवन निर्माण पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय को उक्त नियमों के नियम 4 (ii) के अन्तर्गत स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जावेगी।

5. निरीक्षण दल के व्यय हेतु संस्था को प्रत्येक अवसर पर रु. 5,000/- की राशि निरीक्षण व्यय के रूप में आयुक्त, कालेज शिक्षा को जमा कराना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय को स्थापना के पांच वर्ष पश्चात नैक (NAAC) से निरीक्षण एवं मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।

उपखण्डों की सूची जहां महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं

संभाग	जिला	उपखण्ड	संभाग	जिला	उपखण्ड
अजमेर	अजमेर	1. मसूदा			27. देसूरी
	भीलवाड़ा	2. बनेड़ा		बाड़मेर	28. गुढामालानी
		3. माण्डल			29.शिव
	नागौर	4. परबतसर		सिरोही	30. रानीवाड़ा
		5. जायल			31. आहौर
		6. डेगाना			32. रेवदर
		7. मकराना	उदयपुर	उदयपुर	33. बल्लभनगर
		8. नांवा			34. धारियावाड़
		9. लाडनूं			35. कोटड़ा
	टोंक	10. पिपलू		डूंगरपुर	36. सिमलवाड़ा
		11. टोड़ारायसिंह		चित्तौड़गढ़	37. गंगरार
जयपुर	अलवर	12. किशनगढ़वास		बांसवाड़ा	38. घाटोल
		13. तिजारा		राजसमन्द	39. कुम्भलगढ़
		14. मुण्डावर	कोटा	सवाई माधोपुर	40. बामनवास
		15. रामगढ़		बून्दी	41. केशोराय पाटन
		16. कोटकासिम			42. हिंडोली
	दौसा	17. सिकराय			43. इन्द्रगढ़
	भरतपुर	18. वैर		कोटा	44. दिगोद
	धौलपुर	19. बसेडी			45. सांगोद
	जयपुर	20. आमेर		बारां	46. शाहबाद
		21. जमुवारामगढ़			47. अटरू
जोधपुर	जैसलमेर	22. पौकरण			48. मांगरोल
		23. फतेहगढ़			49. किशनगंज
	जोधपुर	24. औसिया			50. टोडाभीम
		25. शेरगढ़			51. सपोटरा
	पाली	26. बाली			52. मंडरेल

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तें :-

1. पंजीयन राजस्थान सोसायटी पंजीयन अधिनियम 1958 के अधीन पंजीयन होना आवश्यक है

2. भवन

1.	कला संकाय -	कमरे—7	(24'x36')
2.	वाणिज्य संकाय -	कमरे—4	(24'x36')
3.	विज्ञान संकाय -	कमरे—6	(24'x36')
4.	प्रयोगशाला	विषयवार—1	(24'x40')
5.	विधि प्रति वर्ग हेतु मूट कोर्ट हेतु	कमरे—1	(24'x36')
6	प्रशासनिक भवन :-		
	अ. कार्यालय कक्ष –2		(30'x40')
	ब. भण्डार कक्ष-2		(24'x40')
	स. प्राचार्य कक्ष –1		(14'x12')
	द. उपाचार्य कक्ष –1		(14'x12')
	य. प्राध्यापक कक्ष-1		(40'x70')

नोट :- इसके अतिरिक्त एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि के कक्ष तथा शौचालय उपयुक्त आकार के।

7. पुस्तकालय भवन पृथक पुस्कालय भवन होना चाहिये।

8. प्राध्यापक कक्ष—2 (40'x70')

9. महाविद्यालय के भवन को सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र पी.डब्ल्यू.डी. से

3. भूमि

1. दस एकड़
2. खेल के मैदान की पर्याप्त व्यवस्था सहित एक 400 वर्गमीटर का ट्रेक तथा वालीबाल एवं बास्केटबाल के मैदान

4. स्टाफ	1.	प्राचार्य-	1
	2.	300 से अधिक विद्यार्थियों पर उपाचार्य-	1
	3.	विषयवार प्राध्यापक-	1
	4.	पुस्तकालयाध्यक्ष-	1
	5.	पी.टी.आई. -	1
	6.	कनिष्ठ लेखाकार-	1
	7.	वरिष्ठ लिपिक-	1
	8.	कनिष्ठ लिपिक-	1
	9.	बुक लिपटर-	1
	10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7
5. फर्नीचर	1.	कार्यालय पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर	
	2.	विद्यार्थियों के लिये मेज कुर्सी	
	3.	प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक संसाधन उपकरण	

6. फीस राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर विभिन्न फीसें ली जा सकेंगी।

7. छात्रावास छात्र/छात्राओं को अलग–अलग छात्रावास की व्यवस्था।

8. प्रबन्ध समिति 15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति होनी चाहिये।

9. क्षेत्र
1. 30 किमी. की परिधि में सरकारी या गैर सरकारी महाविद्यालय नहीं हो।
2. 25 कि.मी. के क्षेत्र में कम से कम चार सीनियर माध्यमिक विद्यालय हों।
3. महाविद्यालय संचालन हेतु भवन की उपयुक्त व्यवस्था हो।
4. प्रस्तावित स्थान सभी प्रकार से उपयुक्त हो।
5. स्थाई मान्यता हेतु छात्र संख्या न्यूनतम 200 हो।

नोट :- उपरोक्त शर्ते संभागीय मुख्यालयों तथा औद्योगिक शहरों पर लागू नहीं होगी तथा ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र एवं मरूस्थलीय क्षेत्र में भी छूट दी जा सकती है।

10. वेतन भत्ते	1.	शैक्षणिक अधिकारियों को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित दरों से एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते दिया जाना आवश्यक है।	
	2.	कर्मचारियों के खाते में जमा योग्य राशि को उनके बैंक खाते में जमा कराना होगा।	
11. विद्यार्थी सुविधायें	1.	केन्टीन	(24'x40')
	2.	कॉमन सभा	(24'x40')
	3.	आंतरिक क्रीड़ा कक्ष	(24'x36')
	4.	साईकिल स्टेण्ड	

तीन वर्ष की अनिवार्यता प्रथम वर्ष के लिये

चूंकि उपरोक्त मानदण्ड तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये हैं। अत: तीन वर्ष की अवधि में इसका पूरा होना आवश्यक है। अत: इस मानदण्ड को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में भवन सम्बन्धी मानदण्डों को निम्नानुसार विभाजित किया गया है :-

A. प्रथम वर्ष के लिए (संकाय वार)

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कमरों की संख्या	आकार
1.	कला संकाय	3	(24'x36')
2.	वाणिज्य संकाय	2	(24'x36')
3.	विज्ञान संकाय	3	(24'x36')
	विज्ञान संकाय प्रयोगशाला		
1.	रसायन विज्ञान	1	(24'x40')
2.	भौतिक विज्ञान	1	(24'x40')
3.	प्राणी विज्ञान	1	(20'x40')
4.	वनस्पति विज्ञान	1	(20'x40')

प्रत्येक प्रयोगशाला में एक भण्डार कक्ष, प्रायोगिक कक्ष, डार्क रूम, बैलेन्स रूम, प्राध्यापक कक्ष, संग्रहालय।

5.	वनस्पति उद्यान	1	2000 वर्ग मीटर
6	जन्तु उद्यान	1	500 वर्ग मीटर

प्रशासनिक भवन

1.	कार्यालय कक्ष	2	24'x40'
2.	स्टाफ रूम मय शौचालय	1	24'x40'
3.	भण्डार कक्ष	1	24'x40'
4.	प्राचार्य कक्ष	1	14'x12'
5.	उपाचार्य कक्ष	1	14'x12'
		(300 से अधिक छात्र संख्या होने पर)	
6.	पुस्तकालय भवन	1	

इसके अतिरिक्त एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि के कक्ष तथा शौचालय उपयुक्त आकार के हों।

नोट :- उपाचार्य कक्ष की आवश्यकता प्रथम वर्ष में नहीं

महाविद्यालय खुली भूमि

(i) 10 एकड़ भूमि

(ii) खेल का मैदान- खेलों के मैदान की पर्याप्त व्यवस्था सहित एक 400 मीटर का ट्रेक तथा वालीबाल एवं बास्केटबाल के मैदान।

(iii) इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर प्रयोगशाला 24'x36'

विधि महाविद्यालय हेतु उपरोक्त प्रशासनिक भवन की आवश्यकता सहित कक्षावार प्रत्येक वर्ग हेतु एक कमरा

विधि महाविद्यालय उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला/एडीजे न्यायालय उपलब्ध होंगे अत: उन्हीं स्थानों के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जावें।

B. द्वितीय वर्ष के लिए-

प्रथम वर्ष में दी गई व्यवस्था के निर्माण के उपरान्त द्वितीय वर्ष में निम्न निर्माण आवश्यक है :

क्र.सं.	कक्षा कक्ष	कमरों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	24'x36'
2	वाणिज्य संकाय	1	24'x36'
3	विज्ञान संकाय	2	24'x36'

विज्ञान संकाय प्रयोगशाला

1	रसायन विज्ञान	1	24'x40'
2	भौतिक विज्ञान	1	24'x40'
3	प्राणी विज्ञान	-	-
4	वनस्पति विज्ञान	-	-

विधि महाविद्यालय हेतु द्वितीय वर्ष में प्रत्येक वर्ग के लिये एक कमरा 24'x36' तथा मूट कोर्ट हेतु एक कमरा 30'x40' का।

C. तृतीय वर्ष के लिए

क्र. सं.	कक्षा कक्ष	कमरों की संख्या	आकार
1	कला संकाय	2	24'x36'
2	वाणिज्य संकाय	1	24'x36'
3	विज्ञान संकाय	1	24'x36'

विधि महाविद्यालय हेतु तृतीय वर्ष में प्रत्येक वर्ग के लिए एक कमरा 24'x36'

परिशिष्ट "अ"

धौलपुर जिले में संचालित महाविद्यालयों की सूची

1	राजकीय महाविद्यालय	
	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर	
2	निजी महाविद्यालय	
	1	बृजेश अकादमी गर्ल्स कालेज, बाडी, धोलपुर
	2	पण्डित उमादत्त कन्या महा. धोलपुर
	3	राजकुमार कालेज, बाड़ी
	4	कमला महाविद्यालय, धोलपुर
	5	बृजेश महाविद्यालय, बाडी
	6	लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, धोलपुर
	7	विवेकानन्द कन्या महाविद्यालय, धोलपुर
	8	आर.एन.टी. कालेज मैनेजमेन्ट, बाड़ी
	9	महर्षि परसुराम महाविद्यालय, सेपउ
	10	श्री भगवान महावीर महाविद्यालय, सेपउ

अजमेर संभाग की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्संचालन

435. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर संभाग में बन्द पड़े उद्योगों/इकाइयों को फिर से चालू करने के लिए सरकार की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आगामी दो वर्षों में अजमेर संभाग के कितने बन्द पड़े उद्योगों को चालू कर दिया जावेगा तथा इससे कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर संभाग ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राज्य में बन्द एवं रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनः प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 31.8.2004 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत एक विशिष्ठ सहायता पुंज घोषित किया गया था, जिसकी प्रति सलंग्न है। राज्य की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिगृहित एवं बन्द औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने के लिये नये नियोजकों को विक्रय कर, ऋण का पुनः संरचना कर पुनः प्रारम्भ करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(2) बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चालू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 के अन्तर्गत एक विशिष्ठ सहायता पुंज घोषित किया गया था। उक्त सहायता पुंज के अन्तर्गत पुनर्वासित होने वाले उद्योगों के लिए राज्य सरकार द्वारा रियायतें/सहूलियतें दी गई थी। बन्द उद्योगों को पुनः चालू करने के लिये वित्तीय संस्थानाओं को सहयोग भी आवश्यक होता है। उद्यमी अपने बन्द उद्योगों को पुनः चालू करने के निर्णय स्वयं की इच्छा से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायताऐं/सुविधाये प्राप्त कर तथा वित्तीय संस्थानों की सहायता लेकर ले सकता है। राज्य सरकार द्वारा घोषित विशिष्ठ सहायता पुंज के अनुसार बन्द उद्योगों को अपनी पुनवार प्रक्रिया दिनांक 1.4.2005 से पूर्व प्रारम्भ करना अनिवार्य है। कितने उद्योग पुनः चालू होंगे एवं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उपरोक्त परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अवलेश्वर ग्राम (चित्तौड़गढ़) में भू-आबंटन पर रोक

436. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम अवलेश्वर, तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड में गांव का कुल कितना क्षेत्रफल व इसमें कितनी भूमि चरनोट, खातेदारी बिलानाम तथा बंजर है?

(2) चरनोट व बिला नाम भूमि पर किस-किस काश्तकार द्वारा नाजायज कब्जा कब से कर रखा है व उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(3) चरनोट व बिलानाम राजस्व भूमि पर कब्जाधारियों के पास में कितनी कृषि भूमि काश्तकार के नाम से दर्ज है?

(4) राजस्व अभियान दिनांक 15 मार्च, 2005 को किन-किन कब्जाधारियों ने आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जिनमें से भूमिहीन कृषकों के कितने आवेदन थे? आबंटन पर स्थगन किन कारणों से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम अवलेश्वर तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 949.61 हेक्टेयर है। चरनोट का क्षेत्रफल 89.23 हैक्टेयर, खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल 783.20 हैक्टेयर एवं राजकीय बिला नाम बंजड भूमि का क्षेत्रफल 39.49 हैक्टेयर है।

(2) चरनोट व बिलानाम भूमि पर काश्तकारों द्वारा किये गये नाजायज कब्जों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है। इन काश्तकारों का कब्जा वर्ष 1984-85 से है। इन अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर जुर्माना फसल नीलामी एवं बेदखली की कार्यवाही की गयी है। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, जिनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना शेष है।

(3) चरनोट व बिलानाम राजस्व भूमि पर कब्जेधारियों के पास में पूर्व से कृषि भूमि, जो उनकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, का विवरण बिन्दु सं. 2 की सूची के कालम सं. 6 में अंकित है।

(4) प्रशासन आपके द्वार अभियान दिनांक 15.3.2005 को आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष कुल 6 कब्जाधारियों ने आबंटन हेतु आवेदन किया गया था जो निम्नानुसार है :-

1. श्री शांतिलाल पिता कंवर लाल गायरी
2. श्री गोपाल लाल पिता उदा कुमावत
3. श्री पन्ना लाल पिता अमृत राम कुम्हार
4. श्री गोपाल पिता पीथा कुम्हार
5. श्री शंकरदास पिता सीताराम दास
6. श्री शांतिलाल पिता भंवर लाल कुमावत

ये सभी भूमिहीन कृषक थे। आबंटन हेतु प्राप्त उक्त सभी आवेदन पत्र अपूर्ण होने से आवंटन/नियमन कार्यवाही का स्थगित कर कैम्प के अन्तर्गत अन्य कार्यों को निष्पादन यथावत किया गया।

परिशिष्ट "अ"

चरनोट एवं बिलानाम भूमि के कब्जेधारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कब्जाधारी	आ. न.	रकबा	किस्म	पूर्व में धारित भूमि
1	श्री शान्तिलाल पिता कंवर लाल गायरी सा. अवलेश्वर	1801	0.20	बन्जर	1.21
2	श्री गोपाल पिता उदा कुमावत सा. अवलेश्वर	1807/1993	0.17	बन्जर	0.62
3	श्री पन्नालाल पिता अमृतराम कुम्हार सा. अवलेश्वर	1704	0.22	बन्जर	0.77
4	श्री गोपाल पिता पिथा कुम्हार सा. अवलेश्वर	408	0.12	बन्जर	0.80
5	श्री शंकरदास पिता सीतारामदास सा. अवलेश्वर	162/2099	0.15	बन्जर	1.23
6	श्री शान्तिलाल पिता भंवरलाल कुमावत सा. अवलेश्वर	1784	0.50	बन्जर	0.85
7	श्री पन्नालाल पिता हीरालाल कुमावत सा. अवलेश्वर	143	0.10	बन्जर	2.14
8	श्री जगदीश पिता कस्तुरचन्द ब्राहमण सा. अवलेश्वर	494	0.04	बन्जर	0.27
9	श्री बन्सीलाल पिता अम्बालाल कुमावत सा. अवलेश्वर	1091	0.04	बन्जर	1.00

क्र. सं.	नाम कब्जाधारी	आ. न.	रकबा	किस्म	पूर्व से धारित भूमि
10	श्री शिवलाल पिता नन्दलाल ब्राह्मण सा. अवलेश्वर	1797	0.13	बन्जर	4.55
11	श्री आशाराम पिता कालू ब्राह्मण सा. अवलेश्वर	263/2067	0.05	बन्जर	3.00
12	श्री देवीलाल पिता बगदीराम कुमावत सा. अवलेश्वर	153/2122	0.05	बन्जर	1.38
13	श्री शम्भुलाल पिता भेरा कुमावत सा. अवलेश्वर	1087	0.10	बन्जर	1.70
14	श्री देवीलाल पिता नन्दा कुमावत सा. अवलेश्वर	189/1988	0.08	बन्जर	1.11
15	श्री खेमराज पिता रामचन्द्र ब्राह्मण सा. अवलेश्वर	243/2126	0.33	बन्जर	1.11
16	श्री भेरूलाल पिता नाथु मीणा सा. अवलेश्वर	836	0.32	चरनोट	0.86
17	श्री लक्ष्मण सालगराम गोपाल पिता ऊकार कुमावत	996	0.78	चरनोट	1.44
18	श्री मां..न पिता रूपा कुमावत सा. अवलेश्वर	1682	0.10	चरनोट	1.08
19	श्री देवीलाल पिता मोडा कुमावत सा. अवलेश्वर	1874	0.16	चरनोट	0.60
20	श्री ताराचन्द पिता रुपा कुमावत सा. अवलेश्वर	1131/2151	0.15	चरनोट	2.19
21	श्री रामचन्द पिता अम्बालाल कुमावत सा. अवलेश्वर	1082/2161	0.20	चरनोट	1.84
22	श्री प्रकाश नानुराम पिता गणपत रुपा कुमावत सा. अवलेश्वर	182/2042	0.17	चरनोट	0.55

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र की मरम्मत योग्य सड़कें

437. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में सरकार द्वारा कौन-कौन सी नई सड़कें बनाना प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कौन-कौन सी पुरानी सड़कों की मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है तथा इन सड़कों की पूर्व में मरम्मत कब की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-पंचम (नियमित) वर्ष 2005-06 में 3 सड़कें बनाना प्रस्तावित हैं एवं नाबार्ड से वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ.X के अन्तर्गत डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. सड़क (द्वितीय चरण) में 6 सड़कें प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पुरानी सड़कों की सूची जिनकी मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है, परिशिष्ट "ब" पर है। इन सड़कों की पूर्व में मरम्मत का वर्ष संलग्न सूची "ब" में दर्शाया गया है। इसके अलावा साधारण मरम्मत/पेच रिपेयर कार्य राज्य सरकार से उपलब्ध वार्षिक बजट संसाधनों के आधार पर पारस्परिक प्राथमिकताओं को देखते हुए किया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्तावित नई सड़कों का विवरण :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-पंचम वर्ष 2005-06

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (किमी. में)
1	मेड़ता	संपर्क सड़क मांगलियावास (876)	3.00
2	मेड़ता	संपर्क सड़क माईदण्ड (854)	5.00
3	रियां	संपर्क सड़क रोहिट (874)	4.00
		कुल योग :-	12.00

आर.आई.डी.एफ—X डब्लयू.बी.एम. से बी. टी. (द्वितीय चरण)

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (किमी. में)
1	रेण से डोटोलाई लाम्पोलाई 7/0 से 19/0	12.0
2	बीटन से कुरड़ाया 0/0 से 6/500	6.5
3	इन्दावड़ गगराना 0/0 से 7/500	7.5
4	मेड़तासिटी गोटन सड़क से स्टेट हाईवे संख्या 39 किमी. 0/0 से 2/500	2.5
5	भंवाल से जसनगर 0/0 से 2/0	2.5
6	रियां से रोहिसी 0/0 से 7/500	7.5
	कुल योग :-	38.5

परिशिष्ट "ब"

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित पुरानी सड़कें मरम्मत के लिये प्रस्तावित कार्यो का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (किमी. में)	प्रस्तावित अनुमानित लागत (लाखों में)	पूर्व में हुई मरम्मत का वर्ष
1	आर.आई.डी.एफ. X आर.एम.यू.पी. फेज-II	गोटन से टूंकलिया 2/0 से 3/500	1.50	5.25	1986
2	आर.आई.डी.एफ. X आर.एम.यू.पी. फेज-II	जारोड़ा दताणी रेण सड़क 9/500 से 11/0	1.5	8.50	1992
3	आर.आई.डी.एफ. X आर.एम.यू.पी. फेज-II	मेड़ता फालकी सड़क (गावई भाग गाम भूरियासनी सीसी. सड़क (किमी. 3/0 से 6/0	1.0	11.0	1993

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (किमी.में)	प्रस्तावित अनुमानित लागत (लाखों में)	पूर्व में हुई मरम्मत का वर्ष
4	आर.आई.डी.एफ. X आर.एम.यू.पी. फेज-II	गोटन से पून्दलू 7/0 से 10/0	3.0	10.50	1990
5	आर.आई.डी.एफ. X आर.एम.यू.पी. फेज-II	संपर्क सड़क सूरपुरा 0/0 से 1/0	1.0	3.50	1992
6	आर.आई.डी.एफ. X आर.एम.यू.पी. फेज-II	रियां से जड़ाउ 2/0 से 6/0	4.0	14.00	1994
7	आर.आई.डी.एफ. X आर.एम.यू.पी. फेज-II	रियां से जैजासनी 2/0 से 4/0	2.0	7.00	1991
		कुल योग :-	14.0	59.75	

केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

438. श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के विभिन्न गांवों में कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन से पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एवं उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। कनिष्ठ विशेषज्ञ, नर्स श्रेणी प्रथम, वरिष्ठ लिपिक, सेक्टर सुपरवाइजर, बी एच एस, (मेल) एवं मलेरिया निरीक्षक के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। जिनको विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को स्थानातरण पर से प्रतिबन्ध हटने पर भरने का प्रयास किया जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद को सविदा के आधार पर भरने के लिए माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे दिया गया। राज्य सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए 100 पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की है जिसकी विज्ञप्ति शीघ्र ही जारी कर इन पदों को भरने के प्रयास किए, जायेंगे, तथा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को निरस्त करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। अन्य रिक्त पद सीधी भर्ती के हैं। जिनको भरने की राज्य स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। संगणक का रिक्त पद निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा भरा जावेगा।

परिशिष्ट "अ"

केसरीसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक केन्द्र एवं उच्चीकृत केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र, के नामों का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम		ग्राम का नाम
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	केसरीसिंहपुरा
		2	चुनावढ़
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	शिवपुर
		2	कोनी
		3	मिर्जेवाला
		4	धनुर
		5	1/मजैड
3	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र	1	हिन्दुमलकोट
		2	कालिया
		3	जोधेवाला
		4	संगतपुरा
		5	मलकाना
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र	1	कोठा
		2	खखा
		3	पक्की
		4	सूजावलपुर
		5	केरी
		6	ओडकी
		7	रोहिडावाली
		8	मोहनपुरा

क्र. सं.	संस्था का नाम		ग्राम का नाम
		9	साधुवाली
		10	रेणुका
		11	खाटलबाना
		12	500 एल एन पी
		13	स्गहरणावली
		14	साहुवाला
		15	चुनावढ कोठी
		16	3 वाई
		17	21 जी जी
		18	7 एल एल
		19	डीगावाली
		20	धालेवाला
		21	20 जी जी
		22	ततारसर
		23	सागरवाला
		24	27 जीजी
		25	11 जी छोटी
		26	13 क्यु
		27	दौलतपुरा
		28	मटीलीराठान
		29	4 सी छोटी
		30	12 जैड

क्र. सं.	संस्था का नाम		ग्राम का नाम
		31	15 जैड
		32	साहबसिंहवाला
		33	मदेरा
		34	3 बी
		35	4 जैड
		36	5 बी छोटी
		37	18 जी जी
		38	महियावाली

परिशिष्ट "ब"

केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों का विवरण।

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसरीसिंहपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (दिनांक 5.4.2005 को एक पद पर पदस्थापन आदेश जारी।
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1 (5.4.2005 को पदस्थापन आदेश जारी
		चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	1

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
		नर्स श्रेणी द्वितीय	4
		फार्मासिस्ट	1
		सहायक रेडियोग्राफर	1
		वरिष्ठ लिपिक	1
		कनिष्ठ लिपिक	1
		सैक्टर सुपरवाइजर	1
		वार्ड ब्वॉय	7
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चुनावढ	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
		सैक्टर सुपरवाइजर	1
		कनिष्ठ लिपिक	1
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनुर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौनी	सैक्टर सुपरवाइजर	1
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 17 जैड	सैक्टर सुपरवाइजर	1
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवपुर	मलेरिया निरीक्षक	1
		सैक्टर सुपरवाइजर	1
		बी एच एस (मेल)	1
		संगणक	1
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र 13 क्यू	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1

आयातित खाद्य तेलों पर शुल्क हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश

439. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तिलहन व अन्य कृषि फसलों के बाजार भाव इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में कम है जबकि इसकी उत्पादन लागत गत वर्ष की तुलना में अधिक हो गई है? यदि हां, तो प्रमुख फसलों के गत वर्ष व इस वर्ष के तुलनात्मक भावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरसों की खेती प्रदेश की एक प्रमुख फसल है व इस फसल को कम पानी की आवश्यकता होने के कारण किसानों ने इसकी बड़े पैमाने पर खेती की है?

(3) क्या यह सही है कि बड़ी मात्रा में देश में आयातित खाद्य तेलों के कारण सरसों के भाव प्रभावित हो रहे हैं जिससे किसानों को आर्थिक हानि हो रही है?

(4) क्या प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखकर आयातित खाद्य तेलों पर शुल्क बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से वार्ता की गई है? यदि हां, तो किस स्तर पर व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तिलहन व अन्य कृषि फसलों के उत्पादन की लागत वर्ष 2004-05 में गत वर्ष की तुलना में अधिक हो गई है। प्रमुख तिलहन व अन्य कृषि फसलों के गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बाजार भाव की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी। हां सरसों प्रदेश की प्रमुख रबी फसल है व इस फसल को कम पानी की आवश्यकता होने के कारण किसानों ने इसकी खेती बड़े पैमाने पर की है। गत वर्ष 2003-04 में प्रदेश में सरसों का क्षेत्र 20.63 लाख हैक्टेयर था जो बढ़ कर इस वर्ष 26.14 लाख हैक्टेयर होना अनुमानित है।

(3) जी हां। आयातित खाद्य तेलों की बड़ी मात्रा, सरसों के भावों में कमी के लिए एक कारण अवश्य है। इससे सरसों के तेल की मांग प्रभावित होने से सरसों के भाव भी प्रभावित होते हैं। सरसों उत्पादकों को उनकी उपज

(कृषि मंत्री)

का उचित मूल्य मिल सके इस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्धारित मापदण्डों वाली सरसों की खरीद की कार्यवाही नेफैड के माध्यम से की जा रही है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों क्रय करने की कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार को लिखा गया है।

परिशिष्ट-1

प्रमुख तिलहन एवं अन्य फसलों के वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 में औसत बाजार भावों की स्थिति

क्र. सं.	नाम जिन्स	2003-04 में औसत बाजार भाव प्रति क्विंटल	2004-05 में औसत बाजार भाव प्रति क्विंटल (माह जुलाई 2004 से मार्च 2005) प्रति क्विंटल	प्रतिशत वृद्धि/कमी
1	बाजरा	410	517	26.10
2	मक्का	502	575	14.31
3	ज्वार	443	532	20.09
4	सोयाबीन	1406	1423	1.21
5	मूंगफली	1595	1563	-2.01
6	कपास देशी	1869	1651	-11.66
7	कपास अमेरिकन	2463	1759	-28.58
8	ग्वार	919	1388	51.03
9	तिल	2760	3092	12.03
10	गेहूं	679	715	5.00
11	जौ	493	603	22.31
12	चना	1357	1353	-0.29
13	सरसों	1757	1677	-4.55

चौमूं विधान सभा क्षेत्र में ग्रीष्मकाल हेतु पेयजल योजना

440. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ग्रीष्मकालीन पेयजल योजना बनाई गई है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने हैण्डपम्प, ट्यूबवैल, पाइप लाइन व पानी की टंकी निर्माण करवाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका क्षेत्र चौमूं में ग्रीष्मकाल में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) (अ) पेयजल की कमी वाले 15 हैवीटेशन्स में 15 हैण्डपम्प के निर्माण की स्वीकृति माह मार्च, 2005 में जारी हो चुकी है।

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित योजनानुसार कार्य निम्न प्रकार है :-

(i) नये हैण्डपम्प का निर्माण – 85 नग

(ii) नये नलकूप का निर्माण – 7 नग

(iii) सिंगल फेज पाइन्ट – 8 नग

(iv) पाइप लाइन – 4.50 कि.मी.

(v) पेयजल हेतु टंकी – प्रस्तावित नहीं

(vi) परिवहन द्वारा आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) (अ) पेयजल की कमी वाली गोल्डनपुरी कालोनी में 1 हैण्डपम्प के निर्माण की स्वीकृति माह मार्च, 2005 में जारी हो चुकी है।

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त चौमूं कस्बे में स्वीकृत योजना में प्रस्तावित कार्य निम्न प्रकार है :-

(i) नये नलकूप का निर्माण – 3 नग

(ii) नये हैण्डपम्प का निर्माण – 5 नग

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(iii) सिंगल फेज पाइन्ट – 3 नग

(iv) पाइप लाइन – 2 कि.मी.

(v) परिवहन द्वारा आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराया जायेगा।

बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

441. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों/प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से व क्यों? विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में विषय अध्यापकों/प्राध्यापकों के रिक्त पदों का परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरे जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जानी संभव हो सकेगी।

परिशिष्ट "क"

बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में रा.उ.मा. वि. में रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम विद्यालय	पदनाम	विषय	पद रिक्त की दिनांक	पद रिक्त होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	कानोड़	व्याख्याता	हिन्दी	01-12.2003	स्वैच्छिक से. नि.
		वरि. अध्या.	अंग्रेजी	30-11-2002	स्थानान्तरण

1	2	3	4	5	6
2.	माल की टूस	व्याख्याता	हिन्दी	01-04-2003	नवसृजित पद
		व्याख्याता	भूगोल	01-04-2003	नवसृजित पद
3	मेनार	व्याख्याता	अंग्रेजी	01-03-2002	स्वैच्छिक से. नि.
		व्याख्याता	भूगोल	01-07-2001	स्थानान्तरण
		अध्यापक	सामान्य	01-04-2004	नवसृजित पद
4	खेरौदा	व्याख्याता	अंग्रेजी	04-09-2004	स्थानान्तरण
		व्याख्याता	भूगोल	30-06-2000	सेवानिवृत्ति
5	भीण्डर	व्याख्याता	इतिहास	01-06-2001	सेवानिवृत्ति
		व्याख्याता	कृषि	00-07-1999	स्थानान्तरण
		व्याख्याता	कृषि	00-09-2001	स्थानान्तरण
		व्याख्याता	भौतिक विज्ञान	19-08-2004	पदोन्नति
		वरि. अध्या.	अंग्रेजी	00-10-2004	स्थानान्तरण
6	दरोली	व्याख्याता	राज. वि.	20-02-2004	पदोन्नति
7	रूण्डेड़ा	व्याख्याता	भूगोल	11-08-2000	स्थानान्तरण
		व्याख्याता	संस्कृत	01-11-1999	सेवानिवृत्ति
		वरि. अध्या.	गणित	23-02-2004	पदोन्नति
8	मोड़ी	व्याख्याता	भूगोल	01-04-1999	सेवानिवृत्ति
		व्याख्याता	संस्कृत	01-04-1999	पदस्थापन नहीं
9	बल्लभनगर	व्याख्याता	भूगोल	30-04-2003	सेवानिवृत्ति
		व्याख्याता	गणित	07-10-2004	स्थानान्तरण
		अध्यापक	सामान्य	10-09-2004	स्थानान्तरण

1	2	3	4	5	6
10	भीण्डर (बा)	व्याख्याता	रसा. विज्ञान	01-07-1999	स्थानान्तरण
		व्याख्याता	संस्कृत	15-02-2002	स्वैच्छिक से. नि.
		व्याख्याता	जीव विज्ञान	10-09-2004	स्थानान्तरण
		वरि. अध्या.	गणित	10-09-2004	स्थानान्तरण
11.	कानोडा (बा)	व्याख्याता	हिन्दी	30-11-2002	सेवानिवृत्ति
		वरि. अध्या.	गणित	15-10-1999	पदोन्नति
12.	बल्लभनगर (बालिका)	व्याख्याता	गृह विज्ञान	03-09-2004	स्थानानतरण
		वरि. अध्या	अंग्रेजी	00-10-2002	स्थानान्तरण

बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में रा.मा. वि. में रिक्त पदों का विवरण :-

1	कुंथवास	वरि. अध्या.	विज्ञान	05-02-2003	स्थानान्तरण
2	निमड़ी	वरि. अध्या.	विज्ञान	01-04-2003	नवसृजित पद
		वरि. अध्या.	गणित	01-04-2003	नवसृजित पद
		वरि. अध्या.	अंग्रेजी	00-04-2004	नवसृजित पद
		अध्यापक-03	सामान्य	01-04-2003	नवसृजित पद
3	सालेड़ा	वरि. अध्या.	गणित	06-10-2004	स्थानान्तरण
4	पापुन्द	वरि. अध्या.	गणित	00-10-2004	स्थानान्तरण
		वरि. अध्या.	अंग्रेजी	30-09-2003	सेवानिवृत्ति
5	सिहाड़	वरि. अध्या.	गणित	03-07-2001	स्थानान्तरण
		वरि. अध्या.	अंग्रेजी	12-01-2000	पदोन्नति

1	2	3	4	5	6
		अध्यापक	सामान्य	02-10-2004	स्थानान्तरण
6	नवानिया	वरि. अध्या.	गणित	21-09-2003	पदोन्नति
7	अडिण्दा	वरि. अध्या.	गणित	00-10-2002	स्थानान्तरण
8	वाना	वरि. अध्या.	अंग्रेजी	01-07-2003	स्थानान्तरण
9	बासंड़ा	वरि. अध्या.	अंग्रेजी	00-10-2003	पदोन्नति
		वरि. अध्या.2	सामान्य	00-04-2004	नवसृजित पद
10	तारावट	वरि. अध्या.	सामान्य	00-04-2004	नवसृजित पद
		अध्यापक-02	सामान्य	01-04-2003	नवसृजित पद
11	हीतां	वरि.अ.	सामान्य	13-00-2004	स्थानान्तरण
12	भटेवर	वरि. अध्या. 02	सामान्य	00-04-2004	नवसृजित पद
13	महाराज की खेड़ी	वरि. अध्या.	सामान्य	00-04-2004	नवसृजित पद
14	बाठरड़ाकलां	अध्या.	सामान्य	14-01-2004	पदोन्नति
15	खरसाण	अध्या.	सामान्य	24-08-2003	पदोन्नति
16	खेरोदा (बा)	अध्या.	सामान्य	05-08-2003	स्थानान्तरण

करौली जिले में औद्योगिक विकास हेतु विशेष रियायत

442. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली में उद्योग लगाने हेतु रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कब, कहां व कितने उद्योगों के लिए?

(2) उक्त स्थान पर वर्तमान में कितने उद्योग संचालित हैं तथा कितने अभी स्थापित किये जाने शेष हैं?

(श्री सुरेश मीणा)

(3) क्या सरकार अब उक्त स्थान पर उद्योग लगाने हेतु कोई रियायत देने का विचार रखती है, जिससे उक्त क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र करौली में उद्योग लगाने हेतु 36 भूखण्डों का आबंटन 30 औद्योगिक इकाइयों को किया गया है। सूची (परि. अ) संलग्न है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र करौली में 3 उद्योग उत्पादनरत है तथा 3 औद्योगिक इकाइयों निर्माणाधीन है। 24 औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्माण कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। स्थानीय आधार पर रियायत दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः करौली औद्योगिक क्षेत्र के लिए पृथक से रियायत देना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

करौली औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित औद्योगिक भूखण्डों की सूचना

क्र. सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	आबंटन की दिनांक	क्षेत्रफल (व. मी.)	भूखण्ड की स्थिति
1	गणेश स्टोन कंपनी	एच-3	31-3-1995	700	
2	पूरन स्टोन कटिंग	एच-5	31-3-1995	700	
3	भगतराम स्टोन आफ इण्डस्ट्रीज	एच-20	20-11-1996	700	
4	गोकुल ग्रुप एण्ड पालि. इण्डस्ट्रीज	जी 1-25	20-11-1996	1000	निर्माणाधीन
5	जादौन प्लास्टिक उद्योग	एच 1-90	8-2-1996	500	
6	जादौन स्लेट इण्डस्ट्रीज	एच1-89	18-2-1996	500	

1	2	3	4	5	6
7	अंकुर आईस फैक्ट्री	एच-4 व 21	19-12-1997	1400	उत्पादनरत
8	बी.एम. बैटरीज	एच-7 व 18	17-3-1998	1400	
9	राज एन्टरप्राइजेज	एच-2	31-3-1998	700	
10	कला एन्टरप्राइजेज	जी1-28	31-3-1998	1000	
11	आर.एस. डब्ल्यू.सी.	एफ-56 से 58, एफ-62 से 64	22-8-1998	13029	
12	भैरो बाबा स्टोन इण्ड.	एच-6	30-3-2001	700	
13	टाईगर मसाला उद्योग	जी-31	27-3-2000	1000	
14	श्रीनाथ आयल मिल	एच-23	24-7-2001	700	निर्माणाधीन
15	बालाजी आयल मिल	एच-22	25-7-2001	700	
16	मीना फर्नीचर उद्योग	जी 1-30	28-7-2001	1000	
17	अग्रवाल उद्योग	एच-1	16-09-2002	700	उत्पादनरत
18	लक्ष्मी उद्योग	एच-24	16-9-2002	700	
19	पाण्डे प्लास्टिक उद्योग	एच-17	24-9-2003	700	
20	सिंहल उद्योग	एच-19	24-9-2003	700	
21	ताज मोहम्मद फ्रूट कम्पनी	एच-8	9-7-2003	700	
22	मिलंन एक्वा एन्टरप्राईजेज	जी1-29	8-1-2004	1000	उत्पादनरत

1	2	3	4	5	6
23	मीरा एन्टरप्राइजेज	जी1-32	9-2-2004	1000	
24	गजेन्द्र पशु आहार उद्योग	जी1-26	4-3-2004	1000	
25	दीपक इण्डस्ट्रीज	जी1-33	16-3-2004	1000	
26	महिला गृह उद्योग सह. समिति	जी1-27	17-4-2004	1000	निर्माणाधीन
27	उपाध्याय स्पन पाइप उद्योग	जी-68	20-11-2004	1000	
28	निशा मिल्क डेयरी	एच-92	20-12-2004	500	
29	देवनारायण इण्डस्ट्रीज	जी1-67	20-12-2004	1000	
30	यांत्रिक फिल्ड सर्विस	जी-34	31-12-2004	1000	

अतारांकित प्रश्नोत्तर

"विपणन विकास सहायता" योजनान्तर्गत प्राप्त राशि

770. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई हथकरघा क्षेत्र में छूट के स्थान पर "विपणन विकास सहायता" योजना के अन्तर्गत राज्य को गत 3 वर्षों में सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। 1.4.2000 से केन्द्र सरकार द्वारा हाथकरघा विकास के लिए "विपणन प्रोत्साहन योजना" लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत राज्य को गत तीन वर्षों में प्राप्त सहायता के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वर्ष	आयोजना	के.प्र. योजना
1.	2001-2002	5.00	-
2.	2002-2003	23.24	5.00
3.	2003-2004	24.65	4.70

राज्य में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

771. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 5 वर्षों में राज्य में कितने नवीन उद्योग किस-किस प्रकार के स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत एक वर्ष में सरकार द्वारा उद्योगों का विकास करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार राज्य में कितने नये औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में राज्य में कुल 48866 आर्टिजन एवं लघु उद्योग इकाइयां स्थापना उपरांत पंजीकृत हुए जिनकी प्रकरणवार (सेक्टर वाइज) संख्या सूची सलंग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा उद्योगों का विकास करने हेतु भूमि अथवा भवन में 10 लाख रुपये का निवेश या 10 लाख रुपये का टर्म लोन लेने वाली इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन नीति, 2003 के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है :-

1) निवेश पर लग्जरी टैक्स में शत प्रतिशत छूट।

2) स्टाम्प ड्यूटी एवं रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।

3) विद्युत कर, मण्डी टैक्स, मनोरंजन कर पर भी सात वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की छूट।

4) नये निवेश पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान।

5) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निवेशकों को एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान।

6) नियमित श्रमिकों पर होनें वाले व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान रोजगार अनुदान के रूप में देय है। उक्त सुविधायें नई इकाइयों, आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण करने वाली इकाइयों को भी देय है।

राजस्थान वित निगम ने वर्ष 2004-05 में राज्य में उद्योगों के विकास हेतु निम्न कदम उठाये है :-

1) निगम ने अपनी प्रचलित ब्याज की छूट में समय पर भुगतान करने पर जनरल योजना में 0.50 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक की और वृद्धि की है जिसके फलस्वरूप अब यह छूट 1 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत तक हो गई है तथा पर्यटन योजना, कामर्शियल/आवासीय काम्पलेक्स एवं हास्पिटल पर 2 प्रतिशत की छूट दी गई है। गुड बारोअर्स योजना में 2 प्रतिशत से 2.50 प्रतिशत तक की छूट कर दी गई है। (2.50 प्रतिशत छूट की सुविधा 1.00 करोड़ से अधिक के गुड बारोअर्स ऋण पर उपलब्ध है)

2) निगम ने ऋण स्वीकृति की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए शाखा प्रबन्धकों की शक्तियों को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख एवं

(उद्योग मंत्री)

उप महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय को 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये तक के ऋण स्वीकृत करने की शक्तियां प्रदान की है।

3) निगम ने अभी हाल ही में स्थायी सम्पत्तियों की प्राइम सिक्यूरिटी पर ऋण योजना के अन्तर्गत औद्योगिक/वाणिज्यिक/सर्विस सेक्टर के लिए अल्पविधि ऋण देना शुरू किया है। इससे उद्यमी अल्प वधि फण्ड की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

4) रीको द्वारा स्थापित/विकसित स्पेशल इकोनोमिक जॉन में भूमि की लागत के लिए ऋण सुविधा।

5) गुड बारोअर्स स्कीम के कार्ड योजनाओं के अन्तर्गत प्रोसेसिंग शुल्क पूर्ण हटा दिया गया है।

रीको द्वारा गत एक वर्ष (2004-05) में कुल 46 उद्योगों कुल रुपये 82.72 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया।

रीको द्वारा वर्ष (2004-05) में 600.00 एकड़ भूमि अवाप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 2005, तक 770 एकड़ भूमि अवाप्त की जा चुकी है एवं 900 एकड़ भूमि विकसित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 948 एकड़ भूमि विकसित की जा चुकी है तथा 1200 भूखण्ड आबंटन का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध मार्च, 2005 तक 1858 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं। इसी तरह ऋण के क्षेत्र में 80 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रुपये 82.73 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये।

गत एक वर्ष में रीको के माध्यम से राजस्थान तथा राजस्थान के बाहर विभिन्न शहरों में राजस्थान में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु कुल 14 आद्योगिक शिविरों का आयोजना किया गया।

बी.आई.पी. द्वारा गत 2001 वर्ष में उद्योगों के विकास हेतु निम्न कदम उठाये गये :-

1) विब द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस 2004 के दौरान एक परिचर्चा राजस्थानी अप्रावासियों के साथ आयोजित की गई।

2) बिप द्वारा मुम्बई में आयोजित छठी अन्तरराष्ट्रीय आधारभूत संरचना व्यापार सम्मेलन व प्रदर्शनी में भाग लेकर राज्य सरकार द्वारा किये गये औद्योगिक विकास का प्रदर्शन किया गया।

3) बिप द्वारा 19-20 नवम्बर, 2004 को एक बिजनेस प्रोसेस

(उद्योग मंत्री)

आउटसीसिंग गोलमेज सम्मेलन प्रायोजित किया जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया व राज्य में विनियोजन को प्रोत्साहित करने हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये।

4) बिप द्वारा एकल खिड़की योजना के तहत प्रक्रियाधीन प्रकरणों की वस्तुस्थिति जानने हेतु सम्पूर्ण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है।

5) बी.आई.डी.आई. के माध्यम से चार परियोजनाएं जिनमें प्रस्तावित विनियोजन लगभग 528.00 करोड़ रुपये है, स्वीकृत हुई है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निवेशक/उद्यमियों द्वारा औद्योगिक निवेश एवं औद्योगिक इकाइयां स्थापित किये जाने की रुचि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर रीको द्वारा नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पर विचार किया जाकर समुचित निर्णय लिया जाता है।

गत 5 वर्ष (1999-2000 से 2003-2004) के दौरान स्थापना उपरान्त पंजीकृत इकाइयां

क्र. सं.	सैक्टर का नाम	इकाइयों की संख्या
1.	कृषि एवं खाद्य आधारित उद्योग	10089
2.	अधातु खनिज आधारित उद्योग	7264
3.	धात्विक उद्योग	6047
4.	वस्त्र उद्योग	5487
5.	वन आधारित उद्योग	5926
6.	चर्म उद्योग	2494
7.	रसायन उद्योग	3357
8.	विद्युत सहित मशीनरी उद्योग	1988
9.	विविध उद्योग	1135
10.	सेवा क्षेत्र	5079
	योग	**48866**

लूणी तहसील में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त कृषि भूमि

772. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार तहसील लूनी में औद्योगिक क्षेत्र हेतु मौजा सरहद नंदवान, मौजा सरहद हीरखेड़ा की भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने बीघा व कब से एवं नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. द्वारा अर्जित लाभ

773. श्री जयराम जाटव (खैरथल) एवं श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों में लाभ अर्जित किया गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या विगत दो वर्षों में उक्त कारपोरेशन द्वारा कोई उललेखनीय प्रगति की गई है? यदि नहीं, तो क्यों व क्या इसके बारे में सरकार द्वारा कोई नीतिगत बदलाव किया जाना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत दो वर्षों में व्यापारवर्त एवं लाभ/हानि का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	व्यापारवर्त रु. (लाखों में)	हानि (लाखों में)
2002-03	6152.46	459.48

(उद्योग मंत्री)

2003-04	6950.20	16.56
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के खर्चे :		
2002-03	224.21 लाख	224.21 लाख
2003-04	75.00 लाख	

(2) जी हां। वर्ष 2004-05 में व्यापारवर्त रुपये 17989.46 लाख (अनुमानित) का हुआ जो कि निगम स्थापना से अभी तक अधिकतम है।

वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में 98 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया जिससे आगामी वर्षों में खर्चो में कमी आई।

निगम को गत दो वर्षों में हानि मुख्यत: अजमेरी गेट स्थित हस्तशिल्प एवं पर्यटन काम्पलैक्स के निर्माण में अवरोध से हुई दिनांक 15.1.2004 को पुन: निर्माण माननीय मुख्य मंत्री द्वारा गणेश पूजन से आरम्भ हुआ।

वर्ष 2002-2003 में राजस्थान मण्डप को भारत अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2002 में स्वर्ण पदक से नवाजा गया।

आयात एवं निर्यात कारगो कन्टेनर मूवमेंट के प्रभावी संचालन हेतु निगम द्वारा कोनकांर के साथ रोड़ प्लस रेल स्कीम आई.सी.डी. जयपुर के माध्यम से प्रारम्भ की गई है।

निगम द्वारा विभिन्न गतिविधियों में सुदृढ़ीकरण किये जाने के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं।

झालावाड़ जिले की विचाराधीन नवीन पेयजल योजनाएं

774. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झालावाड़ के किस-किस स्थान पर वर्ष 2004-05 में नवीन पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गई एवं इन पेयजल योजनाओं से जिले के कौन-कौन से गांवों को लाभ पहुंचेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

(2) उक्त स्वीकृत नवीन पेयजल योजनाओं में किस-किस योजना का कार्य कब-कब प्रारम्भ किया गया एवं कौन-कौन सी योजना का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला झालावाड़ में वर्ष 2004-05 में क्षेत्र वार कितने-कितने नवीन हैण्डपम्पों व ट्यूबवैल्स हेतु स्वीकृति किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि की जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला झालावाड़ में स्वीकृत उक्त हैण्डपम्पों व ट्यूबवैलों की स्वीकृति के प्रति कितने हैण्डपम्पों का स्थापन कार्य पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला झालावाड़ के किस-किस क्षेत्र की कौन-कौन सी नवीन पेयजल योजनाएं कितनी-कितनी राशि की विचाराधीन/स्वीकृतिधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में वर्ष 2004-05 में स्वीकृत नवीन पेयजल योजनाएं एवं इनसे लाभान्वित गांवों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट-क में समाहित है।

(3) स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृति का विवरण	
		हैण्डपम्प	नलकूप
1	झालरापाटन	115	8
2	पिडावा	138	2
3	डग	140	3
4	मनोहरथाना	149	1
5	खानपुर	158	6
	योग :-	700	20

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

मदवार स्वीकृति एवं राशि का विवरण संलग्न (परिशिष्ट-ख) पर उपलब्ध है।

(4) वांछित विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	स्थापना का विवरण	
		हैण्डपम्प	नलकूप
1	झालरापाटन	115	8
2	पिडावा	138	2
3	डग	140	3
4	मनोहरथाना	149	1
5	खानुपर	158	6
	योग :-	700	20

क्षेत्रवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ख में समाहित है।

(5) कोई योजना स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली विधान सभा क्षेत्र में जनता जल योजनान्तर्गत स्वीकृत ट्यूबवैल्स

775. **श्री सुरेश मीणा (करौली)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली में ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जनता जल योजनान्तर्गत ट्यूबवैल लगाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब तथा नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार अब उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को जनता जल योजनान्तर्गत पेयजल कब तक उपलब्ध करवा देगी?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, करौली में जनता जल योजनान्तर्गत पेयजल हेतु लगाये गये नलकूपों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में उपलब्ध है।

(2) परिशिष्ट-अ में उल्लिखित 41 गांवों में से 36 गांवों में स्थापित नलकूपों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 5 गांवों में नलकूपों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन 5 गांवों में से 4 गांवों की योजना हेतु आवश्यकत पाइप आपूर्ति की प्रक्रिया में है। इन योजनाओं को माह जून, 2005 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। शेष 1 ग्राम खेड़ा की योजना के संशोधित प्रस्ताव (पाइप लाइन के सन्दर्भ में) स्वीकृति हेतु निर्माणाधीन है। स्वीकृति उपरान्त धन एवं संसाधनों की उपलब्धि अनुसार प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-"अ"

करौली विधान सभा क्षेत्र में जनता जल योजना अन्तर्गत बनाये एवं चालू किये गये नलकूपों का विवरण

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड नं. 2001	जन संख्या 2001	स्त्रोत का विवरण				योजना से सर्विस लेवल एलपीसीडी	स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण		विशेष विवरण
					प्रकार	संख्या	स्थान	स्थापना का वर्ष		कुल	चालू	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	करौली	बिनेगा	01231800	868	नलकूप	1	कोंडरमोड	1991	40	5	5	
2	करौली	टटवाई	01231700	528	नलकूप	1	प्रेमबाईकापुरा	2003	40	2	2	
3	करौली	गादोली	01223300	1838	नलकूप	2	गादोली नाले पर	1997 2003	40	8	8	
4	करौली	लेदोरखुर्द	01230800	1093	नलकूप	1	लेदोरखुर्द	1997	40	2	2	
5	करौली	बहराई	01231200	631	नलकूप	1	बहराई	1999	40	1	1	
6	करौली	लेदोरकलां	01233600	1076	नलकूप	1	लेदोरकलां	2004	40	3	3	
7	करौली	खेडिया	0122400	1089	नलकूप	1	खेडिया	1997	40	5	3	
8	करौली	नारायना	01224200	1542	नलकूप	1	नारायना	1997	40	5	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	करौली	मालपुरा	01224300	432				1997	40	3	2	
10	करौली	गुबरेंडा	01230600	1451	नलकूप	2	गुबरेंडा	1997	40	7	7	
11	करौली	कसारा	01230300	1281				2004	40	6	6	
12	करौली	गोलारा	01230700	289	नलकूप	1	गोलारा	2004	40	3	3	
13	करौली	खेड़ा	01231000	759	नलकूप	2	खेड़ा	1997		13	13	2 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण। संशोधित प्रस्ताव (पाइप लाइन के संदर्भ में) स्वीकृति हेतु निर्माणाधीन है।
14	करौली	रतियापुरा	01231300	1981	नलकूप	1	रतियापुरा	1997	40	11	11	
15	करौली	ससेडी	01232300	2497	नलकूप	1	सरोडी	1997	40	11	3	
16	करौली	राजौर	01236900	3435	नलकूप	1	राजौर	1997	40	19	6	
17	करौली	चैनपुर	01223100	3406	नलकूप	2	चैनपुर चैनपुर	1997 2003	40	11	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	करौली	रोहर	01229200	579	नलकूप	1	रोहर	1997	40	5	5	
19	करौली	तुलसीपुरा	01221500	552	नलकूप	1	तुलसीपुरा	1997	40	3	1	
20	करौली	कंचनपुर	01227500	1396	नलकूप	2	भाउआ	1999	40	13	3	
21	करौली	लखनीपुर	01225500	1111			मेवला	1999	40	9	7	
22	करौली	नीमरीपुरा	01225800	584	नलकूप	1	नीमरीपुरा	1999	40	5	5	बिजली की लाइन चोरी हो जाने के कारण वर्ष 2000 से बन्द है।
23	करौली	रौंडकलां	01217600	1078	नलकूप	1	रौंडकलां	1999	40	6	6	
24	करौली	सैंगरपुरा	01217500	3326	नलकूप	3	सैंगरपुरा	1999 1999 2003	40	15	10	
25	करौली	खिरखिरा	01235200	1191	नलकूप	1	खिरखिरा	1999	40	6	5	
26	करौली	कल्याणी	01233600	1099	नलकूप	1	कल्याणी	1999	40	7	7	
27	करौली	करसाई	01237000	4518	नलकूप	1	करसाई	1999	40	20	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	करौली	भावली	01230400	4067	नलकूप	3	बडापुरा	2003	0	20	20	3 नलकूप निर्माण का कार्य पूर्ण, सी.आई. पाइप आपूर्ति की प्रक्रिया में है।
							उपरैला	2003				
							छेडकापुरा	2003				
29	करौली	मकनपुर	01222800	939	नलकूप	1	पहाडीपुरा	2004	0	9	8	क्रम सं. 29 से 31 पर अंकित 3 गांवों की एक योजना है नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण सी.आई.पाइप आपूर्ति प्रक्रिया में है।
30	करौली	कोसरा	01232000	1137					0	5	4	
31	करौली	सोरया	01231900	1013					0	12	10	
32	करौली	चैनपुर	01235100	1328	नलकूप	1	चैनपुरा	2004	40	4	4	
33	करौली	बर्रिया	01235000	1060	नलकूप	1	बर्रिया	2004	40	7	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	करौली	मोहनपुर	01219400	1494	नलकूप	1	मोहनपुर	1996	40	8	4	
35	करौली	मकनपुर	01220200	2076					40	10	10	
36	करौली	भडक्या	01220500	610	नलकूप	2	भडक्या	2002	40	3	3	
37	करौली	बीजलपुर	01220600	814	नलकूप	1	बीजलपुर	2002	40	6	6	
38	करौली	कौंडर	01222900	2427	नलकूप	1	कौंडर	2003	40	17	17	
39	करौली	आलमपुर	01234500	645	नलकूप	1	आलमपुर	1996	40	6	1	
40	करौली	दल्लापुरा शास्त्री	01234600	443					40	4	3	
41	करौली	खूबनगर	01237500	1982	नलकूप	2	नाले में	2002	40	10	8	

मारवाड़ जंक्शन (पाली) पंचायत समिति में स्वच्छ योजनान्तर्गत निर्मित शौचालय

776. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में स्वच्छ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा में चयनित परिवारों के घरों में शौचालय बनाने हेतु वर्ष 2002-04 में कोई योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत योजना के अन्तर्गत निर्धारित शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो कितने शेष हैं व क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस सन्दर्भ में तत्कालीन ग्रुप सचिव के विरुद्ध राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और पंचायत समिति द्वारा आम सभा में उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव लिया गया है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

पलायथा ग्राम (बारां) में पेयजल आपूर्ति हेतु डाली गई दोषपूर्ण पाइप लाइन

777. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां की ग्राम पंचायत पलायथा में निर्मित टंकी का पानी उपभोक्ताओं को पूरा नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि टंकी की पाइप लाइन गलत तरीके से डाली गई है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी व ठेकेदार उत्तरदायी है?

(3) क्या सरकार जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी की पाइप लाइन को पुनः डलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऊंचाई पर स्थित कुछ स्थानों पर दबाव कम रहता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार आवश्यकता नहीं है। वितरण प्रणाली वर्ष 2006 हेतु अभिकल्पित की गई थी। आवश्यकता होने पर इसके सुदृढ़ीकरण करवाने पर विचार किया जावेगा।

नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लम्बित भुगतान

778. **श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2003-04 व 2004-05 में विभिन्न योजनाओं में पीने के पानी के कौन-कौन से कार्य कब-कब व कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? उनके कार्य आदेश एवं कार्य पूर्णता की तिथि मय उनमें हुए व्यय के भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कार्य स्वीकृत होने के बाद कार्य पूर्ण होने एवं उनके भुगतान में बहुत समय लगता है? यदि हां, तो सभी कार्यों के किये गये भुगतान का विवरण मय दिनांक व राशि के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न स्थानों पर डी.सी.बी. कार्य होने के बाद उनमें मोटर नहीं लगाई जाती? यदि नहीं, तो सभी डी.सी.बी. में मोटरें किस-किस तारीख को लगाई गई? इसमें विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने का

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)

प्रयास किया जाता है एवं कार्य आदेशानुसार पूर्ण होने पर अनुबन्ध के अनुसार इनका भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2003-2004 एवं वर्ष 2004-2005 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में पूर्ण कराये गये कार्यों पर किये गये भुगतान का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में वर्णित अवधि में बनाई गई डी.सी.बी. एवं इनमें स्थापित मोटरों का विवरण निम्न प्रकार है :-

अ	स्वीकृत डी.सी.बी. की संख्या	58
ब	पूर्ण कर दी गई डी.सी.बी.	41
स	वर्तमान में चालू	
1.	सबमर्सिबल मोटर द्वारा	27
2.	मोनो-ब्लाक पम्प सैट द्वारा	14
द	डी.सी.बी. जिनका निर्माण कार्य शेष है की संख्या	17

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्मित समस्त डी.सी.बी. पम्प सैट स्थापित कर चालू कर दी गई है। शेष 17 डी.सी.बी. के निर्माण की स्वीकृति माह मार्च, 2005 में जारी हुई है। जिन्हें मई, 2005 तक पूर्ण कर चालू करना प्रस्तावित है। अतः किसी प्रकार का विलम्ब न होने के कारण कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। दिनांक वार स्थापित मोटरों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

पदस्थापन आदेश हेतु प्रतीक्षारत अभियंताओं पर व्यय

779. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से अब तक कितने अभियन्ता पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कितने-कितने समय रहे तथा वर्तमान में कितने अभियन्ता किस-किस तारीख से पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में हैं?

(2) सरकार द्वारा बिना कार्य के एवं इनके वेतन आदि पर कुल

(श्री बाबूलाल नागर)

कितना व्यय किया गया इस व्यय के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूचना क्रमशः परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है

(2) वेतन व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। स्थानान्तरण, आदेशों की प्रतीक्षा इत्यादि प्रशासनिक प्रक्रिया है जो राज्यहित में की जाती है। अतः यह व्यय अपव्यय नहीं है एवं इस कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट– 'अ'

1 अप्रैल 2004 से आदेशों की प्रतीक्षा में रहे अभियंता जिनका पदस्थापन किया जा चुका है, का विवरण

क्र. सं.	नाम	पद	कब से	कब तक	ए.पी.ओ. अवधि का अनुमानित भुगतान
1	श्री जीतसिंह आडीवाल	अधी. अभि.	23/02/04	6/7/04	101304
2	श्री आई.जे. गोयल	अधी. अभि.	9/7/04	29/07/04	15876
3	श्री वी.के. क्वात्रा	अधी. अभि.	11/10/04	21/12/04	55188
4	श्री ए.के. भार्गव	अधी. अभि.	3/3/04	14/05/04	45990
5	श्री अर्जुनराम चौधरी	अधी. अभि.	18/11/04	20/1/05	40320
6	श्री अशोक कुमार जैन	अधी. अभि.	30/09/04	19/03/05	107100
7	श्री दानाराम	अधी. अभि.	28/02/05	19/03/05	12600
8	श्री कुमुद माथुर	अधी. अभि.	6/1/05	19/03/05	45990

1	2	3	4	5	6
9	श्री प्रकाशचंद शर्मा	अधी. अभि.	15/09/04	19/03/05	116550
10	श्री एस.के. शर्मा	अधी. अभि.	26/12/04	29/01/05	22050
11	श्री टीकमदास राठी	अधी. अभि.	14/12/04	19/03/05	60480
12	श्री वी.के. शर्मा	अधी. अभि.	25/10/04	19/03/05	91980
13	श्री जे.पी. जोरवाल	अधी. अभि.	23/07/04	29/07/04	4410
14	श्री संजय कुमार शर्मा	सहा. अभि.	4/3/04	1/4/04	14848
15	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	सहा. अभि.	4/3/04	1/4/04	14848
16	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	सहा. अभि.	10/6/04	9/7/04	14336
17	श्री अजय कुमार ढाका	सहा. अभि.	6/7/04	13/07/04	3584
18	श्री प्रकाश चंद सूण्डा	सहा. अभि.	6/7/04	14/07/04	3584
19	श्री बी.एम. शर्मा	सहा. अभि.	2/8/04	1/10/04	30720
20	श्री विनोदकुमार जैन	सहा. अभि.	4/3/04	1/4/04	7680
21	श्री नरेन्द्र सिंह	कनि. अभि.	1/7/04	16/07/04	4390
22	श्री कुलदीप वर्मा	कनि. अभि.	12/7/04	4/8/04	6580
23	श्री रामप्रकाश विश्नोई	कनि. अभि.	14/12/04	25/01/05	11790
	योग (रूपये)				**832198**

परिशिष्ट 'ब'

वर्तमान में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में अभियन्ताओं का विवरण

क्र. सं.	नाम	पद	दिनांक	विशेष विवरण
1	श्री डी.के. कर्नावट	मुख्य अभियंता	22/3/05	वर्तमान में ए.पी.ओ. में उपस्थित अधिकारियों का भुगतान संबंधी विवरण पदस्थापन के पश्चात दिया जाना संभव होगा।
2	श्री बी.एल. वर्मा	अति. मुख्य अभियंता	27/12/04	
3	श्री अनिल कुमार कच्छावा	अधिशाषी अभियंता	6/12/04	
4	श्री अजय कुमार बजाज	अधिशासी अभियंता	20/01/05	
5	श्री कैलाश रामदेव	अधिशासी अभियंता	23/03/05	
6	श्री शंकरलाल मेघवाल	अधिशासी अभियंता	29/03/05	
7	श्री भुवेनश चन्द्र माथुर	अधिशासी अभियंता	2/4/05	
8	श्री महेशकुमार बंशीवाल	अधिशासी अभियंता	7/4/05	
9	श्री नगेन्द्र निगम	सहायक अभियंता	21/9/04	
10	श्री इकबाल अहमद गौरी	सहायक अभियंता	20/12/04	
11	श्री महेन्द्र प्रसाद	सहायक अभियंता	29/12/04	
12	श्री अजय सिंह	सहायक अभियंता	13/01/05	
13	श्री उमेश चन्द्र शर्मा	सहायक अभियंता	14/03/05	
14	श्री अनिल कुमार परिहार	सहायक अभियंता	16/03/05	
15	श्री पी.सी. बाफना	सहायक अभियंता	18/03/05	
16	श्री मंगलाराम चौधरी	सहायक अभियंता	21/03/05	
17	श्री बी.एल. मीणा	सहायक अभियंता	21/03/05	
18	श्री जे.पी. शर्मा	सहायक अभियंता	7/4/05	

1	2	3	4	5
19	श्री पवन अग्रवाल	सहायक अभियंता	4/10/04	
20	श्री मंगलसिंह	सहायक अभियंता	4/10/04	
21	श्री लक्ष्मणराज कल्ला	सहायक अभियंता	30/9/04	
22	श्री नरेन्द्रकुमार टांक	सहायक अभियंता	30/9/04	
23	श्री हरलाल सिंह	कनिष्ठ अभियंता	1/1/05	

प्रतापगढ़ उप खण्ड में ग्रीष्मऋतु हेतु पेयजल व्यवस्था

780. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा उपखण्ड प्रतापगढ़ में गीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के समाधान के लिये अब तक क्या प्रबन्ध किये जा चुके हैं? पेयजल समस्या ग्रस्त गांवों, मजरों एवं ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में किन-किन गांवों एवं ढ़ाणियों में बैलगाड़ी टैंकर आदि से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है? सूची तहसीलवार व पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड प्रतापगढ़ में ग्रीष्म 2005 हेतु निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये हैं-

(अ) 45 गांवों में 47 हैण्डपम्पों का निर्माण।

(ब) 3 गांवों में 1330 मीटर पाइप लाइन का विस्तार।

(स) 3 गांवों में 3 नलकूपों का निर्माण एवं

(द) 2 गांवों में कुओं की मरम्मत का कार्य।

इसके अतिरिक्त वर्तमान आंकलन के अनुसार 23 गांव एवं मजरों में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पेयजल परिवहन करना भी सम्भावित है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2). वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में उप खण्ड प्रतापगढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के संदर्भ में विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया।)

परबतसर विधान सभा क्षेत्र में बिना स्वीकृति के संस्थापित हैण्डपम्प

781. डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में सरकार की बिना स्वीकृति के वर्ष 2004-05 में 100 से अधिक हैण्डपम्प खोदे गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किस ग्राम में व किस अधिकारी की स्वीकृति से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

हरमाड़ा (आमेर) में मन्दिर माफी भूमि का खातेदारी प्रकरण

782. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील आमेर के ग्राम हरमाड़ा के मंदिरों के नाम माफी की भूमि दर्ज है? यदि हां, तो मंदिर का नाम, खसरा नम्बर एवं रकबा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में मंदिरों के नाम दर्ज भूमि खातेदारी में दर्ज कर दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर भूमि वापस मंदिरों के नाम दर्ज करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मंदिर माफीदार खसरा नम्बर एवं रकबा की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। ग्राम हरमाड़ा में मंदिरों के नाम सूची परिशिष्ट 'ब' के अनुसार खातेदारी में दर्ज हुई है। जिनमें सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही कर दी गयी है। सक्षम न्यायालय के निर्णयानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

(खसरा नम्बरों की सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में राजस्व ग्राम योग्य ढाणियां

783. **श्री कान्तिप्रसाद मीणा (थानागाजी)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की ऐसी कितनी ढाणियां हैं, जिनकी आबादी 300 से 500 की है?

(2) क्या सरकार उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की निम्न ऐसी 6 ढ़ाणी/मजरे हैं जिनकी आबादी 300 से 500 की है :-

1- आमाला 2- खेड़ा 3- तिबारा 4- पलासाना 5- कातापारा 6- भडाणा की बास

(2) जी हां। परन्तु माह अगस्त, 2002 से परिसीमन आयोग के प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन पर प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

बरनाला (सवाईमाधोपुर) उप तहसील कार्यालय हेतु भवन

784. **श्री हीरालाल (बामनवास) (सवाईमाधोपुर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम बरनाला तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर को उप तहसील का दर्जा दिया गया था?

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उप तहसील बरनाला कार्यालय भवन हेतु राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

(3.) सरकार अब कब तक भवन रहित इस उप तहसील कार्यालय हेतु भवन व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वर्ष 2004-05 में वित्तीय उपलब्धता के अनुरुप केवल पूर्व से चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों को ही पूरा करवाये जाने हेतु राशि स्वीकृत की गई। वर्ष 2005-06 के लिए वित्तीय उपलब्धता अनुरुप नवीन उप तहसीलों के भवन निर्माण किये जाने पर इस उप तहसील के लिए भी विचार किया जा सकेगा।

(3) प्रश्न के इस बिन्दु का उत्तर बिन्दु संख्या 2 में दिया हुआ है।

तहसील बस्सी (जयपुर) में "प्रशासन आपके द्वार" शिविरों में निस्तारित प्रकरण

785. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील बस्सी में "प्रशासन आपके द्वार" शिविर लगाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस तारीख को व कहां -कहां?

(2) उपरोक्त शिविरों में माधोगढ़ एवं भूड़ला के शिविरों में निराश्रित एवं वृद्धावस्था पेंशन एवं नामान्तरण खोलने के लिये कौन-कौन से गांव के किस-किस व्यक्ति द्वारा किस-किस सम्बन्ध में कितने आवेदन प्रस्तुत किये गये?

(3) उक्त प्रकरणों में किस-किस का निस्तारण किया गया तथा कितने प्रकरण किस कारण लम्बित रखे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) शिविर स्थल भूड़ला व माधोगढ़ में निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन एवं

(राजस्व मंत्री)

नामानान्तरण खोलने के लिए भूड़ला शिविर स्थल पर (एक) 1 तथा माधोगढ़ 10 शिविर स्थल पर 12 आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त सभी मामले निस्तारित कर दिए गए हैं।

परिशिष्ट 'अ'

तहसील क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में प्रशासन आपके द्वार के अन्तर्गत आयोजित शिविर का कार्यक्रम

क्र. सं.	दिनांक	शिविर स्थल
1.	27-11-04	मुख्यालय जहां शिविर आयोजित किये खिजूरिया ब्राहृम्मणान
2.	29-11-04	पडासोली जीतावाला
3	30-11-04	मोहनपुरा मूडला
4	1-12-04	रामसरपालावाला टेटडा
5	6-12-04	कुथाडा खुर्द
6	7-12-04	दनाऊकला
7	8-12-04	पाटन झर
8	9-12-04	जटवाडा
9	10-12-04	दूधली राजपुरा पातलवास
10	11-12-04	रामरतनपुरा
11	13-12-04	काशीपुरा
12	14-12-04	अफसपुरा भटेरी
13	15-12-04	मानसर खेड़ी कचोलिया
14	16-12-04	पालिया वास बडवा
15	17-12-04	सांभरिया मनोहरपुरा
16	18-12-04	करणीगढ़

क्र. सं.	दिनांक	शिविर स्थल
17	20-12-04	हंसमहल
18	21-12-04	बस्सी माधोगढ़
19	22-12-04	कानोता
20	24-12-04	गढ़
21	27-12-04	बेनाड़ा बासखोह
22	14-2-05	देवगांव
23	01-03-05	बूड़थल
24	02-03-05	पालावाला जाटान
25	3-03-05	टोडाभाटा
26	4-3-05	खेतपुरा
27	5-3-05	लालगढ़
28	9-3-05	तूगा

ह.
तहसीलदार बस्सी

परिशिष्ट 'ब'

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पिता/पति	ग्राम	शिविर स्थल	उद्देश्य	विशेष विवरण
1.	श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी देवड मल धोबी	रजवास	भूड़ला	वृद्धावस्था पेंशन	अस्वीकृत
2.	श्री सुवा लाल पुत्र श्री जयनारायण प्रभाती देवी पत्नी सूवा लाल	गुमानपुरा	माधोगढ़	संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पिता/पति	ग्राम	शिविर स्थल	उद्देश्य	विशेष विवरण
3.	श्रीमती सुशीला पत्नी बाबू लाल सेनं	गुमानपुरा	माधोगढ़	परित्यक्ता पेंशन	स्वीकृत
4.	श्रीमतर सोनी देवी पत्नी लल्लू रेगर	माधोगढ़	माधोगढ़	वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत
5.	श्री डालू राम पुत्र कालूराम कोली	माधोगढ़	माधोगढ़	वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत
6.	श्रीमती ज्याना देवी पत्नी मांगी लाल कोली	माधोगढ़	माधोगढ़	वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत
7.	श्रीमती घीसी देवी पत्नी श्री मानचन्द महावर	माधोगढ़	माधोगढ़	वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत
8.	श्रीमती नानगी देवी पत्नी घीसी लाल शर्मा	माधोगढ़	माधोगढ़	वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत
9.	श्रीमती कल्याणी पत्नी श्री रेवड़ मल कुम्हार	माधोगढ़	माधोगढ़	विधवा पेंशन	स्वीकृत
10.	श्री लल्लू पुत्र कल्याण नाई व श्रीमति जामोती पत्नी ललूनाई	माधोगढ़	माधोगढ़	संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत
11.	दुर्गापुरी पुत्र गेंदापुरी	गुमानपुरा	माधोगढ़	वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत
12.	श्रीमती नानगी देवी पत्नी लच्छुराम कुम्हार	माधोगढ़	माधोगढ़	वृद्धावस्था पेंशन	स्वीकृत
13.	श्री महेन्द्र तिवाड़ी पुत्र जगदीश प्रसाद तिवाड़ी निवासी रोजवाडी	रोजवाड़ी	माधोगढ़	नामान्तरण	शिविर से पूर्व ही नामा. से. 183 दि. 07.8.04 हो चुका था

नागौर जिले की राजस्व भूमि पर अतिक्रमण

786. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व भूमि पर अतिक्रमण कर जिला नागौर में वर्ष 2004-05 के दौरान कई स्थानों पर फसल बोई गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अतिक्रमी की फसल को नीलाम करने की कार्यवाही बन्द करने की दशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व भूमि पर अतिक्रमणों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गयी। विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नीलाम किये जाने की नियमों में व्यवस्था है। नीलामी की कार्यवाही बन्द नहीं की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बदरवास ग्राम (जयपुर) में नामान्तरण के लम्बित प्रकरण

787. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम बदरवास तहसील एवं जिला जयपुर, खसरा नम्बर 164/137, 136 एवं 134 के खातेदार कौन-कौन हैं? जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खसरा नम्बरों की जमीन का सालाना लगान नियमित रूप से जमा हो रहा है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों के लगान की रसीद की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नामान्तरण खोले जाने के नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारों ने नामान्तरण खोले जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है? यदि हां, तो कब से? अब तक उक्त भूमि का नामान्तरण न खोले जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्राम बदरवास तह. एवं जिला जयपुर की खसरा नम्बर 164/137 उक्त राजस्व ग्राम के रिकार्ड में अंकित नहीं है। खसरा नम्बर 136 चमेलीदेवी बेवा किशनलाल व तुलसीदास, रघुनन्दन, लीलाधर अशोक पुत्र किशनलाल शर्मा हि.ब.सा. देह तथा ख.न. 134 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सं. 2060-63 की प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) भूमि की किस्म गै. मु. एवं बारानी होने के कारण लगान देय नहीं है।

(3) नामान्तरकरण खोले जाने के नियम राज भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्डस) रूल्स 1957 के अन्तर्गत बने हुए हैं।

(4) नामान्तरकरण खोले जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-अ

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम बदरवारा पटवार क्षेत्र हीरापुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयपुर पश्चमि तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान सम्वत 2060 से 2063

खेवट खतौनी सं.		भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास-स्थान से पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र.	कृषक द्वारा सम्वत..........के लिए				सम्वत...... के लिए		सम्वत........के लिए		
नई	पुरानी							दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामनान्तरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां. जिसके पक्ष में भूमि अंतरिम की गई है।	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरणके आदेशकीसंख्याएवंतारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30एवं (अशिंक खसरा)	47	राज सरकार	जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	134	6.12	बारानी 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8 5 ब	12	राज सरकार	चमेली बेफ किशन लाल व तुलसी दास रघुनन्दन लीलाधर अशोक पुत्र श्री किशनलाल शर्मा हि.ब. सा. देह	136 137 161 134	0-02 11-13 8-05	मै.मु.चाह बारानी 2 बारानी 3			16-02							
			कुल खसरा भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल मै.मु. चाह 0.02 बारानी -2	3 11-13	20-00 बारानी-3	3-8-05			16-02							

जलेरी ग्राम (बिजोलिया) का भूमि किस्म परिवर्तन प्रकरण

788. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती मांगी बाई बेवा जीवा जाति बंजारा निवासी जलेरी तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा एवं अन्य प्रार्थीगणों की ओर से हरलाल पिता मन्न जाति बंजारा निवासी जलेरी ने दिनांक 12 अप्रैल, 2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पटवार हल्का नया नगर भू अभिलेख निरीक्षक सलाबटियां में स्थित आराजी खसरा नम्बर 521, 524, 525 एवं 757/526 किस्म चाही भूमि के किस्म परिवर्तन हेतु एवं अन्य प्रार्थी कूका पुत्र गोकुल रैगर निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा वगैराह ने आराजी खसंरा नं. 307/751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760 में स्थित कुल 14 बीघा चाही भूमि के किस्म परिवर्तन का अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो उक्त दोनों प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से दोनों प्रकरणों पर पत्रावली संख्या प.1 (89) राज/ग्रुप-3/2004 कायम कर कार्यवाही की गई और प्रकरण कूका पुत्र, गोकुल वगैराह में दिनांक 28 फरवरी 05 को किस्म परिवर्तन किये जाने की राजकीय स्वीकृति जारी कर दी गई और महिला अभ्यर्थी श्रीमती मांगी बाई बेवा जीवा वगैराह के आवेदन को जानबूझकर लम्बित रखते हुए कोई कार्यवाही नहीं की गई?

(3) क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार कूका पुत्र गोकुल वगैराह के प्रकरण की भांति श्रीमती मांगी बेवा जीवा के प्रकरण में भूमि परिवर्तन की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री कूका पुत्र गोकुल के प्रकरण में स्वीकृति जारी कर दी गयी है तथा श्रीमती मांगी बाई बेवा जीवा जाति बंजारा से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) किस्म परिवर्तन के दोनों प्रकरण अलग-अलग होने से कूका के

(राजस्व मंत्री)

प्रकरण में चूंकि कलक्टर भीलवाड़ा की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी थी इस कारण उस पर विचार कर स्वीकृति जारी की गयी है। श्रीमती मांगी बाई व अन्य 10 से संबंधित प्रकरण में कलक्टर भीलवाड़ा से रिपोर्ट मांगी गयी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई, इस कारण लम्बित है।

(3) उक्त स्वीकृति प्रक्रियानुसार दी गयी है जिसके लिये कोई अधिकारी व कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

तहसील सहाड़ा एवं रायपुर में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

789. **श्री कैलाश त्रिवेदी (सराड़ा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की सहाड़ा व रायपुर तहसीलों में कितने-कितने पद अधिकारियों/कर्मचारियों के सृजित हैं व कौन-कौन से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

क्र.सं.	तहसील कार्यालय	नाम पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	सहाड़ा	तहसीलदार	01	-
		ना. तहसीलदार	01	-
		भू. अ. निरीक्षक	05	01
		त. रा. ले.	01	-
		कनिष्ठ लिपिक	02	-
		वरिष्ठ लिपिक	04	-
		पटवारी	31	03
		च.श्रे.कर्म.	19	01
2.	रायपुर	तहसीलदार	01	-
		ना. तहसीलदार	01	-

1	2	3	4	5
		भू. अभिलेखनिरी	05	04
		त.रा.ले.	01	-
		वरिष्ठ लिपिक	02	01.
		कनिष्ठ लिपिक	03	-
		पटवार	26	05
		च.श्रे.कर्म.	17	01

रिक्त पदों को भरने बाबत विभिन्न नियमों में प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। उसके अन्तर्गत पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

चित्तौड़गढ़ जिले की बिलानाम राजस्व भूमि का चरागाह भूमि में परिवर्तन

790. **श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन जिला कलक्टर श्री आर.एस. गठाला द्वारा जिले की समस्त बिलानाम जमीन को चारागाह में बदलने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश से जिले में कितनी बिलानाम जमीन चरागाह में परिवर्तित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया? ग्रामवार परिवर्तित भूमि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तत्कालीन जिला कलक्टर को भूमि की किस्म बिलानाम भूमि को चरागाह में परिवर्तित करने का अधिकार है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आदेश से परिवर्तित हुई भूमि को पुन: बिलानाम दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर द्वारा अकृषि योग्य चराई हेतु उपयुक्त भूमियों को जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज थी संबंधित तहसीलदारों के प्रस्तावानुसार सार्वजनिक चारागाह प्रयोजनार्थ आरक्षण के आदेश दिये गये थे। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जिले में 44 आदेशों द्वारा कुल 26532.64 हैक्टेयर भूमि को सार्वजनिक चारगाह में आरक्षित कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया। ग्रामवार परिवर्तित भूमि की सूची बिन्दु-1 के अनुसार है।

(3) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधान अनुसार जिला कलक्टर को राजकीय अकृषि योग्य बिलानाम भूमियों को सार्वजनिक चारगाह हेतु आरक्षित करने के अधिकार है।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

महुड़ीखेड़ा ग्राम (चित्तौड़गढ़) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

791. श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में बिलानाम भूमि के अतिक्रमण नियमन हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2003, 2004 व 2005 में राजस्व अभियान चलाया गया था? यदि हां, तो कब तक के नाजायज कब्जे सवर्ण/अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के नियमन किये गये? संख्या व रकबा वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण नियमन करने के पश्चात भी ऐसे कितने अतिक्रमी शेष रहे जिनका बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील डूंगला के ग्राम महुड़ीखेड़ा पंचायत बिलोट (चित्तौड़गढ़) में चरनोट जमीन पर किये गये नाजायज कब्जे को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने का प्रावधान है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमियों को सिविल कारावास की सजा देने का प्रावधान भी है? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितने-कितने व्यक्तियों को सिविल कारावास व सजा दी गई? भौतिक रूप से कब्जे हटाये गये या नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राजस्व अभियान नहीं चलाया गया किन्तु वर्ष 2004-05 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार

(राजस्व मंत्री)

प्रशासन आपके द्वार अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बिलानाम भूमि के अतिक्रमण नियमन का कोई प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 6532 व्यक्तियों के बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण है।

(3) जी हां। जिले में कुल 31 व्यक्तियों को सिविल कारावास की सजा दी गई है।

तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	तहसील	सिविल कारावास की सजा दी गई व्यक्तियों की संख्या
1.	चित्तौड़गढ	9
2.	प्रतापगढ	1
3.	निम्बाहेड़ा	4
4.	बड़ी सादड़ी	2
5.	छोटी सादड़ी	5
6.	भदेसर	8
7.	डूगलां	2
	योग	31

सभी अतिक्रमियों के भौतिक रूप से कब्जे संबंधित तह. द्वारा हटवाये गये हैं।

खारिया ग्राम (नागौर) के कृषि कार्यान्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सहायता

792. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को वर्ष 2004-05 में कितनी-कितनी राशि, कब-कब, सहायता के रूप में प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

(2) ऐसी सहायता हेतु जिला कार्यालय में कितने आवेदन, कहां-कहां के व कब-कब से विचाराधीन हैं? इनका निस्तारण नहीं होने की क्या वजह है? अब कब तक इनका निस्तारण कर दिया जायेगा?

(3) ग्रामीण क्षेत्र में कृषिगत कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर नियमों की अज्ञानता के कारण एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने की दशा में उन्हें सहायता राशि किस विधि से दी जाती है?

(4) कृषिगत कार्य के अन्तर्गत किस-किस प्रकार की दुर्घटनाओं को सम्मिलित किया गया है जिसके आधार पर उन्हें सहायता दी जा सकती है?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खारिया का कोई प्रकरण विचाराधीन है जिन्हें ऐसी राशि भुगतान की जानी थी? यदि हां, तो उन्हें भुगतान कब तक किया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर जिले की मण्डी समितियों द्वारा वर्ष 2004-05 में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विचाराधीन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इन प्रकरणों का यथाशीघ्र ही निस्तारण कर दिया जायेगा।

(3) एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने की दशा में आवेदन पत्र की पूर्ण जांच कर सही पाये जाने पर पंचनामा व उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उसी परिपत्र के अनुसार सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

(4) राज्य सरकार के आदेशानुसार कृषि गत वर्षों के अन्तर्गत जिन घटनाओं के लिए सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। उनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु अनुदान

793. **श्री हरिसिंह रावत (भीम)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) क्या सरकार द्वारा व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना प्रस्तावित की गई है? यदि हां, तो योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजनाओं में कृषकों को राहत देने हेतु कोई अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व किस प्रकार?

उत्तर

(1) विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं तथा आइसोपाम (तिलहन, दलहन, मक्का), आईसीडीपी (कपास), मेक्रो मेनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर (कार्य योजना) (गन्ना एवं उद्यानिकी फसलों) का क्रियान्वयन भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार लगातार किया जा रहा है। इन योजनाओं में वर्ष 2004-05 हेतु निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	आबंटित राशि (लाख रू.) केन्द्र एवं राज्य हिस्सा सहित
1-	आइसोपाम	2931.17
2-	आईसीडीपी (कपास)	381.75
3-	कार्य योजना (कृषि)	2085.04
4-	कार्य योजना (उद्यान)	600.00

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना आइसोपाम (तिलहान दलहन, मक्का), आईसीडीपी (कपास), मेक्रो मेनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर, (कार्य योजना) (गन्ना एवं उद्यानिकी फसलें) अन्तर्गत प्रजनक बीज, आधारबीज, प्रमाणित बीज वितरण एवं प्रमाणित बीज उत्पादन, जिप्सम उपयोग, जैव उर्वरक उपयोग, पौध संरक्षण रसायन, स्प्रिंकलर, फसल प्रदर्शन एवं समन्वित कीट प्रबंध प्रदर्शनों का आयोजन आदि कार्यक्रम लिये जा रहे हैं, जिसका विवरण कृषि कार्यो का परिशिष्ट 1 पर तथा उद्यानिकी कार्यो का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(राशि का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

794. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने राजकीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में संगर्व वार स्वीकृत पद एवं कार्यरत व रिक्त पद का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में एक जिला चिकित्सालय, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पांच उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 34 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी उप नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय, नर्स प्रथम बी.एच.एस. मेल मलेरिया निरीक्षक, एस.एम.पी.डब्लू तथा सेक्टर सुपरवाइजर के पद पदोन्नति के है, इन पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति की बैठक आयोजित करने की कार्यवाही की जा रही है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने के प्रयास किये जा रहे हैं मेलनर्स-2 के 17 पद रिक्त हैं इनको संविदा के आधार पर भरने के माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दे दिया गया। अब राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए 100 पदों पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति जारी की है। जिसकी विज्ञप्ति शीघ्र जारी कर इन पदों को भर दिया जावेगा। अन्य सीधी भर्ती के पदों के लिए वित विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र में ब्यावर में संचालित चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थान का नाम
1.	जिला चिकित्सालय ब्यावर
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टाटगढ़
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाजा
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनपुरा
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजियावास
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ाखेडा
7.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र सुरजपुरा
8.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र कोटड़ा
9.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र बामन डेडा
10.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र बडकोचरा
11.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र तारागढ़
12.	उप स्वास्थ्य केन्द्र ब्यावरखास
13.	उप स्वास्थ्य केन्द्र देवखेड़ा
14.	उप स्वास्थ्य केन्द्र जालिया
15.	उप स्वास्थ्य केन्द्र लोटियाना
16.	उप स्वास्थ्य केन्द्र नून्दी महेन्द्रातान
17.	उप स्वास्थ्य केन्द्र गरबद खेड़ा
18.	उप स्वास्थ्य केन्द्र रूपनगर

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थान का नाम
19.	उप स्वास्थ्य केन्द्र अरनाली
20.	उप स्वास्थ्य केन्द्र नयाखेड़ा
21.	उप स्वास्थ्य केन्द्र (माथूवाड़ा) मालतों की बैर
22.	उप स्वास्थ्य केन्द्र गोहाना
23.	उप स्वास्थ्य केन्द्र सुहावा
24.	उप स्वास्थ्य केन्द्र सरमालिया
25.	उप स्वास्थ्य केन्द्र बलाड़
26.	उप स्वास्थ्य केन्द्र बायला
27.	उप स्वास्थ्य केन्द्र काबरा
28.	उप स्वास्थ्य केन्द्र अनाकर
29.	उप स्वास्थ्य केन्द्र देलवाड़ा
30.	उप स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुरा कलिंजरी
31.	उप स्वास्थ्य केन्द्र नून्दरी मालदेव
32.	उप स्वास्थ्य केन्द्र रावतमाल
33.	उप स्वास्थ्य केन्द्र सीलीबेरी
34.	उप स्वास्थ्य केन्द्र अमरपुरा
35.	उप स्वास्थ्य केन्द्र सखीना
36.	उप स्वास्थ्य केन्द्र देवाता
37.	उप स्वास्थ्य केन्द्र पालड़ी
38.	उप स्वास्थ्य केन्द्र खोड़माल
39.	उप स्वास्थ्य केन्द्र केन्द्र दुर्गावास
40.	उप स्वास्थ्य केन्द्र नाईकला

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थान का नाम
41.	उप स्वास्थ्य केन्द्र गाफा
42.	उप स्वास्थ्य केन्द्र बराखन
43.	उप स्वास्थ्य केन्द्र आसन
44.	उप स्वास्थ्य केन्द्र बामनहेड़ा
45.	उप स्वास्थ्य केन्द्र सुरड़िया

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में संचालित चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; उप स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

1– जिला चिकित्सालय (राजकीय चिकित्सालय अमृतकौर) ब्यावर

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
वरिष्ठ विशेषज्ञ	8	8	-
उप नियंत्रक	1	1	-
कनिष्ठ विशेषज्ञ	11	11	-
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	8	8	-
चिकित्सा अधिकारी	13	13	-
चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1	-
डी.एन.एस.	1	-	1
नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड प्रथम	1	-	1
नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड द्वितीय	1	-	1
लेखाकार	1	1	-
कार्यालय अधीक्षक	1	1	-

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कार्यालय सहायक	1	1	-
वरिष्ठ लिपिक	3	3	-
कनिष्ठ लिपिक	9	8	1
नर्स ग्रेड प्रथम	30	18	12
नर्स ग्रेड द्वितीय	40	34	6
फिजियोथेयोरो	2	2	-
आक्यु थेरापीस्ट	1	-	1
टैक्नी सहायक	1	1	-
वरिष्ठ लैब टैक्निशयन	1	1	-
लैब टैक्निशियन	2	2	-
रेडियोग्राफर	3	3	
होस्पीटल केयर टेकर	3	2	1
डेन्टल टैक्नीशियन	1	1	-
साख्यिकय सहायक	1	1	-
वाहन चालक	4	3	1
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	6	6	-
जमादार	4	-	4
विद्युत कार	1	1	-
दर्जी	1	-	1
कुक	4	2	2
धोबी	3	2	1
वार्ड बाय	80	48	12
सफाई कर्मचारी	15	15	-

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाटागढ़				
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-	1
2	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	-
3	नर्स श्रेणी द्वितीय	5	1	4
4	लैब टैक्नीशियन	1	1	-
5	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	2	-
6	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	8	6	2
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जदाजा				
1	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य/गायनी)	2	-	2
2	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
3	बी एच एस मेल/फिमेल	2	1	1
4	नर्स श्रेणी प्रथम	1	-	1
5	नर्स श्रेणी द्वितीय	5	3	2
6	वरिष्ठ लिपिक	2	2	-
7	कनिष्ठ लिपिक	1	1	-
8	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	-
9	मलेरिया लेखाकार	1	-	1
10	सेक्टर सुपरवाईजर	4	-	4
11	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	-
12	लेब टैक्नीशियन	1	1	-
13	संगणक	1	1	-

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
14	रेडियोग्राफर	1	1	-
15	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	2	2	-
16	वाहन चालक	3	1	2
17	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी	10	9	1
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुरा				
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1
3	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	-
4	लैब टैक्नीशियन	1	1	-
5	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
6	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	2	1	1
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजियावास				
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1
3	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	-
4	वरिष्ठ लिपिक	1	1	-
5	लैब टैक्नीशियन	1	1	-
6	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
7	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	3	3	-
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ाखेड़ा				
1	चिकित्सा अधिकारी	1	1	-

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
2	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	1
3	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	-
4	लैब टैक्नीशियन	1	-	1
5	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
6	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	3	2	1
7. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र सुरजपुरा				
1	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-
2	वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी	2	1	1
3	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
8. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र कोटड़ा				
1	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-
2	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
9. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र बामन हेड़ा				
1	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-
10. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र बड़कोचरा				
1	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	1
2	वार्ड ब्वाय	2	2	-
3	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
11. उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र तारागढ़				
1	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	-	1
2	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-

क्र. सं.	संस्थान	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र ब्यावरखास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
2	उप स्वास्थ्य केन्द्र देवखेड़ा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
3	उप स्वास्थ्य केन्द्र जालिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
4	उप स्वास्थ्य केन्द्र लोटियाना	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
5	उप स्वास्थ्य केन्द्र नून्द्र भेद्रातान	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र नरबद खेड़ा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
7	उप स्वास्थ्य केन्द्र रूपनगर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
8	उप स्वास्थ्य केन्द्र अरनाली	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
9	उप स्वास्थ्य केन्द्र नयाखेड़ा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	-	1
10	उप स्वास्थ्य केन्द्र (माथूवाड़ा) मालतों की बैर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
11	उप स्वास्थ्य केन्द्र गोहाना	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
12	उप स्वास्थ्य केन्द्र सुहावा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	

क्र. सं.	संस्थान	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
13	उप स्वास्थ्य केन्द्र सरमालिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
14	उप स्वास्थ्य केन्द्र बलाड़	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
15	उप स्वास्थ्य केन्द्र बायला	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
16	उप स्वास्थ्य केन्द्र काबरा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
17	उप स्वास्थ्य केन्द्र अनाकर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
18	उप स्वास्थ्य केन्द्र देलवाड़ा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
19	उप स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुरा कलिंजरी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
20	उप स्वास्थ्य केन्द्र नून्दरी मालदेव	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
21	उप स्वास्थ्य केन्द्र रावतमाल	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
22	उप स्वास्थ्य केन्द्र सीलीबेरी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
23	उप स्वास्थ्य केन्द्र अमरपुरा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
24	उप स्वास्थ्य केन्द्र सखीना	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-

क्र. सं.	संस्थान	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
25	उप स्वास्थ्य केन्द्र देवाता	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
26	उप स्वास्थ्य केन्द्र पालड़ी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
27	उप स्वास्थ्य केन्द्र खोडमाल	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
28	उप स्वास्थ्य केन्द्र दुर्गावास	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
29	उप स्वास्थ्य केन्द्र नाईकलां	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
30	उप स्वास्थ्य केन्द्र गाफा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
31	उप स्वास्थ्य केन्द्र बराखन	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
32	उप स्वास्थ्य केन्द्र आसन	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
33	उप स्वास्थ्य केन्द्र बामनहेडा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-
34	उप स्वास्थ्य केन्द्र सुराडिया	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	1	-

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र में [illegible]

795. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के किन-किन ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलबध है।

(3) जी हां। नर्स श्रेणी-2 के रिक्त पदों को संविदा पर भरने के लिये माह फरवरी, 2004 में विज्ञप्ति जारी की गई थी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन दे रखा है। राज्य सरकार से 100 नर्स श्रेणी-2 के रिक्त पदों को नियमित नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की गई है। जिनकी विज्ञप्ति शीघ्र जारी कर इन पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन निरस्त करवाने के प्रयास जारी है। सैक्टर सुपरवाइजर के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वार्ड ब्वाय/सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
तसीमो	कोलारी
चितोरा	सखबरा
विरोधा	निभी
सरानीखेड़ा	बिछिया
पंचगांव	फिरोजपुर
सैपउ	बिसायतीपुरा
विपरपुर	दुबेपुरा
बरैह	काकोली
उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र	कूकरा
मालोनी खुर्द	सेमरा
विश्नोदा	दुबाटी
मोरोली	बरखेड़ा
करीमपुर	दूबरा
नोरंगाबाद	धडीलज्जा
उप स्वास्थ्य केन्द्र	कोलुआ
कामिसपुर	नुनेहरा
केथरी	उमरारा
राजपुर	डन्डोली
पुरानी छावनी	रजोराखुर्द
जाटोली	रजोराकला
सिधावली बरैह	सरकना
तगाबली	बसई सामन्ता
लुहारी	कुम्हेरी
भैंसेना	कनासिल
सुन्दरपुर	

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अवधि सहित निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्था का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितोरा	सैक्टर सुपरवाइजर वार्डबाय	1	9/1996 10/2004
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विरोदा	सफाई कर्मचारी	1	2/2005
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचगांव	नर्स-2	1	9/2004
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपरपुर	वार्डबाय, सैक्टर सुपरवाइजर	1	5/2004 9/2002

राज्य में स्थाई वार्डब्वाय के रिक्त पद

796. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में जिलेवार स्थाई वार्डब्वाय के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में स्थाई वार्डब्वाय के 379 पद रिक्त हैं। जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध. है।

परिशिष्ट "अ"

जिलेवार स्थायी वार्ड वॉय के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	जयपुर	15
2	अलवर	34
3	भरतपुर	10
4	धौलपुर	2
5	सीकर	44

क्र.सं.	जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या
6	दौसा	-
7	झुंझनूं	17
8	जोधपुर	13
9	बाड़मेर	13
10	जैसलमेर	07
11	सिरोही	07
12	पाली	18
13	जालोर	06
14	बीकानेर	10
15	गंगानगर	14
16	हनुमानगढ़	12
17	चूरू	13
18	अजमेर	28
19	भीलवाड़ा	15
20	नागौर	29
21	टोंक	04
22	कोटा	09
23	बारां	06
24	सवाई माधोपुर	01
25	करोली	-
26	झालावाड़	20
27	बून्दी	04
28	उदयपुर	15
29	राजसमन्द	02
30	डूंगरपुर	05
31	बांसवाड़ा	03
32	चित्तौड़गढ़	03
	योग	379

नकली दवाओं पर अंकुश हेतु कार्य योजना

797. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2004 से अब तक कितने नकली दवाओं के मामले पकड़े गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई जांच समिति गठित की गई थी? यदि हां, तो जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक कुल 7 मामले पकड़े गये एवं उनमें से 6 के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही सम्पादित की गई है तथा एक मामला जांच में है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य स्तर पर नकली दवाओं की रोकथाम हेतु एक समिति का गठन दिनांक 20.3.2002 को किया गया है तथा इस हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।

राज्य सरकार नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर सम्भव प्रयासरत है। और औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा इस कार्य हेतु लगातार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "अ"

List of spurious Drugs Detected Wef 1-1-2004 to Till date

S. No.	Name of Drugs	B. No.	Mfgd by	Pro. Sec. No	Case Filed on Dt.
1	Cetirizine Di-hydrochoride Tab (Cz-10)	T-1601	M/s J&J Chemicals & Pharmaceuticals Khunja, Hanuman-garh	868 Dt. 23-7-04	23-9-04
2	Cetirizine Di-hydrochoride (Cz-10)	T-1601	M/s J&J Chemi-cials & Pharma-ceuticals Khunja, Hanumangarh	867 Dt. 23-7-04	11-8-04
3	Ciprofixacin Tab. IP (Repro-500)	0833	M/s Revive Drugs Pvt. Ltd. Kaladeara Jaipur	666 Dt. 6-8-04	5-10-04
4	Oxytocin Inj	011	M/s Cibacem Gaya (Bihar)	244 Dt. 17-9-04	
5	Norflox 400	G25031	M/s Cipla Ltd. Pune	353 Dt. 12-4-04	30-6-04
6	Tab. Althocin 500	Bo1570 U	M/s Pan Pharma Panalav (Gujrat)	820 Dt. 9-7-04	20-7-04
7	Cap Nitraze-pam Hypnotec 10	AD-150	M/s Arvind Reme-dies Chennai	Under In-vestigation	

राजकीय चिकित्सालय नाथूसर (नोखा) में रिक्त पद

798. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोखा के नाथूसर चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों का पद स्थापन कब तक करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार नोखा के चिकित्सालय को 100 बैड का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने के समय भरने का प्रयास किया जावेगा।

(2) नोखा में वर्तमान में 50 शैय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं में से वर्ष 2004 में 53.48 प्रतिशत शैय्याओं का उपयोग हुआ है। इसलिये उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को इस वित्तीय वर्ष में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में शल्य चिकित्सक का रिक्त पद

799. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालय हैं तथा इनमें कितने पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिला चिकित्सालय में तीन पद शल्य चिकित्सकों के स्वीकृत हैं? यदि हां, तो यहां कितने शल्य चिकित्सक अतिरिक्त कार्यरत हैं?

(3) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चार चिकित्सक कार्यरत हैं तथा शल्य चिकित्सक का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या सरकार सामुदायिंक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़ के शल्य चिकित्सक का पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में दस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक जिला चिकित्सालय है। इनमें चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) चिकित्सक उप नियंत्रक के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

पद विरुद्ध पद स्थापित थे, जिनकी पदोन्नति कर वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर राजसमन्द पद स्थापित किया गया है।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पद माह 7/04 से रिक्त है।

(4) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद पदोन्नति से भरा जाना है, जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

जिला बांसवाड़ा में स्थित चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों का विवरण।

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा	वरिष्ठ विशेषज्ञ उप नियंत्रक कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	7 1 12 8 26 1
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तलवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	2 1 3
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	4 1 1

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनोड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	2 1 3
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सरवण	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	2 1 3
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरेडी बड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी	2 3
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटोल	कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी	1 1
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागीदोरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	2 1 1
9	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आनन्दपुरी	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	2 2 1
10	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	5 1 2 1
11	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटा डूगरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी	2 1 3

प्रादेशिक फार्मेसी कौंसिल में कार्यरत कर्मी

800. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) फार्मासिस्ट के लाइसेंस किन नियमों के तहत दिये जाते हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1980 से अब तक फार्मासिस्ट के कुल कितने लाइसेंस दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) फार्मेसी कौंसिल में कुल कितने कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं व इनमें से कौन-कौन से अधिकारी किस-किस पद पर कार्यरत हैं? वेतन के अलावा कौंसिल का वार्षिक खर्चा कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फार्मेसिस्ट के पंजीयन, फार्मेसी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाते हैं। फार्मेसी अधिनियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में वर्ष 1980 से मार्च, 2005 तक कुल 15449 फार्मेसिस्टों के पंजीयन फार्मेसी कौंसिल द्वारा किये गये जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) फार्मेसी कौंसिल में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

वर्ष 2003-04 में वेतन रू. 5.10.109/- के अतिरिक्त फार्मेसी कौंसिल का वार्षिक खर्चा रुपये 34,57,366/- था जिसमें रुपये 16,00,000/- कौंसिल का भवन निर्माण हेतु अग्रिम भुगतान भी सम्मिलित था।

(सूची/ प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

वर्ष 1998 में नियुक्त अस्थाई चिकित्सकों की वेतन विसंगति

801. श्री लालचन्द मेघवाल (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जून, 1998 से मार्च, 1999 के बीच सरकार

(श्री लालचन्द मेघवाल)

द्वारा अस्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति स्थिर वेतन 8000 रुपये प्रतिमाह पर की गई थी और अब भी वही है?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके बाद अस्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति अक्टूबर, 1999 में 8000-13500 की वेतन श्रृंखला में की गई थी?

(3) क्या सरकार इसे विसंगति मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अक्टूबर, 1999 में जिला स्तर पर 8000-13500 की वेतन श्रृंखला में चिकित्सकों को तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गई थी।

(3) जी नहीं, सरकार इसे विसंगति नहीं मानती है क्योंकि जून, 1998 से मार्च, 1999 के बीच में संविदा पर नियुक्ति चिकित्सकों में से जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा योग्य चिकित्सकों को वेतन श्रृंखला 8000-13500 में तदर्थ नियुक्ति दे दी गयी केवल वर्ष 1998 के 7 तथा वर्ष 1999 के 8 अभ्यार्थियों का जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा चयन नहीं किया गया। चूंकि उपरोक्त दोनों ही प्रकार की नियुक्तियां जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गयी है। फलस्वरूप यह विसंगति प्रकरण नहीं बनता है।

राज्य राजमार्ग संख्या-34 पर पुलिया निर्माण

802. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य राजमार्ग के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन आदि के लिए क्या नीति निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य राजमार्ग संख्या 34 टोंक नगर-नैनवां-देई-खटकड-केशवराय पाटन के उन्नतिकरण तथा क्षतिग्रस्त हिस्सों के सही रख रखाव हेतु कार्य करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी राशि से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त राजमार्ग में ग्राम सुन्थली के समीप निकल रहे बरसाती नाले में रास्ता बहाली तथा भूमिगत जलस्त्रोत में बढ़ोत्तरी

(श्री रामनारायण मीणा)

हेतु पुलिया एवं एनीकट का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करवा दिया जाएगा तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(i) राज्य राज मार्ग वे सड़कें हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ती हैं। मुख्य जिला सड़के/ग्रामीण सड़कें जिन पर यातायात दबाव अधिक होने पर एवं जो सड़के जिला मुख्यालयों व महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ती हो व आस-पास के राज्यों की राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती हैं, उसे राज्य राजमार्ग घोषित किया जाता है। राज्य राज मार्गों का नवीनीकरण 6 से 8 वर्ष के अनतराल में किये जाने का प्रावधान है। इनका सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण/सुधार कार्य केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के तहत प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार के उपलबध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के मध्यनजर रखते हुए किया जाता है। इनका साधारण रख-रखाव राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं राज्य की समस्त सड़क तंत्र व पारस्परिक प्राथमिकता को देखते हुए किया जाता है।

(2) जी हां। 1- सरकार ने राज्य राजमार्ग संख्या 34 टोंक-नगर-नैनवां -देई- खटकड-केशवराय पाटन के विकास तथा क्षतिग्रस्त हिस्सों के सही रख-रखाव हेतु कार्य योजना बनाई है। इसके अन्तर्गत इस राजमार्ग पर डामरीकरण प्रोटेक्शन वर्क, मिसिंग सी.डी. वर्क तथा किमी 102 में अपूर्ण क्षतिग्रस्त पुलिया की एप्रोचेज के निर्माण हेतु 3 प्रिलीमनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर केन्द्रीय सड़क निधि योजना में प्रस्तुत की है जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त कुरेल नदी के क्षतिग्रस्त एप्रोचेज के डामरीकरण हेतु 15.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एफ.डी.आर. मद के अन्तर्गत प्राप्त हुई है एवं वर्तमान में इसके अन्तर्गत डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य प्रगति पर है। इसी स्थान पर पूर्व में प्रस्तुत प्रिलीमनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के पत्र क्रमांक सं. एन.एच.-12030/3/2004-एन.एच.-4 (RJ) दिनांक 31.1.2005 के द्वारा क्षतिग्रस्त एप्रोचेज की मरम्मत एवं पुन निर्माण हेतु 101.15 लाख रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह कार्य वर्ष 2005-06 के वर्षाकाल से पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है। केन्द्रीय सड़क निधि योजना में परिशिष्ट "अ" में प्रस्तावित शेष दो कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2- उपरोक्त के अलावा रख-रखाव कार्यक्रम में वर्ष 2004-05 में टोंक नगर नैनवां रोड़ (राजमार्ग संख्या 34) किमी. 27/0 से 31/0, 32/0 से 34/0 के नवीनीकरण कार्य के लिये रुपये 14.07 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। किमी. 4/0 से 15/0 एवं गांव सोनवा के अन्दर बाइपास निर्माण हेतु सी.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाये जा चुके है जिसकी स्वीकृति पश्चात ही कार्य सम्भव होगा।

(3) यह सही है कि उक्त राजमार्ग में ग्राम सुंथली के समीप निकल रहे बरसाती नाले से रास्ता बहाली हेतु पुलिया का निर्माण आवश्यक है किन्तु भूमिगत जल स्त्रोत में बढ़ोत्तरी हेतु एनीकट का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है। सुंथली नाले के समीप बरसाती नाले पर पुलिया बनाने हेतु 43.79 लाख रू. के प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट "अ" के क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्य में सम्मिलित कर केन्द्रीय सड़क निधि योजना में प्रस्तावित है। केन्द्रीय सड़क निधि योजना में स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही पुलिया निर्माण सम्भव हो सकेगा। पुलिया पर एनीकट बनाया जाना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है क्योंकि एनीकट का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य राजमार्ग संख्या 34 टोंक-नगर-नैनवां-देई-खटकड़ा-केशवराय पाटन सड़क के डामरीकरण एवं क्षतिग्रस्त कुरेल नदी के एप्रोचेज के निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि में प्रस्तावित किये गये कार्यों की सूची

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्रस्तावित लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1	रिपेयर एवं रिकन्स्ट्रक्शन आफ डेमेज्ड एप्रोचेज टू कुरेल रीवर हाई लेवल ब्रीज आन टोंक-खटकड़-केशवराय पाटन रोड (एस.एच. 34) किमी. 102	1.00	101.15	उक्त कार्य की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 31.1.2005 से रू. 101.15 लाख की प्राप्त हुई है। कार्य वर्ष 2005-06 के वर्षाकाल से पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्रस्तावित लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
2	रिनिवल बिद 20 एम.एम. पी.एम.सी. आन टोंक-नगर-नैनवां-खटकड़ केशव राय पाटन (एस.एच. 34) फ्रोम किमी. 104/0 से 115/0	11.00	54.12	उक्त कार्य के प्रस्ताव भारत सरकार को पत्र दिनांक 19.2.2005 द्वारा भेजे दिये गये हैं। स्वीकृति अपेक्षित है।
3	रिनिवल बिद 20 एम.एम. पी.एम.सी. आन टोंक-नगर-नैनवां-खटकड़-केशवराय पाटन (एस.एच. 34) किमी. 46/0 से 54/0, 55/0 से 58/0, 66/0 से 70/0, 75/0 से 78/0 एवं 91/0 से 96/0	23.00	232.19	उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने वाले विचारार्थ प्रस्तावों की सूची में शामिल कर लिया गया है। उक्त कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार/भारत सरकार की प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी।
	कुल योग :-	35.00	387.46	

शेरगढ़-नोहर (हनुमानगढ़) के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत

803. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शेरगढ़ से नोहर वाया मसीतावाली हैड (जिला हनुमानगढ़) सड़क पर मुण्डा मेहर वाला के बीच घग्घर नदी पर स्थित पुल क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुल के क्षतिग्रस्त होने से शेरगढ़ से

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

नोहर सड़क मार्ग अवरूद्ध हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उक्त प्रश्न सिंचाई विभाग से संबंध रखता है। सिंचाई विभाग से उत्तर प्राप्त किया गया है।

जी हां। यह पुल घग्घर डाइवर्सन चैनल की बुर्जी संख्या 75 पर है। इस पुल के माह मई, 2004 के दौरान 6 स्पान क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिसकी अधिशासी अभियन्ता घग्घर बाढ़ नियंत्रण खण्ड-सूरतगढ़ द्वारा मौके की स्थिति अनुसार 5 स्पान की स्लेब नई ड़लवा दी गई है।

(2) जी हां। यह पुल घग्घर डाइवर्सन चैनल की बुर्जी संख्या 75 ग्राम मुण्डा शेरगढ़ मसीतावाली रोड पर बना पुल वी.आर.बी. (Village Road Bridge) है। यह वी.आर.बी. पुल कमजोर है। पुल के ऊपर दोनों ओर कंक्रीट के ब्लाक बनाकर गार्डर लगाई हुई है। भारी वाहनों के लिये प्रवेश निषेध है। हल्के छोटे वाहन गुजर रहे हैं। पुल की क्षमतानुसार डिजाइन व ड्राइंग मुख्य अभियंता आई.डी.एण्ड आर. सिंचाई यूनिट सिंचाई विभाग जयपुर से करवाई जा रही है। सिंचाई विभाग द्वारा इस पुल के निर्माण बाबत नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित करवाये जाने की कार्यवाही जारी है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान बजट की उपलब्धता पर निर्माण कराये जाने की सम्भावना है।

बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के सड़क रहित पंचायत मुख्यालय

804. **श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (बल्लभनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के कितने पंचायत मुख्यालय अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार अब इन्हें कब तक सड़क से जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में सभी पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से जुड़े हुए हैं।

(2) सभी पंचायत मुख्यालय पक्की सड़क (ड़ामर) से जुड़े हुए हैं।

रूपवास विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कें

805. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत की गई और कौन-कौनसी सड़क की मरम्मत नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में इस वर्ष कौन-कौनसी नई सड़कें बनवाई गई तथा इस हेतु कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उक्त क्षेत्र में नई सड़कें बनवाने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में इस वर्ष आर.एम.यू.पी. (प्रथम चरण) के तहत 6 सड़कों की मरम्मत (नवीनीकरण) की गई सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। आर.एम.यू.पी. के द्वितीय चरण में पांच सड़कों को मरम्मत (नवीनीकरण) हेतु आर.एम.यू.पी. द्वितीय चरण में प्रस्तावित कर दिया गया है। सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। शेष सड़कों में से 4 सड़कों को छोड़कर (जिनकी सूची परिशिष्ट "स" पर है) सभी सड़कों पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत साधारण मरम्मत (पेच रिपेयर) का कार्य करा दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में वर्ष 2004-05 में निर्मित की गई सड़कों की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 व इससे अधिक आबादी के किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हुए गांवों को जोड़ने हेतु नई सड़कें बनाना वर्ष 2007 तक प्रस्तावित है जो केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति पर निर्भर करेगा, क्योंकि यह केन्द्र सरकार की योजना है।

परिशिष्ट "अ"

इस वर्ष स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के तहत मरम्मत (नवीनीकरण) की गई सड़कों की सूची (RMUP-I)

1. बरैठा पहाड़पुर सड़क किमी. 0/0 से 5/0
2. मेरथा मिलसवां सड़क किमी. 3/0 से 5/800
3. उच्चैन रूपवास सड़क किमी. 0/900 से 2/000
4. वंशी वगरी सड़क किमी. 0/0 से 0/800
5. उच्चैन पिंगोरा सड़क किमी. 1/0 से 3/350
6. सम्पर्क सड़क कुरका किमी. 1/0 से 3/350

परिशिष्ट "ब"

मरम्मत (नवीनीकरण) हेतु आर.एम.यू.पी. द्वितीय चरण में प्रस्तावित सड़कों की सूची

1. मिलसवां से यू.पी. बार्डर किमी. 0/0 से 1/500
2. रूपवास से नया गांव किमी. 3/0 से 11/0
3. बारहमाफी से मडरियापुर किमी. 0/0 से 3/200
4. खेडिया मोड़ से डुमरिया 1/500 से 2/600
5. सुखावली से पिंचूना किमी. 1/0 से 5/500

परिशिष्ट "स"

निम्न सड़कों पर पेच रिपेयर/मरम्मत कार्य नहीं कराया गया

क्र. सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई (किमी. में)	क्षतिग्रस्त किमी. में
1	सम्पर्क सड़क विलंग चटपुरा	2	1
2	मिलस्वा यू.पी. बार्डर	1.50	1.50
3	पहाड़पुर से बसई	4.00	2.00
4	रूपवास नयागांव	8.00	3.00

परिशिष्ट "द"

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में इस वर्ष निम्न योजनाओं में बनवाई गई नई सड़कें

क्र. सं.	योजना का नाम	सड़क का नाम	आबंटित राशि 2004-05/ व्यय (लाखों में)
1	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (फेज-IV नियमित)	नगला तेहरिया माफी से नगला बीजा	5.19
2	मिसिंग लिंक परियोजना	1. रूदावल से जटमासी 2. थानाखेड़ली से पहाड़पुर 3. बारहमाफी से मदरियापुरा 4. नगला मीणा से वरकोली 5. उच्चैन से चुरारीगुर्जर 6. कंजोली से माड़ापुर 7. सहना से धौर 8. दौरदा से जटमासी 9. रूपवास से यू.पी. बार्डर तक वाया चकसामरी	0.35 9.70 0.98 10.88 8.10 2.82 15.02 16.23 15.20
3	डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. प्रथम चरण में स्वीकृत सड़क	सम्पर्क सड़क सिरोध किमी. 0/0 से 1/650 कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष रू. 5.25 लाख का व्यय किया गया है।	14.79 स्वीकृत राशि

चौरासी विधान सभा क्षेत्र के डूंगरपुर-सरथूना मार्ग का डामरीकरण

806. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौरासी में डूंगरपुर से सरथूना सड़क हेतु सरकार द्वारा 1 करोड 85 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है? यदि, हां तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुशील कटारा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के लिए सरकार एवं ठेकेदार के बीच प्रकरण न्यायालय में लम्बित है? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर गत 6 वर्षों में लगभग 50-60 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है? यदि हां, तो मृतकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार डूंगरपुर से सरथूना मार्ग का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रंमाक एन.एच.-12030/1/2000/एनएच-4 (आरजे) दिनांक 20.2.04 द्वारा रू. 183.00 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत मंगलवाड़-सरथूना वाया मंगलवाड़-बंबोरा-सलीमपुर-आसपुर-डूंगरपुर-पीठ रोड़ (एमडीआर-11) (किमी. 47/0 एट डूंगरपुर, किमी. 108/0 एट स्टेट बार्डर) किमी. 23/0 से किमी 42/0 व किमी. 47/0 से किमी. 95/0 के डामरीकरण के लिये जारी किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त मार्ग पर गत 6 वर्षों में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। (पुलिस विभाग की सूचना अनुसार)

(4) तकनीकी स्वीकृति द्वारा स्वीकृत लम्बाई में कार्य 13.10.2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है शेष लम्बाई में कार्य किया जाना सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1999 से मार्च 2005 तक डूंगरपुर से सरथूना सड़क पर हुई दुर्घटनाओं की सूची

क्र. सं.	वर्ष	अपराध संख्या मय कायमी दिनांक व थाना	धारा	नाम पता मृतक व्यक्ति	नतीजा पुलिस
1	2	3	4	5	6
1	1999	151/28.5.99 थाना कोतवाली	279, 304,ए, ता.हि.	श्री विशाल/ छगन लाल कलाल नि. कलाल घाटा	चालान 110/29.6.99
		336/4.11.99 थाना कोतवाली	279, 337, 304 ए, ता. हि.	श्री नाथ/सवा मीणा नि. देवल	चालान 312/23.12.99
		126/8.5.99 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री हरिशंकर निवासी हिराता	चालान 122/31.5.99
		276/9.9.99 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री शैलेष कुमार	एफ.आर. 19/20.9.99
2	2000	315/9.10.2000 थाना कोतवाली	279, 304, ए ताहि	श्री रामजी/ थावरा मीणा नि. कलाल घाटा	एफ.आर. 62/31.10.2000
		332/19.10.2000 थाना कोतवाली	279, 304, ए ताहि	श्री कालु/थाना मीणा नि. महुड़ी	चालान 244/31.10.2000
		367/2.12.2000 थाना कोतवाली	279, 304, ए ताहि	श्री लालशंकर/ नानुराम ननोमा नि. महुड़ी	चालान 274/14.12.2000

1	2	3	4	5	6
		25/18.2.2000 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	1.श्री परवतसिंह/ छत्तरसिंह नि. बड़ेसा 2.अमरसिंह/ माधवसिंह, निवासी धम्बोला 3.धर्मेन्द्रसिंह/ माधवसिंह, निवासी बांसवाड़ा	एफ.आर. 5/18.4.2000
		329/14.12.2000 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री लालू/ कानजी रोत निवासी झोथरी	चालान 288/31.12.2000
3	2001	91/9.5.2001 थाना कोतवाली	279, 304, ए ताहि	श्री नानजी/ नाथू राम नि. भण्डारिया	चालान 60/30.5.2001
		44/5.2.2001 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री लक्ष्मण/ सोमा हटारा नि. माथूगामड़ा	चालान 35/19.3.2001
		128/5.6.2001 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री समरत/ कन्हैया लाल मीणा निवासी बबली खेड़ा	चालान 96/30.6.2001

1	2	3	4	5	6
		223/21.8.2001 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	1. श्री मोती लाल/प्रभुलाल कलाल नि. सासरपुर, 2. श्री प्रमोद/ मोतीलाल निवासी सासरपुर 3. श्री मुकेश/ मगनलाल कलाल निवासी सासरपुर	चालान 177/20.9.2001
		229/26.10.2001 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री सलीम/ कालु शेख मुसलमान नि. शास्त्री कालोनी डूंगरपुर	एफ.आर. 59/31.10.2001
4	2002	102/7.4.2002 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	1. श्री हाजा/ मानजी 2. श्री लक्ष्मी/ हाजा मीणा निवासी सीमलवाड़ा	चालान 107/30.5.2002
		165/4.6.2002 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री नर्बदा पत्नि लक्ष्मण मीणा निं. पोहरी खातुरोत	चालान 123/10.6.2002

1	2	3	4	5	6
5	2003	257/4.2.2003 थाना कोतवाली	279, 304, ए ताहि	श्री राजु/मंगला मीणा नि. शंकर घाटी हिराता	एफ.आर. 33/31.10.2003
		171/4.7.2003 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री लक्सी/ काला मीणा नि. कलालघाटा	चालान 145/22.7.2003
6	2004	249/1.9.04 थाना कोतवाली	279, 304, ए ताहि	श्री सुरजमल/ हकरा मीणा नि. उटिया	एफ.आर. 52/27.12.04
		20/10.2.2004 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री हाजा/ अमरा मीणा नि. भण्डारा	चालान 18/17.2.04
		37/2.3.2004 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री फना/ सोमा मीणा नि. पड़ला मानारोत	चालान 69/7.4.04
		56/10.3.04 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्रीमति अमरी बेवा मरता नि. राजपुर	चालान 49/16.3.04
		162/23.6.2004 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	सुश्री रेखा पुत्री समा मीणा नि. भेरयो	चालान 143/29.6.04

1	2	3	4	5	6
		212/27.7.04 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री अशोक/ रामलाल मीणा नि. दरियाटी	चालान 194/3.8.04
		230/12.8.04 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	श्री मंशाराम/ नारायण मीणा नि. देवपुर	चालान 20/25.8.04
		279/20.10.04 थाना धम्बोला	279, 304, ए ताहि	सुश्री हेमलता पुत्री गट्टू मीणा नि. साकरसी	चालान 252/27/10.04

बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत व्यय राशि

807. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 2000 से जनवरी, 2005 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कौन-कौन सी फर्मो (एजेन्सियों) के माध्यम से किया गया?

(2) सड़कवार लागत राशि, व्यय राशि व भुगतान की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 2000 से जनवरी, 2005 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में 12 ठेकेदारों/फर्मों को राशि रू. 3947.49 लाख का भुगतान किया गया। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सड़कवार लागत राशि, व्यय एवं भुगतान राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2000 से जनवरी, 2005 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में ठेकेदारों/ऐजेन्सियों को किये गये भुगतान का विवरण

क्र. स.	ठेकेदार/ऐजेन्सी का नाम	भुगतान राशि लाखों में					कुल व्यय (लाखों में)
1	मै पी.सी. जैन एण्ड कम्पनी, उदयपुर	-	152.23	33.78	313.49	588.39	1087.55
2	आर.एस. आर डी सी सी लि., जयपुर	-	132.10	-	-	15.73	147.83
3	श्री वी डी केडिया बांसवाड़ा	-	52.96	174.87	110.97	68.56	407.36
4	मै. जयबाबा कन्स्ट्रक्शन, उदयपुर	-	62.93	160.69	4.10	-	227.72
5	श्री के.के. गुप्ता, डूंगरपुर	-	-	390.09	31.37	2.79	424.22
6	मै. चौधरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, डूंगरपुर	-	-	4.05	346.50	76.10	528.69
7	रानू टैक्नोक्रटस, उदयपुर	-	-	-	-	-	4.05
8	मै. श्रद्धेय कन्स्ट्रक्शन, कुशलगढ़	-	-	-	56.12	77.36	133.48
9	मै. अमोल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बांसवाड़ा	-	-	-	81.72	14.42	96.14

क्र. स.	ठेकेदार/एजेन्सी का नाम	भुगतान राशि लाखों में					कुल व्यय (लाखों में)
10	मै. जय गुरुदेव एन्टरप्राईजेज, बांसवाड़ा	-	-	-	96.63	14.55	111.18
11	नारायणसिंह गुलाबसिंह, हिम्मतनगर	-	-	-	319.57	322.63	642.20
12	मै होड़लसिंह, गिर्राजसिंह, जोधपुर	-	-	-	109.99	27.08	137.07
	कुल योग :-	-	400.22	869.54	1470.46	1207.61	3947.49

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 2000 से जनवरी, 2005 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क वार लागत एवं व्यय भुगतान राशि का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (लाखों में)	व्यय एवं भुगतान राशि (जनवरी 05 तक) लाखों में
1	सम्पर्क सड़क भटवाड़ा	20.00	16.33
2	सम्पर्क सड़क सिंहपुरा	32.00	22.77
3	सम्पर्क सड़क गणउ	60.00	41.63
4	सम्पर्क सड़क महेशपुरा	30.00	24.01
5	सम्पर्क सड़क डागल	10.00	10.46
6	सम्पर्क सड़क सेवनिया	36.50	24.48
7	सम्पर्क सड़क मोरवानिया	43.50	33.41
8	सम्पर्क सड़क झांझोर	23.50	10.90
9	सम्पर्क सड़क टोडी सिमरोल	37.50	30.28
10	सम्पर्क सड़क दौलसिंह का गढ़	11.00	4.89
11	सम्पर्क सड़क डिन्डोरिया	30.25	15.91
12	सम्पर्क सड़क जेदला	12.00	8.58
13	सम्पर्क सड़क करगचिया	11.00	9.97
14	सम्पर्क सड़क लालावाड़ा	105.00	59.10
15	सम्पर्क सड़क ढोढीया	55.00	37.47
16	सम्पर्क सड़क सरेड़ी भिलान	14.91	10.10
17	सम्पर्क सड़क हिम्मतसिंह का गढ़ा	24.32	15.70
18	सम्पर्क सड़क भामरबोर	48.32	39.13

1	2	3	4
19	सम्पर्क सड़क बिजोर	12.30	9.21
20	सम्पर्क सड़क बुद्धा	51.50	36.52
21	सम्पर्क सड़क बोरी	101.00	105.20
22	सम्पर्क सड़क मकनपुरा	94.00	93.07
23	सम्पर्क सड़क लक्ष्मणगढ़ की झरी	61.00	50.06
24	सम्पर्क सड़क खूंटा लालू पारगी	34.80	34.75
25	सम्पर्क सड़क पाटिया गलिया	27.50	27.47
26	सम्पर्क सड़क छापरा	31.30	31.48
27	सम्पर्क सड़क मडकोला मकन	28.80	28.68
28	सम्पर्क सड़क सादडिया	27.85	24.51
29	सम्पर्क सड़क सागवा	33.50	29.38
30	सम्पर्क सड़क भरवेल	17.80	12.78
31	सम्पर्क सड़क मस्काखुर्द	43.70	27.89
32	सम्पर्क सड़क घाटा	62.70	58.74
33	सम्पर्क सड़क सारण	18.60	16.71
34	सम्पर्क सड़क बिजोरी कलां	59.90	58.46
35	सम्पर्क सड़क पोटलिया	43.80	39.16
36	सम्पर्क सड़क शोभावटी	81.40	75.55
37	सम्पर्क सड़क बीकानेर	23.55	17.59
38	सम्पर्क सड़क जलदा	31.10	29.50
39	सम्पर्क सड़क चिलकारी	25.38	25.20
40	सम्पर्क सड़क बांकावाड़ा	29.00	26.88

1	2	3	4
41	सम्पर्क सड़क नवापादर	12.50	9.92
42	सम्पर्क सड़क गामदा	20.50	20.85
43	सम्पर्क सड़क चरदा	46.20	41.51
44	सम्पर्क सड़क ओडवाडिया	21.00	20.13
45	सम्पर्क सड़क चिखली बादरा	21.81	19.48
46	सम्पर्क सड़क बोरवानिया	45.00	34.48
47	सम्पर्क सड़क बियापाडा	61.78	52.33
48	सम्पर्क सड़क गराडिया	33.57	28.88
49	सम्पर्क सड़क बावरीपाडा	30.08	19.18
50	सम्पर्क सड़क सेण्ड मोटी	40.62	27.49
51	सम्पर्क सड़क पोलापान	30.21	23.31
52	सम्पर्क सड़क खूंटा बिजिया	23.71	18.23
53	सम्पर्क सड़क कातरिया	26.99	21.68
54	सम्पर्क सड़क भानो का पाड़ा	24.14	19.21
55	सम्पर्क सड़क बरेठा	39.33	34.81
56	सम्पर्क सड़क निश्नावत	15.89	10.37
57	सम्पर्क सड़क टिमेडा खुर्द	26.82	26.28
58	सम्पर्क सड़क रूपगढ़ की टोरी	49.34	34.09
59	सम्पर्क सड़क करमादिया/सब्बलपुरा	63.00	62.20
60	सम्पर्क सड़क वनाला	23.72	19.10
61	सम्पर्क सड़क काकनसेजा	97.45	63.63
62	सम्पर्क सड़क गागरवा	17.16	13.63

1	2	3	4
63	सम्पर्क सड़क सवाकापारड़ा	18.37	17.82
64	सम्पर्क सड़क नेगरेड़ा	14.33	14.13
65	सम्पर्क सड़क टाटिया	28.52	25.15
66	सम्पर्क सड़क नरोतो की गोज	62.14	39.04
67	सम्पर्क सड़क घोड़ी	32.55	33.22
68	सम्पर्क सड़क पाटीनगरा	20.70	18.16
69	सम्पर्क सड़क नया गांव	19.59	15.94
70	सम्पर्क सड़क पालीखुर्द	13.81	11.18
71	सम्पर्क सड़क लसोडिया	20.69	16.61
72	सम्पर्क सड़क मछारापाडा	29.75	25.03
73	सम्पर्क सड़क पण्डवाल ऊंकार	77.97	60.36
74	सम्पर्क सड़क गमाना	42.76	36.64
75	सम्पर्क सड़क ठुम्मठ	25.61	23.92
76	सम्पर्क सड़क कुण्डिया	38.25	35.57
77	सम्पर्क सड़क भवरकोट	11.69	10.31
78	सम्पर्क सड़क झरी/भरतगढ़	37.35	28.45
79	सम्पर्क सड़क टाण्डी मोटी	124.13	86.49
80	सम्पर्क सड़क खरवेड़ा	67.34	51.12
81	सम्पर्क सड़क रेंगनिया	22.28	16.26
82	सम्पर्क सड़क चिरोला	38.14	28.18
83	सम्पर्क सड़क छरी	49.57	41.01
84	सम्पर्क सड़क चौकी	25.29	25.05

1	2	3	4
85	सम्पर्क सड़क टेमरन	33.31	35.68
86	सम्पर्क सड़क नवाधरा	42.20	40.28
87	सम्पर्क सड़क चेनावाला	43.57	44.48
88	सम्पर्क सड़क आमलीपाड़ा	25.67	23.87
89	सम्पर्क सड़क करसाना	32.82	29.57
90	सम्पर्क सड़क गमाना हमीरा	45.69	33.14
91	सम्पर्क सड़क वीलडी	27.84	22.99
92	सम्पर्क सड़क पाडला	67.50	63.98
93	सम्पर्क सड़क कुण्डला	29.68	22.01
94	सम्पर्क सड़क जाम्बोई	44.67	41.42
95	सम्पर्क सड़क रघुनाथसिंह का गढ़	59.87	48.45
96	सम्पर्क सड़क मूलिया	83.04	77.73
97	सम्पर्क सड़क वरदा	69.01	70.49
98	सम्पर्क सड़क भमेड़ी	38.84	28.32
99	सम्पर्क सड़क बावरी	66.53	65.39
100	सम्पर्क सड़क रोहनिया	148.15	141.46
101	सम्पर्क सड़क बोरपी केरेंग	41.21	24.10
102	सम्पर्क सड़क चौकड़ी	29.33	7.42
103	सम्पर्क सड़क घाटे की नाल	42.64	26.32
104	सम्पर्क सड़क देवलिया शक्तावत	35.41	22.50
105	सम्पर्क सड़क खरखोटी	14.88	3.71
106	सम्पर्क सड़क छलियावाड़	67.67	3.54

1	2	3	4
107	सम्पर्क सड़क रामगढ़	77.88	45.86
108	सम्पर्क सड़क बरलाकी रेल	70.26	18.98
109	सम्पर्क सड़क पोटलिया (पाटन)	45.10	16.46
110	सम्पर्क सड़क खजूरा	25.87	13.33
111	सम्पर्क सड़क खडिया साथ	55.73	27.29
112	सम्पर्क सड़क चोरबार	46.45	20.59
113	सम्पर्क सड़क खेरदा	51.35	39.67
114	सम्पर्क सड़क टाडाबरला	71.90	41.06
115	सम्पर्क सड़क ढेबरी कालू	65.78	29.12
116	सम्पर्क सड़क शम्भुपुरा	70.64	50.37
117	सम्पर्क सड़क सैनाला	18.77	4.80
118	सम्पर्क सड़क डैयाना	35.38	29.20
119	सम्पर्क सड़क पिथापुरा	46.03	39.23
120	सम्पर्क सड़क हलेरा	35.55	30.34
121	सम्पर्क सड़क भुरी दौर	37.80	27.02
122	सम्पर्क सड़क मोतिया	88.45	62.64
123	सम्पर्क सड़क भाटवडला	33.18	20.44

योग्य वर्कचार्ज कर्मियों की कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति

808. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस योग्यता वाले वर्क चार्ज कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजित किया जावेगा?

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(2) क्या सरकार वर्क चार्ज कर्मियों को समायोजित नहीं किए जाने की स्थिति में कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्कचार्ज कर्मियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजित करने की वर्तमान में कोई नीति नहीं है।

वागौर ग्राम (करौली) की क्षतिग्रस्त सड़कें

809. श्री बत्तीलाल (टोड़ाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वागौर तहसील नादौती जिला करौली से कस्बा गढ़खेड़ा तक सड़क टूटी हुई है तथा इस सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम वागौर के पुराबास से तहसील नादौती को जोड़ने वाली सड़क में दो किलोमीटर का अभी तक डामरीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम वागौर तहसील नादौती जिला करौली से कस्बा गढ़खेड़ा तक कुल 10 किमी. में से 2.00 किमी. डामर की सड़क क्षतिग्रस्त है। 5 किमी. क्षतिग्रस्त ग्रेवल है एवं 3 किमी. का कच्चा रास्ता है।

(2) जी नहीं। उक्त सड़क का डामरीकरण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

(3) वागौर के पुरा बास से वाया बामोरी होते हुए तहसील नादौती रूट में वागौर के पुरा बास से बामोरी तक 1.0 किमी. ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित कच्ची सड़क है। ग्राम वागौर का पुरा बास कोई राजस्व गांव नहीं है एवं ग्राम

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वागौर डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। अतः वर्तमान में उक्त सड़क का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मनोहरपुर-दौसा सड़क मार्ग का अपूर्ण कार्य

810. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बैराठ के कस्बा मनोहरपुर से दौसा को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस योजना की कार्य योजना क्या है? इस पर कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा इस पर अब तक क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि का करवाया गया और अब कौन-कौन से कार्य शेष हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क मार्ग का कार्य अब तक पूर्ण नहीं करवाया जा सका है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त योजना का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कस्बा मनोहरपुर से दौसा को जोड़े जाने की कार्य योजना है। सबसे पहले इस सड़क पर कार्य जुलाई-89 से प्रारम्भ हुआ। अब तक कराये गये कार्य व राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अब किमी. 32/0 से मनोहरपुर कस्बे तक का सम्पूर्ण सड़क कार्य मय पुलियाओं के कराया जाना शेष है। जिसमें से किमी. 32/0 से 42/0 तक के सड़क निर्माण के कार्य की स्वीकृति भारत सरकार के पोत, सड़क परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 9.2.2005 को रू. 1468.97 लाख की जारी की जा चुकी है तथा कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(2) जी हां। भारत सरकार से स्वीकृतियों के अभाव में।

(3) यह प्रश्न भारत सरकार से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट "अ"

दौसा-मनोहरपुर सड़क एनएच-11ए पर कराये गये कार्यों का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	जोब संख्या	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	नवीन घोषित राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-11 ए दौसा से मनोहरपुर वाया आंधी के निर्माण व सुधार कार्य हेतु सर्वे एवं इन्वेस्टीगेशन का कार्य	एए-011ए-आरजे-89 -128 दिनांक 20/7/1989	10.00
2	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए पर बाणगंगा नदी पर पुल व पहुंच सड़क का निर्माण कार्य	011ए-आरजे-92-27 दिनांक 10/1/1992	195.00
3	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए पर सागर-सैंथल सेक्शन से डांगरवाड़ा सड़क का निर्माण कार्य	11ए-आरजे-92-130 दिनांक 17/3/1992	128.88
4	किमी. 0/0 से 13/100 दौसा-मनोहपुर सड़क पर चौड़ाईकरण व सुदृढीकरण का कार्य	11ए-आरजे-95-144 दिनांक 24/3/1995	192.48
5	किमी. 0/0 से 61/126 तक भूमि अवाप्ति का कार्य	011ए-आरजे-95-149 दिनांक 31/3/1995	385.10
6	किमी. 18/165 से 23/0 तक सड़क निर्माण का कार्य डांगरवाड़ा-आंधी सेक्शन	11ए-आरजे-98-205 दिनांक 31/3/1999	252.62
7	किमी. 23/0 से 32/0 तक सड़क निर्माण का कार्य दौसा-मनोहरपुर रोड	11ए-आरजे-2002-289 दिनांक 6/5/2002	541.13
		योग	1669.21

अजमेर जिले के सड़क मार्ग सीमा में अवैध निर्माण कार्य

811. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं शहर की प्रमुख सड़कों के रख-रखाव का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है? यदि हां, तो जिला अजमेर की नगर परिषद, अजमेर, ब्यावर एवं नगरपालिका किशनगढ़, केकड़ी, सरवाड़, पुष्कर, विजयनगर आदि के मध्य से गुजरने वाले ऐसे मार्गों जिनके रख-रखाव का दायित्व विभाग का है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे मार्गों/सड़कों के आंसपास एक निश्चित दूरी तक लोकहित में निर्माण कार्य नहीं कराये जा सकते है? यदि हां, तो क्या ऐसे मार्गों पर कोई अतिक्रमण अथवा नियम विरुद्ध निर्माण कार्य हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध निर्माण कार्य हटाये जाने संबंधी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व. नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव का दायित्व भारत सरकार के पोत, सड़क परिवहन मंत्रालय का है। जिला अजमेर की नगर परिषद अजमेर, ब्यावर एवं नगर पालिका किशनगढ़, पुष्कर, विजयनगर आदि से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का दायित्व भारत सरकार के पोत, सड़क परिवहन मंत्रालय का है, सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। शहर के प्रमुख सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त) का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां, यह सही है कि ऐसे मार्गो पर सड़कों के आसपास एक निश्चित दूरी तक लोक हित में निर्माण कार्य नहीं कराये जा सकते। नियम विरुद्ध किये गये अतिक्रमणों पर कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाये गये हैं, जिनमें से कुछ अतिक्रमियों द्वारा न्यायालयों में वाद भी दायर किये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) जी हां। समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "क"

जिला अजमेर की नगर परिषद अजमेर, ब्यावर एवं नगर पालिका किशनगढ़, पुष्कर, विजयनगर आदि से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

1.	नगर परिषद ब्यावर एवं नगर पालिका किशनगढ़	- रा.रा. मार्ग सं. 8
2.	नगर पालिका पुष्कर	- रा.रा. मार्ग सं. 89
3.	नगर पालिका विजयनगर	- रा.रा. मार्ग सं. 79
4.	नगर परिषद अजमेर	- रा.रा. मार्ग सं. 8, 79, 89

परिशिष्ट "ख"

जिला अजमेर सा.नि. विभाग में शहरों की संधारित सड़कों की सूची

खण्ड अजमेर :- 1 जयपुर अजमेर रोड़ किमी. 390/800 से 397/400

2 अजमेर ब्यावर रोड़ कि.मी. 0/0 से 13/500

3 अजमेर पुष्कर रोड़ फार्म महावीर सर्किल कि.मी. 4.50

4 अजमेर नसीराबाद रोड़ कि.मी. 0/0 से 7/0

5 अजमेर श्री नगर रोड़ कि.मी. 0/0 से 5/200

6 अजमेर अरड़का रोड़ कि.मी. 0/0 से 5/0

7 आनासागर सरक्यूलर रोड़ कि.मी. 5

8 मेयो लिंक रोड़ कि.मी. 1

9 अजमेर चौरसियावास रोड़ कि.मी. 2

10 मेयो कालेज रोड़ (मेयो कालेज से नसीराबाद रोड़ क्रासिंग) कि.मी. 2

11 कचहरी रोड़ (पुरानी आर.पी.एस.सी. सर्किल से महात्मा गांधी सर्किल) कि.मी. 2

12 टी.टी. कालेज से रिजर्व पुलिस लाइन क्रासिंग कि.मी. 1

13 मोडल जेल से अजमेर अरड़का रोड कि.मी. 1.50

14 एन.एच. 8 (पुराना) से अरड़का रोड (राम भवन) वाया कलक्टर अजमेर निवास कि.मी. 1

15 कलक्ट्री से रिजर्व पुलिस लाइन वाया रेवेन्यू बोर्ड रोड़ कि.मी. 1

16 अजमेर पुष्कर रोड़ से फाइसागर रोड़ कि.मी. 5

17 डाक बंगले से अजमेर क्लाब रोड़ कि.मी. 0.40

18 अजमेर क्लब से सर्किट हाउस रोड़ कि.मी. 1.50

19 मेडिकल कालेज से आइसोलेशन वार्ड रोड कि.मी. 0.30

20 गर्वमेंट कालेज क्रासिंग से अलवर गेट क्रासिंग रोड कि.मी.।

21 इंडिया मोटर से जे.एल.एन. हास्पीटल रोड (वाया चांद ढिलाई खाना) कि.मी. 1

22 अप्रोच रोड़ तारागढ़ कि.मी. 9

23 महावीर सर्किल से दरगाह रोड़ कि.मी. 1.50

24 उसरी गेट से अजयनगर रोड़ कि.मी. 3

25 जोन्स गंज से एच.एम.टी. रोड़ कि.मी. 2.80

26 गुलाब बाडी से धोला भाटा रोड़ कि.मी. 2.40

27 वैशाली नगर से माकड़वाली गांव रोड़ कि.मी. 5.50

28 जी.सी.ए. क्रासिंग से डिग्गी चौक रोड़ कि.मी. 1.80

29 अप्रोच रोड़ मदार सेन टोरियम कि.मी. 2.50

30 लिंक रोड़ फोर्म ब्यावर रोड़ से बिहारी गंज वाया जोन्स गंज कि.मी. 1.50

31 अप्रोच रोड़ विभीन सरकारी भवन अजमेर कि.मी. 26

32 बोराज रोड़ से दरगाह कि.मी. 3.67

नगर पालिका पुष्कर

33 रामधाम से मुख्य बाजार ब्रह्म मंदिर होते हुये मेला मैदान तक कि.मी. 2.05

34 अजमेर पुष्कर घाटी रोड़ स्टेट हाइवे 18, कि.मी. 1

नगर पालिका किशनगढ़

35 सरवाड़ अराई किशनगढ़ परबतसर रोड़ (एस.एच.-7) कि.मी. 9.50

36 जयपुर अजमेर रोड़ (ओल्ड एन.एच.-8) कि.मी. 9

37 किशनगढ़ अरडका सड़क कि.मी. 1

38 किशनगढ़ खोडागणेश रोड़ कि.मी. 2

जिला खण्ड ब्यावर नगर परिषद ब्यावर

39 सतूर नागौर रोड़ (एस.एच.-39)

अ- विजयनगर रोड़ कि.मी. 3.300

ब- ब्यावर रासबाबरा कि.मी. 2

40 अजमेर ब्यावर उदयपुर रोड़ (अरबन लिंक) 49/0 से 58/100

41 ब्यावर बर पाली रोड़ (अरबन लिंक) 54/0 से 56/200

42 ब्यावर देलवाड़ा रोड़ कि.मी. 2

43 ब्यावर मसूदा रोड़ कि.मी. 2.600

44 ब्यावर चांग बिलाता रोड़ कि.मी. 1

नगर पालिका विजयनगर

45 सतूर नागौर रोड़ (एस.एच.-39) कि.मी. 46/0 से 49/0

46 विजयनगर केकड़ी रोड कि.मी. 1.50

47 विजयनगर शिखरानी रोड़ कि.मी. 1

नगर पालिका केकड़ी

48 नसीराबाद केकडी देवली मोड़ (एस.एच. 26)

49 ब्यावर विजयनगर रोड़ (एस.एच. 39)

50 मालपुरा केकड़ी कादेड़ा रोड़ (एस.एच. 12)

51 केकड़ी बघेरा रोड़ कि.मी. 1

नगर पालिका सरवाड़

52 नसीराबाद केकड़ी देवली रोड (एस.एच. 26)

53 सरवाड़ कस्बे की सम्पर्क रोड़

परिशिष्ट "ग"

अतिक्रमणों के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर न्यायालय वादों की सूची

क्र. सं.	मु. न.	पक्षकार	न्यायालय का नाम	वर्तमान स्थिति	रोड का नाम
1	522/93	एस.बी.आई./ राज. सरकार	मुसिफ कोर्ट ब्यावर	बहस में	अजमेर ब्यावर उदयपुर रोड़
2	190/90	परमहंस आक्षम/राज. सरकार	अति. मु. मजि. ब्यावर	स्टे आर्डर	ब्यावर बर पाली रोड़
3	/2002	प्रेमलता/ राज. सरकार	मु. मजि. प्रथम वर्ग ब्यावर	बहस में	ब्यावर-रास-बाबरा रोड़
4	/2002	हनुमान/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट ब्यावर	बहस में	ब्यावर-रास-बाबरा रोड़

नगरपालिका विजयनगर :- शुन्य

नगरपालिका केकड़ी :-

1	/96	मूली देवी/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	नसीराबाद-केकड़ी-देवली रोड़

क्र. सं.	मु. न.	पक्षकार	न्यायालय का नाम	वर्तमान स्थिति	रोड का नाम
2	/96	जगदम्बा छात्रावासं/ राज. सरकार	मुसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	नसीराबाद-केकड़ी-देवली रोड़
3	/96	श्री गोपाल/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	नसीराबाद-केकड़ी-देवली रोड़
4	/96	रामधन/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	केकड़ी-कादेड़ा रोड़
5	/96	मौ. कामिस/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	केकड़ी-जयपुर रोड़
6	/96	मीठठन लाल/राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	केकड़ी-जयपुर रोड़
7	/97	खेमराज/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	केकड़ी-जयपुर रोड़
8	/97	ओम प्रकाश/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	केकड़ी-कादेड़ा रोड़
9	/97	ब्तूलबेगम/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	केकड़ी-कादेड़ा रोड़
10	/97	मेवाराम/ राज. सरकार	मुंसिफ कोर्ट केकड़ी	मूल वाद विचाराधीन	केकड़ी-कादेड़ा रोड़

नगरपालिका सरवाड़ :- शुन्य

नगरपालिका पुष्कर :- शुन्य

नगरपालिका किशनगढ़ :- शुन्य

मदरसों में अतिरिक्त पैराटीचर्स का पदस्थापन

812. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मदरसों में एक-एक पैराटीचर लगाया गया है? यदि हां, तो क्या जहां 200-250 बच्चे अध्ययनरत हैं वहां एक पैराटीचर पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे मदरसों में और पैराटीचर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उर्दू विषय की पाठय पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कुल पंजीकृत 1688 मदरसों में से 1317 पर एक-एक शिक्षा सहयोगी एवं सात मदरसों पर दो-दो शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। जहां 70 से अधिक छात्र-छात्राएं नामांकित हैं वहां अतिरिक्त पैराटीचर मदरसा कमेटी की मांग पर उपलब्ध कराये जाते हैं। जिन मदरसों में एक से अधिक पैराटीचर लगाये गये हैं। उनकी नामवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा मदरसों में प्रारम्भिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त उर्दू रीडर की पुस्तकें भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

परिशिष्ट "क"

मदरसों की सूची जिनमें एक से अधिक पैराटीचर कार्यरत है

क्र. सं.	मदरसा जिसमें वह नियुक्त है	पंजीयन संख्या	मदरसे में कुल अध्ययनरत विद्यार्थी	शिक्षा सहयोगी का नाम
1	मदरसा अल रहमानिया, मौहल्ला हांडीपुरा, वार्ड नं. 8, आमेर, जयपुर	1	135	1- श्री सुरेश कुमार शर्मा 2- श्री राधा कृष्ण जाट
2	मदरसा हुसैनिया, मांगरोल, वार्ड नं. 3 बारां	71	115	1- श्री मोहम्म्द इल्यास 2- श्री मोहम्मद उमर

क्र. सं.	मदरसा जिसमें वह नियुक्त है	पंजीयन संख्या	मदरसे में कुल अध्ययनरत विद्यार्थी	शिक्षा सहयोगी का नाम
3	मदरसा गोसियां एहले सुन्नत मस्जिद, बीबी जोहरा पाटनपोल, कोटा	586	98	1- श्री मोहम्मद सलीम 2- शहनाज अंसारी
4	मदरसा मस्जिद ग्राम काबान का बास, पोस्ट हिंगोटा, तहसील डीग, भरतपुर	748	94	1- श्री आकुल हुसैन 2- श्री रमजान खां
5	मदरसा हसन खां मेवाती मेमोरियल, स्कूल बल्लाबोड़ा, अलवर	1067	98	1- श्री मोहम्मद फारूक 2- श्री शेर मोहम्मद
6	मदरसा दारूल हदीस मोहम्मदिया मस्जिद व्यापारियान जैतारण पाली	1087	86	1- श्री हबीबुर्रमान 2- श्री लियाकत अली
7	मदरसा इस्लामिया सुईवालान, वार्ड नं. 12, मांगरोल, बारां	1104	191	1- रफीक अहमद अन्सारी 2- श्रीमती शहनाज बानो

नोखा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित कर्मी

813. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नोखा तहसील बीकानेर के अन्तर्गत आने वाले गांवों के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में कितने स्टाफ की आवश्यकता है एवं वर्तमान में वहां कितना स्टाफ कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नोखा तहसील बीकानेर के अन्तर्गत आने वाले गांवों की प्राथमिक,

(शिक्षा मंत्री)

उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के अनुसार लोक सेवकों की आवश्यकता है। संवर्गवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्रधानाचार्य	5	4	1
2	प्रधानाध्यापक	20	17	3
3	व्याख्याता	19	7	12
4	वरिष्ठ अध्यापक	221	159	62
5	तृतीय श्रेणी अध्यापक	1110	1009	101
6	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	4	3	1
7	शारीरिक शिक्षक	18	18	निल
8	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	2	-	2
9	पुस्तकालयाध्यक्ष	12	10	2
10	वरिष्ठ लिपिक	25	17	8
11	कनिष्ठ लिपिक	19	19	-
12	सहायक कर्मचारी	66	61	5

कोटा जिले में उप क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) के रिक्त पद

814. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा की पंचायत समितियों में उप क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) के कितने पद कब से स्वीकृत हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने पद कब से रिक्त हैं?

(3) सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में उप क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के पद नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या 01 के अनुसार

(3) प्रश्न के भाग संख्या 01 के अनुसार

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को वित्तीय अधिकार

815. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिव (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा का पद नाम संशोधित कर नया पद नाम जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक डी.पी.ई.पी./सर्व शिक्षा अभियान किया गया है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निदेशक, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा उक्त पद नाम को तोड़ने को प्रयास कर जिला परियोजना समन्वयक का चार्ज अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को देने के आदेश पारित किये गये हैं? यदि हां, तो अब तक किस-किस जिले में किये गये हैं एवं यह कार्यवाही किन नियमों के तहत की गई? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संशोधित पद नाम वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर किये गये थे? यदि हां, तो वित्त विभाग के सहमति पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को वित्तीय अधिकार दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की आज्ञा क्रमांक

(शिक्षा मंत्री)

प.21 (5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2005 दिनांक 9.7.04 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा का पदनाम संशोधित कर नया पदनाम जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक डीपीईपी/सर्व शिक्षा अभियान किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा एवं अध्यक्ष, निष्पादक समिति द्वारा स्वीकृति उपरान्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक भर्ती कार्य में व्यस्त होने के कारण अस्थायी रूप से माह मार्च में 31.3.2005 तक अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां देने हेतु दिनांक 22.3.2005 को आदेश जारी किये गये थे। अध्यक्ष निष्पादक समिति के अनुमति से जिला बारां में जिलां शिक्षा अधिकारी माध्यमिक तथा जिला भीलवाड़ा में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को चार्ज दिया गया है। जिला सिरोही में जिला कलक्टर जो कि जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद सिरोही के अध्यक्ष भी है, द्वारा जिला परियोजना समन्वयक के पास जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का चार्ज होने के कारण कार्य की अधिकता को देखते हुये अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को जिला परियोजना समन्वयक का चार्ज दिया गया है। अध्यक्ष निष्पादक समिति योजनाओं के हित में निर्णय लेने हेतु सक्षम है।

(3) अध्यक्ष, निष्पादक समिति को राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तथा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ही यह आदेश जारी किये गये हैं।

(4) प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुरुप वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) शिक्षक भर्ती में व्यस्त होने के कारण अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, को वित्तीय अधिकार दिये गये थे। तथा सिर्फ तीन जिलों में अधिकारियों को बिन्दु संख्या 2 में दिये गये विवरण के अनुसार परियोजना समन्वयक का चार्ज दिया गया है। वर्तमान में अन्य किसी जिले में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को चार्ज दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प.21(5) शिक्षा-1/प्रा.शि/2004 जयुपर दिनांक 09.07.2004

आज्ञा

इस विभाग द्वारा इस क्रम में पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक, डीवीईपी/सर्व शिक्षा अभियान का पदाभिधान संशोधित कर निम्नानुसार उनके सामने अंकित अनुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं.	वर्तमान पदाभिधान	संशोधित पदाभिधान
1.	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, डीपीईपी/सर्व शिक्षा अभियान
2.	जिला परियोजना समन्वयक डीपीईपी/सर्व	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक डीपीईपी/सर्व शिक्षा अभियान

समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (Addl. D.P.C.) तुरन्त प्रभाव से जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक डीपीईपी/सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय एवं प्रशासनिक, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे।

यह आज्ञा वित्त (बजट) विभाग की आई डी क्रमांक 354 दिनांक 22.6.2004, वित्त नियम विभाग की आई डी क्रमांक 1890 दिनांक 24.6.2004 एवं वित्त (व्यय-1) विभाग की आई डी क्रमांक 1972 दिनांक 3.7.2004 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

ह.

शासन सचिव

वृहद गुजरात संस्कृत परिषद, अहमदाबाद से एस.एस.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मान्यता

816. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 में वृहद गुजरात संस्कृत परिषद, अहमदाबाद से एस.एस.सी. (प्रथम) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दसवीं कक्षा के समकक्ष मान्यता दी गई है? यदि हां, तो किस-किस को? इस सम्बन्ध में जारी अनुदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्बन्ध में किस-किस अभ्यर्थी के आवेदन कब-कब प्राप्त हुए एवं किस-किस को मांन्यता दी गई एवं किस-किस को किस कारण से मान्यता नहीं दी गई? शेष रहे अभ्यार्थियों को सरकार द्वारा अब कब तक मान्यता दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्त क्रम में संबंधित नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अनुदेशिका-2004 के अनुसार वृहद गुजरात संस्कृत परिषद, अहमदाबाद द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की बोर्ड की किसी परीक्षा के समकक्ष समकक्षता/मान्यता प्रदत्त नहीं है।

सीकर जिले के परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों का वर्ष 2004-05 केन्द्र परिवर्तन

817. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में बोर्ड परीक्षा वर्ष 2004-05 में कितने केन्द्र अधीक्षक एवं उप केन्द्र अधीक्षक बदले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनके बदलने के क्या कारण थे? इसके लिए किन लोगों द्वारा शिकायतें की गई?

(3) क्या यह सही है कि निजी विद्यालयों के संचालकों की इच्छानुसार केन्द्र अधीक्षक बदले गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में बोर्ड परीक्षा 2004-05 में केन्द्र अधीक्षक एवं उप केन्द्र अधीक्षक निम्नानुसार बदले गये :-

(अ) शेखावाटी उ.मा. विद्यालय, लोसल के बोर्ड परीक्षा केन्द्र अधीक्षक के रूप में श्री भागीरथमल जांगिड़, प्रधानाध्यापक, उ.मा.वि. नेवटिया फतेहपुर को लगाया गया था। श्री जांगिड़ के स्थान पर श्री हरिप्रसाद माली, प्रधानाचार्य, रा.मा. विद्यालय, कायमसर को केन्द्र अधीक्षक नियुक्त किया गया।

(ब) रा.उ.मा.वि. टोडा के प्रधानाचार्य श्री चंद्रशेखर बोर्ड परीक्षा 2004-05 के केन्द्राधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री चंन्द्रशेखर कें स्थान पर श्री चतुर्भजजीलाओ, प्रधानाचार्य, रा.उ.मा. विद्यालय, चीपलार को केंद्राधीक्षक बनाया गया।

(2) श्री भागीरथमल जांगिड़ के विरुद्ध शेखावाटी उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोसल में नियुक्त अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक द्वारा शिकायत की गई थी कि श्री जांगिड़ उनसे कनिष्ठ हैं। श्री चंद्रशेखर केंद्राधीक्षक ढोड़ा द्वारा दिनांक 12.3.2005 को हिन्दी साहित्य का प्रश्न पत्र विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणाम स्वरूप उप निदेशक (मा) जयपुर के आदेशांक-शिउनि/जय/बोर्डपरीक्षा/2005/स्पेशल/7-12 दिनांक 12.3.05 के द्वारा निलंबित किया जाने के कारण श्री चतुर्भजजीलाओं को केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया गया।

(3) जी नहीं।

राजकीय तकनीकी महाविद्यालयों में विकलांग/निशक्तजनों को नियुक्ति एवं प्राथमिकता

818. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी तकनीकी महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को साक्षात्कार में अनुभव के बोनस अंक दिये जाते हैं? यदि हां, तो कितने अंक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकारी तकनीकी महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति के समय शारीरिक विकलांग या निशक्तजनों के आरक्षण का प्रावधान है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों में बोनस अंक दिये जाने सम्बन्धी प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

जालौर जिले की निर्माणाधीन बाण्डी-सणधरा परियोजना

819. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में बाण्डी-सणधरा परियोजना निर्माणाधीन है? यदि हां, तो परियोजना का विवरण मय मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) इस परियोजना हेतु कितनी भूमि काश्तकारों से अधिग्रहित की गई?

(3) इस बांध के बन जाने के बाद कितनी जमीन सिंचित होने का अनुमान है? क्या सरकार इस परियोजना को समय पर पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जालौर जिले में बाण्डी सणधरा परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना तहसील भीनमाल में बाण्डी नदी पर ग्राम सणधरा में निर्माणाधीन है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति की अनुमानित लागत रुपये 3702.82 लाख की है एवं इस परियोजना के पूर्ण होने पर 6 गांवों की 6238.81 हैक्टयेर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना के तकनीकी डाटा एवं मानचित्र परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) इस परियोजना हेतु 225.798 हैक्टेयर भूमि निजी काश्तकारों से अधिकृत की गई है।

(3) इस बांध के बन जाने के बाद 6 गांवों की 6238.81 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्धता अनुसार इसके निर्धारित समय वर्ष 2007-08 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ"

बाण्डी सणधरा मध्यम सिंचाई परियोजना के तकनीकी डाटा

क्र.सं.	तकनीकी	स्वीकृत परियोजना अनुसार
1	कुल जल ग्रहण क्षेत्र	430 वर्ग कि.मी.
2	बाधित जल ग्रहण क्षेत्र	48 वर्ग कि.मी.
3	स्वतंत्र जल ग्रहण क्षेत्र	382 वर्ग कि.मी.
4	जल ग्रहण क्षेत्र की किस्म	अच्छा
5	औसतन वर्षा 50 प्रतिशत	263.52 वर्ग कि.मी.
6	कुल भराव क्षमता	286.7 लाख घ.मी.
7	डेड स्टोरेज क्षमता	26.9 लाख घ.मी.
8	सिंचाई योग्य पानी की भराव क्षमता	259.8 लाख घ.मी.
9	मिटटी के बांध की लम्बाई	2704 मीटर
10	ओवर फ्लो की लम्बाई	240 मीटर
11	ओवर फ्लो से अधिकतम पानी की निकासी	103958 क्यूसेक्स
12	कुल कमाण्ड क्षेत्र (जी.सी.ए.)	6618.52 हेक्टेयर
13	सिंचित योग्य कमाण्ड क्षेत्र (सी.सी.ए.)	6238.81 हेक्टेयर
14	सिंचित क्षेत्र (आई.सी.ए)	4615.15 हैक्टेयर
15	नदी तल से बांध की ऊचाई	19.00 मीटर
16	टॉप बेक लेवल (टी.बी.एल)	219.65 मीटर
17	उच्चतम पानी सतह (एम डब्ल्यू.एल.)	216.65 मीटर
18	पूर्ण भराव सतह (एफ.टी.एल.)	213.65 मीटर
19	सिल लेवल मुख्य नहर	206.00 मीटर
20	मुख्य नहर की लम्बाई	17790 मीटर
21	मुख्य नहर से निकलने वाली माईनरों की लम्बाई	24650 मीटर

परिशिष्ट 'ब'

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER IRRIGATION DIVISION JALORE

BANDI SANDHARA MEDIUM IRRIGATION PROJECT

INDEX PLAN

TEHSIL: BHINMAL

DISTRICT: JALORE

LONGITUDE 72°26'0"E
LATITUDE 24°37'40"N

Catchment Area
Command Area

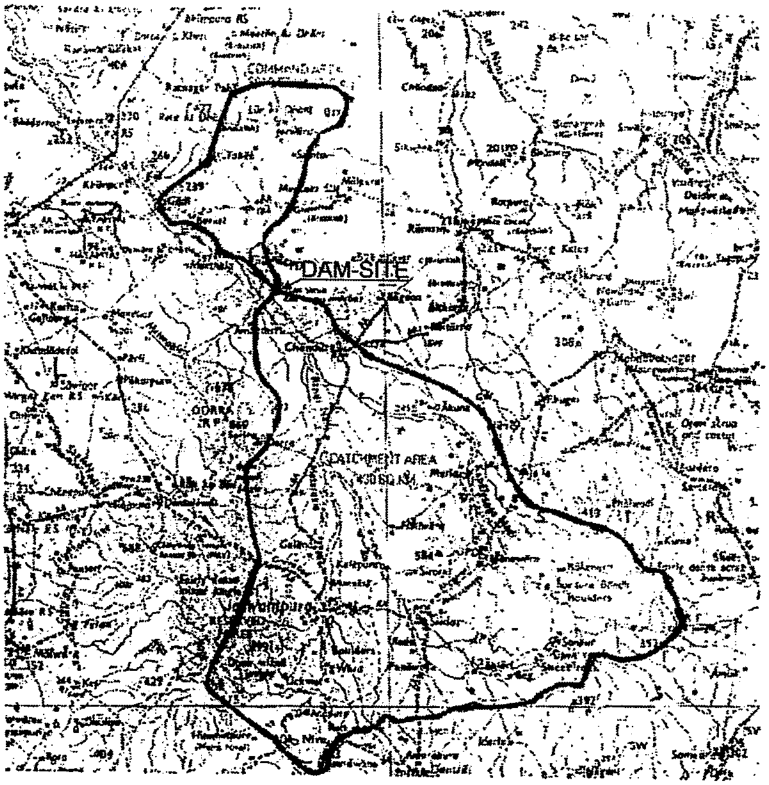

खेतड़ी विधान सभा की जोधपुरा-सुनारी बांध परियोजना

820. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कितने बांध निर्माणाधीन हैं और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है? बांधों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जोधपुरा सुनारी बांध परियोजना को स्वीकृत कर चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एक बांध निर्माणाधीन है, विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, यह बांध फिजीइबल नहीं है।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन बांध का विवरण

विधान सभा क्षेत्र	बांध का नाम	कहां पर स्थित है	स्वीकृति दिनांक एवं राशि	परियोजना के तकनीकी आंकड़े	कार्य की वर्तमान स्थिति
खेतड़ी	सिलोटी लघु सिंचाई परियोजना	ग्राम पंचायत कालोटा पंचायत समिति खेतड़ी	19.11.2001 34.44 लाख	परियोजना की कुल भराव क्षमता 9.22 एम.सी.एफ.टी. है एवं 70.00 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।	बांध का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं उक्त कार्य पर अब तक 12.36 लाख व्यय किये जा चुके हैं। (माह जनवरी, 2005 तक) बांध का कार्य माह जून, 2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है नहरों का कार्य वर्ष 2005-08 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

अजमेर जिले के नाहर सागर पिपलाज बांध क्षेत्र की डूब में आये ग्रामवासियों का पुनर्वास

821. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के नाहर सागर पिपलाज बांध का निर्माण कार्य चल रहा है? यदि हां, तो इसमें भीलवाड़ा जिले के कितने गांव सम्मिलित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के सम्मिलित गांवों के निवासियों को अन्य जगहों पर भूमि आबंटित कर दी गई है तथा इन्हें मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गांव बांसड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के ग्रामवासियों के मकान प्रभावित होने के कारण इन्हें स्कूल में रह कर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अन्य जगह बसाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले का कोई गांव बांध की मूल परियोजना रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(2) भूमि आबंटित नहीं की गई है एवं ना ही मुआवजा दिया गया क्योंकि मूल परियोजना में भीलवाड़ा जिले का कोई गांव डूब क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था।

(3) गांव बांसडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के अतिवृष्टि से कुछ परिवार अस्थाई तौर पर प्रभावित हुए। वर्तमान में कुछ परिवार स्कूल में रह रहे है। बांध के डूब क्षेत्र की सर्वे पुनः की जा रही है। तत्पश्चात डूब क्षेत्र में आने पर विस्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी।

वृहद उद्योगों द्वारा नदी जल उपयोग हेतु एनीकट

822. श्री महीपाल यादव (बानसूर) : श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री महीपाल यादव)

(1) प्रदेश में नदी तथा नहरी पानी का उपयोग करने वाले वृहद उद्योगों की संख्या कितनी है? अलग-अलग विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त से उपयोग में लिये जाने वाले पानी की राशि वसूल की जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस दर से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नदी के पानी का उपयोग करने वाले उद्योगों द्वारा नदी में एनिकट निर्मित किये गये हैं? यदि हां, तो किस उद्योग के लिए किस नदी में तथा उसकी भराव क्षमता कितनी-कितनी है? नदीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नदी तथा नहरी पानी का उपयोग करने वाले वृहद उद्योगों की संख्या 34 है जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपयोग किये गये पानी के अनुसार निर्धारित दर से वसूली की जाती है। औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्धारित दरों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। दो उद्योगों द्वारा नदी पर एनीकट बना कर पानी लिया जा रहा है, का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
भीलवाड़ा जिला				
1	मैसर्स ए.के. स्पिनटेक्स बिलिया	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	सम्बन्धित उद्योगों द्वारा नदी/नाले से स्वयं के खर्चे पर पानी लिया जा रहा है।
2	मैसर्स अन्नत सिन्टेक्स भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
3	मैसर्स सोना प्रोसेस भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
4	मैसर्स संगम स्पिनर्स भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
5	मैसर्स भीलवाड़ा प्रोसेस भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
6	मैसर्स रंजन पोलिएस्टर भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
7	मैसर्स संगम प्रोसेसर्स भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
8	मैसर्स जानकी प्रोसेसर्स भीलवाड़ा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
9	हिन्दुस्तान जिंक लि. रामपुरा अगूचा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
जिला चित्तौड़गढ़				
10	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	सम्बन्धित उद्योगों द्वारा नदी/नाले से स्वयं के खर्चे पर पानी लिया जा रहा है।
11	जे.के. सीमेन्ट, निम्बाहेड़ा	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
जिला उदयपुर				
12	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड देबरी	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
13	हिन्दुस्तान जिंक लि. जावर माईन्स	1.00 Mcft	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	बांध का निर्माण हिन्दुस्तान जिंक लि. जावर माईन्स द्वारा कराया गया।

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
14	राजस्थान स्टेट माईन्स एवं मिनरल्स लि. उदयपुर	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	सम्बन्धित उद्योगों द्वारा नदी/नाले से स्वयं के खर्चे पर पानी लिया जा रहा है।
जिला कांकरोली				
15	जे.के. इण्डस्ट्रिज लि. कांकरोल	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
जिला कोटा				
16	कोटा सुपर थर्मल पावर कारपोरेशन कोटा	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
17	सोयाबीन प्लांट रावतभाटा रोड कोटा	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
18	चम्बल फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल लि. गडेपान कोटा	2.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	कालीसिंध नदी पर एनीकट का निर्माण चम्बल फर्टिलाईजर्स द्वारा वर्ष 2003 में किया गया है।
19	राजस्थान आटोमिक पावर स्टेशन रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
20	भारी पानी संयत्र रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
21	हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, रावतभाटा	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
22	ए.पी..सी लाखेरी	20.00/प्रति 1000 धनफिट		ए.सी.सी. सीमेन्ट वर्क्स उद्योग लाखेरी द्वारा मेज नदी पर सन 1935 से एनीकट बनाकर पानी लिया जा रहा है। जबकि राजस्थान जल निकास अधिनियम 1954 में लागू हुआ था। अत: वर्तमान में कोई अनुबन्ध नहीं होने के कारण पानी की राशि वसूल नहीं की जा रही है।

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
23	श्री राम रेऑन्स कोटा	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
24	श्रीराम विनाइल एण्ड केमीकल	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
25	श्रीराम फर्टिलाईजर्स एण्ड केमीकलस	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
26	जे.के. सैन्थैटिक्स कोटा	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
27	थर्मल पावर स्टेशन अन्ता	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
जिला गंगानगर				
28	राजस्थान स्टेट शुगर लि. श्रीगंगानगर	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
29	जगजीत काटन टेक्सटाईल मिल श्रीगंगानगर	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
30	रिको, उद्योग विहार श्रीगंगानगर	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
31	मै. कलपत्रु पावर ट्रांसमिसन लि. चक 27 बी.बी. पदमपुर	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

क्र. सं.	नाम उद्योग	दर	राशि	विशेष विवरण
जिला बीकानेर				
32	अवशीतन केन्द्र उरमूल डेयरी छत्रगढ़ इकाई	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	
जिला सूरतगढ़				
33	सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	जल का उपयोग इन्दिरा गांधी नहर से किया जा रहा है।
जिला सिरोही				
34	लक्ष्मी सीमेन्ट वर्क्स जे.के. पुरम	20.00/प्रति 1000 धनफिट	उपयोग किये गये पानी के अनुसार राशि वसूल की जाती है।	

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	उद्योग का नाम	नदी	निर्माण वर्ष	भराव क्षमता	विशेष विवरण
1.	चम्बल फर्टिलाईजर्स केमीकल्स लि.	काली सिंध	2003	219.00 Mcft	2.00/1000 Cft
2.	ए.सी.सी. लाखेरी	मेज	1935	3.00 Mcft	ए.सी.सी. सीमेन्ट वर्क्स उद्योग लाखेरी द्वारा मेज नदी पर सन 1935 से एनीकट बनाकर पानी लिया जा रहा है। जबकि राजस्थान जल निकास अधिनियम 1954 में लागू हुआ था। अतः वर्तमान में कोई अनुबन्ध नहीं होने के कारण पानी की राशि वसूल नहीं की जा रही है।

नेछवा पशु चिकित्सालय ग्राम (सीकर) में रिक्त पद

823. **श्री केशरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)** : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं एवं उनमें चिकित्सकों व अन्य वर्गों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पशुपालन अधिकारी, कार्यालय सीकर में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कौन-कौन से पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम नेछवा जिला सीकर में पशु चिकित्सक का पद कब से रिक्त है एवं क्यों?

(4) उक्त अवधि में नेछवा क्षेत्र के पशुओं की चिकित्सा की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ग्राम नेछवा जिला सीकर के पशु चिकित्सक का पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 55 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। पशु चिकित्सालयों एवं उनमें चिकित्सकों व अन्य कर्मियों के सृजित व रिक्त पदों की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में जिला मुख्यालय पर जिला पशु पालन अधिकारी कार्यालय के स्थान पर उप निदेशक, पशु पालन विभाग का कार्यक्रम स्वीकृत है। उप निदेशक, पशु पालन विभाग, सीकर के कार्यालय में निम्नांकित पद स्वीकृत एवं रिक्त है।

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	उप निदेशक	1	-
2.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	1	-
3.	पशु चिकित्सा अधिकारी	1	-
4.	सहायक भेड़ बकरी अधिकारी	1	-
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1	-
6.	वरिष्ठ लिपिक	2	1
7.	शीघ्र लिपिक	1	1
8.	पशु धन सहायक	1	-
9.	गणक	2	-
10.	कनिष्ठ लिपिक	2	-
11.	ड्राईवर	1	-
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	-
		16	4

(3) जिला सीकर के पशु चिकित्सालय नेछवा में मार्च, 2004 से पशु चिकित्सा अधिकारी का पद स्थानान्तरण के कारण रिक्त है।

(4) पशु चिकित्सालय, नेछवा में चिकित्सा कार्य हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पशु धन सहायक को मार्च, 2004 से लगाया गया है।

(5) जी हां। जब-जब भी पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

सूची "क"

सीकर जिला में संचालित पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय	सहा. नि.		व.अ.चि.प.चि.अ. प.चि.स.						पशुधन सहायक		स्कन्ध सहायक		सईस		जलधारी		ड्रेसर		गडरिया		प्रयोगशाला तक.		डार्करूम सहायक		सफाई कर्ता	
		स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	बहु. उ.प. चि. सीकर	1	-	2	-	1	1	-	-	7	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-
2	प.च. आलौदा	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	प.च. अभयपुरा	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	प.च. बाय	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	प.च. बेसवा	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6	प.च. बलारा	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	प.च. बठोठ	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	" भोजपुर	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9	" चौपलाटा	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	प.चि. डाबडी	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	प.चि. दांता	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
12	प.चि. डाबला	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13	प.चि. दातारामगढ़	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	प.चि. दातरू	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
15	प.चि. दिवराला	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	प.चि. फतेहपुर	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
17	प.चि. फाण्लावा	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	प.चि. गोवटी	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19	प.चि. गुहाला	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	प.चि. हर्ष	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	प.चि. हाथीदेह	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
22	प.चि. झाडली	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	प.चि. करड	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
24	प.चि.काशीकाबास	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	प.चि. किरडोली	-	-		-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26	प.चि. कूदन	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
27	प.चि. खाटूश्यामजी	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	प.चि. खाचरियावास	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29	प.चि. कोछोर	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30	प.चि. खूड़	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31	प.चि. खुडी	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	प.चि. खण्डेला	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
33	प.चि. कांवट	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
34	प.चि. लोसल	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	प.चि. लामिया	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	प.चि. लक्ष्मणगढ़	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
37	प.चि. मुण्डवाडा	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
38	प.चि. मड	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	प.चि. मुण्डरू	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	प.चि. महरोली	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	प.चि. नीमकाथाना	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
42	प.चि. नैछवा	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	प.चि. पिपराली	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	प.चि. पलसाना	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	प.चि. पाटन	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	प.चि. पलासरा	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	प.चि. रानौली	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
48	प.चि. रामगढ़ शेखावटी	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	प.चि. रींगस	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	प.चि. सिहोटबडी	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
51	प.चि. श्रीमाधोपुर	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
52	प.चि. सिरोही	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
53	प.चि. ठिकरिया	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
54	प.चि. थोई	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55	प.चि. शेथलियां	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

भादरा विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

824. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के क्या-क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भादरा जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2000 से 2004 तक कहां-कहां पशु उप केन्द्र/चिकित्सालय खोले गये?

(3) विधन सभा क्षेत्र भादरा में कितने पशु चिकित्सा उप केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? इन उप केन्द्रों पर कितने कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के निम्नांकित मानदण्ड निर्धारित है :-

(अ) ग्रामीण क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र एवं संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशु धन की संख्या 3000 लगभग हो।
3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. तीन-चार कमरों का पक्का निःशुल्क भवन एवं 200 वर्गगज जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(ब) शहरी क्षेत्र

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय, उपकेन्द्र एवं संस्था से 3 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम दुधारू पशु धन की संख्य लगभग 2000 हो।
3. पक्की सड़क, पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(पशुपालन मंत्री)

4. 100 वर्गगज जमीन तथा 2 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(2) विधान सभा क्षेत्र भादरा जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2003-04 में एक नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र साहूवाला में खोला गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भादरा में 9 स्थानों पर पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित हैं। इन उपकेन्द्रों में निम्नांकित पद रिक्त हैं:-

क्र.सं.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	रिक्त पद		
1.	चिड़ियागांधी	सईस	-	1 पद
2.	गांधीबाड़ी	सईस	-	1 पद
3.	खचवाणा	सईस	-	1 पद
4.	अजीतपुरा	-	-	-
5.	भाडी	सईस	-	1 पद
6.	भानगढ़	-	-	-
7.	जोगीवाला	सईस	-	1 पद
8.	कनाऊ	पशु धन सहायक		1 पद
9.	करनुपरा	सईस	-	-

जब-जब भी पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

मावली विधान सभा क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से लाभान्वित उद्योग

825. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में कितनी खादी ग्रामोद्योग इकाइयों को ऋण उपलब्ध करवाया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(2) खादी ग्रामोद्योग संस्था द्वारा कितनी राशि तक के ऋण उपलब्ध करवाये जा सकते हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र मावली में खादी ग्रामोद्योग संस्थान से लाभान्वित कितने उद्योग हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2004-05 में माह मार्च, 2005 तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में 743 इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया गया। राज्य आयोजना मद में संचालित योजनाओं में युवाओं को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 243 इकाइयों तथा विधवा एवं परित्यक्ता महिला स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 134 इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया गया एवं खादी विकास फण्ड योजनान्तर्गत 11 संस्था/समितियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

(2) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत कामगारों को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत 25.00 लाख रुपये तक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य आयोजना मद से संचालित योजनाओं में युवाओं को स्वरोजगार योजना एवं विधवा/परित्यक्ता महिला योजना के अन्तर्गत 2.00 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं तथा खादी विकास फण्ड के अन्तर्गत संस्था/समितियों को उनकी देय पात्रता के अनुसार 5.00 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मावली में खादी ग्रामोद्योग संस्थान से 858 उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों में लाभान्वित कराया गया। उद्योगों की सूची संलग्न है परिशिष्ट "1"

परिशिष्ट "1"

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से विधान सभा क्षेत्र मावली में लाभान्वित उद्योगों की सूची

क्र.सं.	नाम समूह/उद्योग	इकाई संख्या
(1)	खनिज आधारित उद्योग	
	1. कुम्हारी उद्योग	73
	2. ज्वैलरी उद्योग	6
	3. स्टोन कटिंग	9
	4. चूना चक	5
	5. चूना कारीगर	5
	6. सीमेन्ट जाली	3
	योग	**101**
(2)	वनाधारित उद्योग	
	1. अगरबत्ती	1
	2. बांसबेत	27
	3. झाड़ू	2
	4. आयुर्वेदिक	1
	5. फोटो फ्रेमिंग	2
	योग	**33**
(3)	कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग	
	1. पत्तल दौना	10
	2. भारतीय मिठाई	7
	3. रेशा	11
	4. आलू चिप्स	2
	5. अनाज दाल प्रशोधन	11

क्र.सं.	नाम समूह/उद्योग	इकाई संख्या
	6. मसाला	3
	7. आटा चक्की	13
	8. ताड़पत्ती	8
	9. गुडकेल कोल्यू	1
	10. गुड पावर	2
	11. रसवन्ती	1
	12. तेल घाणी	4
	योग	**73**
(4)	बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग	
	1. चर्म उद्योग	466
	2. साबुन	4
	3. पी.वी.सी.	5
	योग	**475**
(5)	इन्जीनियरिंग एवं गैर परम्परागत ऊर्जा उद्योग	
	1. लुहारी-सुथारी	110
	2. घड़ी-रिपेयरिंग	1
	योग	**111**
(6)	वस्त्र उद्योग (खादी को छोड़कर)	
	1. वूलन होजरी	4
	2. सिलाई	23
	योग	**27**

क्र.सं.	नाम समूह/उद्योग	इकाई संख्या
(7)	सेवा उद्योग	
	1. नलसाजी	1
	2. इलेक्ट्रिक रिपेयर	6
	3. नाई	10
	4. धोबी	8
	5. टायर वल्कीकरण	1
	6. साईकिल रिपेयर	2
	7. मेसेनरी	6
	8. ढ़ाबा	4
	योग	38

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को ऋण स्वीकृति में शिथिलता

826. **श्री भरत सिंह (दीगोद)** : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार दस्तकारों का कर्जा माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विधवा/परित्यक्ता को ऋण वितरण की शर्तों में अग्रिम चैक, स्वयं के नाम सम्पत्ति व नोटेरी से प्रमाणित स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती है जो कि अव्यावहारिक है? इनकी आवश्यकता को समाप्त करने की सरकार क्या योजना रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। खादी ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई द्वारा अपनी निर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामाद्योग बोर्ड को ऋण वितरण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसके माफी संबंधी निर्देशों का निर्धारण खादी ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई द्वारा ही किया जा सकता है। वर्तमान में आयोग द्वारा कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

(2) जी नहीं। विधवा/परित्यक्ता महिला को राशि ऋण के रूप में दी जाती है, जिसकी वसूली हेतु अग्रिम चैक एवं स्वयं के नाम सम्पत्ति व नोटरी से अटेस्ट स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती है। अन्यथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण को वसूल किया जाना सम्भव नहीं होगा। वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त शर्तों को समाप्त करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

व्याकरण/भाषा प्रोफेसरों के पद हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

827. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में व्याकरण/भाषा विभाग के प्रोफेसर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उन पर कौन-कौन व्यक्ति कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत पद में से डी.पी.सी./डी.आर. के कितने पद हैं उन पर कौन-कौन व्यक्ति कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में भाषा/व्याकरण के कितने पद डी.पी.सी./डी.आर. से भरे गये? क्या उन पदों पर वरिष्ठता के आधार पर चयन किया गया?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती अंश के पद पर डी.पी.सी. कराई गई है? इस पद पर किन-किन प्रोफेसरों का चयन किया गया? क्या डी.पी.सी. कराने से पूर्व सीधी भर्ती के अंशों पद की डी.पी.सी. कराने की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्ति की गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जिन प्रोफेसरों की डी.पी.सी. कराई गई उन्हें रिक्ती वर्ष से सरकार द्वारा काल्पनिक वेतन दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में व्याकरण/भाषा विज्ञान के प्रोफेसर के कुल 6-6 पद स्वीकृत हैं। उन पर कार्यरत व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) स्वीकृत पदों में से दोनों विषयों में 3 पद डी.आर., 3 पद डी.पी.सी. के हैं। उन पर कार्यरत व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 99-2000 में भाषा विज्ञान की डी.पी.सी. नहीं कराई गई। केवल व्याकरण के एक पद की डी.पी.सी. कराई गई जो वरिष्ठता के आधार पर की गई है। वर्ष 1999-2000 में भाषा विज्ञान/व्याकरण पर सीधी भर्ती से कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

(4) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रोफेसर व्याकरण के पद पर डी.पी.सी. डी.आर. अंश के पद पर कराई गई है। सीधी भर्ती अंश के पद की डी.पी.सी. अंश में परिवर्तित नहीं किया गया। इस पद पर श्री राजकुमार जोशी का चयन किया गया। इस गलती के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग के श्री राजकुमार जोशी की प्रोफेसर व्याकरण के पद की डी.पी.सी. कराई गई, उन्हें रिक्ति वर्ष से राज्य सरकार द्वारा काल्पनिक वेतन दिया गया।

परिशिष्ट "अ"

व्याकरण-भाषा विज्ञान के पद पर कार्यरत प्रोफेसरों के नाम

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	कब से कार्यरत है	डी.आर/डी.पी.सी.
व्याकरण :-			
1.	श्री अशोक कुमार तिवाड़ी	11-6-1988	डी.आर. से
2.	श्री बजरंग लाल शर्मा	2-12-1997	डी.आर. से
3.	श्री महावीर प्रसाद सारस्वत	1-1-2004	डी.आर. से
4.	श्री भरतलाल सुखवाल	8-7-1997	डी.पी.सी. से
5.	श्री मोहनलाल शर्मा	3-9-1997	डी.पी.सी. से
6.	श्री राजकुमार जोशी	13-3-2002	डी.पी.सी. से
भाषा विज्ञान :-			
1.	श्री दीरघाराम रामस्नेही	1-4-1994	डी.आर. से

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	कब से कार्यरत है	डी.आर/डी.पी.सी.
2.	श्री रामकुमार दाधीच	29-12-1994	डी.आर. से
3.	श्री लक्ष्मीनारायण भार्गव	14-3-2001	डी.पी.सी. से
4.	श्री सत्यनारायण शर्मा	6-12-2003	डी.पी.सी. से
5.	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	29-11-2004	डी.पी.सी. से

चौमूं विधान सभा क्षेत्र की मरम्मत योग्य ग्रामीण सड़कें

828. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम गोविन्दगढ़ से धोबलाई, निवाणा से धोबलाई, नांगल कला से भूतेड़ा, ढोढ़सर से किशनमानुपरा तथा किशनमानपुरा से बगड़ी सड़क का निर्माण कब करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त सड़कों के निर्माण के पश्चात मरम्मत भी करवाई गई है? यदि हां, तो किस-किस सड़क की व कब-कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम गोविन्दगढ़ से धोबलाई, निवाणा से धोबलाई, नांगल से भूतेड़ा, ढोढ़सर से किशमानमानपुरा तथा किशनमानपुरा से बगड़ी तक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करवाये गये सड़क निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त सड़कों में से वर्ष 2003-04 में सड़क सुदृढ़ीकरण योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत दो सड़कें, जिनकी लम्बाई 5.55 कि.मी. पर विशेष मरम्मत का कार्य किया गया तथा वर्ष 2003-04 में पांच सड़कें, जिनकी लम्बाई 29.01 कि.मी. पर वार्षिक मरम्मत का कार्य किया गया। विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

परिशिष्ट– अ

चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृत पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	निर्माण वर्ष	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाख रुपये)
विश्व बैंक परियोजना में निर्मित सड़कें							
1	गोविन्दगढ़ से धोबलाई	स.स. हस्तेड़ा, रींगस रोड़ से गुड़लिया से धोबलाई	प.5(6)कृषि-1/ एम.सी./92/16.09.1992	5.00	1995-96	3.95	37.27
2	निवाणा से धोबलाई	स.स. देवथला	प.5(6)कृषि-1/ एम.सी./92/16.09.1992	4.00	1996-97	6.15	56.36
3	ढोढसर से किशनमानपुरा	स.स. चौमूं रींगस रोड़ से उंदगवार	प.5(3)ए.डी.पी. पी.सी.यू. दिनांक 20.03.1993	6.00	1995-96	6.65	54.10
4	किशनमानपुरा से बगड़ी	स.स. हस्तेड़ा से रींगस रोड़ से नांगल गोविन्द	प.5(3)ए.डी.पी. पी.सी.यू. दिनांक 20.03.1993	5.00	1996-97	4.56	36.10

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत सड़क का नाम	स्वीकृत पत्रांक व दिनांक	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	निर्माण वर्ष	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाख रुपये)
	सिरसा बगड़ी	स.स. नांगल गोविन्द से सिरसा बगड़ी	प.5(3)ए.डी.पी. पी.सी.यू. दिनांक 20.03.1993	4.00	1996-97	3.55	30.02
	योग			24.00		24.86	213.85
मण्डी कोष के अन्तर्गत निर्मित सड़कें							
1	नांगल से भूतेड़ा	स.स. नांगल से भूतेड़ा	50810-15 दिनांक 14.09.1995	7.00	1997-98	6.70	33.00
2	किशनमानपुरा से उदगवार	स.स. किशनमानपुरा से उदगवार	50810-15 दिनांक 14.09.1995	3.00	1996-97	3.00	13.75
		योग		10.00		9.70	46.78
		महायोग		34.00		34.56	260.63

परिशिष्ट-ब

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों पर कराये गये मरम्मत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	मरम्मत वर्ष	मरम्मत		विशेष विवरण
				लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)	
सड़क सुदृढ़ीकरण योजना (द्वितीय चरण) के तहत विशेष मरम्मत						
1.	नांगल से भूतेड़ा	1997-98	2003-04	2.55	6.05	दोनों सड़कें मण्डी चौमूं फण्ड द्वारा निर्मित है। सड़क निर्माण के पश्चात राज्य सरकार की स्वीकृति के क्रम में सड़कों के मरम्मत सड़क सुदृढ़ीकरण योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत कराई गई।
2.	ढोढ़सर से किशनमानपुरा	1996-97	2003-04	3.00	7.28	
	योग			5.55	13.33	
वार्षिक मरम्मत						
1.	गोविन्दगढ़ से धोबलाई	1995-96	2003-04	3.95	0.60	
2.	निवाणा से धोबलाई	1996-97	2003-04	6.15	0.28	

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष	मरम्मत वर्ष	मरम्मत		विशेष विवरण
				लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (लाखों में)	
3.	नांगल से भूतेड़ा	1997-98	2003-04	4.15	0.12	
4.	ढोढ़सर से किशनमानपुरा	1995-96	2003-04	6.65	0.08	
5.	किशनमानपुरा से बगड़ी	1996-97	2003-04	8.11	0.74	
	योग			29.01	1.82	
	महायोग			34.56	15.15	

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में नई कृषि उपज मण्डी निर्माण हेतु अवाप्त भूमि

829. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सरकार द्वारा नई कृषि उपज मण्डी समिति के निर्माण हेतु कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई? क्या अधिग्रहीत भूमि का किसानों को मुआवजा देकर सम्पूर्ण कब्जा प्राप्त कर लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अधिग्रहीत की गई भूमि के चारों तरफ बकाया चारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कृषि उपज मण्डी समिति के निर्माण हेतु 54 बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि में से 28 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा इनमें निर्मित भवन, दुकानें आदि को छोड़कर अवार्ड अनुसार मुआवजा राशि भुगतान कर भूमि का कब्जा मण्डी समिति के सुपुर्द किया गया है। शेष भूमि 26 बीघा 11 बिस्वा में से भूमिधारकों/कृषकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर करने, मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने तथा अवैध कब्जों के कारण भूमि का पूर्ण कब्जा मण्डी को नहीं मिल सका है।

(2) कब्जाधारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर प्रकरणों का मण्डी समिति हक में निर्णित होने एवं शेष भूमि का कब्जा मण्डी समिति को प्राप्त होने पर ही चारदीवारी का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

निवाई विधान सभा क्षेत्र के सड़क रहित ग्राम

830. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक विधान सभा क्षेत्र निवाई में मण्डी समिति द्वारा सड़क निर्माण, मरम्मत व अन्य क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के करायें गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन गांवों को प्रधान मंत्री सड़क यांजना से नहीं जोड़ा गया उन गांवों को मण्डी समिति द्वारा सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि हां, तो किन-

(श्री हीरालाल)

किन गांवों को कब तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक विधान सभा क्षेत्र निवाई में मण्डी समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) मण्डी समितियां अपने क्षेत्र में अपनी वित्तीय स्थिति एवं कार्यों की प्राथमिकता, आवश्यकता एवं नीति को मध्येनजर रखते हुए निर्माण कार्य प्रस्तावित करती हैं। वर्तमान में किसी सड़क के निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र निवाई में मण्डी समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कुल व्यय
1	2 हैण्ड पम्प मय बोरिंग	1.23	1.18
2	1 हैण्ड पम्प मय सममर्सिबल पम्प	0.60	0.51
3	10 पोल्स लाईन फिटिंग नवीन	1.45	1.45
4	कम्प्यूटर रूम में इलेक्ट्रिशियन कार्य नवीन	0.20	0.20
5	सम्पर्क सड़क श्रीरामपुरा से भगवतपुरा	56.67	40.56

मिसिंग लिंक हेतु 33.40 लाख रुपये की राशि कृषि विपणन बोर्ड को भिजवाई गई है।

कृषि उपज मण्डियों के आढ़तियों (दलालों) से कृषकों उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति हेतु कार्य योज़ना

831. श्री महीपाल यादव (बानसूर) एवं श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों का शोषण रोकने तथा बिचोलियों से मुक्ति दिलाने हेतु कृषि उपज मण्डियों की स्थापना की गई थी तथा इसी अनुरुप किसानों एवं आम उपभोक्ताओं के हित में कानून तथा नियम निर्धारित

(श्री महीपाल यादव)

किये गये हैं? यदि हां, तो इस बाबत बनाये गये कानून एवं नियमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की कतिपय मण्डियों में अब भी किसान तथा क्रय कर्ताओं/व्यापारियों के बीच दलाल (आढ़तिया) कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित ऐसी कृषि उपज मण्डयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बिचोलियों के हितों का पोषण करने वाले बिचोलियों के पक्ष में बने हुए कानून, नियम तथा उप नियमों को समाप्त करने के लिए सरकार इनमें परिवर्तन किए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज के क्रय विक्रय को सुचारू रूप से नियमित करने तथा राजस्थान राज्य में कृषि उपज के लिए मण्डियां स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 के तहत कृषि उपज मण्डियों की स्थापना की गई है। यह अधिनियम तथा नियम कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए बनाये गये हैं। यह अधिनियम मूलतः उपभोक्ता से संबंधित नहीं है। यद्यापि अधिनियम एवं इसके तहत बने नियम एवं उपनियमों की प्रतियां सदन के पटल पर रखना व्यय साध्य नहीं है तथापि कृषकों के हितों से संबंधित मुख्य प्रावधानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी हां। "क" वर्ग दलाल (आढ़तिये) मण्डियों में राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 व नियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त कर कार्यरत हैं। ईटावा, के.पाटन, सुमेरगंज मण्डी, अटरू, छबड़ा, खानपुर, इकलेरा एवं डूंगरपुर के अतिरिक्त प्रदेश की समस्त मण्डियों में "क" वर्ग दलाल (आढ़तिये)/संयुक्त व्यापारी कार्यरत हैं। ऐसी कृषि उपज मण्डी समितियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 के अधीन बनाये गये कानून, नियम तथा उपनियम बिचौलियों के हितों का पोषण करने के लिए नहीं बनाये गये हैं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या –424 का विवरण)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1 समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि)	1	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)	1	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	1
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	-
	चिकित्सा अधिकारी	2	1
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-
	नर्स श्रेणी प्रथम	5	
	नर्स द्वितीय द्वितीय	7	-
	प्रसाविका	2	-
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा (आर.एफ.डब्ल्यू.सी.)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	-
	चिकित्सा अधिकारी	1	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	-
	प्रसाविका	2	-

परिशिष्ट-2
(तारांकित प्रश्न संख्या-426 का विवरण)

प्रपत्र "अ"

भीम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के अधीनस्थ तालाबों एवं नहरों का विवरण

क्र.सं.	तालाब का नाम	तहसील	नहरों की लम्बाई (कि.मी. में)		कुल भराव क्षमता (मिलियन घन फुट)
			दांई	बांई	
1	भीम टैंक	भीम	-	-	84.00
2	भीम रपट	भीम	0.85	1.75	8.00
3	देहड़िया	भीम	-	0.37	7.50
4	भोपालसागर	भीम	3.10	10.18	96.31
5	बड़ा तालाब	भीम	-	0.55	3.55
6	लक्ष्मीसागर	भीम	0.35	-	5.22
7	तेजरलाई	भीम	0.34	-	1.00
8	समेलिया	भीम	0.37	-	1.86
		योग :-	5.01	12.85	
1	कालाभाटा	देवगढ़	3.36	6.13	150
2	कुण्डली	देवगढ़	8.20	12.04	210
3	नीमझर	देवगढ़	6.30	4.66	92
		योग :-	17.86	22.83	
		महायोग :-	22.87	35.68	

प्रपत्र "ब"

भीम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराये गये एनीकटों का विवरण

क्र.सं.	एनीकट का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	मद एवं व्यय राशि लाखों में	
				मद	व्यय राशि
1	भण्डार का नाका	सारोठ	भीम	सांसद	0.99
2	अजीतगढ़ पुराना	अजीतगढ़	भीम	सांसद	0.99
3	सेवाण वाण	पिपली	भीम	सांसद	0.93
4	उन्डी वाली	खीमाखेड़ा	भीम	सांसद	0.85
5	बावड़ी वाला	सारोठ	भीम	सांसद	0.98
6	सूरतपुरा	काकरोद	भीम	विधायक	0.25
7	दाडमजी	छापली	भीम	सांसद	0.97
8	खेजाड़िया	बाधाना	भीम	सांसद	2.13
9	चुना का नाका	भीम	भीम	सांसद	1.50
				योग :-	9.59
1	उन्डिया	लसानी	देवगढ़	सांसद	4.49
2	उगरवास	गाण्डावाडा	देवगढ़	सांसद	2.07
3	बोरवा	बोरवा	देवगढ़	विधायक	0.47
4	साकड़ाभाटा	डूंगरखेडा	देवगढ़	विधायक	0.50
5	रघुनाथपुरा	इसरमण्ड	देवगढ़	डी.पी.आई.पी.	6.62

क्र.सं.	एनीकट का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	मद एवं व्यय राशि लाखों में	
				मद	व्यय राशि
6	खारी कुंई	स्वादडी	देवगढ़	सांसद	0.85
7	नन्दावट	नन्दावट	देवगढ़	सांसद-RIDF-VI	1+3.99
8	राताभाटा	लसानी	देवगढ़	सांसद	1.99
9	टोगी	ढोगी	देवगढ़	सांसद	0.31
10	इन्टाडिया	लगेतखेड़ा	देवगढ़	सांसद	0.95
11	नाला खारी	लसानी	देवगढ़	RIDF-VI	1.76
12	चतरिया	लसानी	देवगढ़	RIDF-VI	3.32
13	राई गुन्दी	पारडी	देवगढ़	RIDF-VI	2.42
14	माण्डावाडा	रवादड़ी	देवगढ़	RIDF-VI	2.11
15	थाना का मण्डं	विजयपुर	देवगढ़	RIDF-VI	2.26
16	विजयपुर	विजयपुर	देवगढ़	RIDF-VI	0.95
				योग :-	36.06
				महायोग :-	45.65

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या- 428 का विवरण)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	31 मार्च 2004 को लाभ/हानि की स्थिति	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (2003-04)	जनवरी 2004 से 15 फरवरी 2005 तक दिये गये विज्ञापनों की राशि (लाख रू. में)
1.	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	हानि	25030	77.81
2.	राज. वित्त निगम	लाभ	976	35.77
3.	राज. राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	लाभ	570	1.35
4.	राज. आवासन मण्डल	लाभ	1283	287.25
5.	राज. भूमि विकास निगम	लाभ	12	0.26
6.	राज. राज कृषि विपणन बोर्ड	लाभ	909	1.25
7.	राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.	हानि	8450	56.87
8.	राज. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	लाभ	3202	110.58
9.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	हानि	15260	105.57
10.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	लाभ	12653	87.26
11.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	लाभ	9246	15.79
12.	राज. राज्यगंगानगर शूगर मिल्स लि.	लाभ	2207	10.13
13.	राज. राज्य खान एवं खनिज लि.	लाभ	2172	65.65

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	31 मार्च 2004 को लाभ/हानि की स्थिति	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (2003-04)	जनवरी 2004 से 15 फरवरी 2005 तक दिये गये विज्ञापनों की राशि (लाख रू. में)
14.	रीको	लाभ	1213	157.56
15.	राज. लघु उद्योग निगम	हानि	361	6.88
16.	राज. राज्य होटल निगम	हानि	81	0.44
17.	राज. राज्य पर्यटन विकास निगम	लाभ	1243	13.38
18.	राज. राज्य बीज निगम	लाभ	201	0.40
19.	राज. राज्य कृषि उद्योग निगम	हानि	-	-
20.	राज. सड़क विकास एवं निर्माण निगम	लाभ	320	0.66
21.	राज. राज्य हाथकरघा विकास निगम	हानि	47	0.12
22.	राज. जल विकास निगम	लाभ	45	1.45
23.	राज. ऊर्जा अक्षय निगम	लाभ	65	1.45
24.	राज. इलेक्ट्रोनिक्स लि.	हानि	7	-
25.	राज. राज्य टंगस्टन विकास निगम	-	-	-
26.	राज. स्टेट केमिकल वर्क्स. डीडवाना	हानि	5	0.06
27.	राजकीय लवण श्रोत, डीडवाना	हानि	7	-

परिशिष्ट-4

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख)

राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय आदर्श नगर अजमेर को सुविधायुक्त करने बाबत

मान्यवर,

माननीय अध्यक्ष महोदया, अजमेर का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एक संभाग का स्तर का चिकित्सालय है जहां, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर आदि जिलों के दूरदराज क्षेत्रों से मरीज उपचार हेतु आते हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए अजमेर शहर के ही आदर्श नगर क्षेत्र में एक सेटेलाइट चिकित्सालय खोला गया।

यह चिकित्सालय वर्तमान में एक सोसायटी के किराये के भवन में संचालित है के आर.ओ.आई.डी.पी. द्वारा इस चिकित्सालय का नया भवन लगभग 275 लाख रू. की लागत से बन रहा है।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम सें मैं मंत्रीजी को बताना चाहती हूं कि लगभग 2 करोड़ 75 लाख की लागत से बने इस भवन की उपयोगिता व सार्थकता तभी रहेगी जब इसे चिकित्सकीय उपकरणों सुविधाओं मशीनों व नये पदों को स्वीकृत कर सुविधा सम्पन्न बनाया जावे। जब यह चिकित्सालय नये भवन में संचालित होगा तब वहां एक एम्बुलैंस मय दो ड्राईवरों के एक एक्सरे मशीन एक सोनाग्राफी मशीन एक लिप्ठ व दो जनरेटरों की महती आवश्यकता होगी एक आपरेशन थियेटर के लिए व एक पूर्ण अस्पताल के लिए डाक्टरों के लिये 15 मेज व 40 कुर्सीयां मरीजों व रिश्तेदारों के लिये 5x20 की बेचनुमा कुर्सी। आपरेशन थियेटर व तेवर कम हेतु 2, 2 टेबल आपरेशन व अन्य कार्यों हेतु जरूरी उपकरण बहुत आवश्यक है।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि मंत्री महोदय विशेष बजट स्वीकृत कर इस अस्पताल को सुविधा सम्पन्न बनायें। इस चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है अतः मेरा आग्रह है कि एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत किया जावें। चिकित्सा अधिकारी के 4 पद स्वीकृत हैं परन्तु एक पद पर ही चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है शेष तीन पदों को स्थगित किया हुआ है मैं निवेदन करती हूं कि इन तीन पदों को

तो भरा ही जावे इसके अतिरिक्त 6 नये पद चिकित्सा अधिकारी के और स्वीकृत किये जायें।

इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ में नर्स ग्रेड द्वितीय के 14 पद स्वीकृत हैं जिसमें 6 ही कार्यरत हैं। यह भवन तीन मंजिला है व भवन की भव्यता को देखते हुए इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के 15 पद और स्वीकृत किये जावें तथा शेष खाली पदों को भरा जावे। वार्ड ब्वाय व सफाई कर्मचारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है अस्पताल ठीक ढंग से संचालित हो इसके लिये आवश्यक है कि ये सभी पद शीघ्र स्वीकृत कर भरे जावे। नये भवन में कान, नाक, गला व आंखों का आउटडोर दूसरी मंजिल पर प्रस्तावित है ऐसा किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल में नहीं होता है, नियमों के आधार पर भी गलत है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों का वार्ड ऊपर स्थानान्तरित करावें उनकी जगह उपरोक्त तीनों आउटडोर बनाये जायें। ताकि अस्पताल ठीक ढंग से संचालित हो सके।

अनिता भदेल

(अजमेर पूर्व)

बांसवाड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

महोदय,

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी मेडिकल कालेज नहीं है, इस क्षेत्र के सबसे नजदीक उदयपुर स्थित मेडिकल कालेज आता है। राज्य के आदिवासी जिलों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये और क्षेत्र के विकास की दृष्टि से बांसवाड़ा जिले में एक सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना किया जाना आज की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र के गम्भीर रोग से पीड़ितों को इलाज हेतु अहमदाबाद अथवा उदयपुर ले जाना पड़ता है जिसकी दूरी इस क्षेत्र से काफी है।

माननीय जैसा कि सरकार की जानकारी में है कि वर्तमान में राज्य में 6 सरकारी मेडिकल कालेज स्थिति है जो कि क्रमशः जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा बीकानेर में है। केवल बांगड और मेवात दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मेडिकल विद्यार्थियों के शिक्षण और वहां के निवासियों की समुचित चिकित्सा हेतु मेडिकल कालेज नहीं है।

मैं आपका ध्यान राज्य में मेडिकल शिक्षण की अन्य राज्यों की तुलना के सम्बन्ध में दिलावाना चाहता हूं यदि आप देखें तो राज्य के सरकारी मेडिकल कालेज में वर्तमान में छात्रों के प्रवेश हेतु केवल 600 सीटों की व्यवस्था है। जबकि 2 प्राइवेट मेडिकल कालेज जो जयपुर में स्थित है यदि उनकी संख्या जोड़ी जाये तो उनमें प्रवेश हेतु केवल 800 सीटों की व्यवस्था है।

माननीय राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या लगभग 5.65 करोड़ है और एम.बी.बी.एस. में प्रवेश हेतु प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कालेजों में कुल 800 सीटें ही हैं। जबकि हमारे राज्य की भौगोलिक दृष्टि से छोटे राज्य गुजरात में जहां की जनसंख्या लगभग 5.05 करोड़ है वहीं पर मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या 1475 है और मेडिकल कालेजों की संख्या 12 है। यह 12 मेडिकल कालेज राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित है जिससे प्रदेश की जनता को शिक्षा सुविधाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार केरल जो कि हमारे राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा हैं। इसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और इस राज्य में वर्तमान में 13 मेडिकल कालेज हैं जिसमें एम.बी.बी.एस. प्रवेश हेतु 1500 सीटों की व्यवस्था है।

अतः मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदयजी, से निवेदन है कि राजस्थान राज्य की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिला बांसवाड़ा में एक सरकारी मेडिकल कालेज स्थापित करवाने की कृपा करें जिससे इस आदिवासी क्षेत्र के गरीब और पिछड़े हुये तबके के लोगों को इसकी चिकित्सा का समुचित लाभ मिल सके और यहां के विद्यार्थियों को भी मेडिकल शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके और राज्य के शैक्षणिक विकास में वृद्धि हो सके।

जीतमल खांट

(बागीडोरा)

बीकानेर में 348 बीघा भूमि को रीको से मुक्त कराने बाबत

महोदय,

मैं संचालन व नियम की धारा 295 के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि बीकानेर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज को 337 बीघा 3 बिस्वा भूमि कालेजों को आबंटन है जिसमें छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। आने वाले समय में 3000 छात्र-छात्राएं व 500 के लगभग अन्य स्टाफ निवास करेगा।

1. यह कि महाविद्यालय के चिपते किसानों की 348 बीघा भूमि रीको के लिए सरकार द्वारा अवाप्त की जा रही है, इसमें अधिकतर भूमि गरीब किसानों की खातेदारी की भूमि है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20 मार्च को प्रकाशित राजस्थान पत्रिका में धारा 9(1) सपठित धारा 17(1) एवं 13 ए भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी की गई हैं जबकि उपरोक्त धाराओं में एक साथ कार्यवाही उन परिस्थितियों में की जाती है जहां प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प या बाड़ आना अथवा देश में रक्षा हित भूमि सेना को सुपुर्द करना होता है या बाढ़ के कारण काश्तकार की जमीन पर पुल बनाना अथवा तालाब खोदना आवश्यक हो जाता है। उसी स्थिति में उपरोक्त दोनों धाराओं की कार्यवाहियां साथ-साथ होती हैं।

2. यह है दिनांक 24.12.2002 को जिला कलक्टर बीकानेर के द्वारा पत्र संख्या एफ-12-3/राजस्व/977452 के माध्यम से शासन सचिव राजस्व विभाग को 7 बीकेएन की चकगर्भी की अनकमांड भूमि की कीमत 92400 रुपये प्रति बीघा व चकगर्भी कमांड भूमि की कीमत 1,75,000 रुपये प्रति बीघा बताई गई है। जबकि उपखण्ड अधिकारी बीकानेर क्षरा जारी एवार्ड में 7 बीकेएम चकगर्भी में असिंचित भूमि की क़ीमत 31112 रुपये प्रति बीघा एवं सिंचित चकगर्भी 30610 रुपये प्रति बीघा दी जा रही है। इस प्रकार काश्तकारों को जानबूझकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि काश्तकार पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से अपनी जमीनों पर कब्जा काश्त है।

3. यह कि प्रशासन द्वारा खातेदारी काश्तकारों की 348 बीघा कृषि भूमि को अवाप्त करने के लिए प्रथम चरण से ही षडयंत्र पूर्वक कार्यवाही शुरू की गई। जिसकी सूचना ऐसे समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई जिनकी प्रतियां बहुत कम मात्रा में प्रकाशित होती हैं जिसे आप आदमी पढ़ता तक नहीं है। उसके बाद भी अवाप्ति सम्बन्धी सूचना ऐसे स्थान पर चस्पा करवायी गई जहां पर आम काश्तकार प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसी पहली कार्यवाही रंगोली फैक्ट्री कानासर मार्ग बीकानेर में की गई जिसके अन्दर आम आदमी का प्रवेश निशेध है। दूसरा नोटिस पूगल रोड, बजरंग धोरा के पास स्थित डाइट केन्द्र शिक्षा विभाग के कार्यालय में चस्पा किया गया जबकि ऐसे स्थान पर संबंधित विभाग के कर्मचारियों के अलावा आम आदमी का प्रवेश नामुमकिन है।

अतः हम विद्यार्थीगण इंजीनियरिंग महाविद्यालय, खातेदारी काश्तकार निवासीगण चकगर्बी एवं निवासीगण मुक्ताप्रसाद कालोनी की तरफ से मेरा

निवेदन है कि महाविद्यालय के पास औद्योगिक क्षेत्र से फैलने वाले प्रदूषण की समस्या का ठोस स्थायी हल निकाला जावे व जिन खातेदारी काश्तकारों की कृषि भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है उसे निरस्त किया जावे तथा उक्त भूमि को सिर्फ आवासीय उपयोग में लेने हेतु काश्तकारों को भी पाबन्द किया जावे।

गोविन्दराम मेघवाल

(नोखा)

श्री दयानन्द सीनियर माध्यमिक विद्यालय, रायसिंहनगर का अनुदान बढ़ाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायसिंहनगर जो कि पाकिस्तान की सीमा एवं ग्रामीण क्षेत्र है यहां पर एक ही राजकीय सीनियर माध्यकि विद्यालय है और यहां पर एक अन्य श्री दयानन्द सीनियर माध्यमिक विद्यालय शिक्षण संस्था है जो कि राज्य सरकार के द्वारा 70 प्रतिशत अनुदानित है इस संस्था में करीब 35 शिक्षक हैं और करीबन 700 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अनु. जाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण विद्यार्थियों के द्वारा फीस नहीं आ रही है इससे शिक्षकों का वेतन भी नहीं मिल पा रहा है।

अतः अध्यक्ष महोदय मेरा सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि इस संस्था का अनुदान 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जावे

लालचन्द मेघवाल

(रायसिंहनगर)

पाली जिले की रायपुर तहसील में अकाल राहत कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

महोदय,

1 दिसम्बर से राज्य सरकार ने पाली जिले में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिया है। रायपुर तहसील के लगभग तीस गांवों में एक महीने तक कोई काम शुरू नहीं किया। जो कार्य शुरू किये गये उसमें जनप्रतिनिधियों की राय

की अवहेलना की गई। खण्डस्तरीय सलाहकार समिति की आज तक बैठक नहीं हुई। और भ्रष्टाचार के जरिये अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये। बर के एक जेईन ने ग्राम लालपुरा में अपने रिश्तेदार को फायदा दिलाने के लिये ग्राम लालपुरा के आंगनबाड़ी केन्द्र से एन.एच. 14 तक सड़क स्वीकृत करा दी और राज्य सरकार की घोषणा जिसके तहत हर परिवार के एक सदस्य को महीने में एक सप्ताह काम देने के आदेश की घोर उपेक्षा की गई। लालपुरा में कुल 120 परिवार हैं नियमानुसार 40 श्रमिक स्वीकृत होने चाहिए थे। किन्तु उपखण्ड अधिकारी जैतारण और बर के सा.नि.वि. के जेईन की मिलीभगत से 140 श्रमिक स्वीकृत किये गये। ये जेईन सड़क निर्माण के सभी कार्यों में मस्टररोल ग्रामप्रभारियों को न देकर सीधे ही मेट लगाता है और उससे पैसा वसूल करता है। लालपुरा के इस सड़क पर एक अप्रैल से दस जून तक 80 श्रमिक लगाये जिसमें 60 श्रमिक तो वे थे जो 31 मार्च तक अकाल राहत में लगे हुए थे और 20 श्रमिक उपलब्ध न होने पर पड़ोस की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के नाम लिख दिये गये। एक तरफ़ ये इनकी हाजिरी अकाल राहत कार्य पर बोलती है दूसरी तरफ स्कूल में उपस्थित हैं। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं।

1. पसाती पुत्री हजारी (मांडावास जिला अजमेर) 2. प्रताप पुत्र हैदर (सेन्दड़ा स्कूल कक्षा 9) 3. सोनू पुत्र शंकर अमरपुरा कक्षा 8 4. लक्ष्मी पुत्री सुखदेव अमरापुरा कक्षा 6 5. अशोक पुत्र घीसा ब्यावर कक्षा 9 6. अनील पुत्र कमल-आयु 14 साल 7. हमीद पुत्र सबुदीन सेन्दडा कक्षा 9 8. सीकेन्द्र पुत्र भंवरू अमरपुरा कक्षा 8 9 सलमा पुत्री नारायण अमरपुरा कक्षा 8 10. विकरम पुत्र मोहन आयु-16 11. रहमान पुत्र अलादीन आयु 15 वर्ष 12. जीतू पुत्र सोहन आयु 15 वर्ष 13. प्रेम पुत्र सुलेमान मानाराजोल (जिला राजसमंद) 14. हकीम पुत्र कालू अमरपुरा कक्षा 8 15. घीसी पुत्री सामर डण्डिया 16. महेन्द्र पुत्र शंकर आयु-16 वर्ष।

इस प्रकार कुल 20 नाबालिग, बाहर के जिले के लोगों व बाल श्रमिकों की लगा रखा है जिसकी शिकायतों के बावजूद भी जांच नहीं हो रही है। बाल श्रमिक लगाना अपने आप में जुर्म है। इस जेईएन ने सारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला रखा है। तथा अकाल राहत कार्यों में अमरपुरा का सरपंच कुएं गहरे कराने के नाम पर ढ़ाई लाख रुपये खा गये लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्राम बांसिया में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पं. समिति रायपुर के साधारण सभा के प्रस्ताव की अवहेलना पर व्यक्ति विशेष के खेत की दीवार पक्की बनाने के लिये फीदर खुदाई का सिंचाई विभाग के माध्यम से स्वीकृत कर दिया। और

गत फैमिन में भी किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये कुरालिया एनीकट स्वीकृत किया था। ग्राम पंचायत अमरपुरा में कुल 900 राशन कार्ड हैं और एक हजार लेबर स्वीकृत है इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा। सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी लोगों को दण्ड दे।

सी.डी. देवल

(रायपुर)

जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी पाल योजनाओं में बारानी भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में

महोदया जी,

नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने शहर के विस्तार को देखते हुए आवासीय भूखण्डों की उपलब्धता हेतु दो योजनाएं पूर्वी एवं पश्चिमी पाल योजना बनाई गई थी। इस योजना में बारानी भूमि अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि रिक्त भूमि 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देकर अथवा नकद मुआवजा देकर अवाप्त की जाय। इस अवाप्त भूमि को आबंटन कर न्यास की आय भी बढ़ाई जाय साथ ही इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं यथा पार्क, सामूदायिक भवन, व्यावसायिक केन्द्रों आदि के लिए भी भूमि उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय सन 2002 में लिया गया था।

मेरा आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा अपनी आय बढ़ाने हेतु एवं क्षेत्र के निवासियों को आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने हेतु तीन वर्षों में उक्त भूमि अवाप्ति के क्या प्रयास किये, इसकी जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। कृपया यह जानकारी भी प्रदान करने की कृपा करें कि अब तक इस योजनाओं में आधारभूत एवं सामुदायिक सुविधाओं हेतु कितनी भूमि अवाप्त की गई है। इन योजनाओं में कितनी बारानी भूमि रिक्त हैं? यदि भूमि अब तक अवाप्त नहीं की गई तो इसके क्या कारण रहे हैं और न्यास इस बारे में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है। इन दोनों योजनाओं के लिए न्यास अथवा नगर नियोजन कार्यालय द्वारा कोई सेक्टर प्लान बनाया गया हो तथा इस क्षेत्र में धारा 90बी के अन्तर्गत नियमन सेक्टर प्लान के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं तो कारणों से सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि न्यास की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु ऐसे प्रस्तावों पर राज्य सरकार के स्तर पर भी मानिटरिंग की जानी चाहिये क्योंकि एक तरफ तो न्यास अपनी खराब वित्तीय स्थिति का रोना रोता है दूसरी और वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु ऐसे प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं करता है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदारी भी तय करनी चाहिये।

सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

आदिवासी किसानों द्वारा वन भूमि पर किये गये कब्जे काश्त की भूमि सर्वे कराने बाबत

मान्यवर,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि गत दिनांक 27.4.1991. को राजस्थान सरकार द्वारा आदेश निकाला गया था मगर आज दिन तक उस आदेश की पालना उदयपुर डिविजन के जिलों में नहीं हुई है।

मान्यवर क्रमांक प./18/वन/90 दिनांक 18-7-1991 द्वारा निर्देशानुसार राजस्व रेकार्ड में वन भूमि का सही अमलदरामद नहीं करना।

मान्यवर 27.4.1991 को राजस्व सरकार द्वारा जिला कलक्टरों को आदेश दियां गया था कि वन भूमि पर किये कब्जा कांश्त कीं भूमि की सर्वे करने को क्षेत्रीय विधायक, पंचायत समिति का प्रशासक वन संरक्षक, क्षेत्रीय तहसीलदार क्षेत्रीय वन अधिकारी, ग्राम पंचायत का सरपंच सहित समिति गठित कर मौके की जांच कराने का आदेश था मगर वे आदेश कागजात कलेक्ट्रीय कार्यालयों में दबे पड़े हैं उसे जानकारी करा वन विभाग व आदिवासी किसानों के बीच निपटारा कराया जाने का सुझाव देता हूं।

नवनीत निनामा

(घाटोल)

पीपल्दा क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण करने बाबत

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कें-कोटा-इटावा खातौली श्यापुर जो राजस्थान व मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली अन्तर्राज्यीय सड़क के वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में किमी. 85/000 से किमी. 92/400 तक काफी क्षतिग्रस्त है इसी प्रकार कोटा खतौली से केचुदा अर्न्तजिला सड़क जो पूरे विधान सभा क्षेत्र को सवाईमाधोपुर होते हुए जयुपर से जोड़ती है खातौली से केचूदा तक पूर्णत क्षतिग्रस्त है। इन सड़कों के अन्तर्राज्यीय एवं अर्न्तजिला स्तरीय होने से इन पर यात्री वाहनों एवं माल वाहक वाहनों का भारी आवागमन रहता है। वहीं पीपल्दा क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र होने से भरपूर फ़सल से कृषि जिंसों की आवक जावक से ट्रकों व ट्रैक्टरों ट्रोलियों का भी भारी दबाव रहता है। इन सड़कों के क्षतिग्रस्त से इन सड़कों के मध्य जहां काफी गहरे गढ्ढे है वहीं रोड़ साइडे इतनी अधिक क्षतिग्रस्त है कि साइड देते समय वाहनों के उलटने की पूर्ण आशंका रहती है। इन सड़कों पर चलने वाले वाहनों को जहां नुकसान होता है वहीं दुर्घटना की भी पूर्ण सम्भावना रहती है। उक्त दोनों सड़कों के मरम्मत एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कोटा द्वारा सी.आर.एफ. योजना में बनाकर मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य जयुपर को भिजवाये हुए हैं।

मैं विधान सभा कार्यवाही संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता एवं यात्रियों की सुविधा हेतु अविलम्ब उक्त प्रस्तावों को सी.आर.एफ. में स्वीकृति करवाकर उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने की उचित कार्यवाही करवावें।

प्रभुलाल वर्मा

(पीपल्दा)

राजस्थान के विभिन्न शहरों में लागू किये गये मास्टर प्लान से उत्पन्न परेशानियों के सम्बन्ध में

महोदय,

राजस्थान के जिन शहरों में मास्टर प्लान लागू है वहां की जनता

नगर पालिका परिषद द्वारा कुछ प्रकरणों में निर्मित स्वीकृति नहीं दिये जाने की शिकायत आये दिन करती हैं, उनकी शिकायत यह है कि मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व किसी भूमिधारी की भूमि का मूल दस्तावेजों अनुसार भू-उपयोग आवासीय या औद्योगिक या वाणिज्यिक है, अथवा रूपान्तरण करवाकर भू-उपयोग आवासीय या औद्योगिक या वाणिज्यिक करवा लिया गया था। किन्तु मास्टर प्लान में उक्त भूमि का भू-उपयोग भिन्न दर्शाया हुआ होने से नगर पालिका परिषद अधिकारी भूमिधारी के दस्तावेजों को अनदेखा कर मूल दस्तावेजों में लिखित भू-उपयोग अनुसार निर्माण स्वीकृति देने से इन्कार कर देते हैं।

महोदय, एक तरफ तो सरकार राजकीय भूमि पर अवैध निर्माणों का भी नियमन कर रही है, जबकि दूसरी ओर वैध निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है।

अतः ऐसे प्रकरणों में राहत प्रदान कराने हेतु मैं विधान-सभा की प्रक्रिया नियम 295 के तहत माननीय नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि समस्त नगरपालिकाओं परिषदों को जहां पर मास्टर प्लान लागू है इस आशय के निर्देश प्रदान करवें कि भूमि के मूल दस्तावेजों में अंकित भू-उपयोग के अनुसार यदि भूमि धारी निर्माण स्वीकृति चाहता है तो प्रदान की जावे क्योंकि मास्टर प्लान में दर्शाये भू-उपयोग की वजह से मूल दस्तावेजों में अंकित भू-उपयोग समाप्त नहीं माना जा सकता एवं ना ही समाप्त किया जा सकता है। विषय आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा है इसलिये निस्तारण शीघ्र करवाया जावे।

खुशवीर सिंह जोजावर

(खारची)

सूरजगढ़ पंचायत समिति द्वारा निजी आय से अध्यापकों को किये गये वेतन का पुनर्भरण करने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 में पंचायत समिति सूरतगढ़ में अध्यापकों की जब हड़ताल हुई थी तभी राज्य सरकार के यहां से निर्देशक पंचायत राज ने पंचायत समिति को आदेश दिया कि आप निजी आय के 46

लाख तीस हजार रुपये सैलेरी के रूप में दी गयी राशि के लिए ये उन्नीस वर्ष से बराबर मांग रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दिये जायें। परन्तु बार-बार निवेदन करने पर भी अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। और पंचायत राज निर्देशक से बात करें तो यह बताया गया कि शिक्षा विभाग देगा और शिक्षा विभाग कहता है कि पंचायत राज देगा। कृपया इस तरह की मध्यान्ति को दूर किया जाये और हमारी पंचायत समिति का जो कार्य रुका हुआ है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और अगर ये पैसे नहीं दिलाये गये तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तत्काल सरकार पैसे दिलवाये और पंचायत समिति के कर्मचारियों को जो क्षति हुई है उसको पूरा किया जाये।

श्रवण कुमार

(पिलानी)

बोर्डर होम गार्ड्स को स्थाई करने व ड्यूटी देने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बोर्ड होम गाड्गार्डस बीकानेर की स्थापना सन् 1965 को हुई थी, तब से लेकर आज तक बोर्डर होम गार्डस ने बी.एस.एफ. के साथ राजस्थान पुलिस व आर्मी के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर ड्यूटी करते आये हैं और देश सेवा के लिये अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है। दिनांक 5.1.2002 से दिनांक 14.6.2003 तक आपरेशन पराक्रम में भी कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। जब से आर्मी वापस बैरकों में लौट गई तब से बोर्डर होम गार्डस के जवान खाली घर बैठे हैं और तब से आज तक आज तक कोई फील्ड अलाउन्स नहीं दिया है जबकि हर भारतीय सेना के जवांन को यह राशि मिल चुकी है। सीमान्त क्षेत्र श्रीगंगानंगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर में 2664 जवान बार्डर होम गार्डस में सेवारत हैं। इनको चुनावी ड्यूटी के दौरान ही बुलाया जाता है अन्यथा ये जवान बेरोजगार होकर घर बैठे रहते हैं, जबकि इन जवानों को उच्च हथियारों की ट्रेनिंग व आर्मी के बराबर की ट्रेनिंग हासिल है।

अतः बोर्डर होम गार्डस की धारा 8(1 व 2) 1963 में संशोधन कर इन जवानों को स्थाई ड्यूटी पर लगाया जावे जिनसे यह जवान खाली घर बैठकर बेरोजगार न रहें ताकि बोर्डर होम गार्डस के जवानों के भविष्य से खिलवाड़ ना

हो और इनके भूखे मरने की नौबत न आये और अपने बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से कर सकें। बोर्डर होम गार्डस के जवानों को कम से कम एक वर्ष में 10 माह ड्यूटी दी जावे अन्यथा आधा वेतन का भुगतान किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

डा. समरजीत सिंह

(भीनमाल)

वर्तमान आबकारी नीति में संशोधन के बाबत

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में लेख है कि अंग्रेजी शराब की ड्यूटी कम करने से सरकार को करीबन सालाना 400 करोड़ की इन्कम बढ़ सकती है।

1. पूर्व में अंग्रेजी शराब की ड्यूटी भी कम थी एवं ठेकेदार के गारन्टी शिष्टम था। जिससे कम रेट में अंग्रेजी शराब मिल जाती थी। और ठेकेदार बेचने में रुचि रखता था। अब गारन्टी नहीं है। एवं सालाना फीस फिक्स होकर निम्न प्रकार है।

1. नगर पालिका 1.50 लाख 2. नगर परिषद या जिला हैडक्वाटर 2 लाख एवं 2.50 लाख नगर निगम में तीन लाख रुपये।

सिर्फ उक्त राशि ही जमा करानी है जिसमें अंग्रेजी शराब ठेकेदार कम चेष्ठा रखकर बेचेगा और देशी की बिक्री ज्यादा करेगा क्योंकि देशी ज्यादा करेगा क्योंकि देशी की बिक्री 80 प्रतिशत मार्जिन है और अंग्रेजी में 20 प्रतिशत ही है। जिससे देशी शराब बेचने में रुचि रखेगा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज्यादातर अंग्रेजी के बजाय ठेकेदार देशी ज्यादा बेचेंगे जिससे अंग्रेजी की बिक्री कम होगी तो राजस्व प्राप्त लक्ष्य के मुकाबले नहीं हो पायेगा।

2. जैसे देवगढ़ भीम (मेरे क्षेत्र में अंग्रेजी शराब पूर्व में करीबन 70000/ रुपये (सत्तर हजार) की रोज सेल थी अब मुश्किल से 30000 रु. की सेल है इसी प्रकार पूरे राजस्थान में है। मेरे सुझाव यह है कि अगर अंग्रेजी शराब की ड्यूटी 30 प्रति घटा दी जायं तो राजस्थान में दुगुनी सेल हो सकती है।

उदाहरण के लिये जैसे किसी प्रकार की एक शराब की पेटी पर 1200 रुपये ड्यूटी है और एक पेटी रोज बिकती है इसकी ड्यूटी घंटा कर 800 रु.

कर दी जाये तो तीन पेटी बिकेगी तो कुल मिलाकर 1200 रु. के बजाय सरकार को 2400 रु. ड्यूटी के प्राप्त होंगे रेट कम होगी तो बिक्री देशी की थोड़ी कम होगी पर अंग्रेजी की बढ़ जायेगी जिससे राज्य सरकार को सीधा सीधा दुगुनी आय होगी व अन्यथा सरकार को लक्ष्य के मुकाबले आय नहीं हो पायेगी।

अतः बीयर को छोड़कर अंग्रेजी शराब की ड्यूटी कम करना सरकार के हित में रहेगा। जिससे अंग्रेजी शराब की बिक्री ज्यादा होगी जिससे राज्य सरकार की आय में बढ़ोत्तरी होगी।

हरीसिंह रावत

(भीम)

परिशिष्ट-5

(गैर सरकारी संकल्पों में संशोधनों की सूचना)

1. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 5/2005 के अन्त में प्रयुक्त शब्द "प्रचार-प्रसार करें" के पश्चात अभिव्यक्ति" तथा प्रवास के समय प्रवास वाले ग्राम/कस्बे/शहर में पशुवध तथा मदिरा विक्रय पर रोक लगाई जाये।" और जोड़ी जावे।

2. **मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 5/2005 के अन्त में प्रयुक्त शब्द "प्रचार प्रसार करें" के पश्चात अभिव्यक्ति "तथा उस दिन सूखा एवं एकता दिवस भी घोषित करें।" और जोड़ी जावे।

3. **श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 14/2005 के अन्त में प्रयुक्त शब्द "व्यवस्था करें" के पश्चात "एवं प्रदूषण रोकने हेतु वृक्षारोपण अधिकाधिक करने हेतु व्यक्ति/संस्थाओं को अनुदान दें।" और जोड़ा जावें।

4. **श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 16/2005 की तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "सरकार" के पश्चात एवं "जल संरक्षण" से पूर्व अभिव्यक्ति "खेतों में सोखते टयूब वैल बनाकर" अन्तःस्थापित की जाये।

5. **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 16/2005 की तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "सरकार" के पश्चात तथा "जल संरक्षण" के पूर्व अभिव्यक्ति "जल के पुनर्भरण तथा" अन्तःस्थापित की जाये।

6. **डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंहपुर)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 16/2005 में प्रयुक्त शब्द "जल संरक्षण" के पश्चात तथा शब्द "के लिये" के पूर्व "एवं शुद्र पीने का पानी" अन्तःस्थापित किया जाये।

7. **श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 7/2005 प्रयुक्त अभिव्यक्ति "चिकित्सा व्यवस्था में" के पश्चात एवं अभिव्यक्ति "सुधार हेतु" के पूर्व अभिव्यक्ति "के अन्तर्गत पर्याप्त स्टाफ एवं दवाइयां उपलब्ध काने में" अन्तःस्थापित किया जाये।

8. **डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "ग्रामीण अंचल" तथा "में चिकित्सा के मध्य अभिव्यक्ति" के निकट स्थित कस्बों के मरीजों को रेफरल चिकित्सालयों तथा शहरों के बड़े चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा देने हेतु" अन्तर्विष्ट की जाये।

9. **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 7/2005 तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "सुधार" तथा "हेतु आवश्यक" के मध्य अभिव्यक्ति "अर्थात् चिकित्सा कर्मियों की सुनिश्चित उपस्थिति तथा चिकित्सालय भवनों की मरम्मत" अन्तर्विष्ट की जाये।

10. **डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)** : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 7/2005 की अन्तिम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "सुधार हेतु" के पश्चात तथा "आवश्यक कदम" के पूर्व अभिव्यक्ति "डाक्टरों के कमी तथा दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में" अन्तःस्थापित की जाये।

11. **डा. एन. एस. गुर्जर** (टोडारायसिंह) : प्रस्ताव करेंगे कि संकल्प संख्या 17/2005 के अन्त में प्रयुक्त शब्द "प्रतिबन्ध लगायें" कि पश्चात "अभिव्यक्ति तथा इनके स्थान पर अन्य थैलियों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहन दें।" और जोड़ा जावे।

सदस्य-सूची

गुरूवार, 21 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
सूचना	
-नाथूसिंह गुर्जर श्री, का वर्ष 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चयन	156
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राजकीय सैटेलाइट, चिकित्सालय, आदर्श नगर अजमेर को सुविधायुक्त करने के संबंध में	350
श्री अमराराम (धोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-सीकर के परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों का वर्ष 2004-05 में केन्द्र परिवर्तन	305
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण	13
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-कोटा के जे.के. सिंथेटिक्स लि. के पुन: संचालन हेतु मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति	74
श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-चितौड़गढ़ जिले की बिलानाम राजस्व भूमि का चरागाह भूमि में परिवर्तन	242

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-वृहद गुजरात संस्कृत परिषद, अहमदाबाद से एस.एस.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मान्यता	305
डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
अशासकीय संकल्प	
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जायेगा	152
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	152
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करें	152
बधाई एवं आभार	
-सर्वश्रेष्ठ विधायक, 2004 श्री नाथूसिंह गुर्जर द्वारा आभार प्रदर्शन	158
श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद	193
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-प्रादेशिक फार्मेसी कौंसिल में कार्यरत कर्मी	267
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-थानागाजी विधान सभा में राजस्व ग्राम योग्य ढाणियां	231

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में बांध व एनीकटों का निर्माण	170
डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-कोटा के जे.के. सिंथेटिक्स लि. के पुनः संचालन हेतु मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति	74
श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-नेछवा ग्राम (सीकर) पशु चिकित्सालय में रिक्त पद	321
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सहाड़ा एवं रायपुर तहसील में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद	241
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-सहाड़ा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना	26
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण	11
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-मारवाड़ जंक्शन (पाली) पंचायत समिति में स्वच्छ योजनान्तर्गत निर्मित शौचालय	223

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राज्य के विभिन्न शहरों में लागू किये गये मास्टर प्लान से जनता को हो रही परेशानी	358
श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री	
स्थगन प्रस्ताव	
-जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पदोन्नति में राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना	51
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
अशासकीय संकल्प	
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	127
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये	127
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	127
श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राजकीय चिकित्सालय, नाथूसर (नोखा) में रिक्त पद	263
शिक्षा	
-नोखा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित कर्मी	300
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बीकानेर की 348 बीघा भूमि रीको से मुक्त कराने के संबंध में	352
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नकली दवाओ पर अकुंश हेतु कार्य योजना	262

नाम	पृष्ठ संख्या

अशासकीय संकल्प

-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे 97

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. द्वारा अर्जित लाभ 213

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत व्यय राशि 281

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-बांसवाड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना 351

श्री जीतराम (मालपुरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत प्राप्त राशि 209

तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-अजमेर संभाग की रुग्ण औद्योगिक इकाइयां का पुनर्संचालन 186

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-कोटा के जे.के. सिंथेटिक्स लि. के पुनः संचालन हेतु मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति 74

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-लूणी तहसील में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त कृषि भूमि	213
तकनीकी शिक्षा	
-राजकीय तकनीकी महाविद्यालयों में विकलांग/निशक्तजनों को नियुक्ति एवं प्राथमिकता	306
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-मावली नवीन पशु चिकित्सालय	23
राजकीय उपक्रम	
-सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय	34
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-खेतड़ी विधान सभा की जोधपुरा-सुनारी बांध परियोजना	310
डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-बांदीकुई के चिकित्सालयों में रिक्त पद	16
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद	247

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-शेरगढ़-नोहर (हनुमानगढ़) के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत 271

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-योग्य वर्कचार्ज कर्मियों की कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति 289

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-प्रतापगढ़ उपखण्ड में ग्रीष्म ऋतु हेतु पेयजल व्यवस्था 229

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-अवलेश्‍वर ग्राम (चित्तौड़गढ़) में भू-आबंटन पर रोक 187

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय उपक्रम

-सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय 29

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-आदिवासी किसानों द्वारा वन भूमि पर किये गये कब्जे काश्त की भूमि का सर्वे 357

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं में इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के मानदण्डों की पूर्ति	168
श्री निर्भय लाल (रूपवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-रूपवास विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कें	273
श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-महुड़ीखेड़ा ग्राम (चित्तौड़गढ़) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण	243
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लम्बित भुगतान	224
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण	358
श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-मावली नवीन पशु चिकित्सालय	21

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-झालावाड़ जिले की विचाराधीन नवीन पेयजल योजनाएं	214
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-कोटा जिले में उप क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) के रिक्त पद	301
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-कोटा के जे.के. सिंथेटिक्स लि. के पुनः संचालन हेतु मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति	73
श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शल्य चिकित्सक का रिक्त पद	264
श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-मावली नवीन पशु चिकित्सालय	23
श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बागौर ग्राम (करौली) की क्षतिग्रस्त सड़कें	290

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बनवारी लाल (धौलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद	258
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-धौलपुर व बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय	175
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-पदस्थापन आदेश हेतु प्रतीक्षारत अभियंताओं पर व्यय	225
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
अशासकीय संकल्प	
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	135
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये	135
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	135
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजकीय उपक्रम	
-सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय	35
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बदरवास ग्राम (जयपुर) में नामान्तरण के लम्बित प्रकरण	236

नाम	पृष्ठ संख्या
स्थगन प्रस्ताव	
-जयपुर के परकोटे के भीतरी क्षेत्र में दूषित पानी से बीमार हुए व्यक्तियों की वेदना के निराकरण बाबत	38
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	
-परबतसर विधान सभा क्षेत्र में बिना स्वीकृति के संस्थापित हैण्डपम्प	230
श्री भंवरू खान (फतेहपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-मदरसों में अतिरिक्त पैराटीचर्स का पदस्थापन	299
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खादी एवं ग्रामोद्योग	
-विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को ऋण स्वीकृति में शिथिलता	333
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-आयातित खाद्य तेलों पर शुल्क हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश	199
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. द्वारा अर्जित लाभ	213
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजकीय उपक्रम	
-सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय	31

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री महादेव सिंह (खण्डेला)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-राज्य में स्थायी वार्डबाय के रिक्त पद	260
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
अशासकीय संकल्प	
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	144
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण	12
अशासकीय संकल्प	
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये	144
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	144
श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डियों के आढ़तियों (दलालों) से कृषकों उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति हेतु कार्य योजना	342
सिंचाई	
-वृहद उद्योगों द्वारा नदी जल उपयोग हेतु एनीकट	311
स्थगन प्रस्ताव	
-अलवर में विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में	36

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-बस्सी तहसील (जयपुर) में प्रशासन आपके द्वार शिविरों में निस्तारित प्रकरण	232
श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में नई कृषि मण्डी निर्माण हेतु अवाप्त भूमि	341
तारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-बांदीकुई के चिकित्सालयों में रिक्त पद	16
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
उद्योग	
-राज्य में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	209
श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अशासकीय संकल्प	
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये	122
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	122
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	122
स्थगन प्रस्ताव	
-जयपुर के परकोटे के भीतर क्षेत्र में दूषित पानी से बीमार हुए व्यक्तियों की वेदना के निराकरण बाबत	41

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सहाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-अजमेर जिले के नाहर सागर पिपलाज बांध क्षेत्र की डूब में आये ग्रामवासियों का पुनर्वास	311
श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के सड़क रहित पंचायत मुख्यालय	272
तारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद	202
श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण	3
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
अशासकीय संकल्प	
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये	131
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	131
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	95
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	131
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण	4

नाम	पृष्ठ संख्या
वापस लिया गया विधेयक	
-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों द्वारा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005	89
विधेयक का पारण	
-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005	95
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005	90
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005	94
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)	
अशासकीय संकल्प	
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये	97
श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-मेड़ता विधान सभा क्षेत्र की मरम्मत योग्य सड़कें	191
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-कृषि उपज मण्डियों के आढ़तियों (दलालों) से कृषकों उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति हेतु कार्य योजना	342

नाम	पृष्ठ संख्या

सार्वजनिक निर्माण

-राज्य राजमार्ग संख्या-34 पर पुलिया निर्माण 268

सिंचाई

-वृहद उद्योगों द्वारा नदी जल उपयोग हेतु एनीकट 311

अशासकीय संकल्प

-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये 100

-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे 100

-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे 97

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-कोटा के जे.के. सिंथेटिक्स लि. के पुनः संचालन हेतु मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति 83

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-चौमूं विधान सभा क्षेत्र की मरम्मत योग्य ग्रामीण सड़कें 336

तारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-चौमूं विधान सभा क्षेत्र में ग्रीष्मकाल हेतु पेयजल योजना 201

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-मनोहरपुर-दौसा-सड़क मार्ग का अपूर्ण कार्य 291

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-नागौर जिले की राजस्व भूमि पर अतिक्रमण	236
श्री लालचन्द कटारिया (आमेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
संस्कृत शिक्षा	
-व्याकरण/भाषा प्रोफेसरों के पद हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें	334
श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	
-वर्ष 1998 में नियुक्त अस्थाई चिकित्सकों की वेतन विसंगित	267
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-रायसिंह नगर के श्री दयानन्द सीनियर माध्यमिक विद्यालय का अनुदान बढ़ाने के संबंध में	354
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005	93
-राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005	92
विधेयक का पुरःस्थापन	
-राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005	90
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005	92
-राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2005	91

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर पश्चिम), राज्य मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
उच्च शिक्षा	
-सहाड़ा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना	27
श्री विष्णु मोदी (मसूदा)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-कोटा के जे.के. सिंथेटिक्स लि. के पुन संचालन हेतु मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति	82
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
अशासकीय संकल्प	
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये	120
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	120
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	120
श्री शांति लाल चपलोत (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खादी एवं ग्रामोद्योग	
-मावली विधान सभा क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से लाभान्वित उद्योग	329
तारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-मावली नवीन पशु चिकित्सालय	21
श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
शिक्षा	
-अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को वित्तीय अधिकार	302

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री श्रवणकुमार (पिलानी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सूरजगढ़ पंचायत समिति के अध्यापकों को हड़ताल की अवधि का वेतन	359
डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर जिले के सड़क मार्ग सीमा में अवैध निर्माण कार्य	293
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण	9
-पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव	162
श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)	
अशासकीय संकल्प	
-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जायेगा	111
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	111
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	111
तारांकित प्रश्नोत्तर	
राजस्व	
-सिरोही जिले में राजस्व ग्राम घोषित होने योग्य ढाणी/मजरे	162
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण	6
श्री सभापति	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005	94

नाम	पृष्ठ संख्या
-राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन), विधेयक, 2005	92
-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2005	96

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-जालौर जिले की निर्माणाधीन बाण्डी-सणधरा परियोजना 307

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-बोर्डर होम गार्डस को स्थायी करने एवं उन्हें ड्यूटी देने के संबंध में 360

श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-भीम के क्षतिग्रस्त सिंचाई स्रोत 24

स्थगन प्रस्ताव

-जयपुर के परकोटे के भीतर क्षेत्र में दूषित पानी से बीमार हुए व्यक्तियों की वेदना के निराकरण बाबत 44

श्री सी.डी. देवल (रायपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-जलेरी ग्राम (बिजोलिया) का भूमि किस्म परिवर्तन प्रकरण 240

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-पाली की रायपुर तहसील में अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार 354

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

अशासकीय संकल्प

-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये 115

नाम	पृष्ठ संख्या
-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे	115
-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे	115

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय उपक्रम

-सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय 33

सार्वजनिक निर्माण

-अजमेर ज्ञानोदय जैन तीर्थ हेतु सड़क निर्माण 14

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-कोटा के जे.के. सिंथेटिक्स लि. के पुन: संचालन हेतु मजदूरों के हितों के विपरीत समझौता होने से उत्पन्न स्थिति 75

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

अशासकीय संकल्प

-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये 125

-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे 125

-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे 125

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व

-हरमाड़ा (आमेर) में मन्दिर माफी भूमि का खातेदारी प्रकरण 230

डा. सुरेश चौधरी (भादरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-भादरा विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद 328

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री सुरेश मीणा (करौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-करौली विधान सभा क्षेत्र में जनता जल योजनान्तर्गत स्वीकृत ट्यूबवैल्स 216

तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-करौली जिले में औद्योगिक विकास हेतु विशेष रियायत 205

श्री सुशील कटारा (चौरासी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-चौरासी विधान सभा क्षेत्र के डूंगरपुर-सरथूना मार्ग का डामरीकरण 275

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी पाल योजनाओं में बारानी भूमि की अवाप्ति 356

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

अशासकीय संकल्प

-जल संरक्षण हेतु आवश्यक कानून बनाया जाये 108

-राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ के जयपुर प्रवास का प्रचार-प्रसार राज्य सरकार करे 108

-सरकार राज्य में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करे 108

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय उपक्रम

-सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विज्ञापन पर व्यय 29

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-खारिया ग्राम (नागौर) के कृषि कार्यान्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सहायता	244
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र के कृषकों को फव्वारा सिंचाई हेतु अनुदान	169
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु अनुदान	245
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सिंचाई	
-भीम के क्षतिग्रस्त सिंचाई स्रोत	24
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-वर्तमान आबकारी नीति में संशोधन	361
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-निवाई विधान सभा क्षेत्र के सड़क रहित ग्राम	341
राजस्व	
-बरनाला (सवाईमाधोपुर) उप तहसील कार्यालय हेतु भवन	231

नाम पृष्ठ संख्या

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-पलायथा ग्राम (बारां) में पेयजल आपूर्ति हेतु डाली गई दोषपूर्ण पाइप लाइन 223

स्थगन प्रस्ताव

-जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में पदोन्नति में राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना 45